खण्ड-323, अंक-7
बुधवार, 19 कार्तिक, शक संवत् 1898
(10 नवम्बर, 1976 ई0)

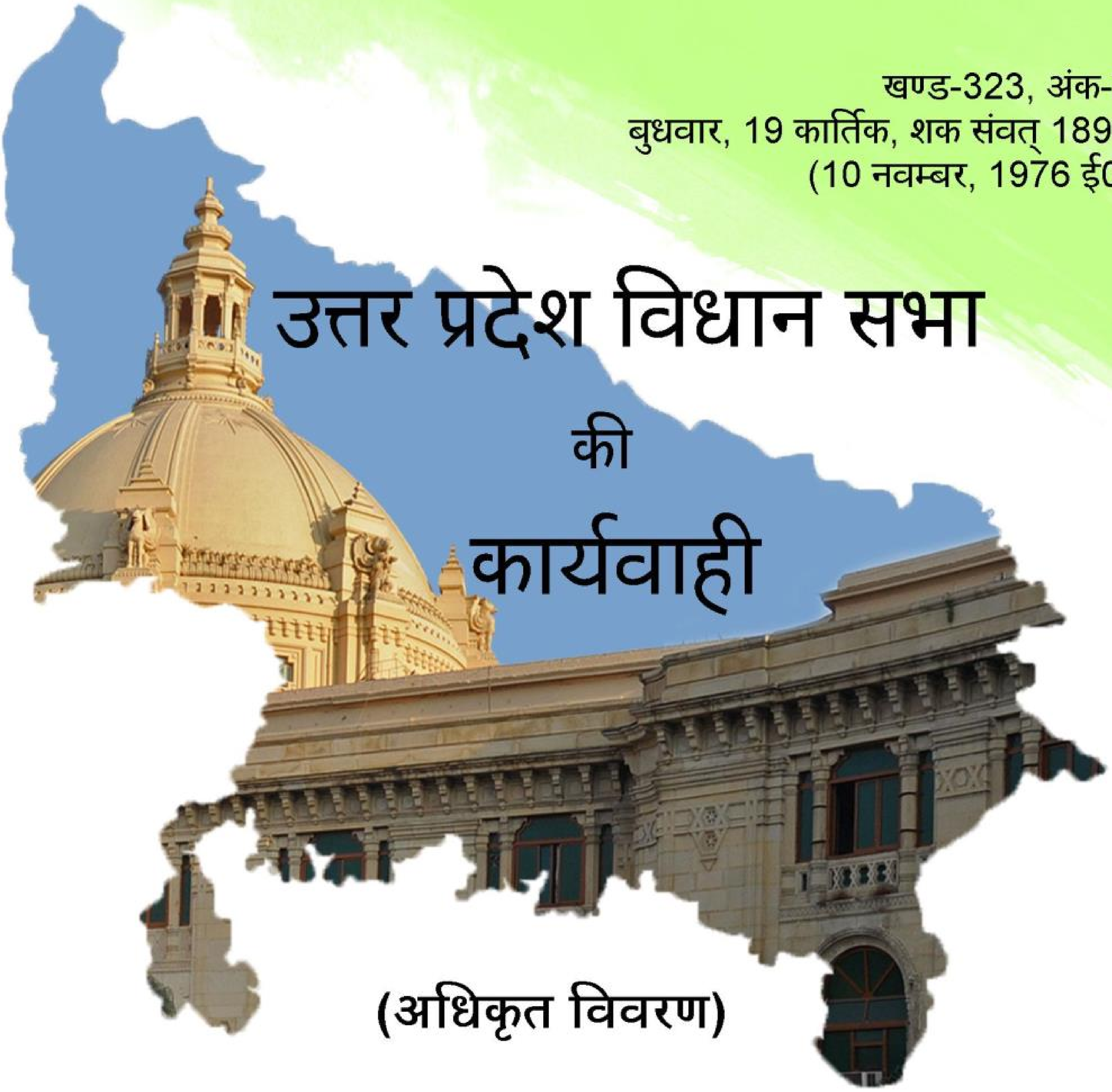

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 323 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	835–838
प्रश्नोत्तर	839–878
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	878
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का पंचम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	878–879
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	879
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	879
उत्तर प्रदेश पंचायती राज सलाहकार परिषद्, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी तथा चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा	879–880
श्री राष्ट्रपति के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाने की सूचना ..	880–882
परिवार नियोजन की चर्चा के साथ अन्य कार्यक्रम लिये जाने के संबंध में आपत्ति	882–886
विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए कार्य-काल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	887–888
उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 (विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधनों से सहमति का प्रस्ताव) (स्वीकृत) ..	888–889
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित)	889–890
परिवार नियोजन के सम्बन्ध में चर्चा (जारी)	891–936
सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	936–937
परिवार नियोजन के सम्बन्ध में चर्चा (समाप्त)	937–951
उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	952
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया)	952
उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया) ..	952
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित) ..	952–953
उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित)	953–958
उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 (विचार स्थगित) ..	958
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	958
माध्यमिक शिक्षक संघ की 11 सूत्रीय मांगों के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	958
सदन का अधिवेशन 30 नवम्बर, 1976 व 1 दिसम्बर, 1976 को करने हेतु सुझाव	958
नत्थियां	959–987

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 10 नवम्बर, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—334

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोमकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाशपति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद लोधी, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री

चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायण त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागश्वर, श्री
झामलाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दल सिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुवनारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजू राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम लाल बघवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारेलाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री

भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भामी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नू लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात, हाजी
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोन्डा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रफीउल्ला, श्री
रमापन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
रजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन श्री
राम बाबू मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री

राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उप नाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरसिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी शर्मा, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरप्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री, श्री श्रीकृष्ण गोयल भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 10 नवम्बर, 1976

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ विश्वविद्यालय एम० ए० फाइनल समाज-शास्त्र की मौखिक परीक्षा में दिए गए अंक

**1—श्री उमानाथ (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि 1976 की लखनऊ विश्वविद्यालय एम0 ए0 फाइनल, समाज शास्त्र की परीक्षा में लगभग 250 लड़कों को जिनको लिखित परीक्षा में उत्तम अंक दिए गए, को मौखिक परीक्षा में शून्य अंक से 10 अंक परीक्षकों द्वारा दिए गए ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराएगी और समाज शास्त्र की मौखिक परीक्षा पुनः कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

1976 की लखनऊ विश्वविद्यालय एम0 ए0 फाइनल, समाज शास्त्र की परीक्षा में 1206 परीक्षार्थियों में 109 परीक्षार्थियों को मौखिक परीक्षा में शून्य से 10 अंक तक दिए गए। शासन विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित परीक्षा कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता।

(माननीय सदस्य श्री उमानाथ के सदन में उपस्थित न होने पर और माननीय अध्यक्ष द्वारा दूसरा प्रश्न लिए जाने पर)।

श्री दीपनारायण पाण्डेय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, यह जो पहले नम्बर का प्रश्न है इस पर डिसकशन होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

यह सुझाव आपको देने की आवश्यकता नहीं है।

कानपुर मेडिकल कालेज के चिकित्सक, डा० थापर के विरुद्ध विभागीय जांच

**2—श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर) तथा श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

द्वितीय सत्र 1976 के प्रथम गुरुवार (नत्थी 'ख') के तारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर मेडिकल कालेज के वरिष्ठ चिकित्सक, डा0 थापर का निलम्बन प्राइमाफेसी किन ठोस आधार पर किया गया ? क्या निलम्बन के पूर्व उनको शो-काज नोटिस भी दिया गया था ? यदि हां, तो वह क्या था और उसका उत्तर उन्होंने क्या दिया ? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों ? विभागीय जांच की कार्यवाही अब किसके द्वारा की जा रही है तथा उसकी समाप्ति में क्या विलम्ब है ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री रामायण राय)—

डा0 आर0 के0 थापर, रीडर इन पीडिया ट्रिक्स कार्डियालोजी, मेडिकल कालेज, कानपुर के विरुद्ध घोर व्यवसायिक अक्षमता, व्यावसायिक दुराचरण तथा अनुत्तरदायी ढंग से कार्य करने के आरोप होने के कारण उन्हें दिनांक 2 जुलाई, 1975 से निलम्बित किया गया है। निलम्बन के पूर्व इनको कोई शो-काज नोटिस नहीं दी गयी, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इनके विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा की जा रही है ? चूंकि डा0 थापर के विरुद्ध आरोप जटिल प्रकार के हैं और उन आरोपों के सम्बन्ध में बहुत से कागजातों की जांच तथा बहुत से गवाहों का बयान लिया जाना है, इसलिए इस जांच में काफी समय लग रहा है। इसके अतिरिक्त डा0 थापर स्वयं भी गवाहों से जिरह इत्यादि करने में काफी समय लगा रहे हैं, इस कारण भी जांच की कार्यवाही पूरी होने में विलम्ब हो रहा है।

श्री सन्त सिंह यूसुफ—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कोई इनके डिपार्टमेंट में इनसे सीरियस चार्ज लगे हुए लोग भी हैं जिसकी इन्क्वायरी हो रही है और एक आदमी को बिना नोटिस दिए हुए मुअत्तिल कर दिया गया ?

श्री रामायण राय—

मान्यवर, यह जो डाक्टर थापर हैं इन्होंने ग्लूकोज कांड के मुलजिम को जमानत पर छोड़ने के लिए सार्टिफिकेट दिया। जहां तक सी0 सी0 ए0 रूल्स का ताल्लुक है उसके तहत शो-काज नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं दिया गया।

श्री सन्त सिंह यूसुफ—

मैं माननीय मन्त्री जी यह जानना चाहता हूं कि जिन्होंने इलजाम लगाया, डाक्टर जैन ने, उनके खिलाफ भी चार्जेज थे ? उनके खिलाफ जो रिपोर्ट थी वह फाड़ दी है, कोई पेपर नहीं है। लेकिन इनके सम्बन्ध में कहना है कि निर्दोष थे।

श्री अध्यक्ष —

यह प्रश्न तो इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री रामायण राय—

मान्यवर, यह प्रश्न डा0 जैन से सम्बन्धित नहीं है, डा0 थापर के सम्बन्ध में है। इन्होंने ग्लूकोज कांड में ही नहीं 302 और 295 में भी लोगों को सार्टिफिकेट दिए हैं।

(व्यवधान)

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

मान्यवर, जरा और लोग जवाब न दें माननीय मन्त्री जी को जवाब देने दें। किस तारीख को इस व्यक्ति के खिलाफ कम्पलेन्ट की गई है और क्या उस कम्पलेन्ट के ऊपर अन्तरिम संतुष्टि विभाग की हुई या खाली सस्पेन्ड कर दिया गया ?

श्री रामायण राय—

इनको अक्तूबर, 1975 में प्रथम चार्जशीट दी गई। इसके पहले भी चार्जशीट दी गई जिसमें डकैती और कत्ल के मुलजिमों को सार्टिफिकेट देने का चार्ज था।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

मेरा मान्यवर, प्रश्न यह है कि किस तारीख को किस व्यक्ति ने कम्पलेन्ट की और उस कम्पलेन्ट पर अन्तरिम संतुष्टि विभाग की हुई या नहीं?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रभुनारायण)—

जहां तक इनके निलम्बन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में डा0 के0 एन0 टंडन, अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक, उत्तर प्रदेश से 18 अक्तूबर को अपराध अनुसन्धान विभाग के पुलिस अधीक्षक ने शिकायत किया कि डाक्टर थापर ने 10 अभियुक्तों को जाली सार्टीफिकेट दिया। इनके सम्बन्ध में जो कार्यवाही हुई, उस कार्यवाही में बहुत सोच समझकर कार्यवाही हुई। यदि वह निर्दोष साबित होते हैं तो कोई एतराज नहीं होगा सरकार को उनको छोड़ देने में, लेकिन यदि यह कहा जाय कि बिना किसी कारण के, बिना किसी दोष के या किसी के कहने पर यह कार्यवाही हुई तो यह उचित नहीं है अपनी जगह।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह जो डाक्टर थापर का काण्ड हुआ उन पर जो गम्भीर आरोप हैं, उसी तरह से यहां के सेन्ट्रल स्टोर्स परचेज से लाखों रुपए की दवाएं बेची गई। तो आए दिन डाक्टरों के खिलाफ गम्भीरतम शिकायतें आती रहती हैं और आज अनेक डाक्टर इस तरह के कारनामे कर रहे हैं, तो मैं मन्त्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि इसे देखते हुए इस तरह की शिकायतों पर सख्त से सख्त कदम उठाकर ऐसे डाक्टरों को मीसा या डी0 आई0 आर0 में जेल भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जब एक मामले में सरकार एक कठोर कदम उठा रही है तो कैसे आप दुश्चिन्ता करते हैं कि वह दूसरे मामलों में सतर्क नहीं रहेगी ? आप यों तो सुझाव देने के लिए मुक्त हैं चिट्ठी लिखकर सुझाव दे सकते हैं ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

अभी मन्त्री जी ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने फर्जी सार्टिफिकेट 302 के अभियुक्तों को और ग्लूकोज कांड के लोगों को दिए, तो इससे तो उनके खिलाफ जाब्ता फौजदारी का केस भी बनता है। अत: मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए भी आपने कोई कार्यवाही की है या नहीं ? यदि नहीं की है, तो क्यों नहीं की है ?

श्री प्रभु नारायण—

पुलिस इसकी जांच कर रही है, पुलिस अनुसन्धान शाखा के हाथ में जांच है। इस बीच डिपार्टमेन्टल कार्यवाही भी हो रही है, डिपार्टमेन्टल कार्यवाही में यह ऐक्शन लिया गया है । जो काशीनाथ जी ने कहा, उनको इस बात की स्वयं जानकारी होगी कि कई डाक्टर उस सिलसिले में मुअत्तल हुए हैं । जो हमारे मित्र ने कहा कि बिना नोटिस दिए डाक्टर सस्पेन्ड किए गए, तो मैं उन्हें बता दूं कि कितने ही डाक्टर और एक ज्वायन्ट डायरेक्टर तक बिना शो-काज दिए हुए सस्पेन्ड किए गये हैं, क्योंकि इन सबके खिलाफ बहुत गम्भीर चार्ज थे और तुरन्त बिना सस्पेन्ड किए हुए जांच होना सम्भव नहीं था।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इससे सम्बन्धित सभी तथ्य 302 के मामले में, ग्लूकोज कान्ड के मामले में फर्जी सार्टिफिकेट दिए गए और कुछ ऐसी ही बातें कहीं, विजीलेंस को दे दिए गए हैं ?

श्री रामायण राय—

सप्लीमेन्टरी चार्जशीट दी गयी है, वह भी दिया गया है, जो जाली सार्टिफिकेट्स दिए गए हैं ।

श्री ऊदल—

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनसे सम्बन्धित सभी मामले जिनका उद्धरण राज्य मन्त्री जी ने दिया कि 302 के मामले में, 395 के मामले में फर्जी सार्टीफिकेट दिए गए तथा उनका व्यवहार अनुत्तरदायित्वपूर्ण था, विजीलेंस को दे दिए गए हैं ? यदि हां, तो कब दिए गए और नहीं दिए गए, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री प्रभु नारायण—

मैंने जो बात कहीं, कहने की बात यह थी, जो जांच हो रही है इस बीच में विजिलेंस ने भी इस बात की रिपोर्ट की कि दस और मामलों में इन्होंने जाली सार्टिफिकेट दिया है । उसी चार्जशीट के साथ वह चार्जशीट जोड़ दी गई है । यदि आवश्यकता होगी तो विजिलेन्स को भी इन्क्वायरी दी जा सकेगी। विजिलेंस ने अपनी तरफ से दिया था।

श्री सन्त सिंह यूसुफ—

दो बात का जवाब दिला दीजिए । पहली बात-एक साल से ज्यादा अरसा हो गया, इतने सीरियस चार्जेज हैं। उसके बारे में सिर्फ दो गवाही ही हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि यह सस्पेन्शन कब तक खत्म करेंगे । अगर जुर्म किया है तो फांसी दीजिए । लेकिन उसके केस को छ : महीने के अन्दर खत्म होना चाहिए। सवा साल हो गया है ? कब तक इस इनक्वायरी को कम्पलीट करेंगे ?

श्री प्रभुनारायण —

मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से स्वत : चिन्तित हूं। सजा जल्दी मिले जिसको मिलनी हो और जिसको न्याय मिलना है, न्याय जल्दी मिले। माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है कि इस मामले में उनको चार्जशीट मिल चुकी है। चार्जशीट के साथ इनक्वयारी हो रही है। लेकिन माननीय सदस्य डाक्टर थापर को समझा दें। जिरह का मामला कम करें। 33 गवाह स्वयं दे रखे हैं? पांच घंटे, नौ घंटे, दस घंटे स्वत : जिरह करते हैं। ऐसी स्थिति में देरी होने की जिम्मेदारी विभाग पर नहीं बल्कि डाक्टर थापर पर भी है। जांच की कार्यवाही पूरी होने पर कोई बात होगी। लेकिन माननीय सदस्य की चिन्ता से मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं कि इस जांच को शीघ्र सम्पूर्ण करना चाहिए बशर्ते कि डाक्टर थापर कोआपरेट करें।

श्री सन्त सिंह यूसुफ—

उन्होंने पांच घंटे एक बार और पांच घंटे दूसरी बार दो बार बहस किया। डेढ़ साल का अरसा हो गया। मैं माननीय काशी नाथ से एग्री करता हूं कि सीरियस चार्जेज में और भी सख्त सजा होनी चाहिए। डाक्टर जैन के खिलाफ, इसी डिपार्टमेंट के हेड के खिलाफ बाहर से सामान लाने का, चोरी का, दवाई बेचने का, शराब पीने का, हर तरह के चार्जेज हैं इनक्वायरी हो रही है?

श्री अध्यक्ष —

आप ऐसी नोटिस दे सकते हैं। आप स्वयं जैन साहब के बारे में प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल से अलग सवाल आप उठा रहे हैं।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताएंगे, जब डाक्टर थापर के सम्बन्ध में इतने गम्भीर चार्जेज हैं, तो खाली डिपार्टमेंटल केस नहीं, पुलिस केस भी बन सकता है, डेढ़ साल से इनक्वायरी चल रही है, जब गम्भीर चार्जेज हैं तो यह मामला पुलिस या विजिलेंस को क्यों नहीं सुपुर्द किया गया? क्या इसके पीछे यह रहस्य है कि डाक्टर थापर के अलावा और डाक्टर भी इनवाल्व हो जायेंगे इसलिए विजिलेन्स में नहीं दिया जा रहा है?

श्री प्रभु नारायण—

जहां तक इस बात का प्रश्न है, क्यों नहीं सुपुर्द किया गया पुलिस को, डिपार्टमेन्टल जांच हो रही है। विजिलेन्स ने स्वत : लिखा है कि दस और फर्जी मामलों में इन्होंने सार्टिफिकेट दिए हैं। ऐसी हालत में डिपार्टमेन्टल जांच हो रही है, उसके फाइनल होने पर ही कोई सवाल उठेगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

बेतवा घाट हमीरपुर में मोटरबोट के डूबने से हुई क्षति

*1—श्री केशरी लाल (जिला कानपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री शिवचरन लाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला हमीरपुर, बेतवा घाट में दिनांक 20 अगस्त, 1976 को एक मोटर बोट क्षमता से अत्यधिक व्यक्तियों के बैठाने से डूब जाने के फलस्वरूप सैकड़ों व्यक्ति डूब कर मर गए और अपार जन-धन की हानि हुई? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है, कितने लोग मोटर बोट पर सवार थे, उनमें से कितने बच गए, कितने बह गए और कितनों की लाशें निकाली जा सकीं तथा उक्त विमत्स कांड में सरकार

द्वारा क्या प्रभावी कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि माननीय राज्य मन्त्री, श्री मुमताज मोहम्मद, घटना के पूर्व दिनांक 16 अगस्त को बेतवाघाट हमीरपुर पार होते समय बीच में मोटर बोट खराब हो जाने पर मुश्किल से पार हो सके थे ? यदि हां, तो व्यवस्था सुधार सम्बन्धी क्या कार्यवाही की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

यह सही है कि हमीरपुर, बेतवाघाट पर दिनांक 20 अगस्त, 1976 को सायंकाल लगभग 5.30 बजे पावरबार्ज डूबने की एक दुखद घटना घटित हुयी जिसमें 29 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और लगभग 10-12 हजार रुपए की क्षति होने का अनुमान है।

हमीरपुर नगर में व्यक्ति बाहर से सुबह को आना शुरू करते हैं और दोपहर बाद वहां से बाहर को लौटना शुरू करते हैं। दुर्घटना वाले दिन दिनांक 20 अगस्त, 1976 को सायंकाल 4 बजे से 5 बजे तक तेज बर्षा हुयी थी, जिसके कारण हमीरपुर से बाहर जाने वाले यात्री, जब सायं को वर्षा रुकी तो रास्ते में रुकते-रुकते एक साथ घाट पर पहुंच कर इक्ट्ठा हो गए थे। अतएव उक्त दिनांक को हमीरपुर की ओर से बाहर जाने वाले यात्रियों की संख्या पावर बार्ज की क्षमता से बहुत अधिक हो गयी और प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने घर जाने की जल्दी थी। चूंकि यह पावर बार्ज का अन्तिम फेरा (ट्रिप) था, इसलिये पावर बार्ज जब हमीरपुर की ओर महोबा की ओर से आकर लगा तो हमीरपुर के दूसरी ओर जाने वाले यात्री पावर बार्ज में आवश्यकता से अधिक संख्या में जल्दी-जल्दी चढ़ गए जिससे पावर बार्ज का संतुलन बिगड़ गया और वह डगमगा कर हमीरपुर साइड में किनारें की ओर झुककर डूब गया।

पावर बार्ज डूबने के समय उसमें 100 के स्थान पर 200-250 यात्री सवार हो गए थे। चौबीस व्यक्तियों को छोड़कर बाकी के सभी व्यक्ति बच गए। इस दुर्घटना में 24 व्यक्ति डूबे थे जिनकी लाशें बाद में नदी में से निकाली गयी।

उक्त दुर्घटना की सूचना पाते ही जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी अपने स्टाफ के साथ मौके पर तुरन्त पहुंच गए और डूबे व्यक्तियों को निकालने, पावर बार्ज को सीधा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए तथा घायलों की चिकित्सा की गयी। शासन की ओर से 500 रुपया प्रति मृतक सहायता भी दी जा चुकी है।

राज्य मन्त्री जी, श्री मुमताज मोहम्मद खां को घाट पार करते समय हुयी कठिनाई के सम्बन्ध में शासन को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। परन्तु यह ज्ञात हुआ है कि दिनांक 18 अगस्त, 1976 को बेतवा नदी में हवा एवं पानी का बहाव अधिक तेज था, अतएव उक्त दिनांक को जब माननीय राज्य मन्त्री जी नदी पार कर रहे थे तो उनको नदी पार करने में अवश्य कुछ कठिनाई हुयी थी। इस सम्बन्ध में भविष्य के लिए स्थानीय स्टाफ को सचेत कर दिया गया है, जिससे भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

बेसिक शिक्षा परिषद् फर्रुखाबाद के सेवा मुक्त अध्यापकों/अध्यापिकाओं को वेतन का भुगतान

*1—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा परिषद् में कुछ नियुक्तियां अध्यापक/अध्यापिकाओं की 1975 में हुईं और कुछ माह पश्चात् उनकी सेवायें समाप्त कर दी गईं ? क्या उनका वेतन भुगतान अब तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां, वर्ष 1975 में जनपद फर्रुखाबाद में दो अध्यापिकाओं की नियुक्तियां की गई थीं किन्तु यह नियुक्तियां अनियमित होने के कारण उनकी सेवायें कुछ माह बाद समाप्त कर दी गई थी। उनका वेतन भुगतान अभी तक इसलिए नहीं हो सका क्योंकि अनियमित नियुक्तियों के कारण जिला परिषद् के वित्त परामर्शदाता वेतन भुगतान से सहमत न थे। अब उनके कार्य करने की अवधि के वेतन भुगतान के आदेश दे दिए गए हैं। वेतन भुगतान न होने के सम्बन्ध में कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

श्री अनवार जमील––

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगें कि ये नियुक्तियां किस अधिकारी ने की थीं और उसके खिलाफ शासन ने क्या कार्यवाही की। जो उन लोगों को तनख्वाह दी गयी है क्या उसकी कटौती उस दोषी अधिकारी की तनख्वाह से करने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी––

ये नियुक्तियां एडीशनल बी0 एस0 ए0 (महिला) द्वारा 1975 में की गयी थीं। जब इन अध्यापकों ने कार्य किया है तो उनको तनख्वाह मिलनी ही चाहिए। एडीशनल बी0 एस0 ए0 (महिला) से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनको दोषी पाया गया है। उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अनवार जमील––

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके खिलाफ और भी चार्जेज थे तो उनकी भी जांच करा कर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो अलग प्रश्न हुआ।

श्री अनवार जमील––

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो आप चिट्ठी लिखकर पूंछ सकते हैं।

जवाहर लाल मान्टेसरी स्कूल फर्रुखाबाद में प्राधानाध्यापिका की नियुक्ति

*2––श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रूखाबाद)––

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जवाहरलाल मान्टेसरी स्कूल, फर्रुखाबाद में दिनांक 19 फरवरी, 1971 को अध्यक्ष नगरपालिका, फर्रूखाबाद द्वारा प्रधानाध्यापिका की नियुक्ति की गई थी जो प्रशिक्षण एवं आयु सीमा की निर्धारित योग्यतायें पूर्ण नहीं करती थी एवं इन्हीं अयोग्यताओं के कारण जून, 1971 में इनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई थी तथा एक अन्य प्रधानाध्यापिका की नियुक्ति दिनांक 15 अप्रैल, 1972 को की गई, जिसकी स्वीकृति शासन ने सितम्बर, 1972 में कर दी थी ? यदि हां, तो यह बताने का कष्ट करेंगे कि पुन : किन परिस्थितियों में शासन ने दिनांक 19 फरवरी, 1971 को उस अवैध नियुक्ति को दिनांक 19 अप्रैल, 1974 को वैध कर दिया तथा इन प्रधानाध्यापिका को चार्ज दिलवा दिया ?

श्री अम्मार रिजवी––

जी हां। तत्कालीन अध्यक्ष, नगरपालिका फर्रुखाबद द्वारा श्रीमती कृष्णा शर्मा को दिनांक 19 फरवरी, 1971 को प्रधान अध्यापिका के पद पर नियुक्ति किया गया था। वह प्रशिक्षण एवं आयु सीमा की योग्यता पूर्ण नहीं करतीं थीं। इनकी नियुक्ति जून, 1972 में निरस्त की गई। 15 अप्रैल को श्रीमती बी0 डी0 लाल की नियुक्ति की गई परन्तु

25 सितम्बर, 1972 के पत्र द्वारा शासन ने उक्त नियुक्ति की स्वीकृति नहीं दी वरन् यह कहा कि जब श्रीमती लाल स्थाई की जा चुकी हैं तब प्रशिक्षण से उन्हें मुक्त क्यों कराया जा रहा है ? श्रीमती शर्मा के प्रतिवेदन पर शासन ने उनको अपने आदेश दिनांक 19 अप्रैल, 1974 द्वारा बहाल करने के आदेश दिए क्योंकि उनकी सेवा समाप्ति के आदेश में कारण न थे। न कारण बताओ नोटिस दिया गया और न एक मास की नोटिस दी गई।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब श्रीमती कृष्णा शर्मा आयु सीमा में नहीं आती थीं और प्रशिक्षण की भी योग्यता नहीं पूरी करती थीं तो उनको स्वीकार कर लिया गया और श्रीमती बी0 डी0 लाल जो यह सब योग्यता रखती थीं उनको नहीं स्वीकार किया गया और शासन ने श्रीमती शर्मा की नियुक्ति को वैध क्यों मान लिया ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमती कृष्णा शर्मा का एप्वाइन्टमेंट गलत हुआ था और जो सर्टीफिकेट उन्होंने दिया था वह मान्य नहीं था। श्रीमती बी0डी0 लाल ने प्रत्यावेदन दिया है और उस पर शासन विचार कर रहा है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कृष्णा शर्मा ने जो प्रमाण-पत्र दिया था, वह हैपी ट्रेनिंग स्कूल, नई दिल्ली का था ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो प्रमाण-पत्र उन्होंने दिया था प्रशिक्षण का वह प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त नहीं था।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

माननीय मन्त्री जी ने अभी बताया कि उनकी अपील पर विचार करके यह निश्चय लिया, क्योंकि उनको 'कारण बताओ' नोटिस नहीं दिया गया था, कि उनको बहाल किया जाय तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनको फिर से नोटिस जारी की गई अथवा नहीं, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

एक नोटिस उनको दिया गया था लेकिन वह दिनांक 21 जून, 1971 को दिया गया था और यह कहा गया था कि दिनांक 1 जुलाई, 1971 से उनकी सेवायें समाप्त होंगी। यह समय केवल 10 दिन का था 1 महीने का इसे नोटिस नहीं समझा जाएगा।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो आदेश दिया गया उसमें यह व्यवस्था नहीं हो सकती थी कि नगरपालिका एक महीने का नोटिस देने की बजाय उन्हें एक महीने का वेतन दे देतीं क्योंकि वह भी वैधता ले आता है। जब वे न तो आयु की योग्यता रखती थीं और न शैक्षिक योग्यता ही रखती थी फिर भी उनको नियुक्त कर दिया गया, तो किस आधार पर आज तक भी श्रीमती लाल के अपील पर फैसला नहीं हो रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह नियुक्ति का जो प्रकरण अपनाया गया था यह बिलकुल ठीक नहीं था। यह उस समय का जिक्र है जब कि शिक्षा परिषद् नहीं बना था और नगरपालिका ने नियुक्ति की थी। श्रीमती बी0 डी0 लाल का मामला शासन के विचाराधीन है और निर्णय हो रहा है। इस मामले में शीघ्र ही निर्णय कर दिया जायगा और जो भी उचित कार्यवाही होगी, की जाएगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत डी० सी० यू० (रोड) कर्वी, बांदा को 1974-75 में मदवार दिया गया धन तथा सामान की चोरी

*3—श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत डी0 सी0 यू0 (रोड) कर्वी, बांदा की मशीनों, ट्रकों, जीपों, रोलरों तथा कंकरीट मिक्सर के रख-रखाव के लिए 1974-75 में कितना धन दिया गया और इस धन को किस-किस काम के लिए खर्च किया गया ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)—

वर्ष 1974-75 में टूल्स एन्ड प्लान्ट्स के रख-रखाव तथा क्रय के लिए 15,000 रुपए का अनुदान दिया गया।

उक्त धनराशि निम्न कार्यों पर व्यय की गयी—

1—जीप की मरम्मत पर व्यय,
2—छोलदारियों का क्रय,
3—जीप के पैट्रोल और मोबिल आयल पर व्यय,
4—जीप के ड्राइवर का वेतन,
5—टी0 एण्ड पी0 का क्रय।

*4—श्री देव कुमार यादव—

क्या सरकार को यह पता है कि उपरोक्त विभाग के उत्तरदायी कर्मचारियों ने बहुत सा नया सरकारी सामान बेच लिया है और बेचे गए सामान की चोरी किए जाने की इत्तला विभाग में कर दी है ? यदि हां, तो ऐसे सामान का विवरण क्या है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री यशपाल सिंह—

शासन को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

चोरी गए सामान की सूचना विभाग में है।

चोरी गए सामान का विवरण निम्नलिखित है :—

1—ट्रक नं0 यू0 पी0 डी0 2471 (टी) का स्टार्टर व डाइनमों,
2—ट्रक नं0 यू0 पी0 एच0 747 के फ्यूलि इन्जक्शन पम्प,
3—ट्रक नं0 यू0 पी0 डी0 2469 के पिछले चारों पहिए किसी अन्य गाड़ी के पुराने पहियों से बदल दिए गए थे,
4—जीप की स्टपनी,

उपर्युक्त (1) के सम्बन्ध में विभागीय जांच के पश्चात् कीमत रु0 1565.00 सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूल की गई।

उपर्युक्त (2) के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

उपर्युक्त (3) के सम्बन्ध में मामला कोर्ट (न्यायालय) में विचाराधीन है।

उपर्युक्त (4) के सम्बन्ध में विभागीय जांच के पश्चात् मोटर ड्राइवर से 321 रुपए 60 पैसा वसूल किए गए।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में स्पष्ट रूप से पूछा था कि :—

"क्या सरकार को यह पता है कि उपरोक्त विभाग के उत्तरदायी कर्मचारियों ने बहुत सा नया सरकारी सामान बेच लिया है और बेचे गए सामान की चोरी किए जाने की इत्तला विभाग में कर दी है"

प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है कि सामान ले लिया और चोरी दिखा दी गयी माननीय मन्त्री जी ने अपने

उत्तर में कह दिया कि शासन को इसकी सूचना नहीं है। तो क्या इस प्रकार से माननीय मन्त्री जी उत्तर दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

उन्हें कहना क्या चाहिए यह आप न बताइये। आपका प्रश्न व्यवस्था से सम्बन्धित नहीं है। अभी माननीय मन्त्री जी ने पूरा उत्तर भी नहीं दिया तो आपने यह कैसे जान लिया कि जो आप कह रहे हैं उसका वे उत्तर नहीं दे रहे हैं ? पूरा उत्तर न देने के बीच में ही आपका बोलना कहां तक समीचीन है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, इससे तो मैं सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष—

तो फिर आप बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं ?

श्री ऊदल—

मान्यवर, ये इसी प्रकार सदन का समय बरबाद करते हैं, इनको मना किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

आप बीच-बीच में बहुत बोलते हैं, जो अच्छा नहीं है। समय देखकर दखल देना बहुत बुद्धिमता की बात है, लेकिन हर समय खड़ा होना उचित नहीं है। आप तो 'जैक इन दी बोक्स' वाला काम करते हैं (व्यवधान)।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोन्डा)—

व्यवस्था का जो प्रश्न उन्होंने उठाया है . . .

श्री अध्यक्ष—

उत्तर पूरा होने दीजिए। व्यवस्था का प्रश्न उठ सकता है, जब मन्त्री जी जवाब न दे सकते हों। जब मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं, वह अभी पूरा नहीं हो पाया है, तो क्या अव्यवस्था उसमें आ गयी। पहले आप पूरा जवाब सुनिए।

श्री देवकुमार यादव—

अभी जैसी माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने आपत्ति उठाई, मैं भी यही आपत्ति उठाने वाला हूं . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करेंगे या आपत्ति उठाएगें ?

श्री देवकुमार यादव—

मेरा सवाल बिल्कुल साफ था कि इस विभाग के कर्मचारियों ने सामान चुराया है और विभाग को इत्तला कर दी कि सामान चोरी चला गया। पहले मन्त्री जी इन्कार करते हैं कि विभाग की कोई सूचना नहीं है और बाद में चोरी गए हुए सामान की तफसील बताते ह तो मन्त्री जी ने जो जवाब दिया, यह बिलकुल गलत है।

श्री अध्यक्ष—

जो आप अटकल लगा रहे हैं, माननीय मन्त्री को ऐसी स्थिति में रख दीजिए कि वह यह समझें कि आप जो कह रहे हैं वह सही है। प्रश्न के द्वारा आप अपनी बात को कह सकते हैं।

श्री देव कुमार यादव—

मन्त्री जी ने कहा कि सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली की गयी, तो वह कौन-कौन से कर्मचारी हैं जिनसे वसूली की गयी ?

श्री यशपाल सिंह—

1,565 रुपया वसूल किया गया छोटे लाल ड्राइवर और रामनगर के क्लीनर से शायद।

श्री ऊदल—

भगवान ही मालिक हैं।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न के द्वारा ही आप निरस्त कर सकते हैं। आप उनके प्रश्न के बीच में खड़े हो गए। आप चाहते हैं मन्त्री जी की मदद करना, तो आप उनका जो सवाल है, उसका जवाब तो आने दीजिए।

श्री यशपाल सिंह—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी। ये नाम मेरे पास इस वक्त नहीं हैं।

श्री ऊदल—

जीपों की मरम्मत पर जो खर्चा आप ने उत्तर में बताया तो कितनी जीपें थीं और कितनी ट्रक थीं और उनके ऊपर कितना-कितना रुपया खर्च किया गया?

श्री यशपाल सिंह—

जीप 1, ट्रक 6 जीप के ऊपर 2,371 रुपया और ट्रकों पर अलग से तो नहीं है लेकिन उनके साथ में मिला कर है ट्रकों की मरम्मत पर 10,566 रुपया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि ऐसी कोई सूचना शासन को नहीं है कि सामान स्वयं चुरा लिया और उसकी इत्तला दर्ज करायी और फिर उन्होंने कहा कि 321 या कितने रुपए की वसूली की जा रही है चोरी गए सामान की कीमत। तो इस तरह का विरोधाभास मन्त्री जी ने अपने जवाब में जो दर्शाया इसका समन्वय वह किस प्रकार कर रहे हैं?

श्री यश पाल सिंह—

मान्यवर, विद्वान सदस्य जरा प्रश्न संख्या 4 को पढ़ें—"क्या सरकार को यह पता है कि उपरोक्त विभाग के उत्तरदायी कर्मचारियों ने बहुत सा नया सरकारी सामान बेच लिया है?" यह है।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

मान्यवर, प्रश्न संख्या 4 पर माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। मान्यवर, एक तो उत्तर में तसलीम है, दूसरा कुछ कर्मचारियों से रुपया वसूल किया गया। जब रुपया उनसे वसूल कर लिया है, तो उनके विरुद्ध यह रुपया वसूल करना ही काफी है या कोई मुकदमा पुलिस में दिया गया कि नहीं दिया गया? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, शायद इस प्रश्न को कुछ गलत-सलत किया जा रहा है। जरा उसको ये पढ़ें तो उत्तर उनको स्पष्ट मालूम हो जाएगा। बेचे गए सामानों के बारे में तो कहा गया कि विभाग को उसकी कोई सूचना नहीं है। इसके अतिरिक्त जो सामान वहां से गया, किसी के बारे में एफ0 आई0 आर0 लाज हुई, किसी के बारे में इत्तला विभाग को मिली कि इतना सामान गायब है। तो जो कार्यवाही हुई, उसका विवरण मैंने दिया।

श्री देव कुमार यादव—

यह वसूली जो माननीय मन्त्री जी बता रहे हैं, 'की गयी', वह इस सवाल करने के बाद की गयी या पहले की गयी?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता है। बहरहाल अगर उसके बाद की गयी, तो माननीय सदस्य का आभार प्रकट करूंगा।

[10 नवम्बर, 1976 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला फर्रुखाबाद में राजेपुर ब्लाक से डबरी तक लिंक रोड निर्माण की मांग

*1—श्री विमल प्रसाद तिवारी (अनपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजेपुर ब्लाक, जिला फर्रुखाबाद में राजेपुर से डबरी तक एक लिंक रोड बनाने का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो बाढ़ से अनेक गांवों के बचाव के महत्व को देखते हुए कब तक इस पर कार्यवाही प्रारम्भ होने की आशा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, मार्ग का निर्माण स्वीकृत किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल फर्रुखाबाद को शासन द्वारा बन्द करने का विचार

*2—श्री विमल प्रसाद तिवारी (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, फर्रुखाबाद को आगामी शिक्षा सत्र से बन्द करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों के किया जा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। कारणों का प्रश्न नहीं उठता।

*3-4—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

[2रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न 10-11 पर उत्तरित।]

उदित नारायण इन्टर कालेज, पडरौना, जिला देवरिया के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के बकाए वेतन का भुगतान

*5—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में उदित नारायण इन्टर कालेज, पडरौना के अट्ठावन अध्यापकों तथा कर्मचारियों का वेतन फरवरी, 1976 से नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं, मई 1976 तक सभी मान्य अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान हो गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया के वेतन वितरण खाते के एकाकी संचालन के आदेश को सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया द्वारा मान्य न किए जाने के कारण जून, 76 से वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है।

*6—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह भी जानकारी है कि उक्त विद्यालय में प्रबन्ध समितियों के पारस्परिक विवाद के कारण दोनों पक्षों के अड़तालीस अध्यापक पिछले 26 महीनों से भारतीय दन्ड विधान की धारा 107/117 के अभियुक्त है ? यदि हां, तो विद्यार्थियों का अध्ययन अध्यापन कैसे हो रहा है तथा शासन ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री अम्मार रिजवी—

केवल 32 अध्यापक तथा 2 अन्य कर्मचारी अभियुक्त हैं।

अध्यापन कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जा रही है।

कुन्डी नाला, बड़ा गांव, जिला वाराणसी में कनियर के पास पुल निर्माण का प्रस्ताव

*7—श्री ऊदल—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुन्डी नाला, ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी में कनियर के पास पुल बनाने हेतु आठ हजार रुपए के धन की मांग हेतु प्रस्ताव तथा प्राक्कलन मुख्य अभियन्ता, सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश ने अपने अर्द्ध-शासकीय पत्रांक एस0 एम0 जे0—90-डब्ल्यू0—5, दिनांक 7 अगस्त, 1975 तथा अर्द्ध-शासकीय पत्रांक 5930—डब्ल्यू0—5, दिनांक 21 नवम्बर, 1975 द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु भेजा था? यदि हां, तो धन की स्वीकृति अब तक कर दी गई है?

सिचाई राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ चौधरी)—

जी हां।

धन की स्वीकृति अभी नहीं दी जा सकी है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी इस पुल को, आवश्यक समझते हुए, जो तीन वर्ष के करीब हो गया, मंजूर हुआ था, जल्दी बनवा देंगे, ताकि वर्षा आने के पहले तैयार हो जावे?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

इस कार्य को ध्यान में रखते हुए, 3 नवम्बर, 1976 को मुख्य अभियन्ता को यह आदेश दे दिए गए हैं कि यदि वे उक्त कार्य बाह्य मदद से करवाना चाहते हैं, तो प्राक्कलन तकनीकी सलाहकार समिति एवं स्थायी संचालन समिति से अनुमोदित करवा कर उस सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

कन्या प्राइमरी पाठशाला, बनोली तथा क्रमोत्तर कन्या जूनियर हाई स्कूल, कालिकाधाम जिला वाराणसी के भवनों का निर्माण

*8—श्री ऊदल—

क्या बेसिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा बनोली तथा गांव सभा कालिकाधाम, ब्लाक सेवापुरी, जिला वारणसी में क्रमशः कन्या प्राइमरी पाठशाला तथा क्रमोत्तकर कन्या जूनियर हाई स्कूल चलाया जा रहा है और दोनों स्थान की इमारतों हेतु रुपया भी ब्लाक सेवापुरी से निकाल लिया गया था? यदि हां, तो कितना रुपया दोनों स्कूलों के लिए मंजूर हुआ था और कितना रुपया निकाल लिया? इमारत आज तक न बनवाने का कारण क्या है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

कन्या प्राइमरी पाठशाला, बनोली तथा क्रमोत्तर कन्या जूनियर हाई स्कूल कालिकाधाम के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1966-67 में खन्ड विकास अधिकारी, ब्लाक सेवापुरी द्वारा क्रमशः रु0 1500.00 तथा रु0 2500.00 का अनुदान स्वीकृत किया गया था और इस धनराशि का भुगतान गांव सभा, बनोली एवं कालिकाधाम के प्रधानों को किया गया। गांव सभा, बनौली ने भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया किन्तु धनाभाव के कारण अधूरा पड़ा हुआ है। ग्राम सभा कालिकाधाम के प्रधान का स्वर्गवास हो चुका है।

श्री ऊदल—

मान्यवर, इस बात को देखते हुए कि लड़कियों का स्कूल है और धनाभाव के कारण इमारतें आधी पड़ी हैं मैंने स्वयं जाकर देखा है तो क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे कि वह इमारतें पूरी हो जायं? कोई धन की और सहायता कर देंगे?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जैसा सम्मानित सदस्य ने कहा, वह इमारत अधूरी पड़ी है, ऐसी इमारतें जो किसी धनाभाव के कारण नही बन सकी हैं, उनके लिए एक लाख रुपया हम दे रहे हैं ताकि वह पूरी हो जायं। मान्यवर, इस इमारत को भी पूरा करा दिया जायगा।

गंडक नहर मन्डल (प्रथम) गोरखपुर के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा भुगतान सम्बन्धी शिकायत

*9—श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास गन्डक नहर मन्डल, (प्रथम), गोरखपुर के अन्तर्गत अनुबन्ध संख्या 4/71-72 (एस0 ई0)–1/72-73(ई0ई0) व 3/71-72(एस0ई0) तथा 27/68-69–(एस0ई0) के सम्बन्ध में दिनांक 4 अक्तूबर, 1974, दिनांक 31 दिसम्बर, 1974, 14 मार्च, 1975 और दिनांक 6 अगस्त, 1975 तथा 13 मई, 1976 को लिखित ठेकेदार (श्री अमीर चन्द्र सिंह) के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कब किसने जांच किया है और क्या कार्यवाही की गई है? उक्त अनुबन्धों के अन्तर्गत दावों का भुगतान अब तक न होने का कारण क्या है? सम्बधित भट्ठे के ईंट एवं रोड़े के रख-रखाव पर जुलाई, 1972 से अब तक सरकार का कितना रुपया व्यय हो चुका है?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री मुमताज मोहम्मद खां)—

केवल दिनांक 4 अक्तूबर, 1974 व 13 मई, 1976 के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। इन प्रार्थना-पत्रों पर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता ने जांच मार्च, अप्रैल, मई व जुलाई, 1976 में की है। जांच करने से यह पाया गया कि इन अनुबन्धों के अन्तर्गत ठेकेदार का किसी भी दावे का भुगतान देय नहीं है। इसकी सूचना ठेकेदार को भी अगस्त, 1976 में दी जा चुकी है।

सम्बन्धित भट्ठों के ईंट व रोड़ों के रख-रखाव पर जुलाई, 1972 से अब तक कुल रुपए 7,350 व्यय हुआ है।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—

क्या सिंचाई मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ठेकेदार का जब उसका कुछ पावना नहीं था और उसका भुगतान कर दिया था तो इस ईंट के भट्ठे के रख-रखाव के लिए सरकारी खजाने से 7,350 रुपए क्यों कर खर्च किया जा रहा है?

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

मैंने इस सम्बन्ध में पुनः जांच के आदेश दे दिए हैं।

गंडक नहर निर्माण खण्ड (चतुर्थ) गोरखपुर द्वारा कोयले का वितरण

*10—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुबन्ध संख्या 3/71-72(अभि0 अ0) के अन्तर्गत कार्य हेतु कितना कोयला देने का प्राविधान था? गन्डक नहर निर्माण खन्ड (चतुर्थ) गोरखपुर के पास दिनांक 1 जनवरी, 1972 को कितना कोयला था और उसम से कब किसको कितना कोयला दिया गया? कोयले के अभाव में इस अनुबन्ध का भट्ठा कितने दिनों तक बन्द रहा? क्या यह सही है कि स्टाक में तथा निर्गत मात्रा के कोयले के अन्तर का मूल्य अवर अभियन्ता से वसूल करने का आदेश अधिकारियों ने दिया है?

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

प्रथम भाग

इस अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्य हेतु 17640 घनफुट कोयला देने का प्राविधान था।

दूसरा भाग

सूचना संलग्न है।

तीसरा भाग

कोयले के अभाव में भट्ठा अप्रैल, 1971 के तीसरे सप्ताह से मई, 1971 के अन्त तक बन्द रहा।

चौथा भाग

जी हां।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 959 पर।)

श्री राम सुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, इसके संलग्नक को जरा आप देखें। 4686 घनफुट कोयला रखने के लिए श्री के0 के0 तिवारी अधिदर्शक के प्रकीर्ण खाते में डाल दिया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो सरकार का जो ईंट का भट्ठा था वह कोयले के अभाव में बन्द था और उसमें नुकसान हुआ और दूसरी तरफ इनका जो ओवरसियर था, उसने वह कोयला लेकर उसे ब्लैक में बेच दिया और उससे पैसा भी वसूल नहीं कर पाए हैं। तो मैं जानना चाहता हूं उस ओवरसियर के खिलाफ जिसने अब तक सरकारी खजाने में पैसा भी नहीं दिया है और उसकी घूसखोरी और बेईमानी को छिपाने में अधीक्षण अभियन्ता भी उसके साथ शामिल है, अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

मैंने इस अधिदर्शक के विरुद्ध पुनः कायवाही करने के आदेश दिए हैं और मैं यह समझता हूं कि यही काफी नहीं है कि उससे रिकवरी ही की जाय, बल्कि अगर वह दोषी पाया जाता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।

श्री रामसुन्दर पांडय—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जब कोयले के अभाव से उस ईंट के भट्टे का नुकसान हुआ है तो उसकी पूर्ति के लिए वह क्या करने जा रही है ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

इस पर विचार कर लिया जाएगा।

*11—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

खजुहा तथा अमोली, फतेहपुर के मुख्यावास में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने की मांग

*12—श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि विकास खन्ड खजुहा तथा अमोली, जिला फतेहपुर में एक भी बालिकाओं का हाई स्कूल नहीं है जबकि 16 किलोमीटर बुन्देलखंड की परिभाषा में वर्णित है ? यदि हां, तो क्या अमोली एवं खजुहा विकास खन्ड के मुख्यावास में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध न होने के कारण फिलहाल इन स्थानों पर नए स्कूल खोलना सम्भव नहीं है।

बिन्दकी, फतेहपुर में कन्या डिग्री कालेज खोलने की मांग

*13—श्री प्रेम दत्त (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बिन्दकी, जिला फतेहपुर में एक भी डिग्री कालेज न होने से बालक एवं बालिकाओं की उच्च शिक्षा की समस्या है और क्या इस समस्या को देखते हुए बिन्दकी या उसके आस-पास कोई कन्या डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

फतेहपुर जनपद में दो डिग्री कालेज हैं, अत उच्च शिक्षा की सुविधा की कोई समस्या नहीं है। बिन्दकी में कन्याओं के लिए डिग्री कालेज खोलने का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वांछित संख्या में छात्रायें उपलब्ध न हो सकेंगी।

*14—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

*15—श्री श्रीनारायण—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

उन्नाव जिले के जूनियर हाई स्कूलों के स्थायी तथा अस्थायी प्रधानाध्यापकों का वेतन-क्रम

*16—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जनपद में कितने जूनियर हाई स्कूल हैं और उनमें कितने स्थायी तथा कितने अस्थायी प्रधान अध्यापक हैं और स्थायी तथा अस्थायी प्रधान अध्यापकों को इस पद के लिए स्वीकृत वेतन-क्रम दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद उन्नाव में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 140 जूनियर हाई स्कूल हैं। उक्त जूनियर हाई स्कूलों में 45 स्थायी तथा 33 अस्थायी प्रधान अध्यापक हैं। इन स्थायी तथा अस्थायी सभी प्रधान अध्यापकों को स्वीकृत वेतनक्रम दिया जा रहा है।

श्री भीखा लाल—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि जो जूनियर हाई स्कूल के स्थायी प्रधानाध्यापक हैं उनको जूनियर हाई स्कूल का ग्रेड दिया जाता है लेकिन जो अस्थायी हैं और प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, उनको प्राइमरी स्कूल का ग्रेड दिया जाता है? तो क्या वे इस एनामली को दूर कराने की व्यवस्था करेंगे?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, उस समय जिसका मैंने अपने उत्तर में जिक्र किया है, 78 को दिया जा रहा है। 45 परमानेन्ट हैं और 33 टेम्पोरेरी हैं। इसमें से कुछ एसे हैं जिनका एप्रूवल नहीं हो पाया है जो कार्य कर रहे हैं और साथ-साथ प्रधानाध्यापक का कार्य भी देख रहे हैं। तो उस वक्त जिस वक्त हमने समायोजन किया, तमाम बातें हमारे सामने आयीं? जिनका अभी तक कन्फरमेशन नहीं हो पाया है, इस ग्रेड को दिया जा रहा है, उनको हम ग्रेड देने जा रहे हैं।

श्री भागीरथी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुराईबाग, राय बरेली की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध शिकायतें

*17—श्री देव कुमार यादव—

क्या सरकार को श्री भागीरथी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुराईबाग, जिला राय बरेली की प्रबन्ध समिति द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचारों एवं बहुमुखी अनियमितताओं की बाबत विद्यालय की सामान्य समिति के सदस्यों तथा अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा भेजे गए कई शिकायती-पत्र मई, सन् 1976 ई0 तक प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो सम्पूर्ण आरोपों का विवरण क्या है? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, विवरण संलग्न है। विभाग को जांच करके नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिए जा चुके हैं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 960 पर।)

*18—श्री देव कुमार यादव—

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि 22 अगस्त, 1975 ई0 को जिला विद्यालय निरीक्षक, राय बरेली ने उक्त विद्यालय पर अचानक छापा मार कर लगभग 1 लाख रुपए का घोटाला पाया था और सम्बन्धित अभिलेखों को अपने कब्जे में लेकर प्रबन्ध समिति को अविलम्ब भंग करने तथा दन्डनीय कार्यवाही करने की सिफारिश शासन को भेजी थी? यदि हां, तो उक्त अधिकारी की सम्पूर्ण कार्यवाही और शासन को भेजी गयी रिपोर्ट का विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। विवरण संलग्न है। जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या पर शिक्षा निदेशक की संस्तुति मांगी गई है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 961 पर।)

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मन्त्री जी ने इस सवाल के सम्बन्ध में, विवरण में इस बात को तसलीम किया है कि दिनांक 22 अगस्त, 1975 को जिला विद्यालय निरीक्षक ने छापा मारा और संस्था में 1 लाख रुपए के घपले के सम्बन्ध में अभिलेखों को जब्त किया। घपला सही पाया गया। मान्यवर, यह प्राइवेट संस्थाओं में प्रबन्ध समितियों द्वारा घपले किए जा रहे हैं, यह गम्भीर मामला है। एक लाख रुपया प्रबन्ध समिति ने गबन किया है, तो इस सिलसिले में दिनांक 22 अगस्त, 1975 को जब मामला पकड़ा गया तो प्रबन्ध समिति को क्यों नहीं भंग किया गया? प्रबन्ध समिति को भंग करने में कितना वक्त लगेगा?

श्री अम्मार रिजवी—

जितनी इसमें कार्यवाही उस समय होनी थी, जैसे एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने की, वह तमाम कार्यवाही हो चुकी है। किसी मैनेजिंग कमेटी को लेने के लिए एक प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्यवाही करनी पड़ती है, जैसे 16-डी—1, 2, 3, 4, में नोटिस देनी पड़ती है। इस मामले में डी0 आई0 ओ0 एस0 और डी0 एम0 भी यही ख्याल के हैं कि ले लिया जाय। यह मामला शिक्षा निदेशक के यहां अन्तिम निर्णय लेने को गया है। मेरा विचार है कि जल्दी निर्णय हो जायगा और जो कार्यवाही अपेक्षित है, जल्दी हो जाएगी।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, एक लाख रुपए का गबन किया गया है वहां के कुछ लोगों द्वारा। तो क्या माननीय मन्त्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस संस्था का जो धन गबन किया गया है, उसे, जिन्होंने गबन किया है उनकी जायदाद से उसकी वसूली की जा सके?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, इसमें कानूनी राय की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जो पैसा उनको देना था और अगर उन्होंने संस्था का कोई पैसा गबन किया है तो वह उनसे वसूला जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, एक सवाल मैं भी करना चाहता हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न ले लिया गया।)

बहराइच जिले के बन्द राजकीय ट्यूबवेलों की ठीक कराने की मांग

*19—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि बहराइच जनपद में जनवरी, 1976 से अब तक कितने राजकीय ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं? जिससे सिंचाई नहीं हो पा रही है? सरकार ने इन नलकूपों को तुरन्त ठीक कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की और यह कब तक ठीक हो जायेंगे?

सिंचाई मन्त्री (श्री लोकपति)—

जनपद बहराइच में जनवरी, 1976 से सितम्बर, 76 तक कोई भी राजकीय नलकूप लगातार बन्द नहीं है। अतएव सिंचाई न हो पाने का प्रश्न नहीं उठता। बीच-बीच में जो नलकूप विभिन्न कारणों से बन्द होते रहे उनको यथा सम्भव तुरन्त ही ठीक कर चालू कर दिया गया।

बेसिक शिक्षा परिषद्, बांदा के जूनियर हाई स्कूल नादिन कुर्मियान ब्लाक, रामनगर के अध्यापकों को घर बैठे वेतन दिए जाने की शिकायत

*20—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, बांदा के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल नादिन कुर्मियान ब्लाक, रामनगर में ऐसे कितने अध्यापक हैं जो 1974 से अब तक विद्यालय पढ़ाने नहीं गए और वेतन घर बैठे दिया गया है? यदि हां, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। कोई ऐसी सूचना नहीं है कि जूनियर हाई स्कूल, नादिन कुर्मियान ब्लाक राम नगर में कोई ऐसा अध्यापक है, जो 1974 से अब तक विद्यालय पढ़ाने नहीं गए और जिन्हें वेतन घर बैठे दिया गया हो। कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां की जनता द्वारा और मेरे द्वारा किसी अध्यापक के स्कूल न जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया गया है? यदि हां, तो क्या वह प्रार्थना-पत्र आपके पास मौजूद है?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। सम्मानित सदस्य की कोई सूचना होगी या वे दे रहे हैं तो शिकायत की पूरी जांच करायेंगे।

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि वहां एक अध्यापक हैं जो राजापुर के निवासी हैं। हेड मास्टर भी राजापुर के निवासी हैं। अध्यापक का नाम है रामपाल। यह कभी स्कूल नहीं जाते हैं। इनका भांजा डकैत है। ये धमकाया करते हैं कि अगर किसी ने शिकायत की कि स्कूल नहीं जाते हैं तो उसको गोली मरवा दूंगा। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है तो क्या मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके बांदा जिले के अधिकारी से नहीं, बल्कि लखनऊ के किसी उच्च अधिकारी से इसकी जांच करायेंगे?

श्री अम्मार रिजवी—

जैसा माननीय सदस्य ने कहा, लखनऊ के किसी उच्च अधिकारी से जांच करायी जायगी और जिस व्यक्ति का नाम लिया गया है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

बेशिक शिक्षा परिषद्, बहराइच के अध्यापकों का सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का लेखा-जोखा

*21—श्री कमला प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1976 की कार्य सूची दिनांकित 5 मई, 1976 के नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन से पूर्व का बहराइच जनपद में अध्यापकों का सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का लेखा जोखा जिला परिषद् एवं स्थानीय निकायों द्वारा पूर्ण करा कर लेखा पर्चियां अध्यापकों को उपलब्ध करा दी गई हैं? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है और कब तक उपलब्ध करा दिया जायगा?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व वर्ष 1960-61 से अगस्त, 1972 तक की अवधि का अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं की सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का लेखा-जोखा जिला परिषद् एवं स्थानीय निकायों द्वारा अपूर्ण रह गया था जिसको जिला परिषद् एवं स्थानीय निकायों से वांछित अभिलेख प्राप्त करके शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है ?

*22—श्री बाबू लाल वर्मा—

[12-5-76 को तारांकित प्रश्न संख्या 6 पर उत्तरित।]

बहराइच जिले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के प्राइमरी एवं जूनियर कक्षाओं के छात्रों से रुपए की वसूली

*23—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20 मई, 1975 को शिक्षा अनुभाग-6 द्वारा कोई अधिसूचना जारी की गयी जिसके कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कक्षा 1 से 5 तक तथा जूनियर स्कूलों के छात्रों से बहराइच जिले में 15 रुपए प्रति माह तक वसूला गया ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है इस प्रकार अब तक कितना धन वसूला गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। केवल दो नर्सरी स्कूलों में जूनियर बेसिक स्कूलों के लिए 20 मई, 1975 को जारी किए गए नियमों को समझ न सकने के कारण शुल्क संस्थाओं द्वारा लिया गया था। इस प्रकार वसूला गया धन दोनों स्कूलों में कुल रु0 569.62 था जिसे वापस किया जा चुका है।

बस्ती जिलान्तर्गत बांसी पनघटिया बांध की मरम्मत

*24—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री को यह ज्ञात है कि जिला बस्ती तहसील बांसी में राप्ती नदी के दाहिने किनारे पर बाढ़ को रोकने के लिए काफी धन खर्च करके बांसी-पनघटिया बांध बनी थी जिसमें गत वर्ष कई जगह Breach हो जाने के कारण भीषण बाढ़ आ गई और फसलों की बहुत बड़ी हानि हुई ? यदि हां, तो क्या उस बांध की पूरी मरम्मत अब तक हो गई या नहीं ? सरकार ने उस मरम्मत के लिए कितना धन दिया है और अब तक उसमें से कितना खर्च किया गया ?

श्री लोकपति—

बांसी-पनघटिया बांध में गत वर्ष ब्रीच नहीं हुआ था। अत: उसके मरम्मत पर धन खर्च करने का प्रश्न नहीं उठता है।

बस्ती जिलान्तर्गत वेतिया नगवा बांध की मरम्मत

*25—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला बस्ती, तहसील बांसी में बूढ़ी राप्ती नदी पर जैतिया नगवा बांध बाढ़ रोकने के लिए बनी जिसके गत वर्ष टूट जाने के कारण फसलों की काफी क्षति हुई ? यदि हां, तो जहां-जहां उक्त बांध टूट गई है वहां-वहां क्या मरम्मत पूरी हो गई ? अब तक स्वीकृत धन में से उक्त कार्य में कितना धन खर्च हुआ और कितना बाकी है ?

श्री लोकपति—

नगवा वेतिया अविभागीय बांध 1975 की बाढ़ में टूटा नहीं था, अतः क्षति का प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर के इन्टर कालेजों में नियुक्त लिपिकों का वेतन न मिलना

*26—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोन्डा) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्टर कालेजों में नियुक्त जौनपुर जिले के लिपिकों को जिन्हे डी0 आई0 ओ0 एस0 का अनुमोदन प्राप्त हो गया है, उन्हें वेतन प्रबन्ध समिति द्वारा नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद द्वारा अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण

*27—श्री अनवार जमील—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में जिला विद्यालय निरीक्षक ने शिक्षा निदेशक, लखनऊ के आदेशों की अवहेलना करते हुए कुछ अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण माह जनवरी, फरवरी, 1976 में किए? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

इस प्रकरण में जांच की जा रही है।

श्री अनवार जमील—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि डी0 आई0 ओ0 एस0 ने जनवरी, फरवरी, 1976 में कौन-कौन अध्यापिकाओं के तबादले किए थे और उनके नाम क्या हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह ब्यौरे का प्रश्न है। उन्होंने मान लिया है कि स्थानान्तरण हुए हैं और जांच कर रहे हैं।

श्री अनवार जमील—

जिनके तबादले किए गए हैं उनके नाम क्या हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह ब्यौरे का प्रश्न है। जितनी भी अध्यापिकायें हैं सभी के मामले में वह जांच कर रहे हैं। उन्होंने आपकी बात को मान लिया है फिर ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? अभी जांच हो रही है।

श्री अनवार जमील—

क्या मन्त्री जी डी0 आई0 ओ0 एस0 के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने कि आदेशों का उल्लंघन किया है?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो भी इसमें दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री राम सुन्दर पान्डेय—

मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। तो नाम बता दिया गया है और एक ही व्यक्ति दोषी है, तो उसके खिलाफ मन्त्री जी बतायें?

श्रीअध्यक्ष—

जांच के बाद पता लगेगा। मन्त्री जी ने कह दिया कि ऐसी अध्यापिकायें हैं, जिनका स्थानान्तरण हुआ है। कानून में एक बचन और बहुबचन का अन्तर होता है। इसलिए यह नहीं।

बदायूं में ग्राम बिसौली इस्लाम नगर सड़क के अन्तर्गत अध्यापित भूमि का मुआवजा

*28—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1972-73 में जिला बदायूं, तहसील बिसौली के जिन कृषकों की भूमि पर ग्राम बिसौली से इस्लामनगर तक जिस मोटर मार्ग का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था, इस कार्य में कितनी भूमि कृषकों की ली गई? इसका मुआवजा कृषकों को भुगतान हो चुका है या नहीं? यदि भुगतान नहीं हुआ, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सर्वप्रथम प्रश्नगत मार्ग के निर्माण के लिए स्थायी रूप से 87.11 एकड़ तथा अस्थायी रूप से 139.93 एकड़ भूमि के अर्जन का प्रस्ताव था। अब संशोधित प्रस्ताव के अनुसार स्थायी भूमि 77.32 एकड़ एवं अस्थायी भूमि 137.33 एकड़ अर्जित करनी है।

जी नहीं।

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही में अड़चनों के कारण।

गेहूं क्रय केन्द्र बदोसराय, बाराबंकी का निरीक्षण तथा श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव व अशोक कुमार के विरुद्ध कार्यवाही

*29—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या खाद्य मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद बाराबंकी के तहसील फतेहपुर में जून, 1976 के अन्तिम सप्ताह में हाकिम तहसील ने गेहूं क्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करके वहां के कर्मचारियों व अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई गम्भीर अनियमिततायें पाईं? यदि हां, तो क्या गड़बड़ियां पायी गईं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य तथा रसद राज्य मन्त्री (सरदार कुलतार सिंह)—

दिनांक 26 जून, 1976 को परगनाधिकारी फतेहपुर, जनपद बाराबंकी ने बदोसराय गेहूं क्रय केन्द्र का सायंकाल 8 बजे आकस्मिक निरीक्षण किया था। उस समय उक्त क्रय केन्द्र के केन्द्र प्रभारी श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, मार्केटिंग इन्सपेक्टर अनुपस्थित पाए गए तथा सम्बन्धित कागजात भी उपलब्ध नहीं हुए। तत्पश्चात् उसी दिन उनके मकान की तलाशी लेने पर मकान के अन्दर के बरामदे में 10 बोरी जौ बरामद किया गया।

यह जौ श्री अशोक कुमार, ठेकेदार (यातायात) निवासी महादेवा, थाना रामनगर, जिला बाराबंकी के द्वारा लाया गया बताया गया।

श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव तथा श्री अशोक कुमार के विरुद्ध दिनांक 27 जून, 1976 को थाना रामनगर में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गई है और मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव को निलम्बित कर दिया गया है।

ग्राम जोकहरा व सहनपुर, आजमगढ़ के निवासियों द्वारा बदरोहा नाले पर बांध निर्माण हेतु प्रार्थना पत्र

*30—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़, तहसील सगड़ी, ब्लाक हरैया के अन्तर्गत ग्राम सभा जोकहरा, ग्राम सहनपुर के निवासियों ने बदरौहा, नाला की बाढ़ से बचने के लिए टेकनपुर पुल से हसनपुर तक बांध बंधवाने के सम्बन्ध में दिनांक 14 अगस्त, 1975 को मुख्य मन्त्री, राजस्व मन्त्री तथा सिचाई मन्त्री, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उक्त बांध के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जी हां।

बदरोहा नाला से बाढ़ की रोक-थाम हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण के उपरांत यदि योजना तकनीकी दृष्टिकोण से उचित पाई गई तो आगे कार्यवाही की जाएगी।

श्री दयाराम भास्कर—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यह सर्वेक्षण कार्य किस तारीख से शुरू किया गया है और कौन-कौन अधिकारी सर्वेक्षण कर रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मान्यवर, कौन-कौन अधिकारी सर्वेक्षण कर रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन हमारे विभाग के ही कर्मचारी और अधिकारी सर्वे कर रहे हैं।

श्री दयाराम भास्कर—

मान्यवर, किस तारीख से सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मान्यवर, जब दरख्वास्त दी गयी है, उसके बाद से यह कार्य किया गया है।

*31—श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

बेसिक शिक्षा विभाग सहारनपुर के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष का पत्र

*32—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माध्यमिक शिक्षक संघ, सहारनपुर के जिला उपाध्यक्ष ने मुख्य मन्त्री को दिनांक 5 अप्रैल, 1976 को बेसिक शिक्षा विभाग, सहारनपुर के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई आरोप-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो मुख्य आरोप क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमन्, वैसे तो इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है, लेकिन कल कुछ सूचना मिली है, आपकी आज्ञा हो तो बता दूं। जिस पत्र का जिक्र सम्मानित सदस्य ने मुख्य मन्त्री जी को भेजे जाने का किया है वह नहीं मिला है, लेकिन उसी तारीख का जो तारीख उसमें दी गयी है, दूसरा पत्र मिला है, जिसमें जो आरोप हैं, उनके बारे में यह लिखा है :—

"श्री मोल्हड़ सिंह, प्रधान लिपिक, कार्यालय उप विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर पर यह आरोप था कि उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के कई हजार रुपयों के सामान

का गबन करवाया जिसको सरकारी आडीटर अपने आडिट रिपोर्ट पैराग्राफ 18, वर्ष 1966-67 में सिद्ध कर चुके हैं। अब ये विभाग के गरीब अध्यापक-अध्यापिकाओं का खुला शोषण कर रहे हैं।

दूसरा इन्हीं के ऊपर यह आरोप था :

श्री मोल्हड़ सिंह की सहायता से ही श्रीमती कृष्णा देवी, प्रधान अध्यापिका, कन्या जूनियर हाई स्कूल, नागल, तहसील देवबन्द, जिला सहारनपुर ने भी विभाग के कई हजार रुपए अवैधानिक ग्रामीण भत्ते के रूप में हड़प कर रखे हैं। इसकी भी सरकारी आडिटरों ने आपत्ति संख्या 106, वर्ष 1970-71 में सिद्ध कर चुके हैं। यह जाली प्रमाण-पत्र देने की कला में भी निपुणता रखती हैं।

अगला आरोप यह है —

यदि इनके विरुद्ध किसी उच्च अधिकारी द्वारा (जो कि स्थानीय न हो) अथवा सी0 बी0 आई0 के अधिकारियों द्वारा जांच कराई जाय तो इसके विरुद्ध और भी गबन तथा अन्य भ्रष्टाचारों के प्रमाण पाए जा सकते हैं।"

श्रीमन्, इतनी सूचना मिली है। मुख्य मन्त्री जी के नाम के पत्र को हम ट्रेस कर रहे हैं और इसके बाद ही इस पर कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री भीखा लाल—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो अनियमिततायें आपने बताई हैं, यह आडिट रिपोर्ट में पायी गयी हैं। इस कमप्लेन्ट के मिलने से पहले इन पर क्यों कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

पूरी सूचना इस समय नहीं है। पूरी सूचना आने पर इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

प्राइमरी पाठशाला बिसूहपुर, गोंडा का भवन निर्माण

*33—श्री त्रिवेणी सहाय (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि प्राइमरी पाठशाला बिसूहपुर विकास क्षेत्र मुझेना, जिला गोंडा के भवन निर्माण हेतु 20 बोरी सीमेन्ट, लोहे की सीकें तथा ईंटे गिराए गए जो वहां 6 साल से पड़ा है ? यदि हां, तो उक्त भवन को अभी तक न बनाए जाने का कारण क्या है ? क्या इस विद्यालय का भवन बनाए जाने का आदेश सरकार शीघ्र देगी और अभी तक न बनाए जाने की जांच कराएगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, प्राइमरी पाठशाला, बिसूहपुर, विकास खन्ड मुजैहना, जिला गोन्डा के भवन निर्माण हेतु केवल एक क्विन्टल लोहे की सरिया और एक सेट नल मय जाली के प्रधान, ग्राम सभा बिसूहपुर के पास पड़े हैं।

मुख्यत : मौजूद सामान अधूरे भवन का निर्माण कराने के लिये अपर्याप्त होने के कारण और ग्राम सभा के पास धन उपलब्ध न होने के कारण पाठशाला का भवन पूरा नहीं कराया जा सका है। शासन द्वारा सामान्य आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जिला परिषदों को भूमि विकास कर के अनुदान से वर्ष 1975-76 में जो धन प्राप्त हुआ है, उसमें से प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवनों को मरम्मत और अधूरे भवनों को पूरा कराने के कार्य पर एक लाख रुपया व्यय किया जाय। शिक्षा विभाग द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं है।

रूपईडीह, गोन्डा के चीनी के कोटेदार के विरूद्ध चीनी वितरण सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*34—श्री रामपति (जिला गोन्डा) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र रूपईडीह, गोन्डा में रूपईडीह न्याय पंचायत के कोटेदार द्वारा चीनी वितरण में की जा रही धांधली के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1976 से 10 जून, 1976 तक कितने शिकायती-पत्र और किन-किन लोगों द्वारा दिए गए हैं? शिकायतें क्या हैं और उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

विकास क्षेत्र रुपईडीह, गोन्डा में रुपईडीह न्याय पंचायत के चीनी के कोटेदार के विरुद्ध चीनी वितरण में की जा रही धांधली के सम्बन्ध में जनवरी, 1976 से 10 जून, 1976 तक 6 शिकायती-पत्र निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम से प्राप्त हुए थे जो चीनी ब्लैक करने, अधिक मूल्य लेने, फर्जी इन्द्राज करने, एक किलो के स्थान पर आधा किलो चीनी देने तथा चीनी न वितरण करने से सम्बन्धित थे —

(1) 1 फरवरी, 1976 को श्री दुबेर सिंह, निवासी जेठ पुरवा,

(2) 2 फरवरी, 1976 को श्री माधव, दयाराम, रामपदारथ, संतोषी आदि,

(3) 2 फरवरी, 1976 को श्री रामनरेश नन्द राम, मसूद खां, पारसनाथ, प्रहलाद आदि,

(4) 20 फरवरी, 1976 को श्री रामदुलारे सिंह, राजकिशोर, वासुदेव, प्रधान आदि,

(5) 2 मार्च, 1976 को श्री दुलारे सिंह, महादेव, बासुदेव आदि,

(6) 14 मार्च, 1976 को श्री दुलारे सिंह, जेठ पुरवा।

प्रथम जांच में सर्वश्री महादेव, प्रधान, श्याम दुलारे सिंह, प्रधान आदि ने बयान दिए कि उन्होंने कोई शिकायत नही की। परन्तु बाद में कुछ और शिकायतें आने पर जांचोपरान्त कोटा 7 अगस्त, 1976 को निलम्बित कर दिया गया है।

के० जी० एस० जे० इन्टर कालेज रसड़ा, बलिया में रिसीवर की नियुक्ति

*35—श्री रघुनाथ (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन परिस्थितियों में के0 जी0 एस0 जे0 इन्टर कालेज रसड़ा, बलिया में "रिसीवर" नियुक्त किया गया है? क्या रिसीवर की नियुक्ति नियमों के अधीन की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रबन्धकीय विवाद के फलस्वरूप विद्यालय में कानून एवं व्यवस्था भंग होने की स्थिति पाए जाने के कारण रिसीवर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति नियमों के अधीन की गयी है। अन्तिम भाग का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ में प्राथमिक शिक्षकों को संशोधित वेतन-क्रम का अवशेष धन न मिलना

*36—श्री दयाराम भास्कर—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपदान्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अधिकांश शिक्षकों की उनकी चरित्र पंजिकाओं के अभाव में उन्हें संशोधित वेतन-क्रम का अवशेष धन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो ऐसे शिक्षकों को उक्त अवशेष धन देने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। अधिकांश शिक्षकों को उनके संशोधित वेतन-क्रम का अवशेष धन भुगतान किया जा चुका है। केवल 153 प्राथमिक शिक्षकों को उनकी सेवा पुस्तिका के अभाव में अवशेष धन का भुगतान नहीं किया जा सका है।

श्री दयाराम भास्कर—

श्रीमन्, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इन 153 शिक्षकों को जो वेतन नहीं दिया गया है, उसके बारे में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, जिन अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जा सका है, उसका कारण यह है कि ये पहले जिला परिषद् के अधीन थे। जब बेसिक शिक्षा परिषद् बनी तो उसे इनकी सर्विस बुक और तमाम कागज पत्रादि पूरी तरह बेसिक शिक्षा परिषद् को नहीं मिले। इसका बार-बार प्रयास किया जा रहा है। हर जिले में पांच हजार से अधिक अध्यापक हैं। 153 रह गए हैं। ऐसे अध्यापकों की भी सर्विस बक और तमाम पत्र पूरे किए जा रहे हैं। जसे ही यह कार्यवाही पूरी हो जाएगी, वेतन दे दिया जायगा।

श्री दयाराम भास्कर—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगें इस सिलसिले में, कि जिनको वेतन नहीं मिला उनकी सेवा पुस्तकें गायब कर दी गयी हैं और इस सम्बन्ध में एक अरसे से आवेदन-पत्र देते चले आ रहे हैं ? सेवा पुस्तकें गायब कर दी गयी हैं, उसकी क्या व्यवस्था करेंगे और कब तक उन्हें धन का भुगतान हो जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, बगैर सर्विस बुक के यह सम्भव नहीं हो पाएगा।

*37—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

जूनियर हाई स्कूल सौरिख, फर्रुखाबाद के प्रसार अध्यापक के विरुद्ध पत्र

*38—डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला फर्रूखाबाद)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1976 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल, सौरिख, जिला फर्रुखाबाद के प्रसार अध्यापक (श्री रामदास) के विरुद्ध प्रश्नकर्ता ने मन्त्री के आदेशानुसार बी0एस0ए0 तथा स्वयं द्वारा की गई जांच के पश्चात् रिपोर्ट शिक्षा मन्त्री को दिनांक 14 जुलाई, 1976 को दी थी तथा जिलाधिकारी, फतेहगढ़ ने भी पत्र संख्या 467/आ0ले0वि0, दिनांक 9 जुलाई, 1976 को शिक्षा मन्त्री को प्रेषित की थी ? उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई, क्योंकि सन्दर्भित प्रसार अध्यापक के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ।

डाक्टर धर्मपाल सिंह—

यह प्रसार अध्यापक इस स्कूल में गत 14-15 वर्ष से लगातार कार्य कर रहे हैं। इनकी शिकायत भी की गयी थी, जिस पर माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने इनका स्थानान्तरण कर दिया था। उसके बाद यह पता नहीं चला कि किन कारणों से वह रोक दिया गया है। एक ट्यूबवेल सरकार का वहां लगा हुआ है, जिससे इन्होंने प्राइवेट लोगों के खेतों को अच्छी प्रकार से भरा। इस पर एक दरख्वास्त भी पेश की गयी, जिस में यह लिखा

हुआ है कि 479, 478 ट्यूबवेल कृषि फार्म से भरे गए हैं। इस पर प्रसार अध्यापक ने पुनः एक दरख्वास्त दी कि यह बात गलत है। तहसीलदार ने मौके पर जांच की। उन्होंने अपने तरीके से खेत के मालिकों से कहा ..

श्री अध्यक्ष—

आप तो सारी सूचना दे रहे हैं, आप प्रश्न करिए।

डाक्टर धर्मपाल सिंह—

मैं सन्दर्भ अपनी बात को समझाने के लिए दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

तो इसको आपको चिट्ठी में लिख देना चाहिए था।

डाक्टर धर्मपाल सिंह—

मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्यों अधिकारियों ने गलत उत्तर दिया? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करायी जायगी?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो प्रतिवेदन दिया गया था, उसकी जांच करायी गयी थी। उसके जो मुख्य चार्ज थे कि अध्यापक ने 2699 यूनिट बिजली खर्च की। उस पर हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एस0 डी0 एम0 और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जांच करायी तो मालूम हुआ कि मीटर की रीडिंग 2699 नहीं बल्कि 1870 यूनिट थी।

दूसरा आरोप था कि ट्यूबवेल को प्लाट 479 को सींचने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके लिए भी जांच करायी गयी और मालूम हुआ कि सिंचाई ट्यूबवेल से नहीं बल्कि नहर के पानी से की गयी थी।

रामदास एक्सटेन्शन टीचर के विरुद्ध यह कहा गया कि वह पुलिस के दलाल हैं और पुलिस से सांठ-गांठ रखते हैं। शिक्षा विभाग से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था, फिर भी इसकी जांच कराई गयी और उसके बाद में माननीय सदस्य से सम्पर्क स्थापित किया गया और माननीय सदस्य जांच से सन्तुष्ट नहीं थे। अतः उन्होंने एक और प्रतिवेदन दिया। जिसके बारे में दुबारा जांच करायी जा रही है।

डाक्टर धर्मपाल सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नहर से सिंचाई की गयी, यह खेत मालिकान ने कहा, तो नहर विभाग ने क्या इसके लिए उनसे आबपाशी ली?

श्री अध्यक्ष—

एक अध्यापक के बारे में आप कह रहे हैं। आप विधायक हैं और इस विषय में स्वयं जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं।

*39—श्री गोपाल दत्त ओझा—

[1ले सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 73 पर उत्तरित।]

नेहरू युवक केन्द्र, बांदा द्वारा महिला खिलाड़ियों को दिए गए प्रतिष्ठा-पत्र

*40—श्री राम सजीवन, (जिला बांदा) तथा श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा—

क्या स्पोर्ट्स मन्त्री बतावेंगे कि नेहरू युवक केन्द्र, बांदा द्वारा वर्ष 1974-75 में किन-किन सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ियों को अलंकृत कर प्रतिष्ठा-पत्र दिए गए तथा उसका आधार क्या था? क्या सरकार यह भी बतावेगी कि जिन-जिन खेलों में केन्द्र ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया, उनकी प्रतियोगिताएं केन्द्र द्वारा कब और कहां आयोजित की गई थीं?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

वर्ष, 1974-75 में कु0 उषा भटनागर, कु0 हदिया करीम एवं कु0 नीलोफर खान को प्रतिष्ठा-पत्र दिए गए।

परन्तु कोई प्रतियोगिता इनकी स्पोर्ट्स प्रतिभा आंकने के लिए आयोजित नहीं की गई थी।

श्री राम सजीवन—

जिन अधिकारियों ने प्रतिष्ठा-पत्र दिया क्या वे आज भी अपने पद पर कार्यरत हैं?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जी नहीं, उन्होंने गलत कार्य किया था, जिसके अपराध में उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया गया।

*41—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

करवी, जिला बांदा में राजकीय बालिका इन्टर कालेज के भवन का निर्माण

*42—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के करवी कस्बे में बालिकाओं के लिए एक इन्टर कालेज के भवन के निर्माण का शिलान्यास जनवरी अथवा फरवरी, 1974 में राज्य के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने किया था? यदि हां, तो निर्माण कार्य अब तक न आरम्भ करने का क्या कारण है? क्या कालेज भवन का निर्माण-कार्य शीघ्र शुरू कराया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

राजकीय बालिका इन्टर कालेज, करवी (बांदा) के भवन निर्माण हेतु भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 1974 को शिलान्यास किया गया था परन्तु मितव्ययता अभियान के अन्तर्गत इस प्रकार के नान-फंक्शनल भवनों का निर्माण रोक दिया गया। अब यह रोक हट गयी है तथा धन उपलब्ध होने पर यह निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

श्री राम सजीवन —

यह 3 साल पहले शिलान्यास किया गया था, तो शिलान्यास करने से पहले शासन द्वारा उसके लिए.....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं प्रश्न करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

छितौनी इन्टर कालेज देवरिया में गबन

*43—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विद्यालय निरीक्षक (श्री भगवान स्वरूप सक्सेना) ने छितौनी इन्टर कालेज का माह अगस्त, 1975 में निरीक्षण किया था और रुपया 9,602 का गबन पाया गया था? यदि हां, तो उसका दोषी कौन पाया गया और उसके खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गई?

नोट—तारांकित प्रश्न 42 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री अम्मार रिजवी—

प्राप्त सूचना अपूर्ण होने के कारण पुन : सूचना मांगी गई है।

*44—श्री मंगरे सिंह—

[2रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

शारदा सहायक, बाराबंकी खन्ड 11 व 25 में अधिगृहीत भूमि का मुआ विजा देने के सम्बन्ध में जांच

*45—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि शारदा सहायक, बाराबंकी खन्ड 11 व 25 में किसानों की अधिगृहीत भूमि व फसल के मुआवजा के सम्बन्ध में शिकायतों की जांच वर्ष 1975 में ए0 डी0 एम0, सीलिंग द्वारा कराई गई ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों में से कौन-कौन शिकायतें सही पाई गईं तथा उसके आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति—

जी हां।

जांच करने से यह सही पाया गया। कुछ मामलों में फर्जी भुगतान किया गया था तथा कुछ मामलों में देय धनराशि से कम मुआवजा भुगतान किया गया था।

इस मामले को सी0 आई0 डी0 को सौंप दिया गया।

न्याय पंचायत, हमीदनगर, बाराबंकी के शकर विक्रेता के विरुद्ध आरोप

*46—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि वर्ष 1974 में जिला पूर्ति कार्यालय, बाराबंकी की जांच में विकास खन्ड दरियाबाद की न्याय पंचायत हमीदनगर के तल, शकर विक्रेता के विरुद्ध गम्भीर आरोप पाये गये परन्तु फिर भी इस समय उक्त विक्रेता के ही मकान से उसी के द्वारा तेल व शकर की बिक्री हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वर्ष 1974 में जिला पूर्ति कार्यालय की जांच में विकास खन्ड, दरियाबाद की न्याय पंचायत, हमीदनगर के फुटकर तेल विक्रेता श्री मोहम्मद हुसेन, ग्राम महमूदाबाद का लाइसेन्स समुचित स्पष्टीकरण का अवसर दिए बिना निलम्बित कर दिया गया था, जो वैधानिक त्रुटि के कारण बहाल कर दिया गया है और उनसे अब स्पष्टीकरण मांगा गया है। जांच के दौरान विक्रेता द्वारा अपने मकान से तेल की बिक्री करना नहीं पाया गया।

जूनियर हाई स्कूल, सौरिख, फर्रुखाबाद के प्रसार अध्यापक, श्री राम दास के विरुद्ध जांच

*47—डाक्टर धर्मपाल सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रसार अध्यापक जूनियर हाई स्कूल सौरिख, जिला फर्रुखाबाद (श्री राम दास) के विरुद्ध अनियमितताओं सम्बन्धी जांच रिपोर्ट दिनांक 6 अप्रैल, 1976 को पूरी हो चुकी है एवं जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा अपनी आख्या दिनांक 6 जुलाई, 1976 को शिक्षा मन्त्री को प्राप्त हो गई है। यदि हां, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जांच पूरी हो चुकी है। जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद की आख्या पत्र दिनांक 9 जुलाई, 1976 द्वारा प्राप्त हो गयी थी जिससे प्रसार अध्यापक के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अत: उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*48—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

[2रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 37 पर उत्तरित।]

ग्राम सभा सेउरा, शाहजहांपुर के प्रधान द्वारा हिस्ट्रीशीटर अध्यापकों के विरूद्ध शिकायती-पत्र

*49—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री को पता है कि नवम्बर, 1975 में ग्राम सभा सेउरा, विकास क्षेत्र भावल खेड़ा, जिला शाहजहांपुर के प्रधान व अन्य 20 नागरिकों ने शिक्षा मन्त्री को एक रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र भेजा जिसमें कुछ हिस्ट्री शीटर अध्यापकों की गम्भीर शिकायतें की हैं? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र की जनहित में जांच क्यों नहीं कराई गई और क्यों आज तक कार्यवाही नहीं की?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

तहसील उतरौला, गोन्डा क्षेत्र की जनता द्वारा नलकूप लगाने की मांग

*50—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोन्डा, तहसील उतरौला क्षेत्र की जनता द्वारा सिचाई साधन से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र वर्ष 1975 में प्राप्त हुआ है? क्या तहसील उतरौला में सिचाई हेतु नलकूप लगाने की स्वीकृति शासन द्वारा हुई है। यदि हां, तो यह नलकूप उपरोक्त क्षेत्र में कब तक लगेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

जी नहीं।

शासन द्वारा नलकूपों का तहसीलवार वितरण नहीं किया गया।

कानपुर के भोजपुर सनिहापुर लिफ्ट कैनाल स्कीम का सर्वेक्षण

*51—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सिचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत भोजपुर सनिहापुर लिफ्ट कैनाल स्कीम का गत वर्ष सर्वेक्षण कराया गया है? यदि हां, तो उक्त सम्पूर्ण स्कीम क्या है, इससे कौन-कौन गावों की कितनी भूमि की सिचाई होगी और इसकी कुल लागत क्या है? यह लिफ्ट कैनाल कब तक बन कर तैयार हो जायगी?

श्री लोकपति—

जी हां। सर्वेक्षण करने पर यह योजना तकनीकी व आर्थिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं पायी गयी है।

प्रदेश के राजकीय हाई स्कूलों व इन्टर कालेजों में प्रधानाध्यापकों व अध्यापकों के रिक्त पद

*52—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय इन्टर कालेजों एवं हाई स्कूलों में पिछले पांच वर्षों से भी अधिक समय से कितने प्राध्यापकों एवं अध्यापकों के पद रिक्त हैं और क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

औराई विकास खन्ड, वाराणसी में प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों का स्थानान्तरण

*53—श्री रामरति बिन्द (जिला वाराणसी)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के औराई विकास खंड के प्राइमरी पाठशालाओं में अभी हाल में हुए समायोजन के अन्तर्गत कुछ अध्यापकों के स्थानान्तरण हुए हैं इसमें सरकारी आदेश के बावजूद 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले अध्यापकों का स्थानान्तरण बहुत दूर हुआ? और कम उम्र वालों को उनके घर के पास किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेगी?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। जनपद वाराणसी में प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापक/अध्यापिकाओं के समायोजन के फलस्वरूप स्थानान्तरणों का आधार अध्यापकों की अवस्था न होकर विद्यालय पर अधिक ठहराव तथा छात्र-अध्यापक संख्या का अनुपात था। इसलिए इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

शारदा सहायक परियोजना की पोषक नहर के ऊल साइफन, सीतापुर के निर्माण सम्बन्धी ठेकेदार को भुगतान की गई अतिरिक्त धनराशि

*54—श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत नवम मन्डल सिचाई कार्य सीतापुर के अधीन अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खंड द्वित्तीय, लखीमपुर खीरी द्वारा फीडर चैनल के किलोमीटर 19.70 पर ऊल साइफन का निर्माण कार्य अनुबन्ध द्वारा सुभाष चन्द्र मित्तल ठेकेदार से कराया गया ? इस अनुबन्ध के अधीन 1:4:8 कंकरीट का कार्य "ऐक्स्ट्रा आइटम" के रूप में कठिया रोगोड़ी की शिगल एवं उसी कार्य के आधीन खुदाई से प्राप्त स्थानीय बालू से कराया गया ? शिगल हेतु विभाग द्वारा उपरोक्त ठेकेदार को कवैयरी भी कठियारागोंडी में एलाट करा कर दी गयी थी ? इस "एक्स्ट्रा आइटम" का भुगतान अनुबन्ध की धारा 16 फार्म 111 के अनुसार लगभग 125 रुपए प्रति घनमीटर के बजाय विभागीय अधिकारियों ने मनमाने नियम से अर्थात् 1:4:8: लीन कंकरीट ब्रिक बैलास्ट को आधार मानकर इसी ठेकेदार के 1:2:4 आर0 सी0 सी0 के रेट 180 रुपए प्रति घनमीटर से भी अधिक 150+35.30=185–30 प्रति घनमीटर की दर से भुगतान कर सरकारी धन का अपव्यय किया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री लोकपति—

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत पोषक नहर पर अब साइफन के निर्माण के लिए तीन अलग-अलग अनुबन्ध किए गए थे जिनमें से दो अनुबन्ध मे0 टेक्निकल कान्स्ट्रक्शन कम्पनी व एक अनुबन्ध श्री सुभाष चन्द्र मित्तल, ठेकेदार के साथ किया गया था। इस साइफन के परिकल्प को अन्तिम रूप रेखा तैयार हो जाने के बाद केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विंग-वाली के नीचे कांक्रीट 1:4:8 के अनुपात में पत्थर की गिट्टी में डाली जाए, न कि ईंट की गिट्टी में। तदनुसार 1:4:8 सीमेन्ट कांकरीट का कार्य पत्थर की गिट्टी, स्थानीय बालू एवं मोटे बालू से कराई गयी। चूंकि अनुबन्ध में पत्थर की गिट्टी के स्थान पर ईंट की गिट्टी में कराने का प्राविधान था अत: दो प्रकार की गिट्टियों की लागत के अन्तर के लिए 35.60 रुपए प्रति घनमीटर कांकरीट के लिए अतिरिक्त भुगतान दोनों ठेकेदारों को किया गया।

1:4:8 कांकरीट (शिगिल के साथ) की दरें अनुबन्धों के अन्तर्गत शटरिंग सम्मिलित करते हुए रु0 165.60 व 185.60 प्रति घनमीटर थीं। अत: ईंट की गिट्टी के स्थान पर पत्थर की गिट्टी उपयोग करने के लिए दोनों ठेकेदारों को रु0 130.00 व रु0 150.00 प्रति घनमीटर के स्थान पर रु0 165.60 व रुपया 185.60 की दर से भुगतान किया गया। इसमें सरकारी धन के अपव्यय का प्रश्न नहीं उठता।

गोन्डा में राजकीय नलकूपों की टूटी हुई नहरों की मरम्मत की मांग

*55—श्री दशरथ सिंह (जिला गोन्डा)—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोन्डा जिला में राजकीय नलकूपों की अलग-अलग कितनी नहरें टूटी हुई हैं, उनके नाम व स्थान क्या हैं तथा वह कब से टूटी हैं और उनको आज तक क्यों नहीं बनाया गया है ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बलरामपुर, गोन्डा क्षेत्र में राप्ती नदी की पम्प नहरों की मरम्मत की मांग

*56—श्री दशरथ सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोन्डा के बलरामपुर क्षेत्र में राप्ती नदी की पम्प नहरों को ठीक कराने हेतु अभियन्ता, नलकूप, बहराइच डिवीजन ने अक्तूबर सन् 1975 में इस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा है, किन्तु दिनांक 29 जून, 1976 तक कोई धन नहीं मिला, न नहर बनीं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जनपद गोन्डा के बलरामपुर क्षेत्र में राप्ती नदी के किनारे स्थित पम्प नहरें बाढ़ से गत वर्षों में क्षतिग्रस्त होती रही हैं। इन नहरों की मरम्मत कराने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

*57—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[6ठे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 18 पर स्थानान्तरित।]

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, बन्धी प्रखंड वाराणसी के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*58—श्री रघुनाथ—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, श्री वेद प्रकाश अग्रवाल के विरुद्ध सरकारी धन के गबन के गम्भीर आरोपों के कारण सतर्कता अधिष्ठान द्वारा इनके कराए गए कार्यों (गन्डक नहर निर्माण खन्ड-5) बाढ़ खन्ड, बलिया तथा बन्धी खन्ड, वाराणसी की जांच हो रही है ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति—

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, तत्कालीन, अधिशासी अभियन्ता बन्धी प्रखन्ड, वाराणसी के विरुद्ध वाराणसी के घाटों की सुरक्षा हेतु बोल्डरों की आपूर्ति तथा चन्द्र प्रभा बांध के पास निर्मित पोषक नहर में मिट्टी के कार्य में की गई अनियमितताओं की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है।

जांच के हित में श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता का बन्धी प्रखन्ड, वाराणसी से शासन द्वारा स्थानान्तरण कर दिया गया है।

श्री अग्रवाल के विरुद्ध अभी जांच जारी है। जांच का परिणाम प्रतीक्षित है।

आजमगढ़ में काटी गई दोहरीघाट पम्प कैनाल के सम्बन्ध में काश्तकारों से जुर्माने की वसूली

*59—श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम मानिकपुर असना, जनपद आजमगढ़ के पास दोहरीघाट पम्प कैनाल पानी की तेज धारा व दबाव के कारण मई सन् 1975 में नहर टूट गई और किसानों से लगभग 13,000 रुपया दन्ड के रूप में वसूल किए जाने की नोटिस दी गई और वहां के किसानों ने मई सन् 1976 में प्रार्थना-पत्र दिया कि उक्त जुर्माना की वसूली गलत है, इसकी जांच की जाय और वसूली रोक दी जाय ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति—

जी नहीं, यह नहर पानी की तेज धारा व दबाव के कारण नहीं टूटी बल्कि ग्राम के काश्तकारों द्वारा काटी गई थी। नहर के कटने के कारण काश्तकारों से रु0 13,020.44 पैसे की वसूली जमा बन्दी दन्ड स्वरूप तहसील में भेजी गई? काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र जुर्माने की धनराशि वसूल न करने के विषय में, नहर टूटने के एक साल बाद प्राप्त हुई। नहर टूटने पर जांच की गई थी, अब एक साल बाद पुनः जांच करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

उतरौला, गोन्डा में राजकीय कन्या सीनियर बेसिक विद्यालय की स्थापना की मांग

*60—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1973–74 में योजना संकेत संख्या 710124 के अधीन उतरौला जिला गोन्डा में जिस राजकीय कन्या सीनियर बेसिक विद्यालय (कन्या) को खोलने का निश्चय किया गया था उसे चालू न करने का कारण क्या है तथा विद्यालय कब तक चालू कर दिया जाएगा?

श्री अम्मार रिजवी—

उपयुक्त भवन तथा छात्राओं के अभाव के कारण विद्यालय नहीं चालू किया गया। अनुकूल परिस्थितियां होने पर यथासमय पुनः विचार करना सम्भव हो सकेगा।

महराजगंज इन्टर कालेज, गोरखपुर की प्रबंध समिति के अवक्रमण के विरुद्ध प्रबन्धक का प्रत्यावेदन

*61—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज इन्टर कालेज, महराजगंज, जिला गोरखपुर की प्रबन्ध समिति को उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ने दिनांक 4 अप्रैल, 1975 को अतिक्रमित किया है? यदि हां, तो अतिक्रमण करने के कारण क्या हैं?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

वेतन वितरण अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार आवश्यक रिकार्ड जांच न करवाना, समय से वेतन बिल प्रस्तुत न करना और वेतन भुगतान में व्यवधान एवं विलम्ब करना अतिक्रमण के कारण हैं।

*62—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज इन्टर कालेज, महराजगंज जिला गोरखपुर की प्रबन्ध समिति ने उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर के आदेश दिनांक 4 अप्रैल, 1975 के विरुद्ध शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को कोई प्रत्यावेदन एवं स्थगन आवेदन पत्र दिया है। यदि हां, तो कब और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां:

प्रबन्धक ने उप शिक्षा-निदेशक गोरखपुर के आदेश दिनांक 4 अप्रैल, 1975 के विरुद्ध शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को दिनांक 16 अप्रैल, 1975 को प्रत्यावेदन दिया था। प्रबन्धाधिकरण की अपील अस्वीकृत कर दी गई।

आगरा रजवाहा सैयऊ माइनर चावली के निर्माण काय का स्थगन

*63—श्री शिवचरन लाल—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा रजवहा सैयऊ माइनर, चावली के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है? क्या यह सही है कि माइनर की खुदाई अचानक रोक दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री लोकपति--

माइनर के विस्तार के प्रस्तावित रेखांकन पर एक पुल का निर्माण हो चुका है। काश्तकारों की आपत्ति के कारण कार्य रोक दिया गया था।

मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध छात्रों के परीक्षाफल की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा घोषणा

*64--श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की वर्ष 1976 की इन्टर की परीक्षा में सम्मिलित समस्त मीसा बन्दी एवं भारत रक्षा कानून के तहत बन्दी छात्रों (संस्थागत एवं व्यक्तिगत) का परीक्षा फल घोषित कर दिया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इन बन्दी छात्रों के परीक्षा फल घोषित करवाने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, इन्टरमीडिएट परीक्षा 1976 में सम्मिलित ऐसे सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा फल घोषित कर दिया गया है।

बांदा के ग्राम कछवनियां के चीनी कोटेदार द्वारा कथित चोरबाजारी

*65--श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के अन्तर्गत ग्राम कन्हवनियां ब्लाक पहाडी, तहसील कर्वी के चीनी के कोटेदार ने जुलाई, 1976 को 9 बोरा चीनी ब्लैक बाजार में बेच दी है ? यदि हां, तो अभी तक कोटेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जिला बांदा के गांव कछवनिया, ब्लाक पहाड़ी, तहसील कर्वी के कोटेदार द्वारा जुलाई, 1976 में आबंटित 9 बोरा चीनी की चोरबाजारी करना नहीं पाया गया ? प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

जवाहर लाल नेहरू कालेज, गोरखपुर में हटाए गए कर्मचारियों के सम्बन्ध में कथित आदेश

*66--श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रबन्धक/प्रधानाचार्य जवाहर लाल नेहरू कालेज, महराजगंज, गोरखपुर ने उप शिक्षा निदेशक, मन्डल, गोरखपुर के उस आदेश की अवहेलना की है जिसमें उप निदेशक ने अवैध रूप से हटाए गए 9 स्थायी कर्मचारियों के सम्बन्ध में दिया है ? यदि हां, तो विभागीय आदेश की अवहेलना करने वाले प्रबन्धक/प्रधानाचार्य के विरुद्ध सरकार कौन सी कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया की कतिपय टाउन एरियाज की सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा विभिन्न सामानों का वितरण

*67--श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को सलेमपुर, मझौली, लार टाउन एरिया, पिन्डी खुखुन्टू, भागलपुर, भाटपाररानी में इस समय नागरिकों को कार्ड पर चीनी के अतिरिक्त चावल, गेहूं तथा अन्य कौन से सामान दिए जा रहे हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

देवरिया जनपद के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को सलीमपुर, मझौली लार टाउन एरिया, पिन्डी, खुखुन्टु, भागलपुर भाटपार रानी में राशन कार्ड धारकों को उनके राशन कार्ड पर वितरण हेतु इस समय नियमित रूप के शक्कर ही दी जाती है। इसके अतिरिक्त नियंत्रित वस्त्र भी मिला है।

नलकूप खंड, बस्ती के अधिशासी अभियन्ता, श्री राम दास दुबे की रिश्वत के सम्बन्ध में गिरफ्तारी

*68—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या यह सही है कि अगस्त, 1976 में नलकूप खन्ड बस्ती के अधिशासी अभियन्ता एक हजार रुपया रिश्वत लेते हुए विजीलेन्स अधिकारियों द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए थे ? क्या यह भी सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

नलकूप खन्ड, बस्ती के अधिशासी अभियन्ता 28 जुलाई, 1976 को एक हजार रुपया रिश्वत लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों द्वारा रंगे हाथ पकड़ गए थे।

जी नहीं। नलकूप खंड, बस्ती के अधिशासी अभियन्ता, श्री रामदास दुबे का अभियोजन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत किए जाने हेतु शासकीय स्वीकृति दिनांक 17 सितम्बर, 1976 को जारी की जा चुकी है और 21 अक्टूबर, 1976 को उनके विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र भी दाखिल कर दिया गया है। श्री दुबे के निलम्बन आदेश भी 4 नवम्बर, 1976 को निर्गत किए जा चुके हैं।

गंडक डिवीजन सिंचाई विभाग, गोरखपुर के इन्जीनियर की अवैध सामान के साथ गिरफ्तारी

*69—श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग के गन्डक डिवीजन गोरखपुर के किसी इन्जीनियर द्वारा करीब पचास हजार रुपया मूल्य का एक ट्रक सामान अपने घर भेजा जा रहा था जिसे गोरखपुर शहर से गोलघर के मुख्य मार्ग पर अप्रैल, 1976 व जून, 1976 के मध्य पुलिस (स्थानीय) ने पकड़ा था ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ? क्या यह भी सही है कि अभी तक इस सम्बन्ध में विभागीय कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*70—श्री गजाधर प्रसाद आर्य—

[3रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जालौन ग्राम छौक की प्राइमरी पाठशाला के प्रधानाध्यापक का निलम्बन

*71—श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन के ग्राम छौंक प्राइमरी पाठशाला के प्रधान अध्यापक का स्थानान्तरण शासनादेश द्वारा 1974 में होने के बावजूद भी उसने पाठशाला के सामान का चार्ज आज तक नहीं दिया ? विद्यालय की एक कोठरी में अपना ताला लगाए हैं तथा कृषि फन्ड का घपला होने के बावजूद अभी तक उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? यदि की गई, तो क्या है एवं उसके अभी तक क्या परिणाम निकले ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

जनपद जालौन, ग्राम छौक की प्राइमरी पाठशाला के प्रधानाध्यापक श्री राम प्रकाश तिवारी ने पाठशाला के सामान का पूरा चार्ज नहीं दिया है।

इसके लिए उन्हे कई बार लिखा गया, उनका वेतन रोक दिया गया और निलम्बित भी कर दिया गया है। अब राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में कोठरी का ताला तोड़कर चार्ज पूरा करा दिया गया है। उनकी अनियमितता की जांच उप विद्यालय निरीक्षक, जिला जालौन द्वारा कराई जा रही है। जांच आख्या शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए उप विद्यालय निरीक्षक को भी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चेतावनी दे दी गई है।

*72—श्री वीर सिंह सेंगर—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

अतारांकित प्रश्न

आजमगढ़ में गेहूं क्रय केन्द्रों पर बेचे गए गेहूं के बदले आबंटित चीनी का विवरण

1—श्री रामसुन्दर पान्डेय—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में वर्ष 1975 में कितने क्विन्टल गेहूं क्रय केन्द्रों से क्रय किया गया और बदले में कितना क्विन्टल चीनी प्रति क्विन्टल के हिसाब से दी गई और जिलाधिकारी ने प्रति क्विन्टल कितनी चीनी देने का आदेश दिया था?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वर्ष 1975 में दिनांक 30 जून, 1975 तक आजमगढ़ जिले में समस्त क्रय केन्द्रों पर कुल 5,82,74,31,000 क्विन्टल गेहूं क्रय किया गया था। एक क्विन्टल गेहूं सरकार को बेचने पर 2 किलो लैवी चीनी उपलब्ध कराई जानी थी। जिलाधिकारी के आदेशानुसार 5 किलो प्रति क्विन्टल के हिसाब से 28,92,09,000 क्विन्टल चीनी दी गई। जनपद में 50 किलो और 1 क्विन्टल के बीच लेवी देने वाले उत्पादकों की संख्या अधिक होने के कारण जिलाधिकारी ने यह आदेश भी दिए थे कि ऐसे लेवी उत्पादको को भी 5 किलो चीनी दी जाय।।

आजमगढ़ दोहरीघाट पम्प नहर द्वारा सिंचाई एवं पम्पों का नवीकरण

2—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

दिनांक 24 मार्च, 1976 के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 12 पम्पों के स्थान पर वही पम्प बारी-बारी से क्यों चलाए जा रहे हैं तथा मोटर कितने और कब से जले हुए पड़े हैं और ट्रान्सफारमर की क्षमता कब से कम हुई और बढ़ाने हेतु कौन-कौन सी कार्यवाही कब की गई और कितनी भूमि का सिंचन हुआ और क्षमता कितने एकड़ की है?

श्री लोकपति—

दोहरी घाट पम्प नहर के 8 पुराने पम्प लगभग 18 वर्ष पुराने हैं तथा इनके विभिन्न पुर्जे घिस गए हैं व मोटरों के इन्सूलेशन का जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। इनके मोटर प्राय: जल जाते हैं। 2 मोटरें गत वर्ष जली थी जिनकी मरम्मत कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त चार 30 क्यूसेक के पुराने पम्पों के स्थान पर 75 क्यूसेक के 4 नए पम्प लगाए गए हैं। इनके चलाने में नये ट्रान्सफारमरों के स्थापन में विलम्ब होने के कारण गत वर्ष, अवरोध रहा था। अब नया ट्रान्सफारमर लगा दिया गया है।

दोहरी घाट पम्प नहर के प्रस्तावित तथा गत 2 वर्षों म सिचाई के आंकड़े निम्न हैं—

वर्ष	फसली	प्रस्तावित			वास्तविक		
		खरीफ 29./·	रबी 31./·	योग	खरीफ	रबी	योग
1974-75	1382	75351	80548	155899	26,091	67,111	93,202
1975-76	1383	75351	80548	155899	31,058	69,360	100,418

3—श्री ऊदल—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

रिग्स प्रखन्ड षष्टम, वाराणसी की रिग मशीन द्वारा बनाए गये नलकूपों पर व्यय

4—श्री जंगबहादुर (मेहनगर जिला आजमगढ़) तथा श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रिग्स प्रखन्ड वाराणसी के सहायक अभियन्ता षष्टम के पास परकुसन रिग कब से कब तक रही इस अवधि में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इस मशीन से षष्टम उपखन्ड द्वारा अलग-अलग गहराई के कुल कितने नलकूप बनाए गए ? इस मशीन के एम0 एन्ड आर0 व विशेष मरम्मत पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में (इस अवधि में) कुल क्या व्यय हुआ व इस मशीन की कुल क्या कीमत थी ? इस मशीन द्वारा बनाए गए नलकूपों पर अलग-अलग कुल क्या व्यय हुआ और उन नलकूपों का क्या परिणाम रहा ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया तहसील हाटा में तालों एवं वरों की जल निकासी हेतु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित नालियों पर व्यय

5—श्री श्रीनारायण—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के हाटा तहसील में सिचाई विभाग से किन-किन तालों एवं चंवरों (नीभूमि) के पानी के निकासी हेतु कब-कब कितनी लम्बी चौड़ी ड्रेन बनाई है और उनके निर्माण में अलग-अलग कितने-कितने रुपए खर्च हुए तथा उनकी मरम्मत में 31 मार्च, 1976 तक कुल कितने रुपए खर्च हुए और जो ड्रेन मिट्टी पट जाने से भर गई है जिससे "वाटर लागिंग' से लहलहाती फसलें डूबकर सड़ जाती है ? उनकी पुन: सफाई कराने के सम्बन्ध में सरकार उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लिए विचाराधीन बाढ़ नियन्त्रण योजना

6—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की बाढ़ विभीषिका को रोकने के लिए वर्तमान सरकार ने राप्ती नदी पर बांध बनाने की कोई योजना तैयार की ह ? यदि हां, तो अब तक उक्त योजना को क्रियान्वित करने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री लोकपति—

जी हां। योजना का पुनरीक्षण नेपाल सरकार तथा भारत सरकार के बीच विचाराधीन है।

जंघई-दुर्गागंज-ज्ञानपुर मार्ग, इलाहाबाद में बरना नदी पर पुल निर्माण की मांग

7—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद म जंघई से दुर्गागंज-ज्ञानपुर, जिला वाराणसी तक सड़क पक्की जो बन चुकी है परन्तु बरना नदी में पुल न बनने के कारण आना-जाना अवरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर शीघ्र ही पुल का निर्माण कराने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्नगत सेतु का निर्माण न होने के कारण बरसात में रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। धनाभाव के कारण अभी पुल का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

फर्रुखाबाद में लाख माइनर के कुलावा नम्बर ६ से बहोसी तक माइनर के निर्माण की मांग

8—डाक्टर धर्मपाल सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला फर्रुखाबाद में तिर्वा राजबहा, (निचली गंगा नहर प्रखन्ड कानपुर से सम्बन्धित) से "उदइयापुर माइनर" के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में माननीय सिंचाई मन्त्री को कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 तथा दिनांक 8 अप्रैल, 1975 को मिला ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति—

फर्रुखाबाद जनपद में तिर्वा राजबाहे से उदयापुर नाम की कोई माइनर नहीं निकलती है। संभवत : विधायक महोदय का तात्पर्य लाख माइनर के कुलावा नं 0 6 से बहोसी ग्राम तक माइनर बनाने का है। दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। दिनांक 8 अप्रैल, 1975 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है। सुझाव पर प्रारम्भिक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि प्रस्तावित माइनर को यदि बनाया जाय तो उसके कमान्ड में ऊंचा नीचा क्षेत्र व ऊसर क्षेत्र पड़ेगा एवं बहोसी ग्राम तक जाने में इकमा नाले को जल सेतु बनाकर पार करना होगा तथा तिर्वा व लाख माइनर की क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी। तकनीकी दृष्टि से यदि माइनर का निर्माण उपयुक्त पाया गया तो कार्य कराया जा सकेगा।

9—श्री अठई राम—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

कानपुर जिले का निर्माणाधीन बिल्हौर-रसूलाबाद-ककवन मार्ग

10—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत बिल्हौर के रसूलाबाद वाया ककवन तक जाने वाली सड़क अभी तक कितने किलोमीटर बनना शेष है और उसके अभी तक मुकम्मिल न होने के क्या-क्या कारण रहे हैं तथा वह कब तक पूरी तरह बन जायगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस मार्ग की कुल लम्बाई 37.475 कि0मी0 है जिसमें 20.475 कि मी0 तक का भाग पूरा किया जा चुका है। शेष 17 कि0 मी0 भाग को पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति दी जा चकी है। कार्य लगभग 2 वर्ष म पूर्ण हो जान की सम्भावना है।

कानपुर की रौगांव-सिधौली-रसूलाबाद सड़क को पक्का किए जानेकी मांग

11—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत बिल्हौर की चौखन्डी गुमटी से मकनपुर तक बनने वाली सड़क को रौगांव सिधौली तथा गांव विसधन होते हुये रसूलाबाद तक पक्की सड़क बनाने हेतु प्रश्नकर्ता के कितने पत्र जेल से उन्हें प्राप्त हुए हैं ? और उन पत्रों पर सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्नकर्ता के 3 पत्र दिनांक 14 फरवरी, 1975, दिनांक 14 अक्तूबर, 1975 एवं दिनांक 20 दिसम्बर, 1975 प्राप्त हुए।

प्रश्नगत मार्ग को भविष्य में उत्तर प्रदेश सड़क निधि से स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों में सम्मिलित किए जाने का निश्चय किया गया।

12—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[12-5-76 को तारांकित प्रश्न संख्या 33 के अन्तर्गत उत्तरित।]

छितौनी इन्टर कालेज, देवरिया के चर्म-रोग से पीड़ित प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायतें

13—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जिले के छितौनी इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य कोढ़ रोग से पीड़ित हैं जिससे लड़कों के स्वास्थ्य के लिए बराबर खतरा बना हुआ है तथा इनके खिलाफ अनेक गबन तथा हरिजन छात्रों के छात्रवृत्तियों के हड़प जाने की भी शिकायतें हैं ? यदि हां, तो क्या ऐसे प्रधानाचार्य को हटाने के सम्बन्ध में अविलम्ब विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय, देवरिया द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र के अनुसार छितौनी इन्टर कालेज, छितौनी (देवरिया) के प्रधानाचार्य श्री वी० पी० सिंह चर्मरोग से पीड़ित हैं जो छूत की बीमारी नहीं है।

प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायतों की जांच से गबन तथा हरिजन छात्रों की छात्रवृत्तियों के दुरुपयोग का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ फिर भी अनियमितताओं की विस्तृत जानकारी के लिए विशेष आडिट कराने की कार्यवाही की जा रही है।

फर्रुखाबाद के बाई-पास के निर्माण की स्वीकृति

14—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में फर्रुखाबाद कायमगंज बाई पास निर्माण करने के लिए सरकार ने वर्ष 1976-77 में 14 लाख 60 हजार रुपया स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होने की आशा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

फर्रुखाबाद बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में वर्ष 1976-77 में भारत सरकार से केन्द्रीय मार्ग निधि के अन्तर्गत घोषित किए जाने के लिए 14.62 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसका निर्माण कार्य प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के बाद शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा।

जूनियर हाई स्कूल, पिपरहवां, बहराइच के अध्यापक श्री बच्छराज सिंह का निलम्बन

15—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जूनियर हाई स्कूल, पिपरहवां, जनपद बहराइच के कई सहायक अध्यापक जुलाई से अगस्त, 1974 तक बिना अवकाश लिए अकारण अनुपस्थित रहे जिसकी रिपोर्ट ब्लाक प्रमुख ने बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच को अगस्त, 1974 में ही दे दी थी फिर भी पूरा वेतन निकाल लिया ? यदि हां, तो ब्लाक प्रमुख की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जूनियर हाई स्कूल, पिपरहवा, जनपन बहराइच के केवल एक सहायक अध्यापक श्री बच्छराज सिंह दिनांक 29 जुलाई, 1974 से 31 अगस्त, 1974 तक विद्यालय से अनुपस्थित रहे और उक्त अवधि का वेतन भी प्राप्त किया है। इस सम्बन्ध सें ब्लाक प्रमुख, सिरसिया ने अपनी निरीक्षण आख्या दिनांक 2 अक्तूबर, 1974 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच को रिपोर्ट दी थी जिस पर उप विद्यालय निरीक्षक की आख्या मांगी गई। तत्पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सम्बन्धित उप विद्यालय निरीक्षक का स्थानान्तरण हो जाने के कारण अग्रिम कार्यवाही न हो सकी। अब श्री बच्छराज सिंह को निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

इकौना-पिपराघाट मार्ग, बहराइच की भामें पारा की पुलिया की मरम्मत

16—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र 1976 के दूसरे बुधवार (31-3-76) के अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के सन्दर्भ में सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पुराना पुलिया के मरम्मत वर्ष 1970-71 में तथा शेष निर्माण कार्ष वर्ष 1973-74 में कितना- कितना धन खर्च हुआ था ? क्या यह सही है कि भामें पार वाली पुलिया वर्ष 1973-74 में नई निर्माण करायी गई थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्नगत पुरानी पुलिया की मरम्मत वर्ष 1970-71 में जिला परिषद् द्वारा कराई गई थी जिस पर 3,995 रुपया व्यय हुआ था तथा वर्ष 1973-74 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त पुलिया के निर्माण कार्य पर 30,000 रुपया व्यय हुआ था।

जिला परिषद् की उक्त पुरानी पुलिया का हस्तान्तरण सार्वजनिक निर्माण विभाग को वर्ष 1973-74 में होने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त पुरानी पुलिया के दोनों ओर के एवटमेन्ट का उपयोग करते हुए दोनों एवटमेन्ट के बीच केवल दो खम्भे, इकौना की ओर की रिटर्नवाल्स तथा पुल के ऊपर लकड़ी की डेकिंग डालने का निर्माण कार्य किया गया था।

श्री गांधी विद्यालय सोसाइटी एवं श्री गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, सीतापुर की आडिट रिपोर्ट

17—श्री श्याम लाल रावत (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन के शिक्षा 9 अनुभाग के पत्र संख्या 9(1) 1533/15/74, दिनांक 4 दिसम्बर, 1974 के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा शासन को प्रेषित जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री गांधी विद्यालय सोसाइटी एवं श्री गांधी विद्यालय इन्टर कालेज की प्रबन्ध समिति के आय-व्यय की विस्तृत जांच विशेष लेखा दल (आडिट पार्टी) द्वारा करायी गई है ? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट क्या है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां,

आडिट रिपोर्ट का विवरण अभी शासन को प्राप्त नहीं हो सका है।

श्री गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, सीतापुर की चल और अचल सम्पत्ति का विवरण

18—श्री श्याम लाल रावत—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि यू0पी0ऐक्ट नं0 3, 1975 के प्राविधान 3 (सबमीशन आफ इन्डेन्ट्री आफ प्रापर्टी) के आधार पर प्रबन्ध समिति श्री गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, सिधौली, जनपद सीतापुर में उक्त विद्यालय की चल और अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित परिपत्र पर शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया है? यदि हां, तो प्रेषित सम्पत्ति का विवरण क्या है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 962–965 पर।)

बहराइच के कतिपय विकास खन्डों की कन्या प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापक/अध्यापिकाओं के नाम व पते

19—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

विधान सभा, उत्तर प्रदेश के प्रथम सत्र 1976 के प्रथम बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माननीय शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विकास खन्ड हरिहरपुर रानी व सिरसिया में नियुक्ति की गई अध्यापिकाओं व अध्यापक के नाम, पता क्या-क्या हैं? क्या यह भी सही है कि नब्बा गांव पूरे अधारी व हरीपुर में कोई अध्यापिका या अध्यापक स्कूल में अब तक नहीं उपस्थित हुआ है और लड़के, लड़कियां स्कूल शिक्षक के अभाव में नहीं जाते हैं?

श्री अम्मार रिजवी—

हरिहरपुर रानी एवं सिरसिया ब्लाक की कन्या प्राइमरी पाठशालाओं में नियुक्त अध्यापिकाओं तथा अध्यापकों के नाम व पते की सूची संलग्न है।

कन्या प्राइमरी पाठशाला, नब्बा गांव (नया गांव) में श्री कृपा राम मिश्र, पूरे अधारी में श्रीमती सरोजनी देवी व श्रीमती ज्ञानवती देवी तथा हरीपुर में श्रीमती शान्ती देवी व श्री शिव शरन लाल कार्यरत हैं जैसा कि संलग्न सूची से स्पष्ट होगा। अध्यापकों के अभाव में लड़के लड़कियों के स्कूल न जाने की सूचना अथवा शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 966–968 पर।)

गोरखपुर गेहूं क्रय केन्द्रों द्वारा बोरों की खरीद

20—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले रबी के सीजन वर्ष 1975 में गेहूं क्रय केन्द्रों पर क्रय हेतु बोरों का अभाव हो गया था? गोरखपुर रीजन के अन्तर्गत बोरों का क्रय सहजनवां जूट मिल से किया गया था? यदि हां, तो जूट मिल से कुल कितने बोरे किस भाव से खरीदे गए?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

सहजनवां जूट मिल से बोरों की खरीद की गई थी। बोरों की संख्या व भाव सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 969 पर।)

21—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सहजनवां जूट मिल के जो बोरे खरीदे गये उनका टेन्डर भी आमन्त्रित किया गया था? यदि हां, तो कुल कितने टेंन्डर प्राप्त हुए थे?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं।

विषय के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री छेदा लाल चौधरी (जिला खीरी)—

श्रीमन्, मैं, सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति, उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का तृतीय प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की नियमावली, 1976 के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विधान मन्डल के सदस्यों की उपलब्धियों और सुविधाओं का प्रभाव उनके कार्य क्षमता पर पड़ता है, समिति ने इस नियमावली पर विचार करके अपना प्रतिवेदन देने में शीघ्रता करना आवश्यक समझा। समिति ने नियम 2(घ), नियम 2(ङ), नियम 8 के उपनियम (2) और (3), नियमावली की परिशिष्ट 1—(उत्तर प्रदेश विधान मन्डल के सदस्यों को देय यात्रा के कूपन जारी करने के नियम) के कतिपय नियमों और नियमावली के प्रपत्र (घ) में संशोधनों की संस्तुतियां करने के साथ नियम 5 के उपनियम (2) और नियम 7 के उपनियम (2) को निकाले जाने की सिफारिश भी की है। समिति यह समझती है कि उक्त उपनियमों के अन्तर्गत विवरण तैयार करने में माननीय सदस्यों को असुविधा होगी। इसके अतिरिक्त समिति ने यह संस्तुति भी की है कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि सदस्य अपने साथ परिवार के सदस्यों तथा सहवर्तियों को भी रेल यात्रा कूपनों का प्रयोग करके ले जा सकते हैं।

समिति, सचिव, विधान सभा और समिति के सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करती है जिनके परिश्रम से इस प्रतिवेदन को शीघ्रता के साथ तैयार करने में सहायता मिली है। मैं समिति के सभी सम्बन्धित सदस्यों का भी अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने अपना पूर्ण सहयोग तथा अमूल्य राय दे कर समिति को लाभान्वित किया है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का पंचम प्रतिवेदन†

*श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के सभापति की हैसियत के उक्त समिति (1976-77) का पंचम प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग की सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व पर है, प्रस्तुत करता हूं।

समिति द्वारा जारी की गयी सेवाओं के आरक्षण से सम्बन्धित प्रश्नावली के उत्तर में शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना पर समिति ने दिनांक 7 जनवरी, 1975 की

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बैठकों में विचार किया और कुछ अतिरिक्त सूचना मांगी जिस पर दिनांक 11 मार्च, 1976 की बैठक में विचार किया गया और यह निश्चय किया गया कि शिक्षा सचिव को समिति से विचार विमर्श के लिए बुलाया जाय। दिनांक 13 जुलाई, 1976 की बैठक में शिक्षा सचिव, श्री शशि भूषण शरण का साक्ष्य लिया गया। दिनांक 3 तथा 4 सितम्बर, 1976 की बैठकों में समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और अन्तिम दिन की बैठक में कुछ संशोधनों के उपरान्त इसे अंगीकृत किया।

समिति, श्री शशि भूषण शरण, सचिव, शिक्षा विभाग के प्रति समिति को वांछित सूचना उपलब्ध कराने में सहयोग के लिए आभार प्रकट करती है। समिति श्री सत्य प्रिय सिंह, सचिव, विधान सभा तथा विधान सभा के सम्बन्धित समिति अधिकारी व कर्मचारियों के प्रति भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने समिति के कार्य में इस प्रतिवेदन के तैयार करने में अपना योगदान दिया।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन†

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मैं सभापति, याचिका समिति, उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रतेश षष्ठ विधान सभा की याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन†

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मैं, सभापति, याचिका समिति, उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज सलाहकार परिषद्, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी तथा चन्द्र शेखर आजाद कृषि औद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन कार्य-क्रम की घोषणा

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

मैं विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना देना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता।

श्री सत्यपाल मलिक—

पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ने आपकी एक रूलिंग के खिलाफ बयान दिया.....

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री सत्यपाल मलिक—

रूलिंग की आलोचना करके उन्होंने सारे सदन का अपमान किया है।

श्री अध्यक्ष—

अध्यक्ष जब घोषणा कर रहे हों उस समय किसी सदस्य का उठ कर बीच में टोकना संसदीय पद्धति के खिलाफ है। माननीय सदस्य को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। मुझे जो सूचना देनी है, उसे पहले दे लेने दें। आपने प्रस्ताव पास किया है कि सदन आज के बाद उठ जाय, उससे पहले चुनाव की तिथियों को घोषित नहीं किया गया, तो चुनाव नहीं हो सकेंगे। 'उत्तर प्रदेश पंचायती राज सलाहाकार परिषद्' के लिए विधान सभा के तीन सदस्यों, "उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी" के लिए चार व्यक्तियों

†छापा नहीं गया।

[श्री अध्यक्ष]

तथा 'चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड' के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित कार्य क्रम निर्धारित किया गया है :—

1—नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय .. .. दिनांक 29-11-76 के अपरान्ह 4.00 बजे तक।

2—नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा .. दिनांक 29-11-76 को अपरान्ह 5.00 बजे।
(सचिव, विधान सभा के कक्ष में)

3—नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय दिनांक 30-11-76 के अपरान्ह 4.00 बजे तक।

4—निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो दिनांक 1 दिसम्बर, 1976 को दिन के 12.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक विधान मन्डल पुस्तकालय म होगा।

श्री राष्ट्रपति के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आप इस सदन के सम्मानित अध्यक्ष हैं। इस सदन की अध्यक्षता करते समय जो रूलिंग आप देते हैं उसके आधार पर आपकी आलोचना करने का किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। मुझे यह जानकारी मिली है और तमाम अखबारों में खबर छपी है कि माननीय राष्ट्रपति जी ने आपकी किसी रूलिंग के आधार पर आपकी मौजूदगी में आपकी आलोचना की। यदि यह सच है तो मान्यवर, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के विरुद्ध अवमान का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

वह आप नहीं उठा सकते हैं

श्री ओम प्रकाश श्रीवातस्व (जिला जौनपुर)—

यह हास्यास्पद है मान्यवर, यह उठा नहीं सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, मलिक साहब संसदीय पद्धति के ज्ञाता हैं वह इस बात को कह रहे हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

मैं वहां था, माननीय राष्ट्रपति का जो वहां विचार था वह मैंने सुना और उसके बाद मैंने उनको बताया कि किसी व्यवस्था का तो वहां पर जिक्र नहीं आया। यह खबर गलत है। यह प्रश्न राजनीतिक है और यहां पर भी कभी-कभी उठाया जाता है। हिन्दी उर्दू के बारे में विचार व्यक्त किए जाते हैं उसमें आवश्यक नहीं है कि मैं उसका खंडन करूं। मैं अपनी व्यवस्था अलग से आवश्यकतानुसार देता हूं।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

हिन्दी के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष—

उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझ से जो कहा उसका मतलब यह होता है कि जो सदस्य उर्दू भाषा में यहां बोलना चाहते हैं उस जबान में बोल सकते हैं। लेकिन हम अपनी कार्यवाही को उर्दू जबान से हिन्दी में रूपान्तरित कर हिन्दी और देवनागरी में कर दें, यह उनका मतलब था। वहां पर माननीय मख्य मन्त्री जी भी थे। इसलिए जिस किसी ने

यह कहा है कि वह ठीक नहीं है। अगर राष्ट्रपति महोदय कोई बात कह दें तो उसे हमें अंगीकार करना चाहिए। अगर हम राष्ट्रपति की बात नहीं मानेंगे या उनकी टीका टिप्पणी करेंगे तो यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं हिन्दी और उर्दू जबान में कोई अन्तर नहीं है। कौन हिन्दी बोल रहा है कौन उर्दू बोल रहा है कोई अन्तर नहीं है, लिखावट में अन्तर है। देवनागरी लिपि को सदन ने अपनी लिपि घोषित किया है। राष्ट्रपति जी ने जो कहा वह नीति अपने यहां प्रचलित है, उन्होंने बल दिया। उन्होंने किसी को हिन्दी में बोलने और उर्दू में भाषण देने की इजाजत न देने की बात नहीं कही। ऐसी बात तो है नहीं। बहुत से लोग, मैं भी और आप भी, हिन्दी और उर्दू में, मिली-जुली जुबान में बोलते हैं। इसलिए राष्ट्रपति जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही। कुछ समाचार-पत्रों ने या लोगों ने क्या समझा यह दूसरी बात है।

श्री सत्यपाल मलिक—

मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी के फैसले के बारे में कुछ कहा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

रूलिंग की चर्चा नहीं हुई।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, आपने मुझे कहने की अनुकम्पा की। सम्मानित सदस्य पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के जानकार हैं। उन्होंने थोड़ा सा अपने पर नियन्त्रण नहीं किया। वह भूल गए।

श्री सत्यपाल मलिक—

पिछले डेढ़ साल में हम लोग भूल गए हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उन्होंने राष्ट्रपति जी के अधिकार के बारे में प्रश्न उठाया और उसमें आपने मेरा भी जिक्र किया। वह उर्दू एकेडेमी का सम्मेलन था.....

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

एक मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। प्रेसीडेन्ट ने जो कहा, उसके सिलसिले में कोई प्रश्न यहां नहीं उपस्थित हो सकता है और न बहस ही हो सकती है। लेकिन फिर मान्यवर, आपके मन में आया कि कुछ बतला ही दें, तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आपने कुछ भी कहा तो फिर बहस होनी चाहिए। मैंने प्वाइन्ट आफ आर्डर यो रेज किया कि आप जब बोल रहे थे तो बीच में प्वाइन्ट आफ आर्डर हो नहीं सकता था, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन तब तक मुख्य मन्त्री जी को आपने इजाजत दे दी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने खुद क्यों इतनी लम्बी तकरीर कर दी ? मैं खड़ा नहीं हो पाया कि मुख्य मन्त्री जी खड़े हो गए। एक बार जो रूलिंग हो गयी सही या गलत, उसकी सफाई देने की या एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए आपको इनको भी इजाजत नहीं देना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक नेता प्रतिपक्ष की बात है, राष्ट्रपति हमारी आलोचना के पात्र नहीं हैं—यह तो निश्चित है, लेकिन अगर उनके दल में किसी सदस्य को कोई भ्रान्ति हो तो वह भ्रान्ति जहां तक हो, उसका निवारण करने के लिए मैंने उतनी बात कही।

चौधरी चरण सिंह—

किसी को कोई भ्रान्ति हो, लेकिन आपको कुछ नहीं कहना है।

(मुख्य मन्त्री के खड़े होने पर)

फिर बहस की बात हो जाएगी। वह कुछ कहेंगे तो इधर से कोई कुछ कहेगा तो उसे आप रोकेंगे कैसे ?

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मन्त्री जी और मैं—दोनों वहां थे। तो राष्ट्रपति महोदय के बारे में कोई टीका-टिप्पणी या आलोचना नहीं होगी, लेकिन उनके किसी वाक्य के कारण भ्रमजनित कोई अवस्था हो या स्थिति पैदा हो जाए, तो उसका निवारण करना कोई दोष या राष्ट्रपति महोदय के ऊपर कोई आलोचना नहीं है। मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया या जैसे सत्यपाल मलिक ने कहा तो मेरा कर्त्तव्य है कि मैं उसे साफ कर दूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं और आपको सन्तुष्ट करना चाहता हूं कि दुनियां का कोई ऐसा प्राधिकरण या अधिकारी नहीं है—जो अगर हमारे नियमों और मर्यादाओं के विपरीत कभी बात या काम करें तो आपका छोटा सेवक जो वहां खड़ा हैं, वह उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है लेकिन मैं जब समझता हूं कि राष्ट्रपति जी की कोई ऐसी मंशा नहीं थी, तब तो सत्य क्या था, बताना आवश्यक समझा। मुख्य मन्त्री जी वहां थे।

चौधरी चरण सिंह—

मुख्य मन्त्री हों या न हों, उस पर बहस नहीं होगी, बस। आप बैठ गए, फिर खड़े हो गए और विस्तारपूर्वक एक बात कही। मैं बअदब कहना चाहता हूं कि आपने जो फरमाया, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप जब कह रहे थे, उस समय प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना मुनासिब नहीं था। वह जो हो गया, वह हो गया। लेकिन अब आप मुख्य मन्त्री जी को इजाजत दे रहे हैं। यदि वह मौजूद थे और कोई यह कहे कि माननीय मुख्य मन्त्री की याददाश्त ठीक नहीं है, तो बिना मतलब की बहस होगी। आपने जो कहा, वह ठीक है, मैं उससे सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष—

अगर मेरी बात से, जहां कहीं कुछ भ्रम का कोई मामला था, वह साफ हो गया, शुद्ध हो गया तो कोई आवश्यकता नहीं है।

आज परिवार नियोजन की चर्चा के साथ अन्य कार्यक्रम लिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मुझे कोई आपने इजाजत दी थी? बीच में एक बात कहना चाह रहा था। आपने कहा कि रिपोर्ट पेश हो जाने दें। अब इस वक्त मुझे इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष—

इस समय आप.....

चौधरी चरण सिंह—

मैं एक बात पूछना चाहता हूं। परिवार नियोजन के सम्बन्ध में चर्चा 25 नम्बर पर पड़ी है। इस पर साढ़े छः घन्टे की बहस का टाइम मुकर्रर हुआ है। यह कब से होगी? मैं समझ रहा था कि सारा दिन देंगे तब साढ़े छः घन्टे पूरे होंगे। ऐसी अन्डर स्टैंडिंग थी। इसीलिए 5 तारीख तय हुई थी। कोई रियायत नहीं मांग रहे थे। गैर सरकारी दिन मांग रहे थे। उसमें यह अन्डरस्टैंडिंग थी कि किसी रेजोल्युशन पर हमारी तरफ से बहस नहीं होगी और सारा दिन रहेगा। अब सरकारी दिन पर रख रहे हैं। कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उनका सारा काम अजेन्डे पर रख रहे हैं। अगर आप कहने लगें कि पांच बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक कीजिए तो एक तरह से डेनायल आफ राइट है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। ऐसा था, अगर साढ़े छः घन्टे की बहस मंजूर की गयी थी तो भी 12 बजे से साढ़े छः बजे तक सदन चले। पांच बजे के बाद ही साढ़े छः घन्टे पूरा होगा। लेकिन सदन का समय पांच बजे तक निर्धारित है। उसके बाहर जाना होगा, हर हालत में। तो आध घंटा जाना हो, 45 मिनट हो या 1 घन्टा हो, यह आप पर निर्भर है।

चौधरी चरण सिंह—

मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता, जो सेटिलमेन्ट हुआ है साढ़े छः घंटे, वह भी आप पर निर्भर करता है। आप मुझ पर क्यों डाल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

समय तो आपको मिलेगा।

चौधरी चरण सिंह—

मेरी बात को सुनने की कोशिश करें। बाहर मीटिंग नहीं हो सकती। यहां आर्डर तो आप का है। हमारी पार्टी की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग नहीं हो सकती, अगर ये हमने बुलाया है। गिरफ्तार करना चाहें तो करें। अखबार का जो हाल है वह यह है कि कितना ही बड़ा कांड हो जाय अखबार में नहीं निकलेगा। हमने यहां बाईकाट किया हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी बात हो गयी। पूरे सूबे में तांडव नृत्य हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

जितना समय लिया, इतने में खत्म हो जाता।

चौधरी चरण सिंह—

मैं बहुत इसरार के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि सारा दिन मुकर्रर हुआ था।

श्री अध्यक्ष—

वह ठीक है।

चौधरी चरण सिंह—

12 बजकर 20 मिनट अब हो गए। अब आप कहेंगे कि साढ़े छः घंटे तीन बजे से साढ़े नौ बजे तक हुए। तो डेनायल हुआ।

श्री अध्यक्ष—

आप अधीर हो रहे हैं। जितना समय आपने लिया है, उतने में सब काम पूरा हो गया होता।

चौधरी चरण सिंह—

नहीं होगा। हम को वक्त मुकर्रर कर दीजिए। साढ़े 12 बजे से सात बजे तक हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

जितना समय.....

चौधरी चरण सिंह—

आप मुझे बच्चों की तरह बहकाने की कोशिश न कीजिए कि जितना समय इसमें नष्ट हो गया—साढ़े छः घंटे कब से रखेंगे? अगर आप आर्गूमेंट मानें तो पांच बजे से साढ़े छः घंटे रख दें।

श्री अध्यक्ष—

यह भी नहीं है कि 12 बजे से साढ़े छः बजे तक होगा।

चौधरी चरण सिंह—

मजे की बात यह है कि क्वेश्चन के बाद इसको लेते आज, जैसा पूरा दिन नाम-आफिशल-डे जाना था। सोचिए ना इस बात को? आप नाराज तो हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप जैसे आए, वैसे अधीर हो रहे हैं। जितना समय इस प्रकरण में निकला, इस आध घंटे में तीन बिल कल पास हो गए थे। यह जल्दी करने की बात है। आपको भी चाहते हैं कि समय मिले। इसमें एतराज नहीं होगा।

चौधरी चरण सिंह--

यों, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। अध्यक्ष हैं, जो चाहें फैसला कर दें। लेकिन आज जो पोजीशन है, उसमें बहुत बैलेंस करके चलना है। खाली बैलेंस करने नहीं, आपको 51 परसेन्ट स्केल अपोजीशन की ओर रखना है। आपने उसको रखा था सारे दिन के लिए। आपने कहा कि अगर मैं इतना समय लेता तो उतनी देर में यह सब कार्य समाप्त हो जाता। आप साढ़े 12 बजे से रख दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

साढ़े 12 तो हो रहा है।

चौधरी चरण सिंह--

आप मुझे कोई समय दे दीजिए कि इतने बजे से चलेगा।

श्री अध्यक्ष--

सदन 9 बजे रात तक बैठना चाहे या 12 बजे तक बैठना चाहे, तो बैठे। अगर वह बहस चलाना चाहते हैं तो उन्हें 12 बजे तक बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं सभी काम पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने स्वयं चिट्ठी में लिखा दिया है कि मैं नियम आदि की बात नहीं जानता जिस तरह से भी हो आपको समय चाहिए। अब मैं आगे चलता हूं।

चौधरी चरण सिंह--

मैं यह अर्ज करता हूं कि आप नाराज न हों।

श्री अध्यक्ष--

बोली तेज है। नाराजगी नहीं है।

चौधरी चरण सिंह--

नाराजगी से आपकी तन्दुरुस्ती खराब हो सकती है।

श्री अध्यक्ष--

आप जिसे नाराजगी समझते हैं, वह मेरी जबान की तेजी है। मैं नाराज तो होता ही नहीं।

चौधरी चरण सिंह--

आपने मेरी चिट्ठी का हवाला दिया। तो मेरा मतलब यह नहीं है कि रात के 6 बजे से आप समय दें। यह आपको कहां शोभा देता है ऐसा आर्गुमेन्ट करते हुये ? मैंने कहा था कि असरकारी दिवस के दिन ही समय दे दिया जाए। कौनसा अहसान था ? आपने सारा बिजनेस रख दिया। ठीक है, जो चाहें करें, लेकिन यह मेरे साथ अन्याय है।

श्री अध्यक्ष--

आप एक बहस के लिए आते हैं, तो मुश्किल पड़ती है। आप भी अगर उस दिन हाजिर होते तो बहस हो सकती थी।

चौधरी चरण सिंह--

वह तो अगर गवर्नमेंट चाहती, तो हो सकता था।

श्री अध्यक्ष--

हम साढ़े 6 घंटा देने के लिए तैयार हैं। आप आधा समय बांट लीजिए। मेरी दृष्टि विरोधी पक्ष की ओर रहती है। इसलिए जहां तक सम्भव होगा कोशिश करूंगा कि जो अनावश्यक चीजें हैं, उनको हटा दूंगा।

जिला शाहजहांपुर, तहसील तिलहर की ग्राम सभा बरी, प्रसिद्धपुर में 23 हरिजनों की भूमि पर खड़ी फसलों को उजाड़ कर उन्हें प्रताड़ित करना एवं गांव से निकाल देने के सम्बन्ध में जो वक्तव्य था, उसको स्थगित किया। कल के दिन यह फिर आएगा।

श्री अन्न पूर्णा आयल मिल, अलीगढ़ के मिल मालिक द्वारा एकाएक तालाबन्दी कर देने से मजदूरों में असन्तोष व अशान्ति के सम्बन्ध में श्री भीखालाल द्वारा दी गई सूचना पर श्रम मन्त्री का वक्तव्य होना था। माननीय भीखा लाल जी, इसको भी हटा दिया है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

हैं ? मैं तो उपस्थित हूं। कार्यसूची 9 पर वक्तव्य दिलवाइए।

अध्यक्ष—

इसकी आप कापी ले लें और जो उपयुक्त प्रश्न हों, उनको लिखकर मेरे पास भेज दें। मैं सरकार से जवाब दिलवा दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जब मैं मौजूद हूं तो यह कैसे हो सकता है ? इस पर आप वक्तव्य दिलवाइए।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको अस्वीकार या खत्म कर सकता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, नहीं, मैं किसी को व्यवस्था के प्रश्न को उठाने की आज्ञा नहीं देता क्योंकि आप व्यवस्था के प्रश्न में समय .....

(व्यवधान)

यह मामला केवल वक्तव्य के लिए निर्धारित है। आपको अभी तक मन्त्री जी के वक्तव्य की प्रति नहीं मिली है, जब आपको मिल जायगी, तब लिया जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, मन्त्री जी के वक्तव्य की प्रति अभी तक मुझे भी नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष—

यही तो मैंने कहा है। आप उनके वक्तव्य की एक प्रति ले लीजिए। सरकार की ओर से आपको कापी नहीं मिली है तो यह खुद एक कारण है और मैं इसको हटाता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

तो इसे आप कब लेंगे ताकि मन्त्री जी अपना वक्तव्य दे सकें ?

श्री अध्यक्ष—

30 नवम्बर और पहली दिसम्बर को हम संविधान संशोधन वाला मामला ले रहे हैं। उन दिनों में इस पर वक्तव्य दिला देंगे। अभी आपको मन्त्री जी के वक्तव्य की प्रति नहीं मिली है। इसी बीच में आप ले लें और अतिरिक्त प्रश्नों की भी जानकारी हासिल कर लें। मैं आपको पूरी सुविधा दूंगा।

इसी प्रकार से माननीय भीखालाल जी वाला जो सवाल है, उसको भी हटाता हूं, यह भी फिर किसी दिन लिया जायगा। हम जिस प्रकार से कार्यवाही चलाना चाहते हैं, उसमें भी कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) संशोधन विधेयक, 1976 एक धन विधेयक है। इसके लिए मुझे कहा गया था कि 12 बजे तक माननीय राज्यपाल की रिकमेन्डेशन आ जायगी, लेकिन अभी तक भी नहीं आई है। अत: इसको नहीं ले रहा हूं। इस समय स्थगित करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 की प्रतियां मुझे नहीं मिली हैं इसलिए मैं इसको हटाता हूं।

[श्री अध्यक्ष]

पेन्शन के सम्बन्ध में यह बिल आएगा लेकिन हो सकता है कि माननीय सस्दयों के हित में कुछ और कहना अभी अवशेष हो, तो यह 30 नवम्बर या जब हम बैठेंगे तब लिया जायगा।

श्री अम्मार रिजवी (शिक्षा मंत्री)—

मान्यवर, बिना कापी के आए भी हम पेश कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

(श्री त्रिवेनी के कुछ कहने पर) त्रिवेनी जी! आप तो सचेतक हैं, आप जानते होंगे कि नियम क्या हैं। मेरे पास अभी भी इसकी प्रति नहीं आई है।

श्री अम्मार रिजवी—

इसकी प्रतियां अभी नहीं बंटी हैं। थोड़ी देर में वितरित हो जायेंगी। आप इसे थोड़ी देर बाद ले लीजिए?

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

जब इसकी प्रति मेरे पास आ जाएगी तभी इसको पेश करने की इजाजत माननीय मन्त्री जी को दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, आप इस सदन के अध्यक्ष हैं। यह कार्यसूची आपके द्वारा छपवाई गयी है। तो क्या सदन में इस कार्यसूची का मखौल उड़ाया जा सकता है जबकि आप यहां पर उपस्थित हैं और क्या इस कार्यसूची की अवहेलना माननीय अध्यक्ष द्वारा हो सकती है? इस पर मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

कार्यसूची का प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर इसमें कहीं पर भ्रम हो या कहीं पर भ्रान्ति हो तो उसका निवारण हो सकता है। कार्यसूची में वही अंश छापा जाता है जिसको मेरी अनुमति से रखा जाता है। इस कार्यसूची में अनन्तिम रूप से भी कार्यसूची जुड़ी है। इसलिए अध्यक्ष को नियमानुसार यह अधिकार प्राप्त है। आपको कोई बात अप्रिय लगती है तो आप तुरन्त खड़े हो जाते हैं। आप अपनी बुद्धि की क्षमता को जागृत करके खड़े हों, नियम जो आड़े आता है उसको देखते हुए नियम की, विधान की और सदन की गरिमा के रक्षार्थ काम करना पड़ता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय—

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दीजिए.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं आपकी बात मान रहा हूं लेकिन नियमों में ही है कि आप सदन की राय लिए बगैर उसको लागू नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष—

मैं स्थगित कर रहा हूं, तब्दील या समाप्त नहीं कर रहा हूं।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के कार्य-काल में वृद्धि का प्रस्ताव

*कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति विशेषाधिकार समिति की हैसियत से प्रस्ताव करता हूं कि —

चूंकि श्री भगवती सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री कुंवर बहादुर मिश्र, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध शिकायत तथा श्री काशीनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री हरिकेवल, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध शिकायत से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को 26 जुलाई, 1974 को निर्दिष्ट हुआ था ;

और चूंकि श्री दीपनारायण पांडेय एवं श्री काशीनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध सदन का अवमान एवं विशेषाधिकार की अवेहलना का प्रश्न 25 मार्च, 1975 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था ;

और श्री काशीनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री डी0 पी0 वरुण, तत्कालीन सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 15 अप्रैल, 1975 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था ;

और चूंकि सदन के 28 अप्रैल, 1975 के निश्चयानुसार उपर्युक्त प्रश्नों पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय 28 जुलाई, 1975 तक के लिए बढ़ा दिया गया था और चूंकि समिति उपर्युक्त प्रश्नों पर उक्त समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकने में समर्थ न हो सकी ;

और चूंकि सदन के 28 जुलाई, 1975 के निश्चयानुसार उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 17 मई, 1976 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, और समिति उपर्युक्त प्रश्नों पर उक्त समय के भीतर भी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकने में समर्थ न हो सकी ;

और चूंकि सदन के 12 मई, 1976 के निश्चयानुसार उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया था, तथा यह स्पष्ट हो गया है कि समिति इस बढ़े हुए समय के भीतर भी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेगी ;

अत: सदन यह निश्चय करता है कि विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान के उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि चूंकि श्री भगवती सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री कुंवर बहादुर मिश्र, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध शिकायत तथा श्री काशीनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री हरिकेवल, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध शिकायत से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को 26 जुलाई, 1974 को निर्दिष्ट हुआ था ;

और चूंकि श्री दीपनारायण पांडेय एवं श्री काशीनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध सदन का अवमान एवं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 25 मार्च, 1975 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था ;

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

और श्री काशीनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री डी0 पी0 वरुण, तत्कालीन सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 15 अप्रैल, 1975 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था ;

और चूंकि सदन के 28 अप्रैल, 1975 के निश्चयानुसार उपर्युक्त प्रश्नों पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय 28 जुलाई, 1975 तक के लिए बढ़ा दिया गया था और चूंकि समिति उपर्युक्त प्रश्नों पर उक्त समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकने में समर्थ न हो सकी ;

और चूंकि सदन के 28 जुलाई, 1975 के निश्चयानुसार उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 17 मई, 1976 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, और समिति उपर्युक्त प्रश्नों पर उक्त समय के भीतर भी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकने में समर्थ न हो सकी ;

और चूंकि सदन के 12 मई, 1976 के निश्चयानुसार उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया था, तथा यह स्पष्ट हो गया है कि समिति इस बढ़े हुए समय के भीतर भी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेगी ;

अत : यह सदन यह निश्चय करता है कि विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान के उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 †

*श्रम मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976, जो इस सदन में पारित हो चुका था, विधान परिषद् में उसमें एक बहुत ही मामूली संशोधन किया गया है। इसलिए दोबारा इस सदन में लाना पड़ा। वह संशोधन इस प्रकार से है —

खंड संख्या 2 के उप खंड (1) की प्रथम पंक्ति में शब्द "सिर" और "पर" के बीच में शब्द "या कूल्हे" बढ़ा दिए जायें। यानी उपखंड (1) इस प्रकार हो जायगा, "कोई व्यक्ति अपने सिर या कूल्हे पर किसी पात्र में न तो मैला ढोएगा, न तो मैला ढोने के लिए रखा जायगा और न उससे इस प्रकार मैला ढोने की अपेक्षा की जायगी। तो "या कूल्हे" अब बढ़ाया गया है और बाकी सारी चीजें उसी प्रकार हैं। अत : मैं प्रस्ताव करती हूं कि माननीय सदन इस बिल की भावना को समझते हुए इस पर विचार करने की अनुमति दे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 में विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†9 नवम्बर, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड संख्या 2 के उपखंड (1) की प्रथम पंक्ति म शब्द "सिर" और "पर" के बीच में शब्द "या कूल्हे" बढ़ा दिए जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 में विधान परिषद् द्वारा किए गए सशोधन से सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 में विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

चूंकि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 आया नहीं है, इसलिए नहीं लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1976†

मुख्य मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, 4, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1976

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) यह 1 मई, 1976 से प्रवृत्त समझा जायगा।

---

†9 नवम्बर 1976 की कार्यवा में छपा है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1961 में नयी धारा 9-क का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम, 1961; जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

कुछ मामलों में अस्थायी व्यवस्था

"9-क—जब प्रमुख, अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो और उप-प्रमुख के पद रिक्त हों या जब उप-प्रमुख; यदि कोई हो, जो प्रमुख के पद की रिक्त के दौरान धारा 83 के अधीन कार्य कर रहा है, अपने कृत्यों का निर्वाह, अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से करने में असमर्थ हो, तब जिस दिनांक तक कि, यथास्थिति, प्रमुख अथवा उप-प्रमुख अपने कर्त्तव्यों को फिर से संभाले, उस दिनांक तक जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा प्रमुख के कृत्यों का निर्वाह करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकता है, जिसे वह ठीक समझे।"

नयी धारा 21-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

कुछ मामलों में अस्थायी व्यवस्था

"21-क—जब अध्यक्ष, अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो, और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष के पद की रिक्त के दौरान धारा 60 के अधीन कार्य कर रहा है, अपने कृत्यों का निर्वाह अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से करने में असमर्थ हो, तब जिस दिनांक तक कि, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अपने कर्त्तव्यों को फिर से संभाले, उस दिनांक तक राज्य सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वाह करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकती है, जिसे वह ठीक समझे।"

निरसन तथा अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20; 1976

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्सम उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं, श्रीमन्, प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में चर्चा

श्री अध्यक्ष--

आइटम 23 और 24 भी नहीं लिया जाएगा। अब आइटम 25 परिवार नियोजन पर चर्चा शुरू होगी। माननीय चौधरी साहब 1 बजे से चाहते थे, यह उसके पहले ही आ गया। अगर अध्यक्ष के प्रति श्रद्धा और विश्वास हो तो काम आसानी से हो सकता है। कौन चर्चा आरम्भ करेगा?

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

प्रभु नारायण सिंह जी को करने दीजिए।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

वह हैं नहीं, मैं शुरू करूंगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

वक्तव्य की कापी हमें भी मिल जाए।

श्री अध्यक्ष--

जिन माननीय सदस्यों को वक्तव्य की कापी नहीं मिली है, उनको बंटवा दी जाय।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)--

सबके पिजन होल में हैं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष --

इस सूचना के लिए माननीय काशी नाथ जी को धन्यवाद।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, सर्वप्रथम तो मैं नेता विरोधी दल और अन्य सभी विरोधी दल के सम्मानित सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन में स्वयं आने का निर्णय लिया और इस प्रकार जो प्रजातान्त्रिक परिपाटी है, उसके अनुसार उन्होंने परिपाटी को पुनः निभाया। मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष का सदन में उपस्थित रहना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रजातान्त्रिक पद्धति के अनुसार और इसलिए मैं उनके यहां आने का हृदय से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जो भविष्य के विवाद हैं, उनमें भी भाग लेते रहेंगे। हम सब चाहते हैं कि विरोधी पक्ष भाग लेता रहे और कोई ऐसा अवसर न पैदा हो कि विरोधी पक्ष उसमें शोभा न बढ़ाए। इस सम्बन्ध में जो माननीय नेता विरोधी दल ने जो इतनी रुचि दिखाई है वह स्वाभाविक है, इसलिए कि सर्वप्रथम उन्होंने ही इस प्रदेश का ध्यान, इस प्रदेश के शासन का ध्यान और जनता का ध्यान, न केवल एक मन्त्री के रूप में, बल्कि इस प्रदेश के और देश के नागरिक और विचारक होने के नाते भी सर्वप्रथम आकर्षित किया था। श्रीमन्, नेता विरोधी दल जब इस पक्ष में शोभा बढ़ाते थे, इस पक्ष को सौभाग्य प्राप्त रहा है कि लगभग 16 वर्ष वह निरन्तर शासन में रहे हैं और यहां नीतियों का निरूपण किया तथा नीतियों का निरूपण करते हुए उन्हें बहुत सा विचार करने का, अध्ययन करने का मौका मिला। उनकी खेती के बारे में सेवायें मान्य हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी "ज्वाइन्ट फार्मिंग एक्सरेड"। उन्होंने उस पर विचार व्यक्त किए। यह 1959 में उन्होंने पहली पुस्तक लिखी। 1963 में उसका दूसरा एडिशन निकाला कि "पावरटी आफ इंडिया एन्ड इट्स सलूशन"। उसमें उन्होंने लिखा है कि गरीबी क्या है और उसका सलूशन क्या है। मैं समझता हूं कि इस पुस्तक के आखिरी जो दो अध्याय हैं, उसमें पुस्तक का निचोड़ है। यह प्रश्न क्योंकि परिवार नियोजन का है कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है और यह ऐसा सवाल है जनसंख्या नियन्त्रण का, यह पार्टी या व्यक्तिगत दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि राजनैतिक कार्यक्रम से ऊपर एक साधारण विश्वव्यापी जो समस्या है. और हमारी गरीबी को दूर करने के लिए उन्होंने जो दो अध्याय लिखा है, जो पढ़ना-लिखना जानता है, उसे इन्हें

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अवश्य पढ़ना चाहिए। जो पापुलेशन कन्ट्रोल पर उन्होंने लिखा है, उस पुस्तक के उस अध्याय में, उन्होंने मैं समझता हूं, मेरे पास वह पुस्तक उपलब्ध नहीं है.....

चौधरी चरण सिंह—

मैं मंगा रहा हूं, आपके लिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरे पास भेजवा दें, मैं देख लूंगा। इसमें उन्होंने इतनी अच्छी तरह से लिखा है कि सन् 21 को वाटरशेड बताया है अगर मुझे सही याद है तो भारत की जनसंख्या सन् 1870 से 1921 तक 1.4 प्रतिशत बढ़ी। अगर कुछ गलत हो तो उसे आप दुरुस्त कर देंगे। लेकिन सन् 1921 के बाद भारत की जन संख्या सन् 1921 से 1961 तक, इन 40 वर्षों में 14.2 प्रतिशत बढ़ीं। तो माननीय नेता विरोधी दल ने एक विचारक के नाते यह स्पष्ट किया है कि 1921 के पहले केवल 1.4 प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी और उसके बाद जो पापुलेशन बढ़ा वह 14.2 प्रतिशत रहा। अपनी पुस्तक उन्होंने स्वयं ही कृपा करके भेज दी है, उसके पृष्ठ 473 पर है—

"The year 1921 may be taken to be a water-shed, or, as, the census Commissioner for 1951 aptly put it, the great Divide in the recent demographic history of the countary."

यानी देश का जो संख्यांकित इतिहास है, उसमें इसको एक महान बांटने वाला स्थल कह सकते हैं। सेन्शस कमिश्नर ने भी कहा है —

"If the average rates of the period, 1891—1920 are considered, India's population grew at the mean rate of 1.8 per cent per decade, while from 1921 to 1960 it grew at the mean rate of 14.0 per cent per decade."

यानी उसके पहले 1.8 प्रतिशत प्रति 10 साल बढ़ा और सन् 1921 से 1961 तक 14.2 प्रतिशत बढ़ा। आगे चल कर उन्होंने बतलाया है कि इसके तीन मुख्य कारण हैं। सभी इस बात से सहमत होंगे कि पहले चोरी, डकैती बहुत होती थी। आपसी लड़ाइयां होती थीं, अकाल पड़ते थे, बीमारियां होती थीं, जिनकी वजह से लोग मरते रहते थे। इसलिए जन्म और मृत्यु की दर करीब-करीब समान रहती थी और पापुलेशन ग्रोथ नहीं होता था। लेकिन अब शासन द्वारा ठीक प्रबन्ध हो जाने से चोरी, डकैती तथा कत्ल की संख्या कम हो गयी और शासन के सतर्क हो जाने से जो पहले आपसी लड़ाई-झगड़े तथा गृह-युद्ध होते रहते थे, वे भी बन्द हो गए, इसलिए भी मृत्यु दर कम हुई। पहले जहां बड़े-बड़े अकाल पड़ते थे, अब ट्रान्सपोर्टेशन का इन्तजाम हो जाने से, रेलवे यातायात का इन्तजाम हो जाने से, हर जगह सारे सामान जल्दी पहुंच जाने की वजह से, अब अकाल भी समाप्त हो गये। यह सर्वमान्य है कि अकाल कम हुए। फिर जहां पहले तरह-तरह की बीमारियां फैलती थीं, जैसे बंगाल में प्लेग की बीमारी हुई थी, वह भी बन्द हो गयी। नतीजा यह हुआ कि एकदम से बर्थ रेट बढ़ना शुरू हो गया। अब आगे चल कर हम यह देखते हैं कि उन्होंने उल्लेख किया है कि हमारे सामने गरीबी को कम करने का कोई उपाय नहीं है। जब तक कि हम अपने परिवार नियोजन के सिद्धान्त को न अपनावें, तब तक हमारी गरीबी कम नहीं हो सकती। अपने इन्ट्रोडक्टरी रिमार्क में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं, उसमें उनसे छोटा होने के नाते और विद्यार्थी होने के नाते भी, और जो हमारा आदरणीय सदन है वह भी इससे सहमत है, पहले भी रहा है। उन्होंने जो उल्लेख किया है उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं। इन्ट्रोडक्टरी प्रिफेस में है :—

"Arguments advanced in these pages may be derided and even attacked as unpatriotic in the present intellectual and political climate of India. But the logical validity of an argument does not depend

either on its popularity in intellectual circles, or on its political acceptability."

यानी देश के वर्तमान राजनैतिक वातावरण में जो कारण उन्होंने अपनी पुस्तक में दिए हैं, जो तर्क दिए हैं, वे देश हित में हैं लेकिन कुछ लोग उसको विरोधी भी कह सकते हैं। आक्रमण कर सकते हैं, उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं, देश के बौद्धिक और राजनीतिक वातावरण में, लेकिन तर्क इस पर मुनहसर नहीं करता है कि बौद्धिक सर्किल में या राजनीतिक सर्किल में वह कितना स्वीकार्य है। परिवार नियोजन का वेदान्त और उसके सिद्धान्त का जिक्र उन्होंने बड़ी अच्छी भाषा में किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा है :—

"India's huge population is an impediment to economic development or industrialisation—a definite liability, not an asset."

भारत की बढ़ती हुयी जनसंख्या रूकावट है, औद्योगीकरण में और आर्थिक विकास में। यह एक लायबिलिटी है, ऐसेट नहीं है। बोझ है, पूंजी नहीं है। तो इस प्रकार के कई कोटेशन उन्होंने दिए हैं। समय कम है नहीं तो मैं उनका उल्लेख करता और माननीय नेता विरोधी दल को सुनने के लिए हम सब बहुत इच्छुक हैं। तो जो दलीलें उन्होंने दी हैं, उससे ज्यादा अच्छी दलीलें नहीं हो सकतीं। आगे चल कर उन्होंने यह बताया है कि क्या करना चाहिए, क्या तरीके हो सकते हैं, उन पर उन्होंने विचार किया है। वह कितनी दूर तक गए हैं, यह देखने की बात है। उन्होंने जो रिसर्च की है, हम सबको करनी चाहिए। क्वीन विक्टोरिया ने ल्यूपोल्ड को जब पहला बच्चा हुआ तो जो चिट्ठी लिखी उसका भी उल्लेख इस पुस्तक में उन्होंने कहीं किया है। इसमें दिया हुआ कि महिलाओं को कितनी परेशानियां होती हैं ज्यादा बच्चे होने से। उन्होंने कहा कि काश महिलाओं की पीड़ा को पुरुष जान सकता। इसका भी मर्मस्पर्शी चित्रण माननीय नेता विरोधी दल ने, जो उस समय कृषि मन्त्री थे, उल्लेख किया है। फिर उन्होंने कहा है कि कैसे बर्थ कन्ट्रोल किया जाय। तो उसमें कहा कि ब्रह्मचर्य भी रखना बड़ा मुश्किल है। साधारण इन्सानों के लिए यह बड़ा मुश्किल है। फिर दूसरे तरीके जो हैं बर्थ कन्ट्रोल के, परिवार नियोजन के, उसका जिक्र वह करते हैं। उन्होंने जिक्र किया है कि जो हमारे तरीके हैं, तरीकों के नाम उन्होंने बताए हैं, वह ज्यादा कारगर नहीं है और क्यों नहीं हैं, उसका एक कोटेशन उन्होंने दिया है :—

'The difficulty is that very little medical and biological research has been extended on improving contraceptive methods and the existing techniques—the use of douches, jellies and pessaries, which represent the latest development up to this time—are not very well suited to the Indian population.'

जो इस समय डूश, जेली आदि दूसरे तरीके अपनाए गए हैं वह भारतीय परिस्थितियों पर लागू नहीं होते। उन्होंने कहा है :—

'The peasants of India are too poor to purchase such devices, not able to understand them, probably would be repelled by the idea, are not carefull or responsible enough to use them regularly and effectively, and do not understand the vast issues involved.'

भारतीय किसान बहुत गरीब है। इन वस्तुओं को खरीद नहीं सकता या उनको समझ नहीं पाता या इस प्रकार के उपायों से घबराहट उसे होती है। वह पूछता नहीं है या वह सावधान नहीं है या इनका प्रयोग करने में लापरवाही करता है या इसकी क्या जरूरत है, समझ नहीं पाता। यानी ब्रह्मचर्य मुश्किल है जो मशीनी डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस हैं, वह मुश्किल हैं। तो तरीका क्या है ? उन्होंने कहा है :—

'Sterlisation of either spouse is a sure method.'

नसबन्दी कहा है। नाम जरूर गलत है, लेकिन इससे बधिया कोई नहीं होता। इसके बारे में

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

उन्होंने कहा है कि यह श्योर मेथड है। उन्होंने कहा है :—

'The operation on the women—salpingectomy can be performed at any time and does not ordinarily require a long period of hospitalisation.'

उन्होंने बताया है कि महिलाओं को साल्पनेकटोमी जिसको आजकल ट्यूबेक्टामी कहते हैं यह कभी किया जा सकता है। लेकिन होता यह है कि महिलाओं की डिलवरी के समय किया जाता है। अब मर्दों के लिए यह लिखा है :—

'Owing to the simplicity of the operation on the males, however, they are the ones who, in most cases, should be sterilised.'

लेकिन चूंकि मर्दों का साधारण है, इसलिए अधिकांश मामलों में यह होना चाहिए। अब इस पर आगे चलकर बताया गया है —

'The severity of vasectomy, or the Steinach operation as also it is called, is no greater than a tooth extraction, and no more dangerous. A man who had an operation in the morning could go back to work in the afternoon.'

तो वेसेकटामी एक दांत निकालने के आपरेशन से बड़ा नहीं होता है। जो व्यक्ति इस आपरेशन को सुबह कराए तो वह शाम को जा सकता है। आम जनता में कहा जाता है कि इससे मनुष्य कमजोर होता है तो यह गलत कहा जाता है। ऐसी बात नहीं है। इस पर इसमें यह लिखा है —

'Thus, there is no disabling effect on the general health, either,

अब मैं बाकी को छोड़ देता हूं। इस प्रकार यह स्टरलाइजेशन का एक मान्य तरीका है, जिसका विश्लेषण एक विद्वान के तरीके से, जो कि वह है भी, उन्होंने इसका पोषण किया।

श्री अध्यक्ष—

चौधरी साहब ने यह पुस्तक आपके (मुख्य मन्त्री) पास पहुंचवा दिया है। आप (मुख्य मन्त्री) उसको मेरे पास भी पहुंचा दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पहुंचवा दूंगा।

तो श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि स्टरलाइजेशन के समर्थन में जो तर्क माननीय नेता विरोधी दल ने 1963 में दिए हैं वह मैं समझता हूं कि अकाट्य हैं। यह विवाद का प्रश्न नहीं होना चाहिए। स्टरलाइजेशन सबसे अच्छा मेथड है। यह प्रश्न तो बाद में शासन के सामने आया। इसलिए यह श्रेय तो नेता विरोधी दल को जाता है। जब वह इस पद (मुख्य मन्त्री के पद) को 1967 में सुशोभित करते थे। जब संविद सरकार आयी तब इस पर विचार शुरू किया। परिवार नियोजन जो हमारे यहां बहुत ढीला था, उस पर पहली योजना में 50 हजार, दूसरी योजना में 17 लाख, तीसरी योजना में कुछ क्लीनिक वगैरा खोले गए जिनकी संख्या देहाती क्षेत्र में 870 और 75 शहरी क्षेत्र में थीं। 1967 में जब संविद सरकार आयी तो इन्होंने बिल्कुल ठीक काम किया जिसका कि नोट है और समाचार-पत्रों में आ चुका है। पहली बात यह आयी कि परिवार नियोजन के बारे में प्रचार इतना हो रहा है लेकिन प्रचार से प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आंकड़े दिए गए हैं कि इतने बड़े सूबे में चन्द हजार स्टरलाइजेशन हुए जो कि बहुत कम हैं। इसलिए यह विचार हुआ कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है तो क्या किया जाय? तब यह सवाल आया कि कुछ इन्सेन्टिव और कुछ डिसइन्सेन्टिव दिए जायं। तब संविद सरकार का यह निर्णय हुआ कि पहले तो सरकारी कर्मचारियों से शुरू किया जाय और इन्सेन्टिव और डिस-इन्सेन्टिव दिए जायं। बिल्कुल ठीक निर्णय हुआ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, ने एक बात तो मान ली ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

राजनीति के ऊपर नहीं। परिवार नियोजन राजनीति का प्रश्न नहीं है । कोई गवर्नमेंट हो, कोई मुख्य मन्त्री हो उसे इसको करना ही है ।

तो उस समय चौधरी चरण सिंह जी की हुकूमत ने एक यह सही स्टेप लिया और फिर यह आदेश दिए गये पहली बार और यह बात महत्व रखती है। आज हमने जो सारे प्रदेश में इनसेन्टिव–डिसइन्सेन्टिव लागू किए हैं, यह वही हैं ।

फरवरी, 1968 में बिल्कुल ठीक निर्णय लिया गया कि देहाती में भी किसानों को प्रेरित करने के लिए नागरिकों को प्रेरित करने के लिए, अस्पतालों में जो बीमार हैं उनके लिए इन्सेन्टिव लागू किए जायं। यह सन् 1968 का निर्णय था जिसका अप्रैल में जी0 ओ0 निकला। वह लागू ठीक से नहीं हो रहा था क्योंकि उसके बाद गवर्नर शासन हो गया और शासन में फेर बदल हुआ।

तो हमने उसी कार्यक्रम को पापुलेशन कन्ट्रोल के नाते परिवार नियन्त्रण करने के नाते, इसी सद्भावना के साथ, तेज करने का प्रयास किया और मैं इसमें आर्शीवाद चाहूंगा नेता विरोधी दल तथा दूसरे दलों का, कि जो नीति उन्होंने निर्धारित की, जो आदेश उन्होंने प्रसारित किए हम जैसे लोग उसे चलाने का प्रयास करें। (तालियां)

अब श्रीमन, यह काम कितना मुश्किल है? लोगों को भ्रम होता है। लोग परिवार नियोजन के महत्व को नहीं समझते। अभी मैंने कोटेशन दिया कि स्टेरलाइजेशन में दांत निकलवाने के बराबर भी तकलीफ नहीं होती। मैं नहीं कहता कि इसकी वजह से दुःखपूर्ण घटनायें नहीं हुई हैं। मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर में दो घटनायें ऐसी हुई हैं और भी घटनायें हुई और इनसे सबसे ज्यादा तकलीफ, मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं और नेता, विरोधी दल को भी नम्रता पूर्वक विश्वास दिलाना चाहता हूं, कि जितनी तकलीफ उनको हुई है उससे शायद थोड़ा कम हमको भी हुई होगी।

जब यह परिवार नियोजन इन्सेन्टिव–डिसइन्सेन्टिव लागू किए गए, 1968 के आर्डर के मुताबिक, तो उसका विरोध शुरू हो गया। बहुत से लोगों का नाम नेता विरोधी दल जानते हैं; सम्मानित सदस्य जानते हैं। यह कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है और न ही नाराजी का प्रश्न है। जब यह प्रोग्राम लागू किया गया, कुछ भाईयों ने प्रचार शुरू किया स्टरलाइजेशन को इतना बड़ा भूत बना दिया कि इस प्रोग्राम के कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारियों को इलिजिबल कपुल की लिस्ट बनाने में जिनके तीन बच्चे हों या तीन से ज्यादा हों उनकी लिस्ट बनानी मुश्किल हो गयी। विरोध शुरू हो गया और यह प्रचार कर दिया गया कि नसबन्दी और गोवध एक समान। कहां गोवध और कहां नसबन्दी, कहां दांत के बराबर दर्द और कहां गोवध। लेकिन शर्म की बात है कि भोले-भाले निरक्षर लोगों के बीच जो गाय को मानते हैं यह प्रचार किया गया कि नसबन्दी और गोवध एक समान है और फिर उनसे यह कहा गया कि लड़ो, नसबन्दी के खिलाफ लड़ो, यह भी कहा कि यह धर्म के खिलाफ है। नसबन्दी बालबध है। पर्चे छापे गए, बांटे गए कि नसबन्दी और गोवध एक समान। नसबन्दी बालबध है। यह सरकार बालबध करा रही है। नेता विरोधी दल इनको देख सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि जनता इनके खिलाफ हो गयी और जो टीमें गांवों आदि में जाती थीं उनको मारा जाने लगा, चाहे वह टीमें चेचक का टीका लगाने के लिए या बी0 सी0 जी0 का टीका लगाने के लिए ही क्यों न गयी हों। परन्तु प्रचार यह किया गया कि यह नसबन्दी करने आ रहे हैं। इससे कर्मचारियों पर हमले होने लगे। बस्ती में 3 जानें गयीं, वे सर्वे के लिए गए हुए थे, लेकिन जानें चली गयीं।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

अब दूसरी बात लीजिए। अभी हाल में ही मौलाना तैयब जी ने आल इण्डिया रेडियो को दिए गए एक वक्तव्य में कहा कि कहीं पर भी इस्लाम परिवार नियोजन के विरोध में नहीं कहता। पाजिटिव आस्पेक्ट को देखना चाहिए। निगेटिव आस्पेक्ट को देखा गया और उसका बड़ा भारी असर पड़ा। आज तमाम जनता चाहे वह किसी भी धर्म की हो उनसे कह दिया गया कि अगर वह नसबन्दी के खिलाफ लड़ेंगे तो शहीद हो जायेंगे। नतीजा यह है कि भोले-भाले लोग शहीद होने के फेर में पड़ गए। हमारे आदेश थे कहीं जबरदस्ती न की जाय, कहीं पर पुलिस की सहायता न ली जाय। मैं मुजफ्फरनगर के मामले में नहीं जाता वहां इनक्वायरी हो रही है। बोर्ड आफ रेवेन्यू के एक सीनियर मेम्बर वहां गए हुए हैं। तो मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। सही आंकड़े वह देंगे। लेकिन यह भी हो सकता है, मैं किसी आफिसर को डिफेंड करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। अगर किसी आफिसर ने गलत किया है, चाहे वह डी0 एम0 हो या एस0 पी0, कमेटी रिपोर्ट में आ जायगा तो उसको दन्ड दिया जायगा। यह स्थिति जो पैदा हो गयी है, उसके पीछे भोले-भाले लोगों के दिमाग में धार्मिक चीजें भरी गयी हैं और उसी की वजह से यह कान्फ्रन्टेशन (Confrontration) की स्थिति पैदा हो गयी है। तो अब मैं तो मार्गदर्शन चाहूंगा नेता विरोधी दल का कि हम क्या करें ऐसे में? एक यह भी तरीका है कि हम फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम को बन्द कर दें क्योंकि इन्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि 2-4 जबरदस्ती की शिकायतें भी आयीं। लेकिन इतने बड़े सूबे में केवल 5 महीने में 5,68,000 नसबन्दी हुई, इसके लिये भी मैं जनता का और बहुत से विरोधी दल के लोगों का जिन्होंने इसमें सहयोग दिया, को धन्यवाद देता हूं। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसमें सहयोग दिया। भारतीय लोक पक्ष ने भी दिया, मैं उनको भी बधाई देता हूं। कांग्रेस के सदस्यों ने तो खुद उदाहरण दिए हैं मैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन अब हम क्या करें क्या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बन्द कर दें, क्या ऐसे तत्वों के सामने हम आत्म-समर्पण कर दें जो नसबन्दी को गोवध बताते हैं, या बालवध बताते हैं या बताते हैं कि नमाज नहीं पढ़ सकते क्या आत्म समर्पण कर दें? जिस तरह की बातें कही गयीं, उससे यह अन्देशा था कहीं साम्प्रदायिक दंगा न हो जाय। जिन लोगों का कोई मतलब नहीं था उन्होंने उर्दू में परचे छपवाए ताकि झगड़ा हो जाय। हिन्दुओं से कहा गया केवल तुम्हारी नसबन्दी कराई जा रही है, दूसरे लोगों की नहीं। दूसरी तरफ मुसलमानों से कहा गया तुम्हारी नस्ल कशी की जा रही है।

हमारा जबरदस्ती करने का कोई इरादा नहीं था। अगर कहीं गलती हुई तो फौरन इंक्वायरी की गयी और कार्यवाही करने की कोशिश की गयी और की जाएगी। नेता विरोधी दल जो भी सूची देंगे मैं हर एक की जांच कराऊंगा नेता विरोधी दल चौधरी चरण सिंह अच्छे विचारक भी हैं इस देश के। वह कहेंगे तो इंक्वायरी की जायेगी। कहीं किसी ने टार्गेट पूरा करने के जोश में गलती कर दी हो तो मैं सरकार की ओर से खेद प्रकाश करता हूं। हमारा कोई इरादा जबरदस्ती करने का नहीं था, न है और न रहेगा। लेकिन जैसा इस किताब में कहा गया है अगर इसी रफ्तार से आबादी बढ़ती गयी तो 121 साल के बाद आबादी इतनी बढ़ जायगी जिससे हमारे देश में खड़े होने की गुन्जायश नहीं रह जाएगी। अब अगर यह कहा जाय कि नसबन्दी बाल वध है, नसबन्दी गोवध के समान है तो हमको आत्मसमर्पण करना होगा? नहीं। इसके लिये एजूकेशन बड़े पैमाने पर होनी चाहिये और हर पार्टी के कार्यकर्ता को बड़े पैमाने पर प्रचार में जुट जाना चाहिये। उनके खिलाफ जो अन्धाधुन्ध बातें करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। पुलिस के प्रयोग का तथा जबरदस्ती करने का सवाल नहीं उठता। यह बड़ा नाजुक प्रश्न है, बड़ा वैयक्तिक प्रश्न है। हर व्यक्ति को यह छूता है जिससे इतनी ज्यादा तेजी पैदा हो गयी। मैं जानता हूं कि चौधरी साहब ऊपर से सख्त हैं लेकिन अन्दर से कोमल हैं और आज उनके दिल में जरूर खुशी होगी कि उन्होंने जो आदेश दिया था उसका हमने पालन किया है। परिणामस्वरूप सारे देश में आज 50 लाख नसबन्दियां छः महीने के अन्दर हो गयीं और जिससे वर्थ रेट नीचे जाएगा। इस 6 महीने के अन्दर 50 लाख केस नसबन्दी के हुए, यह डा0 करण

सिंह ने अपने बयान में कहा। उन्होंने 47 लाख कहा था, 3 लाख उसके बाद हो गए होंगे। तो आधे करोड़ लोग. आपरेशन करा चुके हैं, चौधरी चरण सिंह के पद चिन्हों में चल चुके हैं। मैं समझता हूं कि नेता विरोधी दल के हृदय में कोमलता होगी। एक तरफ उन्हें अपना फर्ज भी अदा करना पड़ता है, आखिर विरोधी दल के नेता हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस मामले में जहां हमारी गलती है वे बतायें और उन्हें दुरुस्त कराने के लिए उपाय बतायें। मैं समझता हूं भविष्य के लिए अत्यन्त विनम्रतापूर्वक इस महान राष्ट्रीय कार्यक्रम में जिसके प्रणेता वह स्वयं हैं, इस काम में उनका दिल और दृष्टिकोण निर-राजनैतिक होगा। इस डिबेट से कोई ऐसा वातावरण नहीं बनेगा जिससे इस राष्ट्रीय पर्व में हानि हो और हिन्दू-मुस्लिम भावना पैदा हो, कोई साम्प्रदायिक भावना पैदा हो, जिससे परिवार नियोजन में कोई कमी आए। मुझे विश्वास है कि इस डिबेट से हमें बल ही मिलेगा। श्रीमन्, मेरा विचार था कि मैं आखिर में कुछ निवेदन करूंगा लेकिन मुझे पहले ही बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आभारी हूं। मैं अपने स्वास्थ्य मन्त्री जी का भी आभारी हूं कि अपने स्थान पर उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं नेता विरोधी दल का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस राष्ट्रीय विषय पर, जिसमें उन्होंने देश का नेतृत्व किया है, चर्चा का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जी स्वास्थ्य मन्त्री जी का वह बयान भी है, उसे भी आप रख रहें हैं?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

पढ़ा मान लिया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

उससे ज्यादा उन्होंने भाषण दे दिया है।

श्री अध्यक्ष—

वह ठीक है, लेकिन कार्यवाही का अंग बनाने के लिए उसे रखना तो पड़ेगा ही।

चौधरी चरण सिंह—

रखा मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

(स्वास्थ्य मन्त्री के वक्तव्य के लिए देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 970–974 पर।)

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जो स्थिति है, वह इतनी गम्भीर है, उसमें मैं समझता था माननीय मुख्य मन्त्री इस बयान पर जब बहस शुरू करेंगे तो बहुत संजीदगी से बोलेंगे। हम इस अवसर पर एक विवाद में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो गैर मामूली है और मैं उम्मीद करता था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन को मिसलीड या गुमराह करने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्होंने केवल दो बातें कही अपने इस 50 मिनट के व्याख्यान में। एक तो यह कि जो कुछ उनकी तरफ से हो रहा है उसमें मेरी सहमति है या मेरी भी राय थी कि इसी प्रकार परिवार नियोजन होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि इसको साम्प्रदायिक रूप देने की कोशिश की गई है जो कि नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा जो स्थिति की गम्भीरता है, उससे वह जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। लेकिन जनता उसको भुगत रही है। मैं बिना किसी खौफ तरदीद यह कहना चाहता हूं कि 13 अप्रैल, सन् 1921 को जालियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ, वैसा अंग्रेजों

[चौधरी चरण सिंह]

के जमाने में भी उसके बाद नहीं हुआ। जहां तक अपने जमाने का सवाल है उसका कोई प्रश्न नहीं उठता था। अमृतसर में एक मदान्ध मिलेट्री अफसर ने एक अहाते में घिरे हुए हजारों नर-नारियों पर एक मिलेट्री दस्ते द्वारा हजारों राउन्ड गोलिया चलवा दी थीं। इस कान्ड, के फलस्वरूप गवर्नमेंट आफ इंडिया यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लार्ड हन्टर की अध्यक्षता में एक कमीशन उसकी जांच के लिए बिठलाया था। उसने अपनी जांच के बाद रिपोर्ट दी थी कि उस कान्ड में 576 आदमी मारे गए और हजारों जख्मी हुए। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में जलियांवाला बाग कान्ड के बाद फिर कोई वैसा कान्ड नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो मुझे खुशी होगी यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी उस ओर मेरा ध्यान आकर्षित कर सकें। (व्यवधान)

कुछ स्वर—

ऐसा कालागढ़ और औराई में भी हुआ था।

चौधरी चरण सिंह—

अब मैं, अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछ लूं कि कालागढ़ में कितने आदमी मरे थे? इसे आप नहीं बता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मालूम पड़ता है कि दोस्तों ने तय किया है कि वह हमें सुनेंगे नहीं? जिस शान्ति से हमने मुख्य मन्त्री जी की बात सुनी है, मुझे आशा है कि वह मेरी बात भी उसी तरह सुनेंगे। औराई और कालागढ़ का कोई वास्ता इससे नहीं है। औराई का कोई सम्बन्ध इससे नहीं है और उस समय तो मैं मुख्य मन्त्री भी नहीं था।

खेलकूद मन्त्री (श्री लोकपति)—

औराई और कालागढ़ का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे ही जलियांवाला बाग का परिवार नियोजन से सम्बन्ध न बनाया जाए।

चौधरी चरण सिंह—

अच्छा, आप जिस वक्त तकरीर फरमाइएगा, उस वक्त कहिएगा। इस वक्त मुझे बोलने का हक है। जब तक कोई बहुत खास बात न हो, आप इन्टेरेप्ट न करें। जलियांवाला बाग में जान-बूझकर बड़े पैमाने पर हत्याएं की गयीं और यहां भी की गयीं, यही इन दोनों में समानता है, मेरा कहने का मतलब यह है। उस जलियांवाला कान्ड में बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए और मुजफ्फरनगर तथा सुल्तानपुर में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग हलाक हुए। वहां पर एक कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिठाल दिया किन्तु यहां पर आपने एक एक्जीक्यूटिव के सुपरसीडेड अफसर को जांच के लिए बिठा दिया है। वहां पर सैकड़ों आदमी नहीं तो 50 आदमी तो जरूर ही मारे गए उसकी तहकीकात के लिए, उसमें बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर को भेजते हैं। वह एक्जीक्यूटिव अफसर है और एक्जीक्यूटिव के ही खिलाफ शिकायत है कि 50 आदमी हलाक कर दिए गए हैं और सैकड़ों आदमी जख्मी हो गए हैं। अब तक का नियम यह रहा है कि कहीं दो-चार आदमी मारे जायं तो जूडिशियल इन्क्वायरी होती है। लोगों के जान की कीमत आपकी निगाह में कितनी है, यह इससे साफ होता है और कहने को आप चाहे जो कुछ कह दीजिए। आप हमसे फरमाते हैं कि आपको बड़ी खुशी है कि हम लोग इस विवाद में शरीक होने हाउस में आ गए हैं और चाहते हैं कि हम रोज आया करें। बड़ी वाजिब ख्वाहिश है। हम भी चाहते हैं कि आएं। लेकिन सवाल यह है कि जो परम्परायें किसी भी लेजिस्लेचर के सदन की रही हैं अर्थात् जो कुछ वहां कहा जाय वह अखबार में प्रकाशित हो। वह आप नहीं होने देते आपने सेंसर लगा रखा है। सेंसर कहां तक सख्त है वह इससे मालूम हो जायगा कि इतनी बड़ी घटनाएं हुईं सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर में, लेकिन एक लफ्ज अखबार में नही निकला। क्यों इसको आप कहते हैं डेमोक्रेसी है, जनतन्त्र है। यही नहीं, आप ही नहीं कहते हैं, आपके मिनिस्टर साहब जिस वक्त कांस्टीट्यूशन अमेन्डमेंट बिल पास हुआ है, जनता मोर्चे की तरफ के एच0 एम0 पटेल ने तीन सफे का बयान दिया।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

परिवार नियोजन पर बहस हो। सेंसर पर बाद में करा लीजिए, अगर जरूरत हो।

चौधरी चरण सिंह—

परिवार नियोजन से यों मिला रहा हूं, प्रेस सेंसरशिप को, क्योंकि एक लफ्ज भी नहीं निकला अखबार में, इतना बड़ा कांड हो गया परिवार नियोजन के सम्बन्ध में, एक शब्द नहीं निकला अखबार में। अगर इतना डाइरेक्ट कनेक्शन हो और समझ में न आए तो आपकी बुद्धि पर तरस खाता हूं। आप बड़े जोर से पूछ रहे हैं कि क्या वास्ता है। आज हर चीज का एक दूसरे से वास्ता है। ऐसी स्थिति आपकी लीडरशिप ने पैदा कर दी है। इस समय जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, उनमें से, आपमें से और इधर के अंग्रेजों के जमाने को जिन्होंने देखा है। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या कभी अंग्रेजों के जमाने में प्रेस की आजादी को इस प्रकार खत्म किया गया था? इतना बड़ा कांड हुआ और अखबार में एक शब्द भी न निकले। अभी, एक सर्वोदय का वर्कर जो 31 वर्ष से आश्रम में सेवा कर रहा था, उसने पत्र लिखा प्रधान मन्त्री को कि आप डिक्टेटर हो गये हैं। लिहाजा मैं अपने आप का इम्मोलेशन अर्थात् आत्मदाह करता हूं, उसने आत्मदाह कर लिया। एक लफ्ज अखबार में निकला? सुल्तानपुर में क्या हुआ? हमने सुना कि सुल्तानपुर में 2 सौ आदमी मरे। 147 लाशें मिलीं? गलत हो सकता है। 47 होंगी, 25 होंगी। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं, 25 आदमी मरे। इसका सवाल नहीं है। सवाल यह है इतना बड़ा कांड हो, अखबार में न छपे। सवाल ही न उठे कि कितनी बर्बरता और अत्याचार कहां हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक फेमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन की बात है, आपने मेरी किताब से उद्धरण दिए। वही मेरी राय है। फेमिली प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बहुत से तरीके गिनाये हैं। उसमें लिखा है कहीं कि फेमिली प्लानिंग कम्पलसरी होगी? मैंने तरीके गिनाए हैं। मसलन लेट मेरिज (बड़ी उम्र में शादी करना) सेल्फ रस्ट्रेंट (आत्म संयम) केमिकल और मैकेनिकल तरीके और महिला हो या पुरुष, दोनों का आपरेशन हो सकता है। यह अपने उनके कराने का काम है, न कि गवर्नमेंट का, जबर्दस्ती, जैसे रस्सी में बांध कर बछड़े को बधिया किया जाय, इस तरह से आप कर रहे हैं। सारा सवाल ही यह है। जो हमने आपको चिट्ठी लिखी है, उसमें हमने यही लिखा है। मेरी पुरानी राय है कि आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, नहीं बढ़नी चाहिए। मैं सिद्धान्तत: परिवार नियोजन के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि उसके पक्ष में हूं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह की जबरदस्ती होनी चाहिए। जिस वहशीपन का नृत्य हो रहा है क्या होना चाहिए? इसीलिए हमने विधान मण्डल में इस विषय को उठाने का निश्चय किया।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री पुराने विधायक हैं। उन्हें सदन में बोलने का बड़ा तजुर्बा है। लेकिन परिवार नियोजन के सम्बन्ध में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इसमें जबरदस्ती हो? उनको मालूम है कि मैंने जबरदस्ती करने के लिए अपनी किताब में नहीं लिखा है। फेमिली लिमिटेशन या बर्थ कन्ट्रोल के लिए जो तरीके अपनाये जा रहे हैं, वह बर्बरतापूर्ण है, वह बारबेरिज्जम है, जंगलीपन है। फेमिली लिमिटेशन हो या न हो यह तो बहस का विषय है लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हैं क्या यही तरीका है? जिस तरीके से आप इस काम को कर रहे हैं वह किसी भी सभ्य देश में नहीं हुआ है। 1919 के बाद अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा अत्याचार नहीं हुआ कभी। एक मर गया होगा, दो मर गए होंगे या दस मर गए होंगे लेकिन जिस तरह से आप करवा रहे हैं वह किसी भी देश में नहीं हुआ होगा। आपका उद्देश्य सही है लेकिन जिस तरीके की बर्बरता हो रही है, वह नहीं होनी चाहिए।

आप कहते हैं कि विरोधियों की ओर से साम्प्रदायिक नारे लगाए जा रहे हैं। परन्तु यह बिल्कुल गलत है, उल्टे आप हिन्दू को मुसलमान से और मुसलमान को हिन्दू से अलग

[चौधरी चरण सिंह]

करके अपने अपराध से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या गवर्नमेंट चलाने का यही तरीका है? जैसा मैंने अपनी किताब में लिखा है पहले लोगों में परिवार नियोजन की क्या जरूरत है यह बतलाना चाहिए था कि आबादी बढ़ते चले जाने से क्या हानि है, वगैरह-वगैरह। अगर इस तरह से आबादी बढ़ती रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि खड़े रहने को जगह नहीं रहेगी, अगर जनता को यह मालूम हो जाए तो वह उस पर विचार करेंगे जब अंग्रेज गये थे तो अपने देश की 34 करोड़ की आबादी थी। और आज वहां 60 करोड़ हो गयी है, इन 30 सालों में। जितने पशु थे वह अब दुगुने हो गए हैं। जमीन बढ़ी नहीं है। आखिर उत्पादन कहां से होगा और मुल्क किस तरह से तरक्की करेगा? अगर 5 बच्चे हो गए तो बच्चों के खाने, शिक्षा और रोजगार का क्या इन्तजाम होगा? कोई ज्यादा बच्चे नहीं चाहता है, लेकिन मनुष्य की कमजोरी है। नहीं ध्यान देता है। मैं समझता हूं कि आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं थी। जिस प्रकार से जानवर को बधिया किया जाता है वैसे ही आपने लोगों के साथ किया। दुनिया में जो किसी को रास्ता नहीं सूझा, वह आपने किया है और फिर उसको आप डिफेन्ड करते हैं।

2-3 महीने पहले की बात है, जब मैंने मेरिजएबिल एज को बढ़ाने की बात सुनी थी। वह तो बहुत पहले हो सकता था। जब मैं वर्ष 1957 में मिनिस्टर था तो मैंने जिला बस्ती डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग में बस्ती में कहा था कि इलेक्शन के अलावा हमें कुछ और भी करना है। तब मैंने दो सुझाव दिए थे, एक तो कम्पोस्ट बनवाने का और दूसरा था फेमिली प्लानिंग का। मैंने कहा था कि अगर कांग्रेसजन फेमिली प्लानिंग की आवश्यकता को लोगों को अच्छी तरह समझायें तो किसी को एतराज नहीं हो सकता है और इसको प्रचार करने में कोई पाप नहीं है। क्योंकि इसमें कहने वालों का कोई अपना निजी फायदा नहीं है। कुछ लोगों को एतराज तो होगा लेकिन अगर आप उनको समझायेंगे तो वे मान जायेंगे। दूसरे यह कि अपनी इच्छा पर निर्भर होगी कि कोई कराये या न कराए। अगर आप इस तरह का एटमास्फियर तैयार कर लेते तो, आपको पूरी सफलता मिलती। जो कुछ भी हो, किसी प्रकार की यह जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए थी। आपको चाहिए था कि एक कानून बनाते जिसके मातहत हर आदमी के पास एक नोटिस जाता कि हमको यह मालूम हुआ है कि तुम्हारी उम्र 50 साल से कम है या तुम्हारी पत्नी की आयु 45 वर्ष से कम है और तुम्हारे 3 बच्चे हैं और अमक तारीख को अमुक अस्पताल में जाकर आपरेशन करा लो। साथ ही यह कि अगर तुम्हे मंजूर न हो तो फलां अदालत में जाकर वजह बतलाओ। अगर वह यह साबित कर देता कि उसकी अभी हाल में शादी हुई है। या उसकी उम्र 40 वर्ष की हो चुकी है अथवा उसके केवल दो बच्चे हैं या उसकी धर्मपत्नी की आयु उस समय तक 45 वर्ष की हो चुकी है। तो इस प्रकार से उसको अपनी बात कहने का एक मौका मिलना चाहिए। कहीं दुनियां में ऐसा होता है कि एक्जीक्यूटिव ने आर्डर दिया और डाक्टरों ने उनको एक्जीक्यूट कर दिया? क्या कहीं पर दुनियां में यह तरीका अपनाया गया? नहीं अपनाया गया है। जनतन्त्र आप मानते होंगे लेकिन मैं तो आपको डैमोक्रेट नहीं मानता हूं। आपको नियम व कानून पर अमल करना चाहिए, जिसमें हर आदमी को अदालत में जाकर अपनी बात कहने का मौका दिया जाय। अगर उसकी बात गलत है तो अदालत हुक्म दे देगा कि वह आपरेशन कराए। इस पर भी नहीं कराता है तो भी आप उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि उसे पकड़ कर उसका औपरेशन कर दें। आपरेशन न करवाने पर अदालत उसे जुरमाने या कैद की सजा दे सकती है अथवा सीधा यह कानून बनाया जा सकता है कि जिसके 3 बच्चे हैं अगर वह उसके एक साल के बाद कोई बच्चा होता है तो उसको 3 माह की सजा होगी और अगर उसके बाद और बच्चा पैदा होता है तो 2 साल की सजा मिलेगी। डैमोक्रेसी का यही तरीका है। प्रत्येक व्यक्ति को अवसर दें कि वह जो उपाय चाहें, बर्तें, आप पहले जनता को समझाइए कि बर्थ कन्ट्रोल देश के हित में है। उसके बाद अगर उसकी समझ में नहीं आता है अर्थात् 3-4 साल

तक कोई नतीजा नहीं निलकता है तो फिर वह कानून लाइए जिसमें उनको सजा देने का प्राविधान हो।

श्रम मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—
इससे पापुलेशन तो घट नहीं सकती है ?

चौधरी चरण सिंह—
आप देखिए कि अगर आप ऐसा करें तो कितने आदमी अपना आपरेशन करा लेंगे। यह कहीं नहीं होता है कि जबरदस्ती पकड़ कर आप उसका आपरेशन करा दें। जनतन्त्र में किस प्रकार के कानून होते हैं उसका एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए डाक्टर राजेन्द्र कुमारी जी की कोई थियेटर कम्पनी है और वह किसी संगीतज्ञ से तय करती हैं कि अगर तुम हमारे यहां एक सप्ताह काम करोगे तो तुम्हें हम 1 हजार रुपए रोजाना देंगी लेकिन अगर वह व्यक्ति आपके यहां पर गाने के लिए नहीं आता है तो क्या आप उसको जबरदस्ती बलवायेंगी ? उससे आप जबरन नहीं गवा सकती हैं। होता यह है कि उसके गाने से जितनी आपकी हानि हुई है, उसकी आप नालिश करा सकती हैं। अगर आपकी 3 हजार रुपए की उसके गाने से इनकम होती तो आप उसके ऊपर 3 हजार रुपए का दावा कर सकती हैं।

तो अगर कोई आपके सजेशन को नहीं मानता है तो नोटिस वगैरह की भी कोई जरूरत नहीं है, आप ला यह पास कर दीजिए कि जिसके 3 बच्चे आज हैं, उसके चौथा बच्चा साल भर बाद अगर हो जायगा तो उसको सजा दी जाएगी। फिर उसको यह कहने का मौका होगा कि मेरे 3 बच्चे नहीं हैं या 4 बच्चे नहीं हैं। लेकिन जो भी तरीका आप निकालें, जब तक जुडिशियल आफिसर के सामने उसको बात कहने का मौका नहीं है तब तक आप जो भी काम करेंगे, वह आपके कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है, सभ्यता के खिलाफ है और मैं फिर दोहराता हूं कि दुनियां में आज तक ऐसा हुआ नहीं है। इस तरह से यह मुल्क चलने वाला नहीं है कि आपके पास राजसत्ता है, ऊपर से अर्थात् देहली से आर्डर हो गया कि जो आदमी रजामन्दी से आपरेशन न कराए, उसके साथ जबरदस्ती करो। लिहाजा मेरे यह विचार जानते हुए भी आपने जो 10 या 20 मिनट मेरी किताब से पढ़ने में लगाए वह बिल्कुल व्यर्थ गए। मैं फिर दोहराता हूं, मैं श्री नारायण दत्त तिवारी जी से कुछ बेहतर आचरण की आशा करता था। क्या यह शोभा देता है आपको कि आप इस तरीके से मेरी किताब से कुछ उदाहरण देकर जनता को गुमराह करें ? आपको मालूम है मेरी राय, इस पर भी जो जबरदस्ती हो रही है, जिस तरह से जंगल में 2–4 शिकारी चले जायं और जानवर झाड़ियों में से निकल कर भागें और उनको शूट डाउन कर दें बिल्कुल यही हुआ मुजफ्फरनगर में और हर जिले में और आप कहते हैं कि मैंने जो कुछ लिखा है उससे आप हक-ब-जानिब ठहराते हैं।

मैं बदायूं की बात आपको बतलाता हूं। एक आपके वहां बी0 डी0 ओ0 हैं। उन्हें खाकी कपड़े पहनने का शौक है। वह जीप लेकर गए और एक 20 22 साल के लड़के को पकड़ लिया। वह लड़का समझा भी नहीं कि उसको क्यों पकड़े लिए जा रहे हैं। उसने समझा कि सब-इन्सपेक्टर पुलिस लिए जा रहा है। उसने शोर मचाया। आस-पास के लोग आ भी नहीं पाए थे कि वह लड़का जीप से उतर कर भाग खड़ा हुआ। आपके बी0 डी0 ओ0 ने उसको शूट कर दिया और रिपोर्ट लिखाई कि 300 आदमियों ने मुझ पर हमला कर दिया, 10, 20 या 30 आदमियों ने नहीं और वह मरे नहीं। हुआ क्या ? 300 आदमी जेल के अन्दर डाल दिए गए। उनमें 9 स्त्रियां थीं जिनके पास पहनने के लिए काफी कपड़े भी नहीं थे और एक स्त्री का दुधमुंहा बच्चा बाहर रह गया। उस बच्चे के लिये बहुत कहा गया कि उसको लाइए। नहीं लाया गया। वह बच्चा मर गया। आप कह रहे हो कि जबरदस्ती नहीं हो रही है।

[चौधरी चरण सिंह]

अलीगढ़ की बात लीजिए। अलीगढ़ में बी0 डी0 सी0 की मीटिंग हुई। 7 गांवों के प्रधान आए थे। उनका जबरदस्ती आपरेशन करा दिया। उनमें एक 65 वर्ष का बुड्ढा था। (हंसी), हंसिए आप लोग, बेशक हंसिए। गांवों के लोगों को खींच-खींच करके जीप में लाद कर अस्पताल भेजा जा रहा है। चिरौली एक गांव है, उसमें 27 या 28 सितम्बर को कम से कम 2 केस बलात्कार के हुए आपके पुलिस अफसरों की तरफ से। और पुलिस वालों ने उलटे उन गांवों वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी, 60 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया, उनमें दो आदमी ऐसे थे जो ए0 आई0 सी0 सी0 के मुलाजिमों के रिश्तेदार थे, इसलिए उनको यह कह कर छोड़ दिया कि यह तो पुलिस की मदद कर रहे थे। कांग्रेस के आदमी थे, इसलिए उनको छोड़ दिया।

बरेली में यह किया गया कि जितनी भी अदालतें थीं उनमें जितने भी मामले विचाराधीन थे, उन सभी की एक तारीख लगा दी गयी। उदाहरण के लिए जैसे 20 अक्तूबर लगा दी गयी, उस दिन अदालतें सभी भर गयीं, वहां हजारों आदमियों की भीड़ लग गयी क्योंकि सभी केसेज की एक ही दिन तारीख लगा दी गयी थी। जब भीड़ इकट्ठा हो गयी तो पुलिस की बन्दूक की नोक के बलपर सब को अस्पताल ले जाया गया और नसबन्दी करा दी गयी, उनसे यह भी नहीं पूछा गया कि तुम्हारी क्या उम्र है, कितने बच्चे हैं, क्या हैं, क्या नहीं ? और आप कहते हैं कि जबरदस्ती नहीं हो रही है। अस्पतालों में लोग आते हैं पकड़ लिए जाते हैं, नसबन्दी करा दी जाती है। बस स्टैन्ड पर लोगों को पकड़ कर पुलिस ले जाती है, नसबन्दी करा दी जाती है। गांवों में जो हफ्तेवार बाजार लगती है, जिसको पैंठ कहते हैं, वहां पुलिस पहुंच कर लोगों को पकड़ लाती है। आज स्थिति यहां तक आ गयी है कि डर के मारे पैंठ लगना बन्द हो गयी है। आप कहते हैं जबरदस्ती नहीं है। जहां आदमी कुछ इकट्ठा मिल गए, पुलिस पकड़ कर ले गयी क्योंकि आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, और उनको वह पूरा करना है। कहीं इन चीजों के लिए लक्ष्य निर्धारित होता है ? इसी तरह से आपने इसका लक्ष्य निर्धारित कर दिया है जैसे कि आपने कोआपरेटिव सोसाइटियों का कर दिया था कि एक साल के अन्दर 5 लाख बनानी हैं, हुआ क्या ? फर्जी सोसाइटियां बन गयीं, आप खुश हो गए कि टार्गेट पूरा हो गया। टार्गेट फिक्स होता है ऐसी चीजों का कि आपको इतने मील सड़कें बनानी हैं, आपने उसका टार्गेट फिक्स कर दिया, वह ठीक होता है, मगर इन चीजों का टार्गेट फिक्स करने से काम नहीं चलता।

मुजफ्फरनगर के डी0 एम0 के खिलाफ पहले से ही तमाम शिकायतें थीं, मगर उसको आपने वहां भेज दिया, अब वह इस कोशिश में है कि जल्दी से कमिश्नर हो जाए, इसलिए आपको खुश करने के लिए वह यह सब गलत तरीके से जबरदस्ती नसबन्दी कराने में लगा है। उसे टार्गेट पूरा करना है, इसलिए वह उसमें जुटा है। जेलों में कैदियों की जबरदस्ती नसबन्दी हो रही है। वह तो कैदी हैं, आपकी जेलों में बन्द हैं, कुछ कह नहीं सकता। टीचर्स, इन्जनियर्स और डाक्टर्स आदि के लिए आपने कोटा फिक्स कर दिया है कि इतने केसेज लाओ। स्कूलों में बच्चों से कहा जाता है कि तुम्हारा एडमीशन तब होगा जब तुम पहले यह सार्टिफिकेट लाओ कि तुम्हारे मां बाप में से किसी ने नसबन्दी करा ली है। माफ करें, माननीय मुख्य मन्त्री जी, क्या इससे भी ज्यादा अभद्र कोई दूसरी चीज हो सकती है ? बच्चों से मां बाप की नसबन्दी का आप सार्टिफिकेट मंगायें, यह शोभा की बात है ? अध्यापिकाओं में तमाम सी नौजवान लड़कियां होती हैं, उनसे यह उम्मीद की जाए कि वे 4-4 केसेज लायें, यह कहां तक ठीक है ? उनकी तनख्वाह रोक ली जाती है क्योंकि वे केसेज नहीं ला सकीं। इस पर भी आप कहते हैं कि जबरदस्ती नहीं है ? इनको लज्जा थोड़े ही आती है, झूठ बोलने में।

अध्यक्ष महोदय, अब यह मुख्य मन्त्री जी का भाषण मेरे पास रखा है, अभी मैं पढ़ नहीं पाया हूं, अभी मुझे दिया गया है। जिस मीटिंग का वह जिक्र कर रहे थे, मैं नहीं

जानता कि प्रोसीडिंग्स रिकार्डेड हैं कि नहीं। श्री गोविन्द नारायण हमारे चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे। वह देहली में हेल्थ सेक्रेटरी थे, जब परिवार नियोजन के सिलसिले में यह आए, जगह-जगह पर यह लिखा हुआ था कि—"हम दो, हमारे दो, बस"। मैंने उनसे यह कहा (गोविन्द नारायण जी से) कि मुझे यह तरीका बलगर लगता है कि 12-12, 13-13 वर्ष के बच्चे जो स्कूल में जायं, अपने घर से निकलते हैं, वह यह देखते हैं कि इश्तहार निकलते हैं कि—"हम दो और हमारे दो।" हमें यह तरीका पसन्द नहीं है, कोई और तरीका ढूंढें। यह दो बच्चों की बात बच्चों के मन में आने लगी तो इससे उनका भोलापन खत्म हो जाता है। आपने बड़ी भारी खोज कर लिया कि जब मैं चीफ मिनिस्टर था, तो मेरी राय इस प्रकार की थी आपने एक तरकीब निकाली है कि राज कर्मचारियों से प्रेरणा (मोटीवेशन) का काम लिया जाय। आपने गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स कन्डक्ट रूल्स को बदल दिया। जो बेटियां या बहनें हमारी टीचर्स होंगी, उनका कहां फर्ज है 4 आदमी को लाने का 4 केसेज लाने का? अगर वह चली जायं हाई कोर्ट में, तो आपका यह हुक्म रद्द हो जायगा। उनकी ड्यूटी में आता नहीं कि वह 4 केसेज लायें। मैं आप से और आपके लीगल रिमेम्बरेन्सर से जानना चाहता हूं कि कौन से कानून से उनको मजबूर किया जा सकता है कि 4 केसेज लायें? मुझे बतलाइए कि कहां लिखा है कि 4 केसेज लाइए। जिन शर्तों से, जिस काम को करने के लिए उनकी नियुक्ति हुई थी, क्या अब आप उस नियम को बदल सकते हैं? टीचर्स को कहा, नवयुवकों को कहा कि 4 केसेज लाइए। मैंने एकाध आदमियों से कहा कि हाई कोर्ट जाओ वहां से स्टे-आर्डर ले आओ। उन्होंने कहा कि "मीसा" में बंद हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज हम लोगों को जिन्दा रहने का अधिकार भी नहीं है।

(इस समय 1 बजकर 54 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

अगर जिन्दा हैं, तो आपकी रहम पर जिन्दा हैं। ए मैन इन इंडिया हैज नो राइट टु लिव। मैंने पूछा ज्वाइन्ट लीगल रिमेम्बरेन्सर से कि परिवार नियोजन के सिलसिले में जो कानून बने हों वह मेरे पास भेजने की कृपा करें। उन्होंने भेज दिया। मैंने देखा कि एक तो गवर्नमेंट सर्वेन्ट कन्डक्ट रूल्स में अमेंडमेंट हुआ और एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट में रूल्स का संशोधन हुआ और एक फायर आर्म्स ऐक्ट में संशोधन हुआ। 3 में संशोधन हुआ। मालवीय जी जानते हैं कि महापालिका के कानून में भी संशोधन हो गया। लेकिन सवाल यह है कि जैसा मैंने आपको सुझाव दिया एक कानून सारी जनता के लिए बनना चाहिए था वह कहां है? मैंने सुना है कि महाराष्ट्र ने कोई कानून बना दिया है लेकिन अभियान के 6 महीने बीत जाने पर भी आपने जनता को यह नहीं बतलाया कि आपका इरादा क्या है? आपने गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स, टीचर्स और डाक्टर्स के लिए रूल तो बना दिया, यह भी कर दिया कि अगर आपकी बात कोई न माने तो असेंसियल कमोडिटीज अर्थात् आवश्यक वस्तुओं से उसे वंचित कर दिया जाएगा लेकिन बाकी लोगों के लिए क्या होगा? इन सब को कवर करते हुए आपको कानून बनाना चाहिए, फिर आप रूल्स बनाते और आपने रूल्स कैसे बना दिया? पहले तो रूल्स को लेजिस्लेचर में आना चाहिए और लेजिस्लेचर में बहस होनी चाहिए? मैंने अपने पी0ए0 से पूछा कि जरा मालूम तो करो कि क्या यह लेजिस्लेचर में कभी पेश हुआ? क्योंकि कानून के अनुसार 10-15 दिन तक नियम, सदन के पटल पर वहां रखा जाता है। मैंने एल0आर0 से भी पूछा तो उन्होंने बतलाया कि रखे गए थे। ठीक बात होगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपनी पार्टी मीटिंग में इसको रखा और उस पर कोई बहस हुई? हो सकता है कि यहां जब रखा गया हो तो हमारे दोस्तों ने इस पर ध्यान न दिया हो, या उस समय हमारा बायकाट हो, लेकिन क्या आपने अपनी पार्टी मीटिंग में इसके ऊपर डिस्कशन कराया? मुमकिन है कि पार्टी में इस पर डिस्कशन हुआ हो और परिवार नियोजन के लिए उसने स्वीकृति दे दी हो। अगर स्वीकृति दे दी है तो आपको मुबारक, मुल्क चाहे नर्क में चला जाय। रूल्स का बनाना ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि

[चौधरी चरण सिंह]

कि पहले ला बनना चाहिए था। और उसमें यह तय होना चाहिए था कि अगर कोई व्यक्ति आपरेशन नहीं कराएगा तो उसे यह सजा मिलेगी, नथिंग मोर एन्ड नथिंग लेस। लेकिन यह नहीं कि जानवरों की तरह से स्टरलाइजेशन कर दिया जाय। अदालत में जाने का अवसर हर एक को मिलना चाहिए। अब मैं मुजफ्फरनगर की कहानी सुना दूं। मेरे कुछ मित्र मुजफ्फरनगर की चर्चा करने को कह रहे हैं। वहां कम से कम 50 आदमी मरे हैं।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

आपकी गलत सूचना है। नसबन्दी से कोई नहीं मरा होगा। दूसरी-दूसरी बीमारियों से मरे होंगे। (व्यवधान)।

चौधरी चरण सिंह—

मेरे मित्र, श्री शिवकुमार पांडेय के यहां कोई नहीं मरा होगा।

श्री शिवकुमार पांडेय—

मरे हैं लेकिन और वजह से।

चौधरी चरण सिंह—

9 मरे हैं।

श्री शिव कुमार पांडेय—

वह तो नसबन्दी वाले आंकड़े इकट्ठा करने गए थे लेकिन आपकी पार्टी वालों ने गलत बातें कह करके जनता को भड़का दिया। इसलिये कुछ लोग मरे। (व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मुजफ्फरनगर की बात बतला रहा था, श्री शिवकुमार पांडेय के सुल्तानपुर की बात तो नहीं बतला रहा था। जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं वह कांग्रेस वालों का लिखा हुआ है। एक-एक शब्द कांग्रेस मैन का लिखा हुआ है। उन्होंने एक आवेदन-पत्र प्राइम मिनिस्टर को भी दिया है और गालिबन प्रेसीडेन्ट को भी दिया होगा। उसमें लिखा है :—

'The following is the copy of a memorandum submitted to the Prime Minister, President, Chief Minister, Uttar Pradesh, Sri Shahanawaz Khan and Sri Khurshid Alam by Sri Shafkatjung, M. P., Sri Vijay Pal Singh M. P., Chitranjan Swarup, M. L. A., Muzaffarnagar, Sri Narain Singh, Ex-Minister, Uttar Pradesh, Sri Varen Singh, President Zila Parishad, Muzaffarnagar, Sri Zamiruddin and other Congress and Communist Leaders of Muzaffarnagar District."

Vijay Pal Singh.

साइक्लोस्टाइल कराके उन लोगों ने एम0पीज0 को भी तकसीम किया है, यह शासक दल के लोगों का है। यह बी0एल0डी0 के गैर-जिम्मेदार लोगों का नहीं है। 4 एम0एल0ए0 लोक दल के मुफ्फरनगर के हैं, यह उन लोगों का नहीं है। मेरे मित्रों ने कुछ कागजात इस विषय में दिए थे, परन्तु, जब यह कागज मैंने देखा, तो मैंने वह कागज फाड़ दिया क्योंकि जो इसमें लिखा हुआ है इससे ज्यादा खूबसूरत वह कागज नहीं थे। इसमें जो-जो लिखा है उसको सुनाना चाहता हूं। इसमें जो वहां के डी0एम0 का साम्प्रदायिक और अफसराना रवैया है इसको तफसील से लिखा गया है। वहां पर जो घटना 18-19 अक्तूबर को घटी वह हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक-एक पैरा पढ़कर हिन्दी में तरजुमा करता जाऊंगा :

Respected Sir,

Very humbly and with a great sorrow at heart, we want to bring to your kind notice the real facts about the happenings of 18th and 19th

October, 1976, in our district which has done irreparable loss to the prestige and people's confidence in our Government's secular democratic and socialistic image and to the Congress party and progressive forces in Muzaffarnagar. The barbarous inhuman actions and atrocities with so many casualties are unheard of in the history of Muzaffarnagar. We want to lay before you the following facts for your kind consideration and immediate action:—

'श्रीमान्, हम बहुत अफसोस के साथ और तकलीफ के साथ आपकी नोटिस में लाना चाहते हैं, वह तथ्य और घटनायें जो 18-19 अक्तूबर, 1976 को हमारे जिले में घटीं । जिनसे बहुत नुकसान पहुंचा है उन लोग को, जिनका विश्वास था हमारी गवर्नमेन्ट में और गवर्नमेन्ट की जो प्रेस्टिज है, असाम्प्रदायिकता, जनतन्त्रात्मक समाजवादी जो तस्वीर थी, इस कार्यवाही से, उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। इस तरह का बर्बरतापूर्ण रवैया मुजफ्फरनगर की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। वह हम आपके सामने रखना चाहते हैं।

आगे वह कहते हैं :—

National programme of Family Planning Operations was well received in Muzaffarnagar due to enthusiastic co-operation from public workers and associations and uptil now more than 24,000 operations have been done out of thirty thousands quota upto March, 1977. But owing to Anti-Muslim attitude of District Magistrate and his associates people's resentment by and by increased to such extent resulting in the unfortunate happenings, some of the unwanted and powermad actions are listed below:—

वह कहते हैं कि यह जो स्कीम थी, इसका जनता की तरफ से और पब्लिक जमातों की तरफ से स्वागत हुआ। नतीजा यह हुआ कि 24 हजार आपरेशन हो गए जबकि 30 हजार का लक्ष्य वहां के लिए था। आगे कहते हैं :—

The District Magistrate always boasted and believed in state power of Coercion and never tried persuasion or sought cooperation of social or political workers. He rather hated political and social workers and always behaved with them and general public as a powermad autocrat. Often he abused the public in a filthy language, not giving any respect to any one especially Muslims and often made insulting remarks about Muslim religion in public speeches too.

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को घमन्ड था उसके पास सत्ता थी, डी0 एम0 होने के नाते । जल्दी-जल्दी आप अनुभव हीन लड़कों को डी0 एम0 बनायेंगे तो उनका दिमाग खराब होगा ही। उन्होंने किसी शोसल और पालीटिकल लीडर की सहायता नहीं ली । किसी की जरूरत नहीं समझी। अगर बी0 एल0 डी0 के लोगों की राय न लेते तो कोई बात नहीं थी, उन्होंने कांग्रेस के लोगों से भी राय नहीं ली । वहां के जिला परिषद का अध्यक्ष कांग्रेस मैन है। कम से कम सार्वजनिक संस्थाओं को बतलाते कि इस तरह की स्कीम है, लोगों को मोटिवेट करने की। तो उन्होंने इसको जरूरी नहीं समझा। राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं से वह घृणा करते थे। जनता और जनसेवकों के साथ नशे में चूर आदमी की तरह वह पेश आते थे और पब्लिक को गालियां देते थे। किसी के लिये एक भी इज्जत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते थे। पब्लिक स्पीचेज में वह तौहीन की बातें करते थे।

(ii) He often ordered to stop the buses going around the district and forced the passengers to get operated then and there,

बसें जिले के अन्दर चल रही हैं उनको पकड़ लिया जाना और कहा जाता कि यहीं आपरेशन होगा।

[चौधरी चरण सिंह]

(iii) Many times the people, coming in Tehsil or district courts, for their routine case work, were put in trucks and forcibly operated upon resulting in great terror. Many times for days the city looked deserted like in curfew.

जो लोग तहसील को आते थे उनकी जबदरस्ती नसबन्दी करते थे। इसलिए लोगों ने आना छोड़ दिया और कहते हैं कि ऐसा मालूम होता था जैसे शहर में कर्फ्यू लगा हो।

(iv) The district Magistrate himself several times forcibly sent both the parties of the suit pending before him to be operated upon.

जो मुकदमें उनके सामने पेश हुए तो उन्होंने कहा कि मुकदमें बाद में सुनें जायेंगे पहले आपरेशन कराओ, चूंकि मुख्य मन्त्री जी का हुकम है। परन्तु मैं ऐसा नहीं मानता हूं क्योंकि श्री नारायणदत्त तिवारी जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं कि उनका दिल एक नर्म दिल है। इसलिए यह उनका हुकुम हो, इसको मैं नहीं मानता हूं। यह स्कीम आपकी नहीं है तिवारी जी। लेकिन आपका नाम लिया जाएगा चूंकि आप मुख्य मन्त्री हैं।

(v) In many villages people were beaten mercilessly and their houses destroyed and exhorbitant fines were realised in order to coerce them to get operated.

बहुत से गांवों के लोगों को पीटा गया और उनके मकानों को बरबाद किया गया और उन पर बड़े-बड़े जुर्माने लगाए गए ताकि वह आपरेशन करवायें।

Even many old people and exempted categories people were also operated forcibly, resulting in terror and people hiding in fields.

बूढ़े लोगों और बच्चों के आपरेशन करवाए गए। ऐसे बूढ़ों की तो जिले भर की मेरे पास एक फेहरिस्त भी है। नसबन्दी के विषय में पी0ए0सी0 अर्थात् सार्वजनिक लेखा समिति की मेरे पास एक रिपोर्ट है जो विभाग से निकली है। उसमें विभाग ने माना है कि 17 हजार केसेज 3-4 साल के अन्दर वाले ऐसे हुए हैं जो बूढ़ों या कम उम्र के लोगों के हैं। साढ़े 12 हजार बूढ़ों के और साढ़े चार हजार बच्चों के आपरेशन हुए। यह बिना अभियान के हुए। जो अभियान चल रहा है उसमें तो यह देखना ही नहीं है।

(vi) The weavers of the district were called to get their quota of yarn but they were caught through police and got operated forcibly.

बुनकरों को बुला लिया जिले में और कहा कि अपना कोटा सूत का ले जाओ। जब वह आए तो कहा गया कि यह बाद में देखा जाएगा पहले आपरेशन करवाओ। और जबरदस्ती करा दिए गए।

अध्यक्ष महोदय, 7वें प्वाइन्ट में लिखा है :

The operations were done in great haste forced by D.M, one doctor operating eighty or hundred cases a day resulting in absence of normal medical care after sterilisation. Therefore many died due to titanus or wrong operations.

कोई प्राविधान नहीं रखा गया है कि आपरेशन से पहले डाक्टरी परीक्षण किया जाय। यदि कोई डाइबिटीज का केस हो यदि उसका आपरेशन कर दिया गया तो आदमी फौरन मर जायगा। यदि दिलकी बीमारी हो और उसका आपरेशन कर दिया गया तो वह भी मर जायगा। तो बहुत से लोग इसी तरह मर गए। अभियान जो ठहरा, जो सामने पड़ा उसका आपरेशन कर दिया। एक कश्मीर का किस्सा है राजा महराजाओं का। उनकी औलाद

नहीं थी। उन्होंने कहा जो सामने पड़ जाय अर्थी के, वह बादशाह हो जाय। यह है। ग्रीस की एक कहानी है। उनके यहां मेहमान आता था यदि वह छोटा हो तो लम्बा करें और लम्बा हो तो उस के पैर काट दें, चारपाई में फिट होना चाहिए। ऐसी ही हर आदमी का आपरेशन हो रहा है। आगे सुनिए :—

The dead body of Alihasan of Jagaheri who had died after operation was not given to their relatives and without coffin, the dead body was buried at Muzaffarnagar by police creating great tension.

उपाध्यक्ष महोदय, एक जवान मर गया आपरेशन से, घर के लोग दफनाने ले जाना चाहते हैं लेकिन उसे दफनाने नहीं दिया गया। पुलिस वाले लाश को उठा लाए और शहर में किसी जगह बिना कफन के दफना दिया क्योंकि लोगों को मालूम हो गया तो बदनामी होगी। लेकिन बात छिपी नहीं रह सकती।

Naturally no proper follow up care could be provided. Thousands of people preferred to get operated at Meerut or Delhi. Buty they were beaten and terrorised for going to Meerut or Delhi.

इस भय के कारण हजारों लोगों ने मेरठ और दिल्ली में आपरेशन करा लिए तो उनको पीटा गया वहां से सार्टिफिकेट लाने के लिए।

From 4 October different trade and manufacturing associations collected huge amounts for their family planning camps and decided and announced to give Rupees 100/- to each operated person. But the DM ordered them not to give this incentive money to any one and instead took the huge sum himself without giving receipts.

उपाध्यक्ष महोदय, मैन्यूफैकचरिंग एसोसियेशन ने रुपया जमा किया ताकि सौ रुपया आपरेटेड आदमी को मिलेगा लेकिन डी0एम0 ने कहा कि यह रुपया हमारे पास जमा होगा और कोई रसीद नहीं दी जायगी। इस प्रकार के हजारों केसेज हैं, 5-7 केसेज सुनाता हूं।

1—65,000 कृपया वाघरा ब्लाक से इकट्ठा हुआ। हमारा ही पैसा हमारा सर। हमारे लिए ही जबरदस्ती और आपरेशन का खर्च निकालने के लिए डी0 एम0 कहते हैं कि इतने रुपए की जरूरत है।

2—80,000 रुपया धनाभवन और ऊना ब्लाक्स से इकट्ठा हुआ।
3—21,600 रुपया राइस मिल्रस से इकट्ठा हुआ।
4—3,500 रुपया हरी राइस मिल्स से इकट्ठा हुआ।
5—3,600 रुपया भगवान दास केसवान से मिला।
6—1,500 रुपया आश्रम एन्ड कम्पनी, जलालाबाद से मिला।
7—सोहनलाल रामजी दास, रु02,500।
8—टीकाराम विनोद कुमार, रु0 4,500।
9—गोपालदास, जयचन्द, जलालाबाद, रु0 2,500।
10—भगवानदास केशवान, मुजफ्फर नगर रु0 5,000।
11—2,500 सुगर मरचेंट एसोसिएशन, मुजफ्फरनगर।
12—2,500 श्री रामदास रामासरे, मुजफ्फरनगर।
13—10,000 ब्रिक मैनुफैक्चरर्स।
14—14,000 होल सेल क्लोथ मरचेंट एसोसिएशन, मुजफ्फरनगर।
15—21,000 रिटेल क्लोद मरचेंट एसोशिएशन, मुजफ्फरनगर।
16—4,100 पान विक्रेता संघ, मुजफ्फरनगर।
17—13,000 केमिस्ट्स।
18—50,000 ट्रक ट्रान्सपोर्ट एसोशिएशन, मुजफ्फरनगर।
19—30,000 बस आपरेटरर्स (200 रुपए प्रत्येक)।

[चौधरी चरण सिंह]

मैंने एक साहब को सुनाया तो उन्होंने कहा कि यह तो एक चौथाई भी नहीं है। इसी जगह मैं एक बात बताना चाहता हूं हमारे एक एम0 पी0 हैं, श्री गयूर अली खां उनके छोटे भाई को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बुलाया और कहा कि 5 हजार रुपए दो। उन्होंने कहा कि 5 हजार रुपए मेरे पास नहीं हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई को खबर भेजी और श्री गयूर अली खां दो और एम0 एल0 एज0 को लेकर मुख्य मन्त्री जी से मिले। मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि मैं कहला दूंगा कि ऐसा न हो। उसके बाद हुआ यह कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उन्हें बुलाया और कहा कि 10 हजार रुपए दो क्योंकि तुमने मेरी शिकायत चीफ मिनिस्टर से की है। अब तुम्हे 10 हजार रुपए देने पड़ेंगे। यह एडमिनिस्ट्रेशन है। आप जबरदस्ती आपरेशन करेंगे और इस तरीके से धन का इन्तजाम करेंगे और इस धन का कोई हिसाब भी नहीं है। मुझे बताया गया है कि 32 लाख रुपए से कम इकट्ठा नहीं हुआ है। जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस तरह से कर सकता है तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा यह समझ में नहीं आता है ?

Written notices were served on the tenants of Municipal Board to vacate their houses or to give 4 cases each.

किराएदारों की भी यह जिम्मेदारी है कि किराए के अलावा 4 केसेज दें। यह म्यूनिसिपल के सारे किराएदारों को आदेश दे दिया गया।

"The matter precipitated resulting in the ugly happening on 18-10-76. When almost all the rickshawallas of the town were detaind 2 days before the date of happening and the pullers were out of employment.

जितने रिक्शे वाले थे उनको बुला लिया गया। 2 दिन से वे अपने काम से मजबूर भूखे मरने लगे।

"On 18th October 1976 at 12.30 p.m. D. M. visited Nagar Palika Camp but seeing that only 89 cases were operated, ordered to bring forcibly owners of detained rickshawala, tonga owners and shop keepers from Khalapar (Muslim Mohalla)"

एक मुस्लिम मुहल्ला है तो श्रीमान् जी गए वहां के कैम्प में देखा कि 39 केसेज हुए हैं। मैंने सुना था कि 19 तारीख को मुख्य मन्त्री जी वहां जाने वाले थे और 10, केसेज पेश करने की स्कीम बनायी गयी थी। माना कि मुख्य मन्त्री जी वहां नहीं भी गए लेकिन केवल 39 ही केसेज हुए। तो नादिरशाही हुक्म निकल गया कि पकड़ो इन रिक्शे वालों को तांगे वालों को और दुकानदारों को। तो यह हुआ और इस तरह चली गोली।

"Accordingly many persons were brought forcibly from shops in Khalapar. This resulted in desperate and intense excitement and people resolved to resist. In the scuffle that followed some constables received minor injuries. At about 4 p.m. news spread that a big police force is approaching Khalapar to carry the people by force, where upon a crowed gathered in desperation. They were shouting slogans as Hindu Muslim Bhai Bhai, Nasbandi Karayenge, Jabardasti Nahin Karayenge."

There upon some social workers who happened to be near the spot approached S. P. and the crowd and held talks. Six persons carried away forcibly in the morning were brought back there. The crowd was demanding their rickshaws, tongas, bullock carts back but there was no response from the authorities. In the meanwhile some stones from behind the crowd were pelted, therepon S.P. ordered teargas, fire and some fire in the air. At this moment, the D. M. came and ordered point blank firing without any warning. The people began to flee. The police on orders from D. M. acted revengefully. Some of the striking events are given below.

'कुछ सोशल वर्कर्स जो वहां पर थे एस0पी0 के पास पहुंचे और उससे बातचीत की 6 आदमी जो जबरदस्ती ले जाए गए थे वापस लाए गए। जो भीड़ थी, वह उनके रिक्शा, टांगा, बैलगाड़ी वापस मांग रही थी अधिकारियों से लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इसी बीच में भीड़ के पीछे से कुछ पत्थर फेंके गए जिस पर एस0पी0 ने टीयरगैस तथा हवा में फायर करने का हुक्म दे दिया। इसी समय डी0एम0 आ गए और उन्होंने बिना किसी चेतावनी के प्वान्इट ब्लैंक फायर करने का हुक्म दिया और लोगों ने भागना शरू कर दिया। पुलिस ने डी0एम0 के हुक्म पर बदले की भावना से कार्यवाही की। इसके कुछ नमूने मैं नीचे दे रहा हूं।

1. The police chased the people to their houses and killed many persons about 10 furlongs beyond the place of occurence and byelanes. Gates of some houses were broken and people taken out, and mercilessly beaten in Kotwali and in prison. Even known congressmen and office bearers of the party were not spared.

2. Indiscriminate firing with 303 resorted to resulting in heavy casualties. Police went inside Masjid and fired there killing persons. Some shops were looted and an attempt to burn a Masjid was also made.

1—पुलिस ने लोगों को उनके मकानों तक पीछा किया और बहुत से आदमियों को मार डाला। गलियों में तथा जहां पर यह घटना हुई थी उस स्थान से 10 फर्लांग के फासले तक। कुछ मकानों के फाटक तोड़ दिए गए और लोगों को बाहर घसीट कर निकाला गया और बेरहमी से उनको पीटा गया कोतवाली में तथा जेल में। इनमें से कुछ ऐसे पब्लिक वर्कर्स थे जो जाने पहिचाने कांग्रेस मैन थे उनकी भी यही गति बनाई गयी।

2—303 की गोली चलाई गयी जिससे काफी मौतें हुईं। पुलिस मस्जिद के अन्दर चली गयी और वहां भी गोली चलाई जिससे काफी आदमी मरे। कुछ दूकानों को लूटा गया और एक मस्जिद को जलाने का प्रयत्न किया गया।

जब बहुत से लोग मारे जा चुके थे तो जिलाधीश अपनी ताकत का काफी सबूत दे चुके थे फिर मस्जिद के भीतर जाने की क्या जरूरत थी? जब अपोजिशन के 7 एम0पी0 मौके पर जाना चाहते थे उनको रास्ते में रोक दिया और कहा 'नहीं दिल्ली वापस जाओ'। हाल यह है कि वहां के एस0पी0 ने कहा हम इसे तसलीम करते हैं लेकिन इसमें हिन्दू मुस्लिम रूप नहीं था। अध्यक्ष महोदय, एक नवयुवक गोली से बुरी तरह आहत हो गया:

A boy was hit seriously by a bullet. The old grandfather asked a constable to arrange to send the boy to hospital but instead the boy was forcibly snatched and Subsequently when the boy died his body was not given to the parents.

जब लड़का जख्मी हो गया तो उसके बूढ़े दादा ने कान्स्टेबिल से कहा इसे अस्पताल में पहुंचा दो लेकिन लड़के को छीन लिया गया और घंटे दो घंटे बाद वह मर गया। मैंने ऐसा भी सुना है कि घर में घुस कर किसी एक जख्मी लड़के को मारा गया उसको पकड़कर टेलीग्राफ के खम्भे के साथ खड़ा कर उसे गोली मारदी। उस खम्भे में गोली के निशान अब भी मौजूद हैं।

Women folks were beaten in houses and Imams of Masjids were not spared. The police removed all dead bodies in an organised way and it is said that most of the dead bodies were thrown in Ganga Canal and Ganga River to conceal the crime.

औरतों को घर के अन्दर पीटा गया और इमाम लोग जो केवल नमाज पढ़ाने का काम करते हैं, उनको भी पीटा गया।

[चौधरी चरण सिंह]

The list of the known dead and lost persons is attached herewith. Out of this list only ten dead bodies were given to their relatives through public workers and burried under the instructions of authorities before sun rise.

पुलिस ने नियोजित ढंग से शवों को गंगा में फेंका। गोली से इतने आदमी मर गए थे कि उनको गंगा नहर या नदी में बहा दिया गया यह लोगों में आम बात है, हो सकता है इसमें अतिशयोक्ति हो। लेकिन यह सोचने की बात है कि इस प्रकार की अफवाह क्यों फैल गयी ? अध्यक्ष महोदय, मेरे पास नामों की दो-तीन लिस्ट हैं जिनमें लगभग 50 नाम हैं। उनको अपने आप दफना दिया गया बिना मजहब की रस्म अदा किए हुए।

The curfew was clamped and on 19th, no pass was issued to even Congress MLAs and workers up to evening. Indiscriminate arrests were made even by breaking the doors and arrested persons were mercilessly beaten.

19 तारीख को करफ्यू लगा दिया गया। कांग्रेस के एम0एल0एज0 को भी बाहर नहीं जाने दिया गया। अंग्रेजों के जमाने में हमने देखा है कि कांग्रेस पदाधिकारी जिसको चाहते थे उसको पास मिल जाता था।

On 19th morning in Mohalla Mollupura indiscriminate firing without warning was resorted to many for breach of curfew, resulting in four casualties.

These unwarranted and inhuman attrocities created wild rumours which spread like wild fire in the whole district, exciting people of Mohalla Ladhawala, gathered in thousands in desperation. Some of our workers went there, cleared the wrong rumours of total destruction and murder of Muhalla Khallapar and satisfied them by taking their representatives on a round to Mohalla Khalapar and Mullupure. Thus a very serious situation and grave consequences were averted.

मल्हुंपुरा और लड्डनवाला वहां मुहल्ला हैं। लड्डनवाला मुहल्ले में 10 हजार लोग इक्ट्ठा हो गए। गुस्से में लोग थे जिसमें वे कुछ भी कर सकते थे। उसमें वर्कर्स ने उनको समझाया तब कहीं वह शान्त हुए।

उपाध्यक्ष महोदय, कैराना तहसील की बात सुनाता हूं वहां लोगों ने जलूस निकाला। तो 12 बजे करफ्यू लगा दिया गया। पौने दो या सवा दो बजे जब नमाज होती है लोग उसमें जा रहे थे और नमाज हो रही थी पुलिस वहां पहुंच गई। अब पुलिस मस्जिद में पहुंच गयी तो वहां उसने गोली चला दी जबकि वह नमाज पढ़ रहे थे। 5 आदमी मारे गए और जख्मी आदमियों को घायल कुत्ते की तरह खींच कर बाहर फेंक दिया गया उन्हें कोई डाक्टरी सहायता नहीं दी गयी। कुछ गोलियों के निशान वहां दीवालों पर रह गए थे, कुछ और जगह रह गए थे, इस मौके को कांग्रेस पार्टी के और सभी पार्टी के लोगों ने जाकर देखा है। अब जिन्होंने दिखाया और दिखाने में हिस्सा लिया, जैसे श्री चन्द्रभान शर्मा जी ने, जो कभी हमारी पार्टी के एम0एल0ए0 थे, अब पुलिस से डर रहे हैं। लोग उनसे कहते हैं कि अब तुम मीसा में जाओगे इसलिए शर्मा जी तो कुछ दिनों के लिए दिल्ली चले गए। वह मुझसे कहते थे कि मैं मीसा में जाने वाला हूं, तो मैंने कहा कि मैं खुद उसमें हो आया हूं, मेरी कौन सुनने वाला है। उनके आग्रह पर मैंने कहा लिखकर दे दो, तो उन्होंने मुख्य मन्त्री जी के नाम लिखकर उनको एक प्रार्थना-पत्र दिया है। तो आप भी आंख मींचकर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं जिन लोगों ने इन गरीबों को मुसीबत के समय गल्ला पहुंचाया है, उनसे जवाबतलब हो रहे हैं कि तुमने गल्ला क्यों पहुंचाया है ?

"The authorities are trying to terrorise the people so that no one may come forward to reveal the real facts. After the incidents some people sent some relief in the shape of grain but the authorities are finding out the names of the donors to terrorise them.

कुछ दूकानदारों ने, कुछ लोगों ने गल्ला भेज दिया, तो पुलिस उनके नामों की तहकीकात कर रही है कि आपने कितना और किस-किस को गल्ला भेजा था ?

मान्यवर, अब मैं इन लोगों की क्या मांग या मतालबा है वह मैं आपकी इजाजत से सुनाना चाहता हूं। इसमें हमारी भी सहमति है और सारे अपोजीशन की उससे सहमति है —

"All arrested persons be released immediately and cases withdrawn in order to normalise the situation

उनकी मांग है कि इस तरह से स्थिति को नार्मल बनाया जाय।

Again "the District Magistrate be suspended immediately and a judicial enquiry be set up for these brutal happenings and the scandal of collection of lakhs of rupees in the name of F. P. by D.M. and his associates, without giving any receipts be enquired into."

इसमें क्या अब गलत चीज है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सस्पेन्ड करना चाहिए, यह एक निहायत माकूल बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने नौजवान दोस्त से पूछना चाहता हूं कि कभी कोई अफसर सस्पेन्ड होता है या नहीं ? यदि आपके नियम के हिसाब मे कोई अफसर सस्पेन्ड होता है तो वे कौन से हालात हैं, जिनमें सस्पेन्ड होता है और क्या इस डी0 एम0 का केस सस्पेंशन के लिए उचित नहीं है ? यदि कोई केस सस्पेंन्शन के लिए वाजिब हो सकता है तो इससे अधिक और कोई नहीं हो सकता है। आपने केवल ट्रान्सफर कर दिया और अपने कर्त्तव्य का पालन उसे समझ लिया। यह आपने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया। इतने बड़े हत्याकांड पर भी कोई अधिकारी सस्पेन्ड नहीं हो सकता है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। पहले से भी इस अधिकारी का रिकार्ड ठीक नहीं है। अब मैं इस अफसर के खिलाफ कह रहा हूं। यह कल कहीं का डायरेक्टर या कमिश्नर हो जाए तो पहला काम क्या करेगा ? मैं उसके खिलाफ तकरीर कर रहा हूं, पहले मेरे खिलाफ बदला लेने की कोशिश करेगा। मैंने जिस किसी को सस्पेन्ड किया, हमेशा डायरेक्टर विजीलेन्स की इन्क्वायरी पर किया। किन्तु मेरे बाद में ऐसे सभी अधिकारी बहाल कर दिए गए हमारे दोस्तों द्वारा। सभी को आपने उलट दिया। उनको जहां भी मौका मिल रहा है, बदला ले रहे हैं। कोई भी इनका मातहत मुझ से कनेक्टेड हो जाए, दूर का भी कोई सम्बन्ध निकाल आए, तो वह बख्शा नहीं जाएगा। मैं भविष्यवाणी किए देता हूं तिवारी जी। आप उस समय मुख्य मन्त्री नहीं होंगे, कोई और होंगे। लेकिन जिन आफिसर्स के खिलाफ मैं यहां कह रहा हूं, यह हालत हो गयी है इस देश की, वह मुझ से परसनल एनमिटी मानेंगे और मुझसे व्यक्तिगत बदला लेंगे। लेकिन 'आई ऐम प्रिपेअर्ड टु टेक दैट रिस्क' मैं वह खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जनहित का तकाजा यही है।

"Proper compensation be given to the families of all the dead and injured."

जो लोग मरे हैं, या जख्मी हुए हैं उनके परिवार वालों को मुआविजा दिया जाय।

"All other officers and Government servants found guilty of these brutal and inhuman actions be given proper punishment."

डी0 एम0 के अलावा अन्य अफसरों और गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को जो तहकीकात के बाद गिल्टी साबित हों उनको भी मुनासिब सजा दी जाय। एक रेजोल्यूशन के रूप में हमने आपको यही मांगें भेजी थीं। उसमें एक-आध चीज और बढ़ायी है। यहां मुजफ्फरनगर के लिए

[चौधरी चरण सिंह]

जो डिमांड किया गया है उसमें हमने सुल्तानपुर को भी शामिल किया है। हमारे एक साथी विधायक माननीय बेनी प्रसाद वर्मा ने तीन दिन लगाए, सुल्तानपुर में। उन्होंने रिपोर्ट दी है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा कि कितने आदमी मरे हैं। हमने डिमान्ड किया है—"सुल्तानपुर तथा मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित किया जाय।" जहां मुजफ्फरनगर कहा है वहां सुल्तानपुर भी पढ़ लें। "प्रदेश के अन्य जिलों में परिवार नियोजन में बरती जाने वाली अनियमितताओं की जांच जिला जज द्वारा करायी जाय।" हम जानते हैं कि इतने हाई कोर्ट के जज नहीं आ सकते हैं कि वह सब जिलों की घटनाओं की जांच कर सकें। डिस्ट्रिक्ट जज से आप इनक्वायरी अन्य जिलों की कराइए। हाई कोर्ट जज द्वारा मुजफ्फरनगर तथा सुल्तानपुर में इनक्वायरी की मांग मैं कर रहा हूं। वहां हाई कोर्ट का जज मुकर्रर हो। जो इनक्वायरी हो, बहुत बड़ी इनक्वायरी नहीं है, महीने भर के अन्दर इनक्वयारी की रिपोर्ट आ सकती है। इसलिए हमारी मांग यह है कि "उक्त जांच की रिपोर्ट एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत कर दी जाय। साथ ही परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं वे सब तत्काल छोड़ दिए जाएं।"

अभी मेरे पास आया है, मैनपुरी से तीन-चार सफे का एक प्रार्थना-पत्र। परिवार नियोजन के लिए आपरेशन करवा लिया, सब-इन्सपेक्टर साहब नाराज हैं, गिरफ्तारी हो रही है। चार-पांच दिन हुए मेरे पास दो-तीन मित्र आए। उनमें से एक विधायक हैं। मैंने कहा लिख कर दे दो मैं यहां पढ़ने के बजाय उसे आपके पास भेज दूंगा। जब सब इन्सपेक्टर नाराज हो जाय नसबन्दी के नाम पर मीसा काफी है। एक बात कहना चाहता था। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस किताब में लिखा है, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अगर पूरी पढ़ी है, जो वैसेक्टामी का आपरेशन होता है, उसमें एक ही बात बतानी चाहिए पब्लिक को कि उससे पोटेंसी में फर्क नहीं पड़ता। नौजवान आदमी और औरतें इसीलिए खिलाफ हैं। अगर यह बात लोगों को मालूम हो जाय तो जो विरोध आज हो रहा है, वह न होता। अब मुझे नहीं मालूम है परन्तु उस समय गालिबन डाक्टर फड़के (Dr. Phadke) जो बाम्बे के रहने वाले थे, वह नसबन्दी का रिवर्सल भी कर सकते थे। मान लीजिए कि किसी के तीन बच्चे हैं, उसने नसबन्दी करवा ली, उसके दो बच्चे मर गये। उस की वैसेक्टामी आपरेशन का रिवर्सल हो सकता है। अगर रिवर्सल अब हो सकता है तो मालूम कीजिए। और लोगों को आश्वस्त कर दीजिए। जितने नवयुवकों के आपरेशन हुए हैं, उनका भी रिवर्सल कराइए। इसको खास तौर से नोट करें। अपने अफसरों से मशविरा करें। उन सबका आप रिवर्सल कराएं। "शासनादेशों के द्वारा जो आज यह नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है उसके बजाय सोच-विचार कर विधान मन्डल द्वारा परिवार नियोजन के सबन्ध में एक अधिनियम और विस्तृत नियमावली बनायी जाय ताकि परवेदित व्यक्ति को अदालत में चाराजोई करने का अवसर व अधिकार हो।" यह हमारी अन्तिम मांगें हैं। यही है कानून और न्याय; यही है डेमोक्रेसी का तकाजा। सिविलाइज्ड और बारबेरिज्म कन्ट्री में सभ्य और असभ्य देशों में यही अन्तर है, यही बात उनको एक दूसरे से अलग करती है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको यह सुनाना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में कितने आदमी मरे। मेरे पास उनकी लिस्ट है परन्तु इसको छोड़ता हूं। वक्त की कमी है। मेरे पास बल्दियत सकूनियत सभी कुछ है। जो लोग 18 तारीख से गैरहाजिर हैं उनकी लिस्ट है। इसमें 17 आदमियों की तफसील दी गयी है। इसको भी छोड़ देता हूं। अब मैं आता हूं उन मामलों पर जिनमें लोग आपरेशन के मुस्तजिब नहीं थे परन्तु जबरदस्ती आपरेशन करा दिया गया।

(1) Mohd. Sadiq Bakar Qassaba s/o Noor Mohd. 58 years, younger child aged 10 years, wife aged 45 years, Khalapar, (2) Abdul Quadir s/o Abdul Hamid, 60 years, wife aged 50 years,(3) Sharif Ahmad s/o Fayyaz Ahmad 60 years, Laddhawala, (4) Shaukat s/o Hamid above 50 years, V. Baghonwali, (5) Yasin s/o Inam Elahi, above 55 years, V. Baghanwali,

(6) Mausam s/o Ibrahim, above 57 years, V. Baghanwali, (7) Mir Hasan s/o Noora, above 60 years, अब मैं गांवों के नाम नहीं पढ़ता हूं (8) Sharfoo s/o Hamid, above 48 years, (9) Hashim Shopkeeper above 53 years, (10) Ahmad Hasan s/o Nazroo, above 50 years, (11) Chhota Dhobi son of Tulai, above 51 years, (12) Rashid son of Hamid above 53 years, (13) Tosar (Harijan) son of Chajju, above 53 years, (14) Ummed Ali son of Ashraf, above 55 years, (15) Akhtar son of Ghazu, above 56 years, (16) Hadi Hasan son of Mohd. Hasan above 35 years having one girl aged 14 years, (17) Saeed Ahmad of Allah Diya having one girl, aged 9 years, (18) Baljora son of Bhoora Dhobi having 9 years old son only, (19) Zarif son of Sharif, (20) Lalu son of Bhanyya and (21) Zahid son of Noor Ahmad.

एक केस ऐसा हुआ बसेड़ा गांव के एक दुकानदार का लड़का मर गया। उसका अन्तिम संस्कार करने के लिए गंगा नदी पर गए, जो उनके गांव से नजदीक पड़ती है। वापिस आते हुए रास्ते में सभी को पकड़ लिया माननीय मुख्य मन्त्री जी के दूतों ने और उनका जबरदस्ती आपरेशन कर दिया। वे शोक में थे। पता नहीं किस उम्र का लड़का गुजर गया था।

अब मैं सुल्तानपुर की बात सुनाना चाहता हूं, अगर शिव कुमार पांडेय जी को दिक्कत न हो। 25 आदमियों की फेहरिस्त है।

श्री शिव कुमार पांडेय—

यह आपको गलत सूची दी गई है।

चौधरी चरण सिंह—

पहले जमाने में चोर वह समझा जाता था जो पक्का निकलता था। तब उसकी शादी होती थी। एक बार एक आदमी को पकड़ा गया। उसे पीटा गया और उससे पूछा गया कि जो बकरी तुमने चुराई है बताओ उसके कितनी टांग हैं। तो पकड़े जाने वाले व्यक्ति ने 3 टांगें ही बतलाईं। बहुत पीटा गया परन्तु उसने 3 के बजाय चार नहीं बतलाईं। पुलिस को अन्त में छोड़ना पड़ा, तभी उसकी शादी हो पाई। पता नहीं माननीय शिव कुमार पांडेय कब क्वालीफाइड होंगे शादी कराने के लिए यानी डिप्टी मिनिस्टर बनने के लिए ?

आज सरकार की बेलगाम सत्ता का नंगा नाच हो रहा है। हमारी प्रधान मन्त्री जी क्या कहती हैं ? जो जुल्म आज हो रहा है। नसबन्दी के सिलसिले में मुझे उसका उतना अफसोस नहीं है जितना कि उनके कहने का है। पहली या दूसरी नवम्बर को पुलिस के उच्च अधिकारियों की दिल्ली में एक कान्फ्रेन्स हुई। मेरे पास हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब का भी बयान है। वे भी उनकी ही आवाज बोल रहे हैं। हमारी प्रधान मंत्री जी की जो अखबारों में रिपोर्ट निकली उन सब में एक ही भाषा है। अब तो चूंकि समाचार एजेन्सी सभी अखबारों को सूचना देती है तो सबमें एक ही रिपोर्ट है। रिपोर्ट कहती है कि "रेफरिंग टु फेमिली प्लानिंग प्राइम मिनिस्टर सेड दियर व ज ग्रेट अवेकनिंग एमंग दि पीपुल।" लोगों को बड़ी जानकारी हो गई है और बड़ा ज्ञान हो गया है। आगे आप कहती हैं कि —

"the Government's policy was not to have compulsion"

सरकार जब्र करना नहीं चाहती है। अब तो परिवार नियोजन विभाग को केन्द्र अपने हाथ में ले रहा है। आगे श्रीमती जी ने कहा है कि—

"Some times rumours were started to frighten the people deliberately. It was very important to allay the fears of the people at all levels and to make them feel that they would be listened to."

लोगों को गुमराह करने की जानबूझ कर कोशिश हो रही है। पुलिस वालों से कह रही हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों के भय को फौरन दूर किया जाय, शांत किया जाय और लोगों

[चौधरी चरण सिंह]

को यह महसूस होना चाहिये कि उनकी बात सुनी जाती है। कोई पूछने वाला है कि इसका क्या मतलब है ? अगर परिवार नियोजन की उपादेयता को समझ गए हैं लोग तो उनके डर को दूर करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। उनको कहना चाहिए था कि वास्तव में फलां-फलां जगह ज्यादती हुई है और मैंने इन्क्यारी कराकर दोषी व्यक्तियों को सजा दी है। लेकिन वे सही बात को मानने वाली नहीं हैं। जब संसद में जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग की जाती है तो कहा जाता है कि "the opposition wants to make political capital out of these incidents" कल ही श्री एच0 एम0 पटेल जो एक रिटायर्ड आई0 सी0 एस0 हैं और लोक सभा के बी0 एल0 डी0 के सदस्य हैं, मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि जब जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग की गई तो कहा गया कि आप लोग तो राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। हाई कोर्ट के जज द्वारा इन्क्वायरी की मांग को राजनीतिक लाभ उठाना बताया जाता है। आज एक होड़ लगी है केन्द्र के मन्त्रियों में कि कौन झूठ बोलने और प्रधान मन्त्री की खुशामद करने की रेस में सबसे आगे निकल सकता है। जिन लोगों को मैं समझता था कि वे ऐसा नहीं करेंगे वे भी लन्दन और अमेरिका में जा-जाकर ऐसे ही भाषण दे रहे हैं। इन सबों ने कहा कि परिवार नियोजन बिल्कुल वालन्टरी है। हमारे स्वास्थ्य मन्त्री ने ज्यादा नहीं कहा है, कहने को आपके पास कुछ है भी नहीं, छोटी सी बात आपने कही वह मैं सुनाता हूं। स्वतन्त्र भारत, पहली नवम्बर। "उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मन्त्री श्री प्रभुनारायण ने आज यहां कहा कि परिवार नियोजन के कार्य में कोई जबर्दस्ती नहीं की जानी चाहिए।" क्या सम्हल कर लफ्ज इस्तेमाल किए। इन्होंने यह नहीं कहा कि जबर्दस्ती नहीं हुई है। ये कह रहे हैं कि जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि यह जबर्दस्ती कौन कर रहा है ? आपके राज्य कर्मचारी कर रहे हैं ? वे आपकी आंख और आपकी नीति को क्यों नहीं समझते हैं ? और आपने किसी को सजा दी है ? तो यह व्याख्यान देने से क्या फायदा ? इससे आपकी नाकाबिलियत साबित होती है। जब हम यहां एम0 एल0 ए0 हो कर सन् 1937 में आए तो एम0 ए0 में पालिटिक्स का एक पर्चा होता था, अब तो अलग एक सब्जेक्ट हो गया है। तो हमने यह सुना था कि मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अगर कहीं कोई बयान देता है तो वह सरकार की नीति बन जाती है और अफसरान अपने आप नोटिस ले कर उसके मुताबिक काम करेंगे। अब आप चाहे जो कह दीजिए, कोई असर नहीं। आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। यह व्याख्यान तो आर्यसमाज के उपदेशक भी दे सकते हैं या मैं रिटायर हो जाऊं तब देना शुरू करूंगा या अब भी कह सकता हूं विरोध में रह कर। लेकिन जिनके हाथ में सत्ता है वे यह कह रहे हैं कि जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिए। बड़े अचरज की बात है। फिर आगे कहते हैं "श्री सिंह ने इस अवसर पर आगे कहा कि प्रदेश सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है कि जिनके 2 बच्चे या 2 से कम हैं, उनका आपरेशन बिल्कुल न किया जाय, यदि वह आपरेशन कराना चाहें तो भी उनका आपरेशन न किया जाय।" कितना भारी काम आपने कर दिया ?

अब मैं बहुत संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, इसका दूसरा अर्थ न लगायें मेरे उधर बैठने वाले दोस्त। इमरजेन्सी लगी, सारे अधिकार लोगों के खत्म हो गए, फन्डामेन्टल राइट्स खत्म हो गए। 7 व्यक्तिगत स्वतन्त्रतायें हैं जिनमें पहली है राइट टु लिव अर्थात् जिन्दा रहने का अधिकार वह भी खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील एटार्नी जनरल ने यह तर्क दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान कर ही फैसला दे दिया। हमारे दल के सदस्य, श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी, एम0 एल0 सी0, 11 मई को देहात में एक सभा से वापस आते हुए गिरफ्तार हो गए और 13 मई को गणेशदत्त बाजपेयी जो एक पुराने समाज सेवी हैं और हमारे शहर की कमेटी के अध्यक्ष हैं मेरे पास आए तो बात-चीत में बाजपेयी जी का जिक्र आ गया परन्तु उनको यह नहीं मालूम था कि उसी शहर में रहने वाला बी0 एल0 डी0 का एम0 एल0 सी0 गिरफ्तार हो चुका है। मेरी एक बेटी जो यहीं रहती है वह मेरे पास आयी। उसने यह कहा कि जब हम किसी से बताते हैं तो कोई यकीन

नहीं करता। क्योंकि अखबार में नहीं छपा। ये जो कांस्टीट्यूशन में अमेन्डमेंट्स आपने किए हैं वह तो जब आयेंगे, बहस होगी तब मैं बतलाऊंगा कि उनके कितने दूरगामी प्रभाव होंगे ऐसे कि जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक पार्टी नहीं बल्कि एक व्यक्ति का राज होने वाला है। रोजाना जो बयान प्रधान मन्त्री जी और दूसरे मिनिस्टरों की तरफ से होते हैं, जिनमें जानबूझ कर गलत बात कही जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं झूठ शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, रोज जानबूझ कर गलत बातें जो कही जा रही हैं, गलत प्रोपेगन्डा किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर और बड़े-बड़े मिनिस्टर गलत बयानी कर रहे हैं, उसका बड़ा खराब असर देश पर हो रहा है। "सच" किसी भी मुल्क का या समाज का आधार होता है, अगर वह नींव ही हिल गयी तो समाज या देश जिन्दा नहीं रह पाएगा। रोज झूठ, रोज झूठ कि कम्पलशन नहीं है, आखिर इस झूंठ का क्या असर होगा ? अगर हालात ऐसे हो गए हैं कि देश इस स्थिति पर पहुंच गया है, तो उसके लिए, कौन जिम्मेदार है ? मैं कहता हूं कि अब पुन: विचार करो, ठंडे दिल से सोचो, मुल्क मुझ से, आपसे, सबसे बड़ा है। हम और आप कितने दिन रहेंगे ? देश की 60 करोड़ की आबादी आपकी तरफ देखती है, दिल्ली में आपके 350 एम0 पीज0 की तरफ देखती है, यहां प्रदेश में एम0 एल0 एज0 की तरफ देखती है, प्रधान मन्त्री की सत्ता का आधार एम0 पीज0 हैं, मुख्य मन्त्री की सत्ता का आधार यह एम0 एल0 एज0 हैं, आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सच्चाई आपसे छिपी भी नहीं है, सब आपको मालूम है, आपके हलके के लोग सब जानते हैं, हमसे भी आकर आपके लोग बताते हैं, मैं तो उनसे कहता हूं कि डू योर पार्ट। अपने कर्त्तव्य का पालन करो। आदमी का स्वार्थ होता है, स्वार्थ के बिना कोई इन्सान नहीं है, बिना स्वार्थ के आदमी के जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता, लेकिन आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां है, जब देश का हित और आपका स्वार्थ टकराए, दोनों में संघर्ष हो जाए, तब आपको देश-हित के आगे अपने निजी स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए। किसी भी ईमानदार जन सेवक का यह कर्त्तव्य होता है कि जन हित में काम करे और उसके लिए अपने स्वार्थ को त्याग दे। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और माफी चाहता हूं अगर मेरी किसी बात से किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो, या कोई गलत बात कह दी हो किसी को। अन्त में फिर यही कहना चाहता हूं कि परमात्मा के लिए ठहरो, और फिर से विचार करो कि मुल्क कहां जा रहा है, उसे आप किधर ले जा रहे हैं ? इन शब्दों के साथ मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं।

*श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर आज सदन में चर्चा हो रही है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जो बातें माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहीं कि हमारे देश की बढ़ती हुई आबादी चिन्ता का विषय है, उसको रोकना जरूरी है, वरना देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, यह सही बात है। मैं और मेरी पार्टी इससे पूरी तरह सहमत है और परिवार नियोजन को उचित ही समझती है और उसका समर्थन करती है। जब से यह योजना लागू हुई हमारी पार्टी ने सिर्फ समर्थन ही नहीं किया बल्कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर मीटिंगें और सभायें करके लोगों को समझाया, प्रयास किए और उनको परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए उत्साहित किया। हमारे साथी बैठे हुए हैं चन्द्रभान आजाद जी, इन्होंने कैम्प लगवाया और इन्होंने अपनी स्वयं नसबन्दी करवा कर लोगों को उत्साहित कराया। तो यह योजना सफल होनी चाहिए। हमारे देश की बढ़ती हुई आबादी रुकनी चाहिए। लेकिन मान्यवर, योजना कितनी भी अच्छी हो, गलत ढंग से अमल अगर होगा, तो वह योजना बदनाम होगी और उसका जो अच्छा परिणाम निकलना चाहिए; वह अच्छा परिणाम न निकल कर गलत परिणाम निकलेगा।

मान्यवर, हमारे देश के लिए जो राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है, उसमें हमारे प्रदेश का हिस्सा 4 लाख का था। हमारे प्रदेश के उत्साही मुख्य मन्त्री जी और उनके अन्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखा लाल]

मन्त्री जी ने 5 लाख कहा। फिर 15 लाख का कोटा लिया गया। मुझे इसमें आपत्ति नहीं कि 15 लाख लिया गया, 20 लाख लिया गया होता तब भी अच्छा था। अगर 15 लाख का लिया गया, तो कम से कम इसकी व्यवस्था 15 लाख की कराने के लिए, कुशल नर्सेज, कुशल डाक्टर्स हैं कि नहीं अस्पताल में, उचित व्यवस्था है कि नहीं, इसका कोई अन्दाजा या कोई इन्तजाम नहीं किया गया। मान्यवर, अब तक 5 लाख 65 हजार केसेज की नसबन्दी हुई है, उसमें मेरा विश्वास है कि 75 फीसदी देहातों में हुई हैं। शहर में 25 फीसदी हुई होगी, शायद कम ही हुई होगी और शहरों में तो कुछ साज-सज्जा, रहने की व्यवस्था है, देहातों में कोई व्यवस्था नहीं है। कैम्प लगा-लगा करके नसबन्दी की गयीं। नसबन्दी करके दो घंटे के बाद उनसे कह दिया गया कि घर जाओ। ऐसी स्थिति में, माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास भी सूचनायें होंगी, स्वास्थ्य मन्त्री जी के पास भी होंगी, मैंने खुद कई केसेज भेजे। कितनी मौतें हुई हैं टिटनेस से, कितने आपरेशन्स में सेप्टिक हो गए हैं, कितने खराब हो गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन डाक्टरों ने या जिन लोगों ने आदमियों को भेड़, बकरे की तरह से ट्रीट किया, आपरेशन करके छोड़ दिया कि घर जाओ, उनके केसेज बेकार गए या टिटनेस होकर आदमी मर गए। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एक भी डाक्टर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कार्यवाही की गयी? चेतावनी तक दी गयी? जहां तक मुझे सूचना है कि नहीं दी गयी। अगर नहीं दी गई तो इस तरीके से अगर यह योजना चलाई जाएगी, तो उससे जो हम चाहते हैं कि जनता में परिवार नियोजन में वृद्धि हो, परिवार नियोजन की इच्छा लोगों में बढ़े, तो इससे योजना बदनाम होगी।

यह सही है कि जैसा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि हमारे प्रदेश के कुछ साम्प्रदायिक तत्व अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिए, साम्प्रदायिक वातावरण पैदा कर रहे हैं। एक तरफ नारा दिया गया कि नसबन्दी गोवध के समान है। लेकिन आपके अधिकारी कोई गलत काम करते हैं, लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं तो उनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठायेंगे? मुजफ्फरनगर की चर्चा चौधरी साहब ने की और उसका पूरा विवरण दिया। मैं उस विवरण में नहीं जाना चाहता। मुजफ्फरनगर का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मुसलमानों के मुहल्ले में जाकर कहता है, उसका नाम ब्रजेश यादव है कि बिरजू दादा जब यहां से चले जायेंगे तब मुसलमानों को सपने में भी याद आवेंगे? आप लोग जानते हैं कि दादा लफ्ज का मानी क्या होता है? उत्तर प्रदेश के लोगों को बम्बई में दादा कहा जाता है। दादा यानी गुन्डा, वह अपने को गुन्डा कहता है। वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जब मुसलमानों के मुहल्ले में जाता है तो वहां के रिक्शे व तांगे वालों को पकड़ कर बन्द कर देता है और उनको जबरदस्ती बन्द करके नसबन्दी के लिए मजबूर करता है। हमारी जिला कमेटी के सेक्रेटरी श्री धीर सिंह शास्त्री ने जब उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाकर यह कहा कि मुजफ्फरनगर में 24 हजार आपरेशन्स हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर में 30 प्रतिशत मुसलमान हैं और अभी तक 24 हजार में, 35 प्रतिशत मुसलमान आपरेशन करा चुके हैं, फिर भी आप कैसे कहते हैं कि इस काम में मुसलमान सहयोग नहीं दे रहे हैं?

आप इन गरीब मुसलमानों पर क्यों सख्ती कर रहे हैं? इस पर वह जिलाधीश कहता है कि शास्त्री जी, आप हिन्दू होकर ऐसी बात कहते हैं? जो ऐसा कम्युनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, उसके खिलाफ क्या उसी तरह का व्यवहार करेंगे जैसा कि आप और कम्युनल संस्थाओं के साथ करने की सोच रहे हैं जो कि नसबन्दी के विरोधी हैं? चौधरी साहब ने विस्तार से बतलाया कि मुजफ्फरनगर के मुस्लिम मुहल्लों में इस तरह की घटनायें हुई हैं और कहा यह जाता है कि मुसलमान विरोध कर रहे हैं। जब कि अब तक वहां पर मुसलमानों का 35 प्रतिशत तक आपरेशन हो चुका है। कैराना में मस्जिद के अन्दर जाकर लोगों पर गोली चलाई गयी जब कि वे नमाज पढ़ रहे थे। सरकार कह सकती है कि मस्जिद के अन्दर गोली नहीं चलाई गयी, जख्मी होने के बाद लोग मस्जिद

के अन्दर चले गए। लेकिन जो लोग मस्जिद के अन्दर मरे थे उनके नाम और उम्र मैं पढ़ देता हूं। अब्दुल पुत्र चन्दा, उम्र 70 वर्ष, मुन्शी पुत्र मुहम्मद, उम्र 80 वर्ष, हाजी मंजूर, पुत्र कबीर, उम्र 50 वर्ष, एक नौजवान इब्राहीम था, पुत्र सबीउद्दीन उम्र 30 साल। वे सब मस्जिद के अन्दर नमाज पढ़ रहे थे जब कि उनके ऊपर गोली चलायी गयी। ये तमाम केसेज हैं, मुजफ्फरनगर और दूसरी जगहों पर अविवाहित लोगों तक को पकड़-पकड़ कर उनकी नसबन्दी करा दी गयी। मेरे पास लिस्ट है कि कई केसेज ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं थे, उन सब के नाम पढ़ कर सुनाने का अवसर नहीं है लेकिन अविवाहित लोगों की भी नसबन्दी कर दी गयी है, बगैर किसी लिहाज के। क्योंकि एक एमबिशस टार्गेट जिले-जिले में दे दिया गया था और हर जिलाधीश ने अपने टार्गेट को पूरा करना जरूरी समझा और वे सब अपनी-अपनी आंखें मूंद कर उस टार्गेट को पूरा करने लगे। अगर कोई रेल यात्रा करते समय बिना टिकट पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना तो बाद को होगा, पहले उसकी नसबन्दी हो जाएगी। बगैर इस लिहाज के कि वह 60 वर्ष का है, 70 वर्ष का है या 80 वर्ष का है।

मेरे पास एक केस आया कि नेपाल का एक लड़का जो अविवाहित था, लखनऊ से दिल्ली जा रहा था और रास्ते में गिरहकटों ने उसका पैसा और टिकट मार लिया था, इसलिए जब वह पकड़ा गया तो उसकी नसबन्दी कर दी गयी। इस केस को मैंने सी0 एम0 ओ0, लखनऊ को रेफर किया है कि जिन अधिकारियों ने ऐसी गलती की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाय। एक तरफ जनता के ऊपर जबरदस्ती की जाएगी और दूसरी तरफ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं की जायेगी तो आपकी यह पवित्र योजना बदनाम होगी और इस तरह से जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, वह हासिल नहीं हो पाएगा। सुल्तानपुर में भी बड़ी भयंकर घटना हुई। सुल्तानपुर में जहां पर कैम्प लगाया जा रहा था, वहां मुसलमानों की आबादी थी। वहां के लोगों का यह कहना था कि रमजान के दिनों में कैम्प न लगाया जाय, रमजान निकल जाने पर कैम्प लगाया जाय। लेकिन अधिकारियों ने कहा कि कैम्प अभी लगेगा। कोई विवेक से कहीं काम लिया जायगा या नहीं? यह अधिकारी कहीं विवेक से काम लेंगे या नहीं? अगर सुल्तानपुर जैसी घटनायें घट जाएंगी तो क्या प्रशासन इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कदम उठाएगा या नहीं?

आज जगह-जगह से बाजारों में लोगों को ठेलों में भर लिया गया और नसबन्दी कर दी गयी। अदालत में 107 के लिए, जमानत के लिए लोग गए तो कहा गया कि जमानत बाद में ली जाएगी नसबदी पहले होगी। बरेली में हुआ, अलीगढ़ में हुआ और ऐसा ही हमारे उन्नाव जिले में हुआ है। बसों को रोक-रोक कर नसबन्दी के लिए आदमी ले जाए गए हैं। रेलों से लोगों को पकड़-पकड़ कर, मुरादाबाद, बिजनौर के बीच रेलों से लोगों को उतार-उतार कर नसबन्दी करायी गयी। बरेली के बारे में माननीय नेता विरोधी दल ने कहा। कचहरियों के फाटक बन्द करके नसबन्दी कर दी गयी और छोड़ दिया गया। बरेली, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर में जिस तरह से ज्यादतियां हुयीं, इस बात से हम लोगों को बहुत दुख हुआ है। जो शासक पार्टी के लोग हैं उनको भी दुख हुआ है। मन्त्रि-मन्डल के लोगों को दुःख हुआ है। मुझे तो पता लगा है कि एक राज्य मन्त्री ने कह दिया कि अगर ज्यादतियां नहीं बन्द हुयी तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं।

एक सदस्य—

किसी ने ऐसा नहीं कहा है।

श्री भीखा लाल—

मुझे यह भी सूचना मिली कि मुख्य मन्त्री जी ने उनको घर पर खाने के लिए बुलाया और समझाया-बुझाया कि इसको वापस ले लो। इसको तो मुख्य मन्त्री जानते होंगे या फिर वह जानते होंगे कि क्या हुआ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं नेता साम्यवादी दल का बड़ा आदर करता हूं। यह मेरे लिए उचित नहीं था कि बीच में किसी प्रकार का व्यवधान डालूं। लेकिन चूंकि मन्त्रि-मन्डल के सदस्य के बारे में बात कही गई है तो मैं निवेदन करूंगा कि जो सूचना उनको दी गयी है वह तथ्य से परे है।

श्री भीखालाल—

मुझको आपत्ति नहीं है। मुख्य मन्त्री जी अगर कहते हैं कि सूचना सही नहीं है तो मुझे बहुत खुशी है कि यह सूचना सही नहीं थी। मेरी सूचना गलत हो सकती है। लेकिन इन घटनाओं से शासक पार्टी के लोग भी असन्तुष्ट हैं। मुजफ्फरनगर के लोग, कांग्रेस के लोग, एम0 पी0, एम0 एल0 ए0 और जिला परिषद के लोग जाकर प्रधान मन्त्री को या मिनिस्टर्स को मेमोरैन्डम देते हैं कि ज्यादतियां हो रही हैं। आपके दल के लोगों में इन बातों का दुख है। चिंतित हुए हैं, क्योंकि इससे इस योजना की सफलताओं में बाधायें पड़ रही हैं। योजना की बदनामी हो रही है। इस योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, टारगेट को पूरा करने की धुन में अधिकारियों को इतनी छूट दे दी गयी है कि वह चाहे जो कुछ करें, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठायी जा रही है।

आज प्रशासन इतनी मनमानी करने पर उतर आया है कि जनता की आवाज डूब गयी है। अगर जरा भी कोई भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी के बारे में अधिकारियों का नाम ले ले तो फौरन कहा जाता है कि यह परिवार नियोजन का विरोध कर रहे हैं और मीसा या डी0 आई0 आर0 लगा दिया जाता है। सत्य कहना मुश्किल हो गया है। प्रधान मन्त्री जी बयान देती हैं कि कोई जोर-जबरदस्ती नहीं है। स्वास्थ्य मन्त्री कर्ण सिंह कहते हैं कि कोई जोर-जबरदस्ती नहीं है, यह खबरें अखबारों में छपती हैं। हमारे उन्नाव जिले में एक फरीद अहमद हैं, सहायक मंत्री हैं, उन्होंने कई केसेज प्रेरक की हैसियत से कराए। मंजूर हसन रिजवी ने हमारे साथ मिलकर कैम्प लगाया। उसी बीच कर्ण सिंह का बयान आया। प्रधान मन्त्री को सूचना दी गई कि उसमें 27 मरे। लेकिन जब कोई तथ्य सामने नहीं आते हैं तो विवरित होकर खबरें पहुंचती हैं और कोई कहता है कि 50 मरे, कोई कहता है कि 500 मरे। इन खबरों से गलत असर होता है। श्री फरीदी के खिलाफ हसनगंज एस0 डी0 एम0 को खबर पहुंची कि वह परिवार नियोजन के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं तो उन्होंने उनका लाइसेन्स खत्म कर दिया और कहा कि तुम परिवार नियोजन का विरोध करते हो। इसलिए सही बात कहना कठिन है। जो सही बात कहे तो उसको परिवार नियोजन के विरोध में मीसा में बन्द कर दो।

मान्यवर, परिवार नियोजन को सरकार ने प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है तो यह सही है। जैसा कि सरकार कहती है कि 20 साल से यह करते आए हैं और हर पंचवर्षीय योजना में इस पर कुछ धन खर्च किया है लेकिन उससे कोई अधिक लाभ नहीं हुआ। अब कर्मचारियों की नियमावली में परिवर्तन कर दिया और उनका वेतन रोक दिया। लेकिन कहते हैं कि वेतन नहीं रोका गया है। मेरे पास खबर है कि बहुत से अध्यापकों को वेतन अक्तूबर का नहीं मिला है। तो यह प्रोत्साहन का मतलब है। अध्यापकों को एक-एक महीने की लीव दे दी गयी और कहा गया कि परिवार नियोजन के केस लाओ नहीं तो बरखास्त कर दिया जाएगा। यदि इसके खिलाफ कोई कुछ कहता है कि जोर-जबरदस्ती नहीं होनी चाहिये तो उसको फौरन डी0 आई0 आर0 और मीसा में भेज देते हैं। अध्यापक एम0 एल0 सी0 है उसके खिलाफ मीसा प्रयोग किया जाता है। यह जोर जबरदस्ती नहीं है तो क्या है? इससे योजना को अच्छा लाभ नहीं पहुंचा है।

मान्यवर, आज विद्यार्थियों का एडमीशन नहीं हो सकता है जब तक कि वह परिवार नियोजन का केस न लाए। हरिजनों के प्रति जिला जितना ढिंढोरा पीटा जा रहा है लेकिन उनके प्रति उतना हो नहीं रहा है। इसलिए हरिजनों में असन्तोष हो रहा है।

हरिजनों की फ़ीस माफ नहीं होगी जब तक कि वह परिवार नियोजन का सर्टिफिकेट न ले आवे और न उनको स्कालरशिप ही मिलती है। उनको पट्टा नहीं मिलेगा और न जमीन का कब्जा ही मिलेगा जब तक कि वह लोग परिवार नियोजन का सार्टीफिकेट न ले आवें या नसबन्दी न करा लें। इसलिए हर चीज परिवार नियोजन से बंध गयी है।

मान्यवर, ट्यूबवेलों के कनेक्शन के लिए आज इन्कार हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि पहले नसबन्दी कराओ तब कनेक्शन दिया जाएगा। एक तरफ तो अन्न की समस्या को हल करने के लिए कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ाओ और दूसरी तरफ सिंचाई के लिए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। तो अधिकारियों को विवेक से काम लेना चाहिये वरना इससे तो उत्पादन कम होगा।

मान्यवर, परिवार नियोजन को अभी सरकार ने अनिवार्य नहीं किया है। लक्ष्य दम्पत्ति को परिवार नियोजन करा लेना चाहिए वरना उन पर कोई जुर्माना होगा या सजा होगी, ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन आज अनेकों जिलों में अधिकारियों ने इसे अनिवार्य बना दिया है, बिना इस बात के शिनाख्त के कि लक्ष्य दम्पत्ति कौन है। मैंने डाक्टर साहब से पूछा और उन्होंने बताया कि जिसके तीन बच्चे हों। मेरे पास नोटिस हैं। एक नोटिस ललितपुर जिले का है। कार्यालय परगना मैजिस्ट्रेट, महरोनी। उन्होंने एक कास्तकार को लिखा है आपके दो बच्चे हैं लिहाजा आप अपना परिवार नियोजन दिनांक 28 अगस्त, 1976 तक करा लें वरना आप पर मुकदमा चलाया जायगा कि आप परिवार नियोजन के विरोधी हैं। इस प्रकार के नोटिस सब लोगों को दिए गए हैं। लक्ष्य दम्पति तीन का रखा है तो दो बच्चे वालों का क्यों परिवार नियोजन किया जा रहा है? इस प्रकार का एक नोटिस नहीं है, सैकड़ों नोटिस हैं।

मान्यवर, इनसेनटिव और डिसइनसेनटिव के नाम पर यह हो गया है कि लाइसेन्स नहीं दिया जायगा, परमिट नहीं दिया जायगा, कोटा नही दिया जायगा, यदि परिवार नियोजन नहीं करायेंगे। मेरे पास एक छपा हुआ फार्म है। आर0 आई0, कोटद्वार ने ब्लैंक फार्म में प्रेरक की जगह पर अपने दस्तखत कर दिए। बच्चों वाला कालम खाली है। रुपए वाला कालम खाली है। नसबन्दी केस का प्रेरक होना चाहिए या आर0 आई0 साहब खुद हों? इस किस्म का हो रहा है। हमारे पास ऐसी सूचना आई है। निश्चित सूचना अभी नहीं आयी है जिसे सरकार को भेजा जाय। डाक्टरों द्वारा फरजी सार्टिफिकेट देना भी शुरू हो गया है। हजारों रुपया लेकर डाक्टर फरजी सार्टिफिकेट देते हैं। अभी तक तो अध्यापक चार-पांच सौ रुपया खर्च करके किसी तरह अपनी नौकरी बचाता था। अब डाक्टर पांच सौ रुपए लेकर फरजी सार्टिफिकेट देता है। मान्यवर, यदि इसके खिलाफ कुछ कहा जाय तो फौरन परिवार नियोजन के विरोध में डी0 आई0 आर0, मीसा लगा दिया जाता है। इन चीजों को रोकना चाहिए। यदि नहीं रोकी गयी तो परिवार नियोजन की योजना बदनाम होगी, सफल नहीं होगी।

माननीय चरण सिंह ने कहा कि मुजफ्फरनगर की जो घटना हुई वह जालियांवाला बाग की घटना से कम नहीं है। यह सही है कि ऐसी घटनायें बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक हुई हैं और वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस ने यह घटनायें करायी हैं उसका संकोच के साथ ट्रान्सफर किया गया। निलम्बित नहीं किया गया। आज तक उसका सस्पेन्शन नहीं किया गया। उल्टी तारीफ हो रही है कि अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेटर है। इस घटना के पीछे क्या था? तीस हजार का लक्ष्य रखा गया था। चौबीस हजार पूरे हो चुके थे। 19 तारीख अन्तिम तारीख रखी गयी थी। उस दिन मुख्य मन्त्री तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा आमन्त्रित किया गया था। उस तारीख को तीस हजार पूरा करके वह एक्सीड कर के पूरे हिन्दुस्तान में प्रथम बनना चाहता था ताकि जल्दी कमिश्नर हो जाय, चीफ सेक्रेटरी हो जाय। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिये उसने इस तरह से अंधाधुन्ध तरीके से काम किया। इसके पहले खतौली में इसी तरह से बसों से, तांगों से, रिक्शों से, कचहरियों से, पकड़-पकड़ कर आपरेट किया गया। इस तरह की घटनायें रुकनी चाहिए।

[श्री भीखा लाल]

हम परिवार नियोजन की सफलता में आपके साथ हैं, इसका विरोध करने वाले तत्वों के खिलाफ उनको दबाने में हम आपके साथ हैं, लेकिन जो अत्याचार हो रहा है, जो यह अफसरशाही इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अत्याचार कर रही है, जो आपने इनको छूट दे रखी है और जैसे आदमियों के साथ भेड़-बकरियों की तरह व्यवहार हो रहा है, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाना चाहिए ताकि यह योजना बदनाम न हो और नसबन्दी चाहे 15 लाख की जगह 20 लाख हो जाय लेकिन समझा-बुझाकर होनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ए0 सी0 ग्राइस (नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मन्त्री जी का भाषण सुना और विरोधी दल के नेता को भी सुना और यह भी सुना। मैं अपनी तरफ से और अपनी कम्युनिटी की तरफ से यह कहना चाहता हूं कि इस योजना से अच्छा कोई है ही नहीं, चाहे आप कहें कि कम्पलशन हो रहा है या कुछ हो रहा है। मैं आपसे और सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह न हो तो 10 सालों के अन्दर या 20 सालों के अन्दर लोगों का रहना मुश्किल हो जायगा, खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। मैं अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से यही कहना चाहता हूं और इसका स्वागत करते हुए इसे यहीं समाप्त करता हूं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, पहले मुझे अवसर मिलना चाहिये क्योंकि महिलाओं से बढ़कर और कोई इससे सम्बद्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे फेमिली प्लानिंग पर बोलने का मौका दिया। जो हमारे माननीय चरण सिंह जी ने बातें बतायीं, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस सिलसिले में उन्हीं की किताबों से जो चीजें साबित की हैं उससे जाहिर है कि वह फेमिली प्लानिंग की बात से सहमत थे और जो हमारे मन्त्री जी ने तथ्य उनके सामने रखे उससे वह कुछ बदहवास से हो चुके थ। उन्होंने यह कहा कि मैंने जातीय प्रोग्राम बनाया था बल्कि आप खुद वह किताब लाए थे और उस किताब के लाने की वजह से ही वह बातें उनके लिए पढ़ी गयीं। मुझे मुजफ्फरनगर एवं सुल्तानपुर में हुए वाक्यातों पर दुख है लेकिन हमारी सरकार उसके लिए सख्त कदम उठाएगी। मैं एक मुसलमान एम0 एल0 ए0 हूं और आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के सिलसिले में कि कुछ हमारे सेन्टर के भाइयों में यही भ्रम था कि मुसलमान इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मैंने 18 जुलाई को 2 कैम्प स्टार्ट किए एक छिबरामऊ और दूसरा कमालगंज में और आज जो 7 कैम्प हमारे चल रहे हैं, अप्रैल से लेकर 16 जुलाई तक, सिर्फ 250 आपरेशन फर्रुखाबाद में हुए थे लेकिन इस वक्त 10 हजार से ऊपर टारगेट हमने एचीव किया है। हमारे यहां 14 परसेन्ट मुसलमान हैं जिसमें कि 30 परसेन्ट ने आपरेशन करा लिए हैं। किसी किस्म की नसबन्दी की मुखालफत किसी ने नहीं की। हां, सरकारी अफसरान ने जो गलतियां की हैं और जिन कांग्रेसी लोगों ने इसकी मुखालफत की उनसे मुख्य मन्त्री जी को जानकारी कराई लेकिन आदमी कोई नहीं मरा। कुछ अफवाहें लोगों ने फैलाईं, लेकिन उनका कोई असर अवाम पर नहीं हुआ। सारे कैम्प में जोश तथा शान्ति के साथ काम हुआ। आगे भी ये कैम्प चलाये जाएंगे। इस्लाम में फेमिली प्लानिंग के लिए कहीं भी मुमानियत नहीं है। सरकार ने श्री समीउद्दीन को फेमिली प्लानिंग का कमिश्नर नियुक्त किया है। उन्हीं की निगरानी में यह किताब छपाई गयी है जिसका नाम है खानदानी

मंसूबबन्दी और उल्माए इस्लाम के फैसले जिसे कि अल्लामा मुस्तफा हुसेन काकोरवी ने लिखा है। आप इस शेर पर गौर फरमायें :—

"तोड़ा कमर शाख को कसरत ने समर की,
दुनिया में गिरांबा हिए औलाद गजब है।"

आप खुद सोच लें कि जिस आदमी के चार बच्चे होंगे वह कैसे उनको पढ़ाएगा, परवरिश करेगा। जो प्रोग्राम हमारे यहां चल रहा था, प्रभु नारायण जी, स्वास्थ्य मन्त्री वहां तशरीफ ले गए और के0 सी0 पन्त साहब भी वहां तशरीफ ले गए। उन्होंने प्रोग्राम को देखा। हर तरह से हमारे यहां का यह प्रोग्राम सफल रहा। बहुत कमेटीज इस सिलसिले में काम कर रही हैं। मैं एक शेर कह कर अपनी तकरीर खत्म करता हूं —

"एक दिल और तूफाने हवादिस बेशुमार,
एक शीशा और हर पत्थर से टकराता हूं मैं।"

अकेले होने के नाते मेरी यही इस्तदुआ है कि मुख्य मन्त्री व सरकार इस प्रोग्राम को चलाने के लिए जो कुछ भी मेरी मदद कर सकें, करें।

*श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, परिवार नियोजन शब्द से यह परिलक्षित होता है कोई अच्छी बात होने वाली है। अपने देश में वर्षों से फेमिली प्लानिंग की बात चल रही है। 10 वर्ष हो गए हैं इस चर्चा को चलते हुए। लेकिन 76 का वर्ष फेमिली प्लानिंग में सबसे ज्यादा याद रखने वाला वर्ष होगा। इस वर्ष जहां बहुत ज्यादा लक्ष्य की पूर्ति फेमिली प्लानिंग में हुई है, वहां पर इतनी ज्यादा दुर्घटनायें भी हुई हैं, जोर-जबरदस्ती भी हुई है जिसका जिक्र सदन के सामने विस्तार से आया है। मैं इतनी बात अवश्य कहूंगा कि बहुत अच्छी बात के साथ कोई बुराई इस कदर जोड़ दी जाय तो उसका अच्छापन जो है, वह समाप्त हो जाएगा। आज पूरे देश, प्रदेश, समाज में, गली-गली व गांव-गांव में इसकी चर्चा है। नसबन्दी से सारे लोग परेशान हैं। समाज का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहां आज नसबन्दी के कारण लोग पीड़ित न हों। इसी वजह से सदन में इस पर विचार करना आवश्यक था। आज जिनको हमने समाज का रक्षक बनाया है, वही जीवन ले रहे हैं और खुले आम मुख्य मन्त्री के नाम पर जोर जबरदस्ती हो रही है। फेमिली प्लानिंग का प्रोग्राम जिसे मुख्य मन्त्री ने शुरू किया था, उससे किसी को कोई मुखालिफत नहीं है, वह बहुत आवश्यक है।

आज की बहस का मुख्य विषय है कि जिस जोर-जबरदस्ती के साथ यह काम हो रहा है यह क्या मुनासिब है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में आप इसकी जांच कराइए। यह जबरदस्ती अभी जारी है। आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया और उसको पूरा करने के लिए कौन-सा हुकम जारी कर दिया है। चाहे जो कुछ करो उसको सुनने वाला कोई नहीं है। आज यहां पर जितनी बातें कही गई हैं उसमें दो-चार बातें और कहना चाहता हूं। इस बात पर आज निरन्तर बल बढ़ता जा रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर तुरन्त ध्यान दें। इसके लिए आप कोई समिति बनाइए जो इस चीज का पता करे कि ऐसे कितने मामले प्रदेश में हुए जिससे चारों तरफ एक भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। बरेली का जिक्र चौधरी साहब ने किया। वहां 20 तारीख का दिन एक विशेष दिन रहा है। तमाम जिला भर के लोगों को इक्ट्ठा किया गया। सभी मजिस्ट्रेटों ने 20 तारीख दे दी। लोग वहां इक्ट्ठा हुए, कचहरी के फाटक बन्द कर दिए गए। घसीट-घसीट कर लोगों को तहसील ले जाया गया और आपरेशन करवाया गया। यह दृश्य कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्य प्रकाश]

मान्यवर, यह कभी परिवार नियोजन की मंशा नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ऐसा आदेश नहीं दिया होगा। मुझे मालूम है वह प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए पैसा जुटाने के लिए बाहर गए थे। उन्हें इस बात का पता नहीं होगा। वे समझते होंगे कि सारे प्रदेश में ला-एन्ड आर्डर है। लेकिन नसबन्दी के नाम पर इतना जुल्म कभी नहीं हुआ। 20 तारीख को बरेली में लोग न्याय पाने के लिए अपने मुकदमें की सुनवाई के लिए आए, लेकिन उनकी नसबन्दी करा दी गई। उनको न्याय के बदले अन्याय मिला। इसलिए आज इस बात को सदन में लाने की आवश्यकता हुई। यह आरोप लगाना कि कुछ लोग साम्प्रदायिकता फैला रहे हैं, यह उन लोगों द्वारा कहा जा रहा है जो अपनी कमजोरियों को छिपाना चाहते हैं और इन बातों का सहारा ले रहे हैं। कोई विरोधी दल कोशिश नहीं कर रहा है। आज इमरजेन्सी लगी हुई है, पाबन्दी है। राजनीतिक दल बैठक भी नहीं कर सकते हैं। आपने आम बैठक करने की इजाजत नहीं दे रखी है। केवल आप ही मीटिंग कर सकते हैं। हम सदन से बाहर कुछ कह ही नहीं सकते हैं। फिर आप आरोप लगायें कि कुछ दल ऐसा कर रहे हैं तो यह अपनी कमजोरी को छिपाने की बात होगी।

आज सारे प्रदेश का पुलिस प्रशासन जो चोरियों को पकड़ने में लगना चाहिए था वह सारे का सारा नसबन्दी में लगा हुआ है। डाक्टर लोग जो मरीजों के भयंकर रोगों को ठीक करने में लगना चाहिए था, वह इसी काम में लगे हुए हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है। थानों में रिपोर्ट लिखाने जायें तो वह नहीं लिखी जाती है। सारे का सारा प्रशासन पैरालाइज हो गया है। आप कहते हैं कि हम अच्छा इन्तजाम प्रदेश में कर रहे हैं। वह कहां हो रहा है, समाज में भगदड़ मची हुई है।

इस बीच में मुजफ्फरनगर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है। हो सकता है कि आपके पास कोई दूसरी खबर हो और लोगों के पास तीसरी खबर हो। लेकिन उस घटना को आप मिटा नहीं सकते हैं, प्रदेश की जनता उसे भुला नहीं सकती है। अगर ऐसी घटनायें नहीं हुई हैं तो आप क्यों चुनाव नहीं कराते हैं? अगर आप सच हैं तो जनमत को जानने का यही रास्ता है, यह स्थगित क्यों किए जा रहे हैं?

मान्यवर, जिन कानूनों के द्वारा आप लोगों को पकड़ रहे हैं वह देश के दुश्मनों को पकड़ने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। मीसा देशद्रोही लोगों को पकड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन मान्यवर, सरकार विधायकों को इसमें पकड़ रही है। दारुलशफा से आपको मालूम होगा श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी को पकड़ कर पुलिस ले गई। इस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी ध्यान दें। आप तो न्याय प्रिय हैं आपको इधर का भी तजुर्बा है। आप विरोधी दल में रहे हैं और उसी के कारण आपको मुख्य मन्त्री का पद मिला हुआ है। आप दोनों के हृदयों की बात जानते हैं। विधायक निवास में विधायकों को पकड़ लिया जाए और यह आरोप लगाया जाय कि वे नसबन्दी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे तो इस झूठ पर बड़ा आश्चर्य होता है और शर्म भी आती है। राजेन्द्र सिंह चौधरी पर झूठा आरोप लगाया गया कि नसबन्दी के विरोध में भाषण दे रहे थे। अब आपका अत्याचार बरदाश्त की सीमा से बाहर हो रहा है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाएं, य बड़े खेद की बात है। यह एक श्रेष्ठ कार्य है, इसको देश के लिए बढ़ाना है, देश में लोगों के हृदय में एक भावना भरनी है तो जो इसके पीछे ज्यादतियां हो रही हैं, उन्हें समाप्त किया जाए वरना इस अन्याय को करने वाले को कोई माफ नहीं करेगा।

*श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, नसबन्दी के विषय को लेकर इस किस्म का रुख इस चर्चा को दिया गया, उससे विदित है कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, वे यह कहने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बावजूद कि सिद्धान्त रुप में परिवार नियोजन से सहमत हैं, यह सोच-सोच कर कि समाज का एक अंग परिवार नियोजन को नहीं समझ रहा है, उस अनजान समाज का शोषण करने के लिए इस पर उतारू हैं। यह आज की बहस से स्वत: विदित है। कई बातें यहां कहीं गई। चौधरी चरण सिंह ने मुजफ्फरनगर की काफी चर्चा की। मैं उसी जिले से विधायक हूं। और इत्तिफाक से जिस समय यह दुर्घटना हुई मैं खुद घटना के समय वहां उपस्थित था। जहां तक इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सम्बन्ध है, उपाध्यक्ष महोदय, कितनी परिस्थितियां रही होंगी, उसका विश्लेषण करना विरोधी दल ने आवश्यक नहीं समझा और कह दिया कि जिला प्रशासन ने, कांग्रेस ने, लोगों पर गोली चला दी। गोली चले, आदमी मरे, लेकिन जितनी संख्या आपने बताया, उसके आधे से भी कम मरे। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आदमी गलत करता है तो दोषी आदमी के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। हम उससे सहमत हैं और उसके लिए इन्क्वायरी भी चल रही है। यदि उनके खिलाफ आरोप साबित होते हैं, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी। जिस समय यह भीड़ इकट्ठा थी, क्या उनकी पार्टी के कोई अध्यक्ष का मकान उसके पास है? उनके अध्यक्ष का उसमें क्या रोल रहा, उसका विश्लेषण किया होता तो पता चल जाता कि आपकी पार्टी उस विषय को क्या रुख देने की कोशिश करती रही। यह जानते हुए भी कि चौधरी चरण सिंह की क्या मान्यतायें हैं, उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने और उनके परिवार के सारे लोग उस भीड़ को भड़काने के लिए वहीं पर मौजूद थे। जिस समय यह दुर्घटना हो गयी, जोकि स्वाभाविक होती है, उस पर कुछ लोगों ने मेमोरेन्डम भी दिए होंगे, उस सम्बन्ध में जो हमारी पार्टी के लोगों के नाम दिए गए, वे मुझे सही नहीं प्रतीत होते हैं। मैं उनकी तस्दीक नहीं कर सका हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि यह सब क्यों है? उन्होंने देखा कि मुजफ्फरनगर की जनता प्रगति कर रही है, परिवार नियोजन में सफल हो रही है, वहां जन-जागृति हो रही है, वहां के सामाजिक कार्यकर्ता और विशेषकर कांग्रेस कार्यकर्ता स्वयं कैम्प लगाये हैं, तो इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सफलता से आपके दिमाग में ईर्ष्या हुई, जलन पैदा हुई और आपने उसमें टेंशन देना शुरू कर दिया और आपने भ्रामक बातों को फैलाना शुरू कर दिया और उसी का नतीजा यह हुआ कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुई।

मान्यवर, गलतियां भी हो सकती हैं। शासकों से भी गलतियां हो सकती हैं, राजनीतिक नेताओं से भी गलतियां हो सकती हैं। जो गलती करते हैं उनका दोष साबित होने के बाद उनको भुगतना पड़ता है। लेकिन पहले से हर बात को साबित करना कि माननीय मुख्य मन्त्री ने गलती की है, अधिकारियों ने गलती की है, गलत है। इनक्वायरी चल रही है। उसके बाद सिद्ध भी हो जायगा। मैं जिला अधिकारी की तरफ से ब्रीफ होल्ड नहीं करता। अगर उन्होंने गलती की है तो मैं पहला कार्यकर्ता हूंगा जो उसके खिलाफ झंडा उठाएगा और कहेगा कि उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। आपने इस कार्यक्रम में क्या योगदान दिया? आपने, जो असामाजिक थे, उनको दबाने के लिए क्या किया? जिन्होंने मुजफ्फरनगर मे कैराना में यह अफवाह फैलाई कि वहां पर मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ दी गयी हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है, जिसका परिणाम हुआ कि भीड़ इकट्ठा हो गयी और भीड़ इकट्ठा होने से वह घटना घटित हुई। लेकिन अगर आपका दामन साफ है तो आपको राजनीतिक पहलू नहीं देना चाहिए, दोषपूर्ण वातावरण नहीं पैदा करना चाहिए। भोखालाल जी ने बड़ा जोर दिया इस बात पर। जो एम0पी0 उनके दल के हैं वह एम0पी0 घटना के आठ दिन बाद गए थे। उनका किस प्रकार का आचरण था, उस पर शर्म आती है। वह एक लड़की की लाश निकाल कर लाए जो उस घटना से दस दिन पहले मर चुकी थी, नहर से निकाल कर लाए। हिन्दू मुसलमान का मुजफ्फरनगर में कोई सवाल नहीं था, न कोई कम्युनल टेंशन था। वहां पर कुछ लोगों ने भ्रम फैला कर इस घटना को होने में अपना योगदान दिया जिस पर हम सब लोगों को दुख होना चाहिए। दूसरे जिलों के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं यह कहूंगा कि यदि आप का विश्वास परिवार नियोजन में है, इस नीति में है तो आपको सामने आना चाहिए और अपने आप को इस मूवमेंट में वालंटियर करना चाहिए। इस प्रकार जो घटनायें हो रही हैं, वह नहीं होंगी। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अहम मसले पर बोलने का मौका दिया। मैं सरकार के सामने फेमिली प्लानिंग के सिलसिले में अपने मजहब की पोजीशन रखने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि वह उसके ऊपर पूरा-पूरा ध्यान देंगे। फेमिली प्लानिंग की क्यों जरूरत है यह हर हिन्दुस्तानी जानता है। हम लोग भी जानते हैं। आबादी जरूरत से ज्यादा फैलती जा रही है। वसायल कम होने की वजह से सरकार के सामने अहम दुश्वारी है। लेकिन क्या इसको इस ढंग से चलाने की जरूरत थी इसमें जरा सा इख्तलाफ है। इस सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहूंगा। यू0पी0 बल्कि सारे हिन्दुस्तान के बड़े आलिमों ने पुराने मसलों पर जल्दबाजी में तय कर दिया कि नसबन्दी इस्लाम में नाजायज है। इसका असर सारे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर पड़ा और अन्दर-अन्दर कन्वेंसिंग होने लगी सरकार के खिलाफ कि सरकार हमारे मजहब में मदाखलत कर रही है। उस फतवे पर दस्तखत मौलाना मोहम्मद तय्यब साहब, मौलाना मुफ्ती अतीकुर्रहमान साहब, मौलाना मिन्नतुल्ला अमीर शरीअत विहार व उड़ीसा, मौलाना अब्बुल हसन अली तदवी, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के दो शिया उलमा जिसमें शिया माइथालोजी के सदर मुजतहिद सय्यद कलबे आबिद साहब शामिल हैं। इस फतवे को देख कर मुसलमानों में बैचेनी की लहर दौड़ गयी। इस सिलसिले में मुसलिम परसनल ला बोर्ड की दो बैठकें दिल्ली में हुईं। 18 अगस्त, 1976 की एक मीटिंग में मुझे जाने का इत्तफाक हुआ। मैंने मौलवी तय्यब साहब से कहा कि यह अहम कौमी मसला है और इस पर क्या किया जा सकता है। कहां तक मजहब में गुन्जायश है इसको जल्दी तय करें? हमको असेम्बली में इसीलिए भेजा गया है कि हम अपनी कम्युनिटी की बात कहें। हमें यह अख्तयार है कि हमारी कौम के ऊपर जो परेशानी है उसको हम कहें और मीसा से न डरें। सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि आबादी कम हो। सरकार के इतने दबाव के बाद मैं यही कहता हूं कि सरकार को इस प्रकार से फेमिली प्लानिंग के लिए लोगों पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मौलाना तय्यब ने आल इंडिया रेडियो पर भी अपनी तकरीर पेश की थी। क्या फैमिली प्लानिंग का मसला इतना अहम था कि मुसलमानों को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसको इस प्रकार से पेश किया गया कि मुसलमानों में खलबली मच गयी अगर यह चीज पहले विचार कर ली गयी होती, गौर कर लिया गया होता कि इसको किस ढंग से किया जाए तो जो यह दिक्कत आ रही है वह न आती और मुसलमानों को आमतौर से सरकार से नफरत न होती। अगर प्रधान मन्त्री ने यह चीज पहले ही कर ली होती, आलिमों और मुफ्तियों से मशविरा तो यह सोचना न पड़ता। आबादी कम करने के लिए जो भी प्रयास करना होता आप करते। पहले अगर एक सिपाही या थानेदार गलती करता था तो उसको सस्पेन्ड किया जाता था और आज इतने लोगों का कत्ल हो गया और सरकार सिर्फ एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी से उसकी जांच करा रही है। सरकार इतने अहम मसले पर हाई कोर्ट के जज द्वारा इन्क्वायरी क्यों नहीं करा रही है? जरूरत इस बात की है कि ला एन्ड आर्डर को बिगड़ने न दिया जाए; आबादी को कम जरूर किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक माफी अवश्य मांगूंगा कि अगर इस सिलसिले में कोई ऐसा लफ्ज निकल जाए आम तहजीब के खिलाफ हो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। फेमिली प्लानिंग के दूसरे तरीके भी हैं, जैसे लूप, निरोध और अन्य तरीके भी हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से गुजारिश करूंगा कि वे मेरी बातों पर गौर फरमायें। इस मसले पर बड़ी ही संजीदगी से विचार करने की जरूरत है। जब तक इस पर गौर हो सरकार को इस पर इस तरह से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि दूसरे जो परिवार नियोजन के तरीके हैं वह फूल प्रूफ नहीं हैं। जब आपने हमल गिराने की कानूनी इजाजत दे दी है। तो अगर लूप फट जायगा तो हमल गिरवा दिया जायगा। जाहिर है कि आबादी नहीं बढ़ेगी। बराए मेहरबानी नसबन्दी पर जोर देकर जनता का दिमागी सुकून न छीनें। पहले से ज्यादा सख्ती की जरूरत है। अगर आप आइन्दा आबादी को कम करना चाहते हैं तो फेमिली प्लानिंग के जो दूसरे मसले और तरीके हैं उनको अपनाने की जरूरत

है। जब हमारा काम अन्य तरीकों, निरोध आदि से चल सकता है तो फिर दूसरा रास्ता क्यों अख्तियार करें ? दूसरे जिनके 3 बच्चे से ज्यादा हैं तो उनको आप नोटिस दे दें कि अगर तुम्हारे और बच्चा होगा तो तुम्हें सजा दी जायगी, इसके लिए आप जबरन नसबन्दी का तरीका ही क्यों अपनाते हैं। आपका मकसद महज यह है कि आबादी न बढ़े वह दूसरे तरीकों के अपनाने से भी रोकी जा सकती है। अगर आइन्दा आबादी के साथ-साथ मौजूदा आबादी कम रखना चाहते हैं तो इससे ज्यादा सख्ती की जरूरत है।

जहां तक साम्प्रदायिकता फैलाने वाली बात है। साम्प्रदायिकता दूसरी चीज है और मजहब दूसरी चीज है। मेरी अर्ज है कि इन दोनों चीजों को एक न समझें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम भी आपके साथ हैं आबादी को कम करने के बारे में लेकिन नसबन्दी के अलावा जो दूसरे तरीके हैं उनको अपनाया जाय और आलिमों के फैसले का इन्तजार की जाय।

(माननीय स्वास्थ्य मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, कम से कम हमारे दल को भी इस विषय पर बोलने का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठने की कृपा करें। अभी बहस समाप्त नहीं हो रही है। चर्चा चलेगी।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रभु नारायण)—

यह बहस अभी समाप्त नहीं हो रही है। अभी तो इस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी भी अन्तिम उत्तर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज नेता विरोधी दल और उनके दल के सदस्यों ने परिवार नियोजन की बहस के सिलसिले में विधान सभा में बैठने का जो प्रयास किया, उसके लिए मैं सरकार की ओर से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, जब परिवार नियोजन के सिलसिले में बहस की, बात मानने की बात हुई तो उस मौके पर यह बात ध्यान में थीं कि ऐसी बातें सामने आयेंगीं जिनसे इस अभियान में आगे बढ़ने की बात होगी लेकिन मुझे दुःख है कि नेता विरोधी दल ने जिस प्रकार की तकरीर विधान सभा में की उससे जो बल सरकार को मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। बल्कि इस अभियान को पीछे घसीटने की प्रवृत्ति उनकी तकरीर से प्रकट होती है। उन्होंने डरने की बात अपनी तकरीर में कही है, लेकिन जब कोई जोर जबरदस्ती हो ही नहीं रही है तो उनको डरने की क्या आवश्यकता है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, मुझे एक शेर याद आ गया। वह इस प्रकार :

"नाविक तेरे सैद ने छोड़ा जमाने में,
तड़पे हैं मुर्ग किब्ला आशियाने में।"

श्री प्रभु नारायण—

आप लोगों का आशियाना ऐसा ही रहता है कि कभी दायें और कभी बायें। दोनों तरफ रहता है।

माननीय नेता विरोधी दल ने प्रधान मन्त्री की उस स्पीच का हवाला दिया जो उन्होंने आई0 जीज0 की कान्फ्रेन्स में दिल्ली में दिया। उनका कहना था कि प्रधान मन्त्री जी ने कहा था कि "कुछ लोग इस परिवार नियोजन के प्रोग्राम को पोलिटिकली क्रैश करने की बात करते हैं।" आज वह दल जो राजनीतिक तौर से पिट गये हैं और आर्थिक कार्यक्रमों के मामले में जो जनता के बीच में खड़े नहीं हो सकते हैं, आज परिवार नियोजन को अपना आधार बनाना चाहते हैं, पोलिटिकल कैपिटल के लिए। ऐसी स्थिति में आज जो चौधरी साहब की स्पीच

[श्री प्रभु नारायण]

थी, उससे हमें ऐसा लगता था कि वह अपनी सारी मर्यादा सारी गम्भीरता को लांघ चुके हैं। उन्होंने संज्ञा दी कि सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर में जो घटनायें हुई वह जलियांवाला बाग को भी मात करती हैं। इससे बढ़ कर एग्जेगरेशन की बात शायद दूसरी कोई हो नहीं सकती। जिस साइक्लोस्टाइल्ड पेपर का माननीय नेता विरोधी दल ने जिक्र किया, शायद उन्हें नहीं मालूम कि हमारे भीखालाल जी के दल के एम0 पी0 के भी उस पर दस्तखत हैं और जब मुजफ्फरनगर की घटना हुई तो उसके 8 दिन बाद वह वहां तशरीफ ले गए और चीजों को उठाने की कोशिश की। यदि उनको इतना दर्द था, तो घटना के दूसरे दिन ही उनको वहां हाजिर हो जाना चाहिए था। साथ ही साथ उस साइक्लोस्टाइल्ड पेपर में यह बात भी कही गयी कि 24 हजार जो स्टेरिलाइजेशन हुए उसमें जनता का समर्थन इस कम्पेन को प्राप्त था। तो जब यह कहा जाता है कि जनता का समर्थन प्राप्त था तो फिर जोर-जबरदस्ती का सवाल कहां उठता है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय नारायण सिंह जी इसी सदन के सदस्य हैं, उनका नाम लिया गया था। वह इस सदन में उपस्थित भी हैं। माननीय चितरंजन स्वरूप जी का भी नाम लिया गया था, वह भी इस सदन में उपस्थित हैं।

श्री प्रभु नारायण—

वह माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं और उनका भी यह कहना है कि मुजफ्फरनगर की जनता का फैमिली प्लानिंग कैम्पेन में समर्थन प्राप्त था और इसी कारण 24 हजार आपरेशन हुए। फिर जोर जबरदस्ती का प्रश्न वहां उठता है ? कहीं कोई बात हो गयी हो तो उसको लेकर परिस्थिति पैदा हो गयी, वह एक अलग बात है। लेकिन यह कहना कि फैमिली प्लानिंग के कैम्पेन को जनता का समर्थन नहीं प्राप्त था, इसको कोई भी माननीय सदस्य वहां जा कर देख सकता है। वहां की जनता का पूरा समर्थन इस कैम्पेन को रहा है। इस घटना के बारे में दो रायें हो सकती हैं, रिजेन्टमेंन्ट हो सकता है। लेकिन जहां तक फैमिली प्लानिंग कैम्पेन का प्रश्न है, उसको वहां की जनता का पूरा समर्थन प्राप्त था उसमें कोई दो रायें नहीं हैं। सुल्तानपुर में क्या हुआ ? सरकार की पेशेन्स को जरा देखें कि उसने कितने संयम से काम लिया। वहां 24 अगस्त को वर्ल्ड बैंक के लोग लक्ष्य दम्पत्ति का रजिस्टर बनाने के लिए गए

(इस समय 4 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन : पीठासीन हुए।)

मोटीवेशन के लिए नहीं गए, वे केवल लक्ष्य दम्पत्ति रजिस्टर बनवाने के लिए गए थे (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

आपके भाषण करने के बाद आपको वोट नहीं मिलेगा। आप वही कर रहे हैं जो माननीय राजनारायण जी बाहर कर रहे हैं।

श्री प्रभु नारायण—

हमारे गर्ग साहब इस बात में बहुत कुशल हैं कि किस तरह से एक दल में फूट डलवायी जाए। इस काम में उनसे अधिक कुशल और कोई मिल नहीं सकता (व्यवधान) गर्ग साहब ने जो बात कही है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

आप वही कर रहे हैं जो बाहर माननीय राजनारायण सिंह जी कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री प्रभु नारायण—

आपकी उनकी जो गहरी दोस्ती है उससे यहां स्थिति खराब करने की कोशिश न करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

आप कांग्रेस के अन्दर रह कर रोजमर्रा वही काम कर रहे हैं जो बाहर राजनारायण सिंह जी कर रहे हैं। इसके बाद आपको वोट नहीं मिलेगा (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय गर्ग साहब ने माननीय राजनारायण जी का नाम लिया, वे यहां सदन में हैं नहीं, वे जेल में हैं, इसलिए उनका नाम कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गर्ग जी, यह संसदीय प्रारम्भिक परम्परा के अनुसार ही है . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

श्रीमन्, मैं उनका नाम वापस लेता हूं। मगर यह काम वही कर रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

वापस ले लिया, ठीक है। आपने अच्छा परिचय दिया, संसदीय पद्धति का।

श्री प्रभुनारायण—

जहां तक माननीय गर्ग साहब का सवाल है, कभी-कभी उनका दल, दोस्ती की बात के साथ-साथ, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ऐसा काम करने लगता है जिससे दूसरे दल को धक्का लगे और उनकी शक्ति बढ़े। अपनी शक्ति बढ़ाने में, मजबूत करने में वे माहिर हैं। इसलिए उनकी बात का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि किस तरह से दूसरे दलों को धक्का पहुंचा कर, अपनी जगह बनाने में वे माहिर हैं।

(व्यवधान)।

मैं सुल्तानपुर का जिक्र कर रहा था। वहां पर लोग टार्गेट कपुल रजिस्टर के लिए गए। फैजाबाद के कमिश्नर के साथ-साथ नमाज पढ़ी, वहां लोग बैठे रहे, संयम के साथ बैठे थे, कोई बात नहीं थी। 24 अगस्त से 27 अगस्त तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी, 27 तारीख को जो घटना घटी, वह इस कारण हुई कि कुछ लोग वैसा चाहते थे (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कुछ आर्गेनाइज्ड लोग आर्गेनाइज तरीके से इस प्रोग्राम को ध्वस्त करना चाहते हैं। इलाहाबाद में, कानपुर में, बनारस में, लखनऊ में जो यह प्रचार किया गया कि बच्चों को जो सुई लगायी जा रही है, वह स्टरलाइजेशन के लिए लगायी जा रही है, क्या इसके पीछे कोई आर्गेनाइज्ड दल नहीं है? हमारी दिक्कत यह है कि हमारे दोस्त बिना सोचे समझे ऐसे ही लोगों का साथ भी दे रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, कि परिवार नियोजन के काम के मामले में परिवार नियोजन अभियान के सिलसिले में जो समाज का रिएक्शनरी एलीमेन्ट है जो समाज का कम्युनल एलीमेन्ट है, जो समाज का रूढ़िवादी एलीमेन्ट है, वह आज समाज को सैबोटेज करना चाहता है। तो इस मौके पर इस सन्दर्भ में आज जो स्थिति है, इन सारी स्थितियों को देखने की जरूरत है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं मान्यवर, कि कई जगह पर जो घटनायें हुई, बस्ती की घटना हुई, गोरखपुर की घटना हुई, अलीगढ़ की घटना हुई, वहां पर मोटीवेशन के सिलसिले में कोई ऐसी घटना नहीं हुई। जहां पर ज्यादती हुई, वहां फेमिली प्लानिंग के कार्यकर्ताओं पर सख्ती हुई। लेकिन उसमें भी सरकार ने कोई दूसरा रुख नहीं अख्तियार किया। इस कम्पेन को चलाने के लिए, पूरी मर्यादा के साथ चलाने का काम हुआ।

जहां तक कमियों और त्रुटियों को देखने का प्रश्न है, उनको सरकार हमेशा देखने के लिए, उसको दूर करने के लिए तैयार है। लेकिन पूरे प्रदेश को झठलाने की बात

[श्री प्रभु नारायण]

कहना ठीक बात नहीं है। आज जो चौधरी साहब ने बल प्रयोग की बात कही। मैं एक सर्कुलर उनके समय का, उनके समय का एक जी0 ओ0 इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। जिस समय माननीय चौधरी साहब मुख्य मन्त्री थे, उस समय परिवार नियोजन न अपनाने के प्रतिफलस्वरूप जनता को कतिपय सुविधाओं से वंचित किए जाने के सम्बन्ध में मन्त्रि-परिषद् ने अपनी 15 फरवरी, 1968 की बैठक में यह निर्णय लिया था कि निम्नलिखित सुविधायें उन व्यक्तियों को न दी जायं जिनके परिवार में यदि 3 से कम बच्चे हों, तो 3 तक या यदि 3 से अधिक बच्चे हों, तो वर्तमान संख्या तक ही उसे सीमित न करें। यह सुविधायें, 1 जनवरी, 1969 से नहीं दी जायेंगी।

(1) छात्रवृत्ति—जिनमें स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वालों के बच्चों को, शिक्षकों को, फौज के आदमियों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं, चाहे वह शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा विभाग या अन्य किसी विभाग द्वारा दी जाती हों। इसमें वरिष्ठता के आधार पर छात्रवृत्ति शामिल नहीं है।

(2) ऋण एवं अनुदान—जो व्यक्तिगत लोगों को विभिन्न कार्यों के लिए सहकारिता विभाग, सामुदायिक विकास विभाग, नियोजन विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, इस राज्य के अन्य विभागों द्वारा दी जाती है।

(3) यहां तक यह भी कहा गया कि ग्राम समाज की भूमि का जमींदारी उन्मूलन के कानून के अन्तर्गत आबंटन।

श्री ऊदल—

जो बात कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। वह तो चाहते ही हैं कि आपका नुकसान हो।

श्री प्रभुनारायण—

18 लाख भूमिहीनों को जमीन दी गयी, लेकिन उन पर परिवार नियोजन की बात नहीं लागू की गयी। जिस नियम को सरकार ने बनाया है, जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स रूल में तरमीम किया, उस तरह का तरमीम उनके जमाने में भी हो चुका है। उनके जमाने में भी ये बातें हो चुकी हैं, सारी बातें उसी तरीके की हैं। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रश्न इस बात का है कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स सरकार की नीतियों को पारित करेंगे, अगर नहीं करेंगे, इससे एक प्रश्न खड़ा होता है। सरकार की राष्ट्रीय नीति है कि जनसंख्या पर रोक लगायी जाय। यदि सरकार की नीति है, तो सरकारी कर्मचारियों की भी नीति हो जाती है कि उसके पालन की बात करें। यदि सरकारी कर्मचारी किसी नीति का पालन नहीं करते हैं, तो उनका जो कन्डक्ट रूल है, उसमें डाल देने से कोई एतराज की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। जो 1968 में कानून था, उसको लागू करने की बात नहीं की गयी। इस सरकार ने इस बात को किया जोकि नियम पहले था, उस नियम का उस नियम में और सुधार करके जो नीति हम निर्धारित करें, उसका पालन करने की भी कोशिश करें। यदि उसका पालन न कर सकें तो फिर किसी नीति को निर्धारित करने का कोई मतलब नहीं होता। ऐसी स्थिति में चौधरी साहब का यह कहना कि यहां रूल आफ ला नहीं है, मैं समझता हूं कि परिवार नियोजन के सिलसिले में उनका यह कहना उचित और जायज बात नहीं है। नियम और कायदे कानून के माध्यम से ही हमने यह काम किया है। अगर कोई हाई कोर्ट में जाकर इसे चैलेंज करना चाहता है तो वह अवश्य हाई कोर्ट में चैलेंज करे। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। जुडिशियरी कोर्ट और हाई कोर्ट खुले हुए हैं जहां जाने की बात हो सकती है।

इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक जोर जबरदस्ती का सवाल उठाया गया है, हो सकता है कि कहीं जोर जबरदस्ती की कोई छोटी-मोटी घटना हुई हो।

हम हमेशा उसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं और सरकार उस पर कार्यवाही करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार की मंशा यह कत्तई नहीं है कि फैमिली प्लानिंग कैम्पेन के सिलसिले में कोई जोर-जबरदस्ती हो। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आपका कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं है तो इस फैमिली प्लानिंग कैम्पेन में आप सब का सहयोग और मदद मिलनी चाहिए और अगर इससे आपका कोई पोलिटिकल कैपिटल बनता हो तो दूसरी बात है।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)—

(श्री लारी का नाम पुकारने पर) मान्यवर, माननीय मन्त्री के भाषण के बाद बहस को बन्द करने की परम्परा रही है, कोई नई परम्परा नहीं होनी चाहिये (व्यवधान)।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्रीमन्, महिलाओं को ही इस पर बोलने का हक है। पुरुषों का इससे क्या सम्बन्ध है? इसलिए मुझे भी आप बोलने की अनुमति दें। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

जिनको नहीं बोलना है, वे कृपया बैठ जायं।

(कुछ क्षण पश्चात्) बात यह है कि जो तथ्य हैं वे सब सदन के सम्मुख रख दिए गए हैं। अगर कोई अतिरिक्त तथ्य हों तो वे सदन के सामने रखे जायं, उन्हीं तथ्यों को बार-बार दोहराने से कोई लाभ नहीं है।

इसलिए अब मैं 5-5 मिनट देता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल बहस शुरू करके चले गए, जब कि उनको यहां शुरू से आखिर तक रहना चाहिए था। यह संसदीय परम्परा के विपरीत है। चूंकि वे अनुपस्थित हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब इस पर बहस बन्द की जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैंने श्री लारी को बुला लिया है। पहले उनको सुन लें। (व्यवधान) माननीय काशीनाथ मिश्र जी को भ्रम है कि मात्र नेता विरोधी दल ने ही इस बहस की मांग की थी। औरों ने भी मांग की थी इसलिए उनके यहां रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। माननीय काशीनाथ जी इसको स्वीकार करेंगे कि यहां पर किसी का उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

परिवार नियोजन का मोटिवेटर कभी नहीं रहता।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी और स्वास्थ्य मन्त्री जी की बातें हमने सुनीं। सबसे पहले माननीय मुख्य मन्त्री जी ने हम लोगों के आगमन पर बधाई दी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि हमारे आगमन पर बधाई दी जाती है लेकिन जो हमारे आगमन पर रुकावटें पैदा हुई हैं उनके लिए उन्होंने कोई विचार नहीं किया। इससे यह मालूम होता है कि यह सारी बधाई दिखावे की है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी मांग थी कि हम जो अपने क्षेत्र के बारे में बातें कहें या अपने विचार रखें, वह अखबारों में छपें और जो हमारे साथी जेलों में बन्द हैं, उनको छोड़ दिया जाय ताकि वे यहां आकर भाग ले सकें। लेकिन इस बात को कभी नहीं कहा गया कि आपकी शर्तें मंजूर हैं।

दूसरी चीज यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मन्त्री के वक्तव्य पढ़कर सुनाए गए कि नसबन्दी जबरी नहीं होनी चाहिए, सख्ती नहीं होनी चाहिए। हमारी प्राइम मिनिस्टर की बातें भी बराबर पत्रों में निकलती हैं कि सख्ती नहीं की जानी चाहिए

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

या सख्ती नहीं हो रही है। माननीय मुख्य मन्त्री जी भी कहते हैं कि जबरी नसबन्दी नहीं होगी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज तक सूबे भर में जितनी नसबन्दियां हुयीं हैं उसके लिए माननीय मुख्य मन्त्री जी ने या उनके दल ने किसी अधिकारी के खिलाफ, अगर कोई शिकायत आयी है, उसको दन्डित किया है ? कहीं भी उनको कोई जबरी नसबन्दी की चीज मिली या नहीं ? मैं यह जानना चाहता हूं ! मुझे विश्वास है कि आज तक किसी अधिकारी के खिलाफ जबरी नसबन्दी के बारे में एक इन्च भी कदम नहीं उठाया गया है। उनको केवल वाहवाही ही दी गयी है। जैसा मन्त्री जी के पास रिपोर्ट P.A.C. से भेजी गयी है और उसमें कहा गया है कि 17 हजार नसबंदियां पिछले सालों में गलत हुयीं हैं। उसमें जो पैसा लगा, वह सब व्यर्थ गया तो क्या इसको आप आर्थिक विकास कहेंगे ? इस बात को उनको देखना चाहिए था कि अगर पहले गलती हुयी है तो कहीं उन्हीं गलतियों को दोहराया तो नहीं जा रहा है।

यह कहा जाता है कि हम लोग परिवार नियोजन का विरोध करते हैं और उसके खिलाफ कहते हैं। सन् 1972-73 में जब डाक्टर सहगल साहब का कैम्प लगा था तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने क्या तकरीर की थी और क्या सहयोग दिया था। आज स्वास्थ्य मन्त्री जी ने कहा कि इन्जेक्शन की वजह से झगड़ा हुआ और बच्चे स्कूल छोड़ कर भाग गए। उन्हीं के लोगों के द्वारा यह फैलाया गया था कि नसबन्दी के इन्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। 4 रोज तक नौतनवा का स्कूल बन्द रहा, हम लोगों ने लोगों को समझाया कि जो इन्जेक्शन लगाए जा रहे हैं वह टी0 बी0, बी0 सी0 जी0, और हैजा वगैरह के इन्जेक्शन हैं इससे नसबन्दी नहीं हो सकती। तो जो यह बात फैलायी गयी थी कि नसबन्दी के इन्जेक्शन लगाए जा रहे हैं इन्हीं के आदमियों के द्वारा फैलायी गयी थी। होता यह है कि जब 20-22 साल के लड़के की नसबन्दी कर दी जाती है, तो बवाल हो जाता है। लापरवाही के साथ आपरेशन किया जाता है, मर जाता है तो, ऐसी बातें बड़े जोर से फैलती हैं। अधिकारियों को कहना चाहिए कि इस बात की गारन्टी दी जाती है कि आपरेशन खराब नहीं होगा, टिटनेस नहीं होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी। कोई आपरेशन से नहीं मरेगा। मुख्य मन्त्री जी अपने दल के लोगों को अलग-अलग बुलाकर पूछें कि उनके जिले में कितने आदमी नसबन्दी में मरे हैं। आपके दल के दुर्योधन प्रसाद जी से मेरी बातें हो रही थीं।

(कई माननीय सदस्यों की सम्मिलित आवाजें--कोई नहीं मरा है।)

(शोर)

श्री काशीनाथ मिश्र--

कोई नहीं मरा है। यह लोग खुद ही प्रोपोगन्डा कर रहे हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मन्त्री जी अपने दल के लोगों से पूछें मेरी बातों को सही न मानें, अगर वह कहें तो मानना चाहिए। नहीं तो मखौल उड़ाने की बात है तो जो चाहें, वह करें। भाई दुर्योधन जी ने बताया कि तहसील महराजगंज के ग्राम राज मन्दिल के एक हरिजन लड़के की नसबन्दी की गयी। उसका इलाज नहीं हो सका और उसको टिटनेस हो गया। उसको अस्पताल ले गए और जब वहां उसकी हालत खराब हो गयी तो उसको घर मोटर में बिठाकर भेज दिया। रास्ते में वह मर गया तो उसको मोटर से नीचे फेंक दिया गया। आप अपने दल के मेम्बर से पूछ सकते हैं। तो असलियत यह है कि उस व्यक्ति के साथ जबरदस्ती की गयी है। 50 साल वालों के साथ जबरदस्ती की जा रही है।

एक सदस्य--

अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है यह बहस प्रात: से चल रही है और इसमें जितने लोगों ने नसबन्दी कराई है उन लोगों को आप बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं

और जो घबड़ा रहे हैं नसबन्दी से, वह बोल रहे हैं। इसलिए जिन्होंने नसबन्दी कराई है, उनकी आप बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न निहित है?

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मान्यवर, तो मैं यह कह रहा था कि एक आंधी चल रही है उसको आप देखें कि वाकई में ज्यादती हो रही है कि नहीं? यदि 50 साल से ज्यादा वालों की नसबन्दी हो रही है तो वह वेस्ट आफ पावर और वेस्ट आफ इनर्जी है। देहातों में टेन्ट लगाकर वैसे ही चीड़ दिया जाता है। यह तो सभी मानते हैं कि परिवार नियोजन जरूरी है। बगैर उसके देश तरक्की नहीं कर सकता है। आप मानते हैं कि 1967 से चौधरी साहब कह रहे हैं तो उसके लिए जरूरी थी एजूकेशन। इसको धीरे-धीरे समझाया जाता। आप अपने एम0 एल0 ए0 और मिनिस्टरों को देखते कि जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं और लक्ष्य दम्पत्ति में आते हैं तो उनकी नसबन्दी होनी चाहिये थी। उससे लोग सबक लते।

एक सदस्य—

आपकी नसबन्दी हो गयी है कि नहीं?

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मेरी तो अपने आप हो चुकी है।

तो मान्यवर, मेरा मतलब यह था कि यह इतना बड़ा मसला मखौल करने से नहीं हल होगा। कोटा जबरदस्ती बांटकर हल नहीं होगा। इससे देश की उन्नति नहीं हो सकती है। यदि आप सही माने में परिवार नियोजन चाहते हैं तो इसमें जनता को शिक्षित करें। पब्लिक में इसको समझायें। दोनों दल के लोग देहातों में जा-जा कर समझायें तभी सफलता मिल सकती है? हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी ने कह दिया कि चौधरी साहब ने 1967 में यह कानून बनाकर इसमें जो सख्ती किया था, हमारे समय में नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि यह क्या हो रहा है कि 1974 के पहले जितनी जमीनें बंटी हैं वह नसबन्दी कराने वालों को दी गई हैं? इसलिए वह पहले नसबन्दी करवायें तभी जमीन दी जायेंगी। इस तरह मखौल उड़ाने से काम नहीं होगा। इस पर संतुलित होकर विचार करना पड़ेगा। अधिकारियों को मजबूर न करें कि अपना कोटा पूरा करें और उसके लिए लूले, लंगड़ों, बूढ़े तथा लड़कों को पकड़ कर उनकी नसबन्दी करें।

मान्यवर, गोरखपुर में गोपालपुर गांव है। वहां के लोगों को उत्तेजित कर दिया गया और 22 वर्ष के लड़कों की नसबन्दी कर दी गई। छब्बू भीटी रावत को मार कर जो 55 वर्ष का है उसकी नसबन्दी कर दी गई। जिससे झगड़ा बढ़ा, लोग पकड़े गए और पीटे गए। इसमें दो-तीन आदमी मर गए। मेरे पास नाम मौजूद हैं और यदि मुख्य मन्त्री जी चाहें तो मैं दावे के साथ मरे हुए लोगों की लिस्ट, जिस में 22, 23 साल के भी हैं; बच्च भी हैं, दे सकता हूं। हम चाहते हैं कि सही नसबन्दी हो ताकि यह चीज चल सके। यदि इस प्रकार से चलेगा तो यह देश के हित में उचित नहीं होगा और गरीब मारे जायेंगे।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अध्यक्ष महोदय, मैंने विरोधी दल के नेता तथा अन्य सम्मानित विरोधी दल के सदस्यों की दास्तान, अरेबियन नाइट्स, बहुत गौर से सुनी। इसमें शक नहीं है कि हमारे विरोधी दल के नेता आदरणीय चौधरी चरण सिंह एक विद्वान और बड़े तजुर्बेकार, अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। उनका हृदय विशाल है, मस्तिष्क भी विशाल है लेकिन मुझे इस बात का रंज है कि अगर उनके विशाल व्यक्तित्व में भारत की नारी के दर्द की छोटी सी जगह है तो हम अपन आप को गौरवशाली मानते हैं।

---

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

परिवार नियोजन और परिवार—इसका सीधा सम्बन्ध एक नारी से है। मुझे बहुत खुशी होती अगर विरोधी दल की ओर से इस डिबेट में बोलने से लिए एक महिला खड़ी होती और अपने मुखारबिन्द से जो कह जाती उससे शायद हमें कोई नई दिशा मिलती। कोई बहता हुआ किनारा मिलता लेकिन जो परिवार का बोझ वह ढोती रहती है यह वही जानती है कि परिवार की दुःख भरी कहानी क्या है और परिवार नियोजन का उससे क्या सम्बन्ध है ? उस औरत की कहानी पर गौर कीजिए जो अपने आठ दस बच्चों को भूखा सुला कर रात के समय तारों को गिन-गिन कर समय बिताती है। क्या आपने उन औरतों की गमजदा कहानी पर कभी गौर किया है ? आप सभी ने, चाहे वह इस दल के हों, चाहे उस दल के हों, अत्याचार के बारे में बात कही, नसबन्दी कराने में परेशानी की बात कही। कोई दुध मुंहा बच्चा मर जाता है मां की गोद में क्या आपने उस के विषय में बात कहीं ? मैं अपने परिवार की बात सुनाती हूं। मेरी परदादी की बहन अपने आंसुओं को आंखों में छुपा कर अपनी दर्दभरी बात करती थी और कहती थी कि हम 18 भाई बहन थे, 14 मर गए चार जिन्दा हैं। ऐसी औरतें करोड़ों लाखों हैं जो आठ-आठ, दस-दस बच्चों को अपने सर में उठाए न जाने किस प्रकार अपनी जिन्दगी, दुःखभरी जिन्दगी, व्यतीत करती है। उनसे पूछिए कि परिवार नियोजन का क्या महत्व है ?

अभी आपने कहा कि दुर्घटनायें हुई हैं। मैं यह पूछना चाहती हूं कि विरोधी दल ने इस परिवार नियोजन अभियान में कितनी कन्सट्रक्टिव मदद की है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि हमारी आदरणीय प्रधान मन्त्री जी ने इस समय सारे हिन्दुस्तान की ही नहीं, बल्कि विश्व भर के दीन दुखियों, शोषित, अत्याचार से पीड़ित जो करोड़ों जनता की जिन्दगी में एक नयी रोशनी, एक नया जीवन उनको दिया है, एक नयी आशा दी है। वे आज हिन्दुस्तान के निम्न वर्ग को उठाने का सपना देख रही हैं। उस सपने को साकार करने में, कार्यान्वित करने में अगर हम यह परिवार नियोजन नहीं करते हैं, तो वह चूर- चूर हो जायगा और हमारी करोड़ों की जनता अंधकार में पड़ी रहेगी। मैं आपसे यह पूछती हूं कि आपने जिक्र किया रिश्वतखोरी का, अत्याचार का। यह कौन नहीं जानता यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यह आज से नहीं उस जमाने से है जब एलेक्जेन्डर ने हिन्दुस्तान पर हमला किया था, जब जयचन्द ने मोहम्मद गजनवी को आमन्त्रित किया था। मैं यह कहना चाहती हूं कि यह जो एक व्यक्ति रिश्वत लेता है या अत्याचार करता है क्या आपने मनोवैज्ञानिक रूप से इसका अध्ययन किया है ? वे ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि उनको घर में अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली।

हिन्दुस्तान की मां पूरी दुनियां में सबसे उत्तम मां है, आदर्श मां है लेकिन जो मां 8-8, 10-10 बच्चों का बोझा ढोती है तो क्या वह गौतम या राम पैदा करेगी ? इसलिए मैं इस विषय की गहराई में जाना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान की मां के सर से यह बोझा जरा कम किया जाय ? मैं विरोधी दल के नेता से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि क्या उन्होंने किसी महिला का बोझा कम करने के लिए प्रचार द्वारा, प्रेम द्वारा या स्नेह द्वारा कोशिश की है ? तो महिलाओं का जहां तक सम्बन्ध है, अगर उनके परिवार का जो बोझा है वह अगर कम होता है, तो मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूं कि हर घर में ईसा होगा, हर घर में गौतम होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा। क्या वह चाहते हैं कि हम चोर पैदा करें ? हम अंधे या लूले पैदा करें ? एक संस्कृत में श्लोक है जिसका अर्थ यह है कि पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, एक वह जो अजात है। जो पैदा ही नहीं होता है। जो केवल कल्पना का ही एक स्तर बन जाता है। दूसरा वह जो पैदा होकर मर जाता है। तीसरा वह जो मूर्ख होता है। जो पग-पग पर मरता है या मां को जाकर मारता है। तो इन तीनों में पहले 2 अच्छे हैं और इनमें से भी पहला अच्छा है जो पैदा ही नहीं होता है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि परिवार नियोजन भारतीय परम्परा के प्रतिकूल नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है, जो नयी हो। यह बहुत पुरानी चीज है।

जितने बड़े-बड़े महान ऋषि मुनि हुए, हैं राम अपनी मां के इकलौते बेटे थे, ईसा अपनी मां के अंचल से इकलौते थे । गौतम बुद्ध इकलौते थे, इन्दिरा गांधी अपनी माता-पिता की इकलौती बेटी हैं, अकबर जिसने इतनी बड़ी सल्तनत कायम की, हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक, वह अकबर अपने मां-बाप का इकलौता बेटा था। यह कोई नयी चीज नहीं है। हां, तरीके जरूर बदल गए हैं। उस जमाने में जनक थे जिन्होंने सोने के हल से जोता था जमीन को और सीता को बरामद किया। आज सोने का हल नहीं ह, ट्रैक्टर है। नए-नए साइंटिफिक तरीके आ गए हैं, इस युग में। माननीय नेता विरोधी दल इन्डस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे, लेकिन इन्डस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही वह देख रहे हैं कि आज एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ और स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू की सूझ-बूझ के कारण ही यह तरक्की हो रही है और नए नए रास्ते निकल रहे हैं। मैं अपील करूंगी कि महिलाओं की परेशानियों तथा मुसीबतों पर गौर किया जाय और इस फेमिली प्लानिंग के अभियान में सरकार सहयोग दे। हमें आपसे इस फेमिली प्लानिंग ने मिलने का मौका दिया। वह आए हमारे घर खुदा की कुदरत ह। जो दुर्घटनायें हुई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन प्रतिक्रियावादी शक्तियों के कारण जो यह सब हुआ तो हमें डर नहीं जाना चाहिए। मैं अध्यापिका हूं। 100 लड़के इम्तिहान में बैठते हैं। 10 फेल हो जाते हैं और 90 पास हो जाते हैं। एक-दो नकल करते हुए पकड़े जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं ह कि स्कूलों में ताला ही डाल दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री त्रिवेनी——

मेरा व्यवस्था का प्रश्न ह। भीखा लाल जी, स्वास्थ्य मन्त्री जी के बोलने के बाद कुछ बचा नहीं है। मैं चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि अब बहस को समाप्त किया जाय।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

इधर के लोगों के तथा उधर के लोगों के काफी भाषण हो चुके हैं। अब कौन सी बात छूटी है जो माननीय सदस्यों को कहनी है? केवल उन्हीं बातों को दोहराया जा रहा है जिससे सदन को कोई लाभ होने वाला नहीं है। उन्हीं बातों को बार-बार नहीं दोहराना चाहिए।

*श्री ऊदल——

यह परिवार नियोजन एक राष्ट्रीय अभियान है जिसको सभी मानते हैं और हमारी पार्टी तो इसका पूरी तौर से समर्थन करती है। जैसा कि हमारे दल के नेता ने कहा भी। लेकिन जो दिक्कतें आई हैं इस बीच में, उस पर शासन को तथा मुख्य मन्त्री को विचार करना चाहिए। अगर कुछ डर और भय व्याप्त हुआ है तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए जहां तक फेमिली प्लानिंग को लागू करने की बात है, इस प्रोग्राम को राष्ट्रीय अभियान के रूप में नहीं लिया गया। केवल प्रोपोगेन्डा के रूप में इसका प्रचार किया गया और लोगों को इसके बारे में समझाने की कोशिश नहीं की गयी। न शासन की तरफ से और न पार्टीज की तरफ से। मैं आपको बताता हूं कि इसी साल फैमिली प्लानिंग के सम्बन्ध में 6 बड़ी-बड़ी सभाओं में मैंने भाषण दिया। लोगों ने बड़े प्रेम से सुना। वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूं कि इस अभियान को बड़े पैमाने पर चलाने की आवश्यकता है जिसमें सार्वजनिक कार्यकर्ता, संसद सस्दय और इस सदन के सदस्यों और विधान परिषद् के सदस्यों तथा और भी लोग, जो जनजीवन पर प्रभाल डालते हैं, भाग लेना चाहिए। इस बात की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

दूसरा, श्रीमन्, अभी लारी जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि कितने आदमी इस आपरेशन से मरे, तो कुछ सदस्यों ने कहा कि अपने दल के लोगों से पूछने का यह सवाल नहीं है, हम लोगों को मालूम है। हमारे जिले में 5, 7 मौतें हुई टिटनेस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

हो जाने से क्योंकि उनकी ठीक से देखभाल नहीं की गई। तो इस तरह से सारे सूबे में कम से कम ढ़ाई तीन सौ मौतें आपरेशन के बाद टिटनेस हो जाने से हुई। उनकी देखभाल ठीक से नहीं की गई। इस बात को सरकार को कबूल करना चाहिए।

श्रीमन्, सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, मुख्य मन्त्री जी सुन लें, वह सुनना नहीं चाहते कि विभाग क्या करता है। प्रधान मन्त्री ने और सरकार ने भी यह कहा था कि जो लोग फेमिली. प्लानिंग का आपरेशन करने के बाद 10 दिन के अन्दर मर जायेंगे . . .

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। इसमें वह क्या कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—

आप इतने बड़े सिद्धान्त का खड़े हो कर उद्घोष कर रहे हैं लेकिन एक सामान्य नियम नहीं जानते हैं कि जब कोई बोल रहा है तो बीच में खड़ा हो कर नहीं बोलना चाहिए।

श्री ऊदल—

आज अधिकारियों ने यह कर दिया है कि जो लोग फेमिली प्लानिंग आपरेशन के समय मर जायेंगे उनका ही पोस्टमार्टम होगा और जिनका पोस्टमार्टम होगा उनके परिवार-वालों को 5 हजार रुपया मिलेगा। तो यह कितनी गलत नीति है। यह 10 दिन का समय हो जो 10 दिन के अन्दर मर गए हों उन को भी. 5 हजार मिलना चाहिए। यह बात सेक्रेटरी साहब के सामने मैंने रखा था। मेरे जिला में 5, 6 मौतें हुई केवल दो औरतों का पोस्टमार्टम किया गया और उन्हीं को 5-5 हजार रुपया मिला बाकी तीन-चार को नहीं मिला। तो इस तरह की नीति चलाई गई है। तो श्रीमन्, इसको कौन सुनेगा? काशी नाथ जी ने कहा यह किस के हाथ में है। लेकिन इस पर गौर करने की जरूरत है। अगर कोई देख भाल करने के बाद भी मर जाय तो कोई प्रश्न नहीं। आज लाखों आदमियों की नसबन्दी हो रही है। कुछ मर सकते हैं। आज लोगो के बन्दूक के लाइसेन्स रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं, बाराबंकी में हुआ है, मेरे यहां हुआ है।

इसी तरह जैसा अभी भीखा लाल जी ने कहा कि ट्रान्सपोर्ट विभाग में और दूसरे विभागों में हर अधिकारी के नाम से फार्म छपे हैं जिसमें लोगों से केस मांगे जाते हैं। बनारस जिले में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, जो कि प्रदेश की तरक्की के लिए जरूरी है। फेमिली प्लानिंग का सर्टिफिकेट देने के बाद ही लोगों को कनेक्शन दे रहे हैं। जैसा कि मैंने कल भी निवेदन किया था। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं, इसका असर गरीबों पर पड़ रहा है। इसको सरकार को देखना चाहिए। जहां कहीं गलती हो उसे ठीक कराइये। यह जो फेमिली प्लानिंग का तरीका पोस्ट-मार्टम के लिए निकाला है, यह बिलकुल खतम किया जाय। जो 10 दिन के अन्दर मर जाता है, उसको 5 हजार रुपया दिया जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप के हेल्थ सेक्रेटरी ने यह आर्डर कर दिया होगा और यदि नहीं किया हो तो अब आप कर दें? इसके खिलाफ बड़ा व्यापक प्रचार है। इसको एक राष्ट्रीय अभियान का रूप देकर, इस कार्य-क्रम को चालू करना चाहिए, जनता को शिक्षित करना चाहिए। फेमिली प्लानिंग के सम्बन्ध में सूचना विभाग में 4-5 लाख किताबें छपी थीं, किन्तु जब पूछा गया तो अब वे सब 2-1 महीने पहले बंटी हैं। जनता क्या समझेगी? यदि फेमिली प्लानिंग से सम्बन्धित किताबें गोदामों में सड़ती रहेंगी, तो ये जितने विभाग हैं, मनमाने तरीके से सरकार की नीतियों को तोड़-मरोड़कर लागू करना चाहते हैं। इस तरह से ये लोग प्रतिक्रियावादी लोगों को बल पहुंचाते हैं। यह सरकार के हित में है और देश के हित में है। इसको सोच समझकर चलाने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर ध्यान देंगे।

(श्री शिवकुमार पान्डेय का नाम पुकारे जाने पर।)

एक सदस्य—

अब श्रीमन्, इधर मौका दीजिए, इनके दल के लोग तो बोल चुके।

श्री अध्यक्ष—

यह आपके समझने की बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य इनके दल के हो गए।

*श्री शिवकुमार पान्डेय—

मान्यवर, अब यह बहस नहीं रही कि परिवार नियोजन किया जाए या न किया जाए। यह तो चौधरी साहब और सभी पार्टी के लोग मानते हैं कि यह करना बहुत आवश्यक है। सिर्फ बात यह है कि यह कडाई से हो रहा है या नहीं? इस सिलसिले में सुल्तानपुर का नाम आया। एक दुखद घटना भी वहां घटी थी। मैं बड़े विनम्रतापूर्वक चौधरी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वह स्वयं तो गलत कह नहीं सकते, किन्तु वह इतने सीधे-सादे और ईमानदार हैं कि उनको जो कोई गलत सही सूचना दे दे, उस पर वह विश्वास कर लेते हैं। तो मैं बडी विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर 25 आदमी नहीं मरे और न कोई ज्यादती ही की गयी। वहां पर 24 अगस्त के पहले भी कुछ अराजक तत्वों ने उर्दू और हिन्दी में पर्चे छपवाकर बंटवाए। उसमें लिखा था कि नसबन्दी गोवध समान है और उर्दू वाले पर्चे में लिखा था कि नसबन्दी कराने वाले आदमी की नमाज ही नहीं कबूल होगी। झगड़ा कराने के लिए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मोहल्ला रनकेडी में लोगों को पर्चे बांटे जा रहे थे।

श्री सत्य प्रकाश—

बांटने वाले आपकी ही युवक कांग्रेस के थे।

श्री शिवकुमार पान्डेय—

नहीं आपकी पार्टी के थे। जांच चल रही है, सब मालूम हो जाएगा। तो कुछ अराजक तत्व पर्चे बांट रहे थे और जनता को बता रहे थे कि इसका मतलब है कि यह तुम लोगों को बधिया कर देंगे। नसबन्दी करने वहां कोई आदमी अभी तक गया भी नहीं था। एक आदमी ने कहा कि वहां रमजान के महीने में कैम्प लगे थे। वहां कैम्प-वैम्प कुछ नहीं थे। वहां कुछ व्यक्ति विश्व बैंक वाले अवश्य गए थे। अराजक तत्वों ने उन गांव वालों से कहा कि वे इन को कुछ न बतावें, जो सवाल पूछे उसका कोई जवाब न दें।

[**]

श्री अध्यक्ष—

यह शब्द नहीं कहना चाहिए।

श्री शिव कुमार पान्डेय—

ठीक है, वापस लेता हूं। उनको तीन चार लोगों ने मारा तो उसने पुलिस में रिपोर्ट किया, तो डी0 एम0 ने एस0 डी0 एम0 को जांच के लिए भेज दिया। उनसे गांव वालों ने कहा कि यहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई। दूसरे दिन जब पुलिस वाले उस सिलसिले में गए तो पुलिस वाले भी मारे गए। पी0 ए0 सी0 गयी और उसने गांव के बाहर सड़क के किनारे अपना एक कैम्प लगा दिया। तो फिर पर्चे बांटने वाले पर्चे उसके खिलाफ बांटने लगे। 26 अगस्त को जिला परिषद् के अध्यक्ष वहां जाते हैं और उनके समझाने से मजमा वाले वापस चले जाते हैं। किन्तु फिर अराजक तत्व रात भर दौरा करते हैं कि वह अध्यक्ष के समझाने पर क्यों लौट आए।

दूसरे दिन उससे बड़ा मजमा हुआ। कमिश्नर साहब को पता चला। इत्तिफाक से वह मुसलमान हैं। उस गांव में गए। गांव वालों के साथ उन्होंने नमाज पढ़ी और उसके बाद उनसे यह कहा कि रमजान शरीफ जब तक नहीं खत्म होगा, तब तक नसबंदी नहीं होगी और पुलिस कैम्प हटा लिया जायगा। जो लोग रमजान के बाद नसबन्दी कराना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[* *] यह शब्द माननीय अध्यक्ष के अदेशानुसार निकाल दिया गया।

[श्री शिव कुमार पान्डेय]

चाहेंगे कराएं, न कराना चाहें न कराएं। वहां कुछ अराजक तत्व भी थे। उन्होंने पहले कड़ी-कड़ी बातें कहना शुरू किया और जैसे ही यह लोग चले ढेलाबाजी शुरू कर दी, लाठियां मारना शुरू कर दिया। तीन चार फर्लांग पर कैम्प था। वह गाड़ी ले कर भागे, लेकिन सबके सब घायल हो गए। कमिश्नर के चपरासी को पत्थर लगा और खून नहीं बन्द हो रहा था। डी0 एम0 की बीबी डाक्टर हैं, वह गयीं थीं, उन्होंने भी चोट खायी। पुलिस के कैम्प तक भागते-भागते पहुंचे। जनता ने मारना शुरू कर दिया। नहर में पानी था। सोचा गया कि नहर के पुल पर पुलिस के लाठी चार्ज से भीड़ रोक दी जाय। देहात वालों ने पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि सारे पुलिस वाले मारे गए। आंसू-गैस का गोला छोड़ा गया। वह क्या करते थे कि गोले को नहर में फेंक देते थे गोलों ने असर नहीं किया। उसी में विरोधी तत्वों ने, अराजक तत्वों ने नारा लगाना शुरू कर दिया कि एलेक्शन नजदीक है, गोली चलेगी नहीं। तब जनता पिल पड़ी। उस समय या तो गोली चलती या जितने अधिकारी थे, पुलिस वाले थे, सब मारे जाते। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया था। तब गोली चली। 9 आदमी मौके पर मारे गए। यह कुल कहानी किसी आदमी ने चौधरी साहब को गलत बता दी ह कि 25 आदमी मरे, बाप का नाम और पता भी दे दिया। मैं आपके माध्यम से चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वह गलत बातों में न पड़ा करें। जहां तक यह सवाल है, कि ऐसे लोगों की नसबन्दी नहीं करानी चाहिए जो लक्ष्य दम्पत्ति नहीं हैं तो मैं अपने ब्लाक की एक मिसाल देना चाहता हूं। मेतई नाम का एक आदमी, जिसके दो लड़के थे, वह नसबन्दी कराने के लिए गया। डाक्टर ने उस को डांट कर भगा दिया।

सिर्फ एक चीज निवेदन करना चाहूंगा। जो चीज हमें खटक रही है वह यह है कि जो नसबन्दी सामूहिक रूप से की जाती है, उसमें न इतना स्टाफ है, न कम्पाउन्डर हैं, उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाती है। यह तकलीफ कभी-कभी हो जाती है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसका प्रबन्ध कर दें कि जितने लोगों की नसबन्दी की जाय, उनकी सेवा सुश्रुषा का पूरा इन्तजाम हो।

श्री रामप्यारे तिवारी (जिला वाराणसी)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर तो बहुत प्रकाश पड़ा है, लेकिन मुझे कुछ अपनी राय इस पर जाहिर करनी है। पहले तो मैं कुछ अपने यहां की घटना जरूर बता दूं। जैसे कि सब जगह की बातें हैं, मेरे यहां भी नहर पहली अक्तूबर से चला करती थी। इस वर्ष 8 अक्तूबर को नहर शुरू हुई।

सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

पन्द्रह मिनट का समय बढ़ा देता हूं। समय बढ़ाना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

मुझे बहुत जरूरी बात कहनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि, पांच बज रहे हैं पहले सदन का समय बढ़ाने दीजिए।

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि जब तक कार्य न समाप्त हो, तब तक सदन चलता रहे।

श्री अध्यक्ष—

इधर एक घंटे का आया है।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, यह डिबेट 12.40 पर शुरू हुई है। इस तरह के 7.10 तक साढ़े 6 घंटे पूरे होते हैं। तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष—

जिस समय इसको लिया था उस समय माननीय सदस्यों की पेन्शन का मामला आया नहीं था तो आप को क्या हर्ज है यदि उसको भी निबटा दिया जाए?

श्री अम्मार रिजवी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक कार्य पूरा न हो जाए, सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जब तक कार्य पूरा न हो जाए, सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में चर्चा (क्रमागत)

श्री राम प्यारे तिवारी (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह कह रहा था कि 16 तारीख को बनारस में संजय जी का कार्य क्रम लगा हुआ था। उसमें सभी अधिकारियों को आदेश थे कि वे नसबन्दी के केस देंगे। चन्दौली की नहर में पानी नहीं था। नहर विभाग के अभियन्ता उससे जा रहे थे। मेरी उनसे बात हुई कि नहर में पानी नहीं है और धान की फसल सूखी जा रही है तो उन्होंने कहा कि विधायक जी हम बड़ी परेशानी में हैं। 16 तारीख तक नसबन्दी का केस नहीं देंगे तो सर्विस समाप्त हो जायगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सभी अधिकारी नसबन्दी के कार्य में लगे हुए हैं और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य को भी प्राथमिकता नहीं मिल रही है जिससे कि फसल को नुकसान पहुंचा है और विशेषकर धान की फसल सूख गयी है। हमारे चन्दौली क्षेत्र में करीब पचास हजार मन धान सूख गया है। हमारे यहां एक सदलपुरा गांव है। वहां पर मवेशियों को बीमारी आ गयी। बीमारी के लिए दवा वहां पर भेजी गयी थी। लेकिन जब किसान ने सुई लगाने को कहा तो कहा गया कि अगर नसबन्दी का केस नहीं मिलेगा तो हम सुई नहीं लगायेगें। इस प्रकार से बहुत से जानवर मर गए और दवा रखी की रखी रह गयी। जो असलियत है वह किसी से छिपी नहीं है। जनता और दुनिया इसको समझ रही है। सारी घटनायें अपनी जगह पर कायम हैं।

मैं मान्यवर, परिवार नियोजन कार्य-क्रम के बारे में कहना चाहता हूं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि देश पर जो जनसंख्या का भार है, वह न बढ़े। हमें गांधी जी के रास्ते को अपनाना चाहिए। उसे छोड़ नहीं देना चाहिए। उनका कहना था कि आत्म संयम पर बल देना चाहिए। वे कृत्रिम परिवार नियोजन के विरुद्ध थे। संयम पर बल दिया जाए और असंयम पर बल न दिया जाए। संयम का वातावरण तैयार किया जाए। संयम के माने हैं जिन्दगी और संयम के माने हैं मौत। मैं कहना चाहता हूं कि संयम जीवन का रत्न है और मैं कहना चाहता हूं कि संयम जैसे रत्न को ठुकरा कर असंयम के रास्ते को कबूल नहीं करना चाहिए और आप इसको कर रहे हैं। आज देश में गांधी जी की आत्मा का हनन हो रहा है। गांधी जी की आत्मा देश की आत्मा है। जब समाज में असंयम होगा तो आदमियों का चरित्र गिरेगा और अनैतिकता आएगी। सारा समाज पुरुषत्वहीन

[श्री रामप्यारे तिवारी]

हो जायगा। आज जिस अनुपात में जन संख्या बढ़ रही है, उसमें उत्पादन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि उत्पादन जिस अनुपात हो रहा है उस अनुपात में ज्यादा जन संख्या बढ़ रही है। जब आपमें कतव्यपरायणता नहीं है, ईमानदारी नहीं है तो उत्पादन बढ़ेगा कैसे? जितना रुपया आप अपनी योजनाओं पर लगा रहे हैं, उसका 20-25 प्रतिशत ही उन पर लगता है शेष 70-75 प्रतिशत रुपया ऊपर से नीचे तक के लोगों में खप जाता है, तो उत्पादन बढ़े कहां से? और कर्तव्यपरायणता आए कहां से?

आज आपके यहां योग्यता व काम की कद्र नहीं है पर खुशामद और चाटुकारिता की कद्र है। वास्तविकता की उपेक्षा करके, मानवीय आदर्शों की उपेक्षा करके उनको ठुकरा कर आप समाज को बदलना चाहते हैं, यह हरगिज-हरगिज न होगा। कृत्रिम साधनों के अपनाने से आप सारी प्रजा के चरित्र को कमजोर कर रहे हैं। उनके नैतिक स्तर को कमजोर कर रहे हैं। पुरुषार्थ और पुरुषत्व को नष्ट कर रहे हैं। इससे सारे समाज का विनाश होगा। तो मेरा निवदन है कि आप गांधी जी की किताब "संयम और संतति नियमन" को पढ़िए। उनका कहना था कि संयम के माध्यम से परिवार नियोजन के कायक्रम को अपनाइए। इसी के आग आन वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा और इसी के माध्यम से यह देश भटकी हुई दुनिया को रास्ता दिखाएगा। आज तो कृत्रिम साधनों में दुनिया की नकल कर रहे हैं। आप यह भी देखेंगे कि दो पीढ़ियों के बाद कि आपने बड़ी गलती की है। आपने असंयम रूपी मृत्यु का आलिंगन किया है जिसने सारे समाज के जीवन चरित्र को बिगाड़ा है। मेरी प्रार्थना है कि आप गांधी जी के साहित्य का अध्ययन करें और अपन शिक्षाविदों से कहें कि वे भी उसका अध्ययन करें और उस पर रिसच करें ताकि लड़कों को सही दिशा दी जाय। आपको चाहिए कि प्रदेश में आप शराब बन्दी करें, बेईमानी को बन्द करें और अपने में संयम ले आए। यही परिवार नियोजन की सही दिशा होगी।

आज जो उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, उसमें भी आपकी बेईमानी ही अड़चन है। आप अपने में ईमानदारी लाइए, कर्मठता लाइए और जोर-जबरदस्ती वाला मामला छोड़िए, परिवार नियोजन कराना आपका ही काम नहीं है, सारे समाज का काम है। सरकार जो जनता से धन लेती है, विशेषकर सभी कांग्रेस वाले, वे इससे गुल छर्रे उड़ाते हैं। इससे प्रदेश में गरीबी आएगी, हमारा नाश होगा, समाज का वध होगा। इस बारें में गांधी जी का जो साहित्य है हमारे हृदय को छूता है और उन्होंने कहा है कि जब तक हम ईश्वर के बताए हुए, देवताओं के बताए हुए और सन्त-महात्माओं के बताए हुए राह पर चलेंगे, तब तक हमारा एक या नहीं होगा। आप का बहुसंख्यक दल है, यह 3 दिन में समाप्त हो जायगा, इससे सारी समाज नष्ट भ्रष्ट हो जायगा। इसलिए गांधी जी की बातो को आप अपनाइए और देश और प्रदेश की आत्मा को मजबूत कीजिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय प्रभाकर नाथ द्विवेदी।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)—

अब खत्म कीजिए।

श्री अध्यक्ष—

अभी दो भाषण हुए, उनमें दो दृष्टिकोण रख गए।

श्री त्रिवेनी—

श्रीमन्, समय भी हो गया, इतना टाइम आपने दिया।

श्री अध्यक्ष—

वह ठीक है। पहले तो इधर के लोगों को रोकिए।

*श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)—

हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत सी चर्चाएं सुनीं। हमारे विरोधी दल के नेताओं की और हमारे पक्ष के दल के नेताओं की। मैं आभारी हूं कि आज जिस तेजी के साथ हमारे देश के अन्दर आबादी बढ़ रही है, उसे रोकने के लिए जो सख्ती से कदम उठाया गया है, सख्ती से मेरा मतलब तेजी से है, जिस सख्ती का प्रचार हमारे विरोधी दल वाल कर रहे हैं, उससे मेरा तात्पर्य नहीं है। हमारे पूर्व वक्ता ने अभी बहुत तेजी के साथ भाषण दिया। वह हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बड़ी चर्चाएं कीं। कोई भी ऐसा विषय नहीं था जिसकी ओर उन्होंने इंगित न किया हो। उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए होंगे कि उनका क्षेत्र स्वतः ही नियोजित होगा क्योंकि उनके इस तरह के कार्यकलाप हैं, मनसा वाचा कर्मणा से, कि जरूर ही उन्होंने गांधी जी के हर एक पहलू को अपनाया होगा। जो हमारी परम्पराएं हैं उनको भी गांधीजी के नाम पर तोड़ने में देरी नहीं की होगी। मैं पूरे सदन का आभारी हूं कि सभी लोगों ने स्पष्ट कहा कि हमारे यहां परिवार नियोजन होना चाहिए, रास्ते कुछ लोगों ने अलग-अलग बताए। यह भी सब लोगों न स्वीकार किया कि हमारे सभी नेता, चाहे वह श्रीमती इन्दिरा गांधी हों, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री हों, चाहे हमारे स्वास्थ्य मन्त्री हों, चाहे डाक्टर कर्ण सिंह हों, सब ने एक मत से स्वीकार किया है कि जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि हमारे यहां डेढ़ दो-सौ मौतें हुईं। मैं चाहूंगा कि जब तक उनके पास सच्चा चिट्ठा न हो तब तक वह न बोलें क्योंकि इस तरह का भ्रामक प्रचार जनता में विष वमन का कार्य करता है।

मैं एक चीज पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे अधिकारी भी चाहते हैं कि जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। परन्तु यह हमें स्वीकार करना चाहिए कि कहीं न कहीं हमसे गलती हुई है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह सख्ती के साथ इस पर कन्ट्रोल करें क्योंकि हमारा अभियान जिस दृष्टिकोण से चल रहा था, उसमें कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ है। इसमें भी दो रायें नहीं कि हमारे कुछ अधिकारी भी साम्प्रदायिक संस्थाओं से सम्बद्ध हैं, विरोधी दलों से सम्बन्ध हैं और उनकी प्रक्रियायें भी सरकार विरोधी नीति से चला करती हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने जोर और जुल्म करके हमारे इस अभियान में बाधा डाली है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसका सख्ती के साथ दमन करे।

अभी तक परिवार नियोजन जिस गति से हमारे प्रदेश में चल रहा था, वह केवल इसलिए इस तरह से चल रहा था कि किसी प्रकार से परिवार नियोजन विभाग के लोगों की नौकरी बनी रहे और उसी के लिए वे अपना काम चला रहे थे। किन्तु आज हमारे सामने देश बचाने का प्रश्न आ खड़ा हुआ। आज देश की प्रगति का प्रश्न है, देश बचान का प्रश्न है, देश के उत्पादन का प्रश्न है और इसी सब को पूरा करने के लिए इस परिवार नियोजन के अभियान को चलाने की आवश्यकता पड़ी। आज विरोधी दल के जो लोग इससे सहमत हैं। वे इफ-एन्ड-बट के साथ हैं। ऐसे उनके सहयोग से अच्छा है कि वे न दें। सहयोग देना है तो खुल कर दें। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सहयोग दे रहे हैं और उसके लिए हम उनके आभारी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज का समय बात अधिक करने का नहीं है, काम करने का है। हमें उन अधिकारियों से आज सजग रहना होगा जो इन लोगों से सांठ-गांठ किए हैं और इस काम को आगे बढ़ाने में कुछ बाधक हैं। वे प्रतिक्रियावादी तत्वों से मिले हुए हैं। वे इस आन्दोलन में आग लगाने का काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसे लोगों के कार्य-कलापों को देखें और उनके ऊपर सख्ती करे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में एक भी मौत परिवार नियोजन के कारण नहीं हुई है। एक जगह जरूर गड़बड़ी हुई है, जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। एक आदमी ऊंट खरीदने के लिए जा रहा था। उस आदमी को पकड़ कर ले जाया गया और उसकी नसबन्दी करा दी। इसके पास 2,100 रुपए भी थे। वे भी छीन लिए। उसने दफा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी]

395/326 में रिपोर्ट लिखाई। उसके 3 दिन बाद, अर्थात् दिनांक 14 अक्तूबर, 197 का यह मामला है और दिनांक 18 अक्तूबर, 1976 को उसके खिलाफ डी0 आई0 आर0 में दूसरा मुकदमा दायर कर दिया गया। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वह सख्ती से इस पर कार्यवाही करे। मैं यह चाहूंगा कि अगर कहीं बुराई है तो हमें अवश्य स्वीकार करना चाहिए। यहां पर जो परिवार नियोजन में सहयोग देना चाहते हैं वही वास्तव में बोलने के अधिकारी हैं। विरोध में बोलने वाले बोलने के हकदार नहीं हैं। जय हिन्द।

*श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन के सम्बन्ध में मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर और बस्ती में जो घटनायें घटी हैं उन पर मैं अपना दुख प्रकट करना चाहता हूं। और माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो वे कहते हैं। सरकार का कहना है कि देश की गरीबी का कारण यह आबादी है। यह सही है कि जिस गति से आबादी बढ़ रही है उसको देखते हुए परिवार नियोजन आवश्यक है। मैं और मेरा दल उससे सहमत है .. (व्यवधान)। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इसी कारण देश में गरीबी बढ़ रही है तो योरोप को अफ्रीका के मुकाबले गरीब होना चाहिए, आस्ट्रेलिया को जरमनी के मुकाबले गरीब होना चाहिए। जापान को गरीब होना चाहिए। मगर ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार गरीबी से लड़ने में कमजोर पड़ गयी है, इसलिए उस ने अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए और जनता के असन्तोष को दबाने के लिए इमर्जेन्सी में इसका सहयोग लिया और इसी कारण कहीं-कहीं दुर्घटनायें हो रही हैं।

आप देखें कि आजमगढ़ के अन्दर 31 जुलाई को धनपति हरिजन की महिला की नसबन्दी हुई। नसबन्दी होने के बाद, जब वहां के विधायक और थानेदार, मधुबन मौके पर गए, 14 घंटे तक कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी या कोई कम्पाउन्डर तक नहीं था। उसको भेजा गया सदर अस्पताल में और वहां उसकी कुछ घंटे बाद मृत्यु हो गयी। यह एक हरिजन महिला थी मान्यवर, जिन हरिजनों के साथ हमदर्दी है। इस प्रकार से आप देखें हमारे जिले की कुछ घटनाएं हैं। हमारे जिले में हेल्थ सेन्टर रफीगनी है। वहां एक राष्ट्रीय पुरस्कृत परम्परा के हेड अध्यापक को वहां के हेल्थ सेन्टर के जो डाक्टर हैं, शुक्ला उन्होंने अपने सहयोगी गुन्डों से बुरी तरह से पिटवाया जब कि उन्होंने अपने सहयोग से नसबन्दी करवाया। उसी की शिकायत ले कर गये कि उसे दवा नहीं दिया जाय। जिसके लिए हमारे अध्यापक मन्डल ने शिकायत की है हमारें स्वास्थ्य मन्त्री जी और शिक्षा मन्त्री जी के यहां। उसके बाद उनका ट्रान्सफर जिला स्तर से पिथौरागढ़ कर दिया गया।

मान्यवर, और भी शिकायतें हैं, जो कि डाक्टर होकर गुन्डई करते हैं। हमारे जिले के जो स्वास्थ्य के सचिव हैं, नाम नहीं लूंगा, हो सकता है, बैठे हों, उन्होंने अपने पावर का दुरुपयोग करके, उन्हें फिर वहां पर भेजा जिसकी वजह से नसबन्दी नहीं हो रही है। हमारे जिले में बंसूराम हरिजन हैं। मैं तो इसलिए हरिजनों का नाम लेता हूं कि हरिजनों की मदद सरकार कर रही है। इसने कुछ महीने पहले अपनी नसबन्दी करायी और उसने दो नसबन्दी के केसेज दिए। बावजूद इसके कि जो वहां का एस0 डी0 आई0 है ठाकुर है, 25 किलोमीटर की दूरी पर उसका ट्रान्सफर किया गया और उससे 500 रुपए एस0 डी0 आई0 महोदय ने मांगा और उसने कहा कि तुम हरिजन हो, तुम भागो। और कह रहे हैं कि जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है। एक महिला अध्यापिका है, जलालपुर में गड़ेर होते हैं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके एक लड़की है, उसके शौहर ने उसको तलाक दे दिया है या छोड़ दिया है, उसका ट्रान्सफर आजमगढ़ के वार्डर के पास कर दिया, जब कि उसकी रोजी कुल यही नौकरी ही है। उससे कहा गया कि नसबन्दी तुम कराओ या तुम केसेज ले आओ। मान्यवर, इसी प्रकार की अन्य घटनाएं सुल्तानपुर में हुई। मुजफ्फरनगर में भी इसी तरह की घटनाएं हुईं। मुजफ्फरनगर के भूतपूर्व एम0 एल0 सी0 ने हमारी पार्टी को टेलीग्राम दिया। मान्यवर, यह कहना सत्य से परे है कि गरीबी का कारण यह है। यह गरीबी का कारण नहीं है। यह कहना मुल्क के साथ गद्दारी होगी कि गरीबी का कारण केवल आबादी है।

आप एक तरफ आबादी को घटाना चाहते हैं और दूसरी तरफ मुल्क का सारा प्रोडक्शन और सारा पैसा चन्द लोगों के हाथों में सौंपना चाहते हैं। इस तरह से आप क्या करते हैं? मैं मानता हूं कि हमारे सदस्यगण चाहे वे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों, कोई यह नहीं चाहता कि कहीं गोली चले या कहीं किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जाय। लेकिन यह जरूर है कि नसबन्दी में कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी का एक प्वाइन्ट आप ले लें। मैंने सुना है कि कलेक्टरों के पास आया है कि जिसके यहां नसबन्दी अधिक होगी उसे मोटर साइकिल या फिएट कार मिलेगी। इस तरह से नसबन्दी में एक रेस हो रही है। जो बंजारे किस्म के लोग हैं उनकी औरतों और बच्चों की नसबन्दी हो रही है और उनको लालच दिया जा रहा है कि इससे गरीबों को जमीन मिलेगी। जमीन देने के लालच में बहुत लोगों की नसबन्दी की जा रही है। मैं इसका विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन यह गलत बात है। नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एस0 डी0 एम0 या कलक्टर की तरफ से यह होता है कि जब तक नसबन्दी नहीं करवायेंगे तब तक तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी। नसबन्दी के लिए लोगों के अन्दर चेतना पैदा की जाय, लेकिन उसके लिये सख्ती न की जाय। आप मुल्क को वैज्ञानिक तरीका दीजिए जिससे देश की आबादी न बढ़े। क्या आप सोचते हैं कि अगर यहां की आबादी 40 करोड़ हो जाय तो इस मुल्क में बेकारी और बेरोजगारी नहीं रहेगी। आज जो सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं, क्या वे 60 करोड़ की आबादी की वजह से फिर रहे हैं? नहीं। आपने बेकारी पैदा की है। उसमें परिवर्तन लायें और लोगों को नयी शिक्षा दें जिससे लोगों को रोजगार मिले तथा लोगों को वैज्ञानिक तरीके से ट्रेनिंग देकर नसबन्दी करावें, तभी सारे प्रदेश में नसबन्दी करा सकेंगे।

एक तरफ सुल्तानपुर वाली घटना के लिए कहा जाता है कि 300 आदमी मरे और दूसरी तरफ हमारे पांडेय जी कहते हैं कि कोई नहीं मरा। चौधरी साहब कहते हैं कि इतने मरे। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश के लिए हम कम्युनिस्टों के दिल में दर्द है। मैं सुनी हुई बात कहता हूं, लेकिन इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि 250-300 आदमी मरे हैं, जब कि पांडेय जी कहते हैं कि नहीं। सारे प्रदेश की जनता जिस बात को कहे, उसे मानना पड़ता है। कहा गया कि सुल्तानपुर या मुजफ्फरनगर में जो घटना घटी वह सब साम्प्रदायिकता की वजह से हुई। मान्यवर, कहीं न कहीं कमजोरी है। उस कमजोरी को मिटाने के लिये मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री और मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि गरीबी को मिटाने के लिए और देश को बचाने के लिये जो इतना बड़ा अभियान वे चला रहे हैं, उसमें जो आतंक का वातावरण है, वह कैसे खत्म हो, ताकि लोग आसानी से नसबन्दी करावें? इस पर सोचें ताकि हमारे देश और प्रदेश का आर्थिक संकट भी दूर हो। मैं भी इस बात को मानता हूं कि 8 बच्चों वाली मां बाद में कैसी हो जाती है और उसका क्या होता है। मैं मीसा में भले ही बन्द हो जाऊं, लेकिन उसके लिए गलत प्रचार नहीं करूंगा। (व्यवधान) मान्यवर, श्री त्रिवेणी राय की यह नौटंकी बन्द कराइए। (हंसी)

मान्यवर, मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जो वातावरण है उसको खत्म किया जाना चाहिए और इस बात की व्यवस्था की जाय कि यह कार्यक्रम ठोस तरह से चलाया जाय जिससे प्रदेश की जनता का भला हो।

*श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि आज के युग की आवश्यकता है परिवार नियोजन। बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है। मैं केवल 2 सुझाव देना चाहता हूं। जनता को आदर्श देने के लिए और अधिकारियों और कर्मचारियों को आदश देने के लिए, सरकार निर्वाचन आयोग को यह समझा दें कि चुनावों में चाहे पार्लियामेंट के उम्मीदवार हों, विधान मन्डल के हों, जिला परिषद के हों या ग्राम सभा के, जो भी उम्मीदवार हों, अगर वह लक्ष्य दम्पत्ति में नहीं आते हैं तभी उनका नामिनेशन-पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए। (मेजों को थपथपाने की आवाजें)। अगर लक्ष्य दम्पत्ति में आते हैं और नसबन्दी नहीं करवाई हैं तो उनका परचा इनवैलिड हो जाना चाहिए।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि 2/3 बच्चे हो जाने के बाद अगर किसी की नसबन्दी हो जाती है और दुर्भाग्यवश उसके 2-3 बच्चे मर जाते हैं तो इसके लिये यह व्यवस्था होनी चाहिए कि उनकी नस पुनः जोड़ दी जाय। इस बारे में विशेष प्रचार करना चाहिए। जिसकी नसबन्दी हो गयी है, जरूरत पड़ने पर उसकी नस को सरकार अपने खर्चे पर जुड़वाने की व्यवस्था कर दे तो बहुत से लोगों को, जिनकी नसबन्दी कराने में हिचक होती है, वह दूर हो जायेगी। बस इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

सबको वक्त मिलेगा।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, हमारे दल की तरफ से यह बराबर कहा जा रहा है कि परिवार नियोजन का अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र में जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टी के ब्लाक प्रमुख हैं, उन ब्लाकों में सबसे ज्यादा नसबन्दी हुयी हैं। और जहां ग्राम सभा अध्यक्ष और प्रधान कम्युनिस्ट पार्टी के हैं वहां सबसे ज्यादा नसबन्दी हुयी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी माननीय मुख्य मन्त्री और माननीय प्रभु नारायण सिंह जी कहते हैं कि विरोधी दल इसको राजनैतिक हथियार बना रहा है। लेकिन इस हथियार को आप कहां दे रहे हैं? इस हथियार को आप नौकरशाही को दे रहे हैं। हुआ क्या मान्यवर, जितनी भी आपकी घोषित नीतियां हैं, घोषित नीतियों के बारे में आपकी पार्टी कमिटेड है। लेकिन उसकी सारी जिम्मेदारी इस नौकरशाही के ऊपर छोड़ दिया गया है। नौकरशाही क्या करती है? मेरे जिले में एक 20 साल की अध्यापिका की तनख्वाह बन्द कर दी गयी। उससे कहा गया कि केस लाओ। बेचारी किसी तरह से एक आदमी को 150 रुपए पर तय करके ले आयी। होटल का खर्चा, खाने आदि का खर्च, सब उसने बर्दास्त किया। जब वह उसको अस्पताल के अन्दर ले गयी तब एक ओवरसियर साहब मिल गए और उन्होंने उस आदमी को 250 रुपए पर तय कर लिया और वह जनाब मोटीवेटर हो गए। वह अध्यापिका फूटफूट कर मेरे सामने रोने लगी। 20 साल, 18 साल की लड़कियों से कहेंगे कि जाकर केस लाओ तो क्या स्थिति पैदा होगी? मान्यवर, अच्छा होता कि आप कानून लाते कि जितने भी इलीजिबिल कपुल हैं उनका कम्पलसरी स्टरलाइजेशन होना चाहिए, हम उसका समर्थन करते। यह जो आपने केस लाने वाली प्रथा कर दी है, यह गलत है।

मान्यवर, कोटद्वार के अन्दर क्या हुआ? हमारे नौजवान सभा के युवकों ने एक मीटिंग की वे कुछ लोगों को लाए और अस्पताल ले गए मोटिवेट करके लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लन्सडाऊन के नायब-तहसीलदार ने क्या किया ? उन सब लोगों को हवालात में बन्द कर दिया और कहा कि मेरे नाम से मोटिवेशन होगा नहीं तो नहीं होगा। हमारी पार्टी के सेक्रटरी श्री सुरेश कुकरेती वहां थे। उनको भी बन्द कर दिया। तो आप इस राष्ट्रीय अभियान को नौकरशाही से चलाना चाहते हैं। मान्यवर, दूसरी मिसाल देता हूं, एक हमार एस0 डी0 एम0, टेहरी हैं। वह एक दुकानदार के यहां गए और कहने लगे कि परसों की सेल दिखाओ उसने कहा मैं परसों कोर्ट केस में कचेहरी गया था। तो उनसे कहा कि चलो तुम्हारा चालान करते हैं नहीं तो 40 हजार रुपया राष्ट्रीय बचत योजना में दिखाओ या 5 केस फैमिली प्लानिंग के दो। उस दुकानदार ने कहा मैं अपनी नसबन्दी करा सकता हूं लेकिन 5 केस कहां से लाऊं तो उसको डी0 आई0 आर0 में बन्द कर दिया। मान्यवर, इस ढंग से काम हो रहा है, जिसकी बहुत सी मिसालें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मन्त्री जी, इसके लिये कोई कानून लायें। इतने के बाद आपरेशन जरूरी है, लेकिन यह मोटिवेशन वाला जो आपने चिपका रखा है, यह खत्म होना चाहिए। सिनेमा वालों से, मोटर वालों से, आप कहते हैं कि केस लाइए। हमारे चचा असरार साहब का परमिट रिन्यू नहीं होगा जब तक केस नहीं देंगे। उन्होंने रेट बढ़ा दिया है, डेढ़ हजार और दो हजार एक केस का कर दिया है। तो एक गरीब मास्टरनी के पास इतना पैसा कहां से आएगा ? देहरादून के अन्दर डेढ़ और दो हजार तक रेट है। आपकी तरफ से आदेश भेज दिया गया है कि मास्टर और मास्टरनियों को तब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक वह केस नहीं लाएंगी।

मान्यवर, मेरे गांव में एक विधवा के बच्चे का स्कूल में एडमिशन होना था, उसको प्रिंसिपल साहब ने इन्कार कर दिया और कहा कि तुम दो केस लाओ। तो वह किस के पास केस के लिए जाएगी। फिर मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी कहते हैं कि विरोधी दल वाले इसका राजनैतिक फायदा उठा रहे हैं। तो वह जरूर इसका इस्तेमाल करेंगे। यह हथियार आपकी नौकरशाही ने उनको दिया है। इससे लोगों में बहुत असन्तोष है। यह राष्ट्रीय योजना है इसको नौकरशाही सेबोटेज कर रही है। जनता के अन्दर असन्तोष पैदा हो रहा है। मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से कहूंगा कि इस मामले पर गम्भीरता से विचार करें। मुजफ्फरनगर कांड आंख खोलने वाला कान्ड है, बस्ती वाला कान्ड आंख खोलने वाला कान्ड है, सुल्तानपुर वाला कान्ड आंख खोलने वाला कान्ड है। मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से और मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि अगर इसको सफल बनाना है, तो जो इस वक्त मीसा के डन्डे से इसे चला रहे हैं, उसे बन्द करें।

*श्री कुंवर बहादुर मिश्र (जिला हमीरपुर)—

मान्यवर, हम यह जानते हैं कि यह एक राष्ट्रीय महत्व की योजना है और इसमें सब का योगदान होना चाहिए। इसे हम सब स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि इस बहस में जो नसबन्दी के मामले लिए गए हैं, उनको अतिरंजित करके सदन में पेश किया जा रहा है, जिससे क्रान्ति सी पैदा हो रही है। मुझे ऐसा लगा है जैसे कि उसकी महत्ता को स्वीकार करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है और न ही उसके लिए कोई समुचित उपाय यहां पर बताए जा रहे हैं। जिससे इस राष्ट्रीय अभियान को पूरे देश में चलाने में कामयाबी हो। एक बड़ी भ्रान्ति पैदा हो रही है और कहते हैं कि नसबन्दी से इतनी मौत हो गईं। मेरी समझ में नहीं आता क्योंकि मैं स्वयं नसबन्दी कराई है, ऐसी बातें कैसे कहते हैं ? हमने अनुभव किया है कि यह एक छोटा-सा आपरेशन है। इतना मामूली आपरेशन है, जिसमें किसी भी किस्म के बड़े खतरे का सवाल नहीं है। जहां तक टिटनेस का सवाल है, हम दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी कट जाती है तो उसमें भी टिटनेस का सवाल हो जाता है। अगर एहतियात बरती जाए, दवा ठीक से इस्तेमाल की जाए और संयम से चला जाए, तो इसमें कोई खतरा नहीं है, उसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने की कोई बात नहीं है। यह हम आमतौर पर देखते हैं गांव या शहरों में लोग कोशिश करते हैं कि पुरुष अपनी नसबन्दी न कराकर महिलाओं को आगे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर बहादुर मिश्र]

कर देते हैं। निश्चित रूप से महिलाओं का आपरेशन कठिन है और कष्टप्रद है। इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए और उसका प्रयास होना चाहिये। भ्रान्तियां तो और भी तरह की हैं।

हमारे जिला हमीरपुर में राठ नगर में श्री श्रीपति सहाय, भूतपूर्व मेम्बर ने पेट की बीमारी की वजह से आपरेशन कराया, तो सारे जिले में हवा फैल गयी कि वह तो नसबन्दी का आपरेशन हुआ। श्रीपति सहाय जी कहते फिरे कि यह नसबन्दी का मामला नहीं है, दूसरा मामला है। इस तरह की भ्रान्तियां सारी जगह फैलती हैं और इसमें भी फैली हैं। यह अतिरंजित करके बाद को कहना लोगों को हतोत्साहित करने वाली बात है। यह लोकप्रियता प्राप्त करने का सस्ता तरीका है और मुझे अफसोस है कि उसी तरीके को लेकर उधर के लोग चल रहे हैं। मुझे लगता है कि चूंकि सदन के बाहर इसके खिलाफ प्रचार करने का लोगों को मौका नहीं मिलता है, तो उसका मंच सदन के भीतर खोजा जा रहा है। हमारे गर्ग साहब, हमारे बड़े हितैषी हैं और सहयोगी हैं, लेकिन इसके कारण उन्हीं को सबसे बड़ी परेशानी है कि इससे कांग्रेस बैठ रही है। तो इस तरह की बात कह कर, जो इस परिवार नियोजन में विश्वास करते हैं, उनको हतोत्साहित किया जा रहा है। यह भी ठीक है कि कुछ अधिकारी कहीं-कहीं पर. कुछ ओवर-ऐक्टिंग करते होंगे कि मैं ही मोटीवेटर या प्रेरक बन जाऊं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि यह नसबन्दी कार्य क्रम खराब है और न सरकार की मंशा है कि इसको गलत तरीके से चलाया जाए या किसी को परेशान किया जाय। मैं ऐसा समझता हूं और विश्वास करता हूं कि इसको ईमानदारी से चलाएं और उस पर विश्वास और श्रद्धा करे, तो यह देश के साथ बड़ा योगदान होगा, यह देश की गरीबी को दूर करने के लिये एक बड़ी योजना होगी और इससे हमारी बहबूदी होगी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन में सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के लोगों ने परिवार नियोजन के सम्बन्ध में अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं, सत्ता पक्ष का यह आरोप कि विरोधी पक्ष परिवार नियोजन के पवित्र कार्य में बाधा उपस्थित कर रहा है, अड़ंगेबाजी कर रहा है या जनभावनाओं को उभाड़ रहा है, तो यह बिलकुल मनगढ़न्त, बेबुनियाद और असत्य है। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह छोटी-मोटी मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में और कार्यकर्ताओं के बीच सदव परिवार नियोजन का पक्ष लेते रहे हैं, लेकिन सरकार 28 वर्ष तक सोती रही। विभिन्न एजेन्सियों से प्राप्त इस मद का 95 प्रतिशत धन पानी की तरह अधिकारियों, देहातों में बहाया जाता रहा है। गांवों में जाने के लिए एक-एक लाख की लम्बी-लम्बी कारें दौड़ती रहीं, कुछ लोगों के ऐशो-आराम के लिए। हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी हमारे सामने बैठे हैं, मैं अगर गलतबयानी कर रहा हूं तो मैं सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आप गोरखपुर में जाकर देखें एक दिन भी गाड़ी नहीं चली और गाड़ी का सब सामान निकाल कर बेच डाला गया।

विरोध इस बात का है कि अपात्रों की नसबन्दी न हो। अगर पात्रों की नसबन्दी कराएंगे तो परिवार नियोजन का अभियान पूर्ण होगा। चाहे चकबन्दी के लोग हों, चाहे शिक्षा के लोग हों, चाहे विभिन्न विभागों के लोग हों, नसबन्दी हो रही है। बूढ़े अपाहिज, निष्क्रिय, अविवाहितों की नसबन्दी हो रही है। मैं सरकार को चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि 1971 में पडरौना में महान नसबन्दी शिविर लगा। लाखों रुपए का उसमें घोटाला हुआ। लोक सभा और विधान सभा में प्रश्न उठा। सारी रिपोर्ट स्पेशल सेक्रेटरी, स्वास्थ्य के पास पड़ी है। मैं बीसों बार मिला। श्री एम0 पी0 चतुर्वेदी ने रिपोर्ट लगायी। आपने कोई परवाह नहीं की। हम आपको सच्ची रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? पुरुषों की नसबन्दी में माइनर आपरेशन होता है। लेकिन उस आपरेशन के सम्बन्ध में जो शल्य यन्त्र हैं, उनका स्टरलाइजेशन नहीं होता है। वीर बहादुर सिंह जी गए थे। जो हमारे

जिले में 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रतिनिधि (इन्चार्ज) हैं। तमाम लोगों के पास पैदा हो गया। वहां का थानाध्यक्ष मरणासन्न हो गया। धागे प्लास्टिक के होते हैं। वह दोषपूर्ण हैं। उनसे बहुत खतरा पैदा हुआ है। आपरेशन स्टरलाइजेशन होने के बाद ही हो। दूसरे ए0 टी0 एस0 का इन्जेक्शन नहीं लगाते। और ऐन्टीवायेटिक दवाओं का प्रयोग नहीं करते। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनकी बड़ी दयनीय दशा है। बिसुनपुरा विकास खंड की बात बतलाता हूं। वहां पर डाक्टर हैं राय साहब। उन्होंने जितने आपरेशन किए सबको सेप्टिक हो गया। सड़ गए, पक गए, लोग दाने-दाने को मोहताज हो गए। बिसुनपुरा ब्लाक के डाक्डर राय के 75 फीसदी केस पक गए। सरकार ने इस तरह का अभियान किया। सरकार को जो अच्छी बातें बताता है, मालूम पड़ता है कि उसके कान में गरम-गरम सीसा डाल रहा है। जो उनकी चाटुकारिता कर दे, उससे प्रसन्न रहते हैं। पडरौना तहसील के बिशुनपुरा विकास खन्ड में परिवार नियोजन में भयंकर घोटाला हुआ। कड़ुवी चीज बड़ी बुरी लगती है, लेकिन गुणकारी होती हैं। अवध के क्षेत्र का इतिहास है।

श्री अध्यक्ष—

इतिहास बहुत लम्बा है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

जिस समय आपरेशन होता है, आपरेशन के पहले ऐसे इलाकों में जहां फाइलेरिया या हाइड्रोसील का व्यापक रोग है, वहां पर पूर्व परीक्षा आवश्यक है। तराई इलाके में फाइलेरिया और हाइड्रोसील बहुत व्यापक है। बाल्मीकि रामायण में आया है है कि भगवाम राम भी इस रोग से पीड़ित थे। एक बात और है। आतंक का वातावरण समाप्त किया जाय। यह काम प्रेम और सद्भाव से हो सकता है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

(श्री प्रेमदत्त तिवारी का नाम पुकारे जाने पर) ये कांग्रेस वाले तो बोलना नहीं चाहते थे। इन्होंने चर्चा भी नहीं।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि चर्चा आपने मांगी, तो क्या आप सिर्फ अपने दल को सुनाएंगे और उन्हीं की सुनेंगे? चर्चा आपने मांगी है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वयं अपनी बात कहेंगे। शासन की बात भी सुनेंगे।

*श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय नेता विरोधी दल, चौधरी चरण सिंह का भाषण सुना। मुझे प्रसन्नता हुई कि वे परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सिद्धान्त रूप में मानते हैं। यह भी उन्होंने स्वीकार किया कि देश और प्रदेश की गरीबी मिटाने के लिए, जिससे अबादी न बढ़े परिवार नियोजन आवश्यक है। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर की घटनाओं को जोड़ दिया और उन्होंने ऐसा कहा कि यह सब घटनायें शासन करवा रहा है। मैं समझता हूं कि वह हृदय से जानते हैं कि हमारा शासन ऐसा नहीं कर रहा है और न उसकी ऐसी इच्छा ही है। प्रधान मन्त्री जी ने भी कभी यह नहीं कहा कि परिवार नियोजन कम्पलसरी है और न हमारे केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री ने ही ऐसा कहा। अगर किसी अधिकारी ने कोई गलती की है तो शासन उसको सजा देगा, लेकिन इस बारे में किसी तरह की भ्रान्ति फैलाना उचित नहीं है। अगर कोई इस तरह की भ्रान्ति फैलाता है, तो वह वास्तविकता से परे है। मेरे जनपद फतेहपुर में 14 सितम्बर तक 2 हजार केसेज हुए थे और 14 सितम्बर से 17 अक्तूबर तक 5 हजार केसेज हुए मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब हमारे जिले में जायं और एक भी केस ऐसा निकाल दें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रेमदत्त]

एक भी नहीं मिलेगा। किसी भी आदमी को परिवार नियोजन के लिए धमकी नहीं दी गयी। मैं ने स्वयं और मेरे साथी ने पहले नसबन्दी करायी और लोगों को प्रेरित किया। हमारे कितने भाई हैं जिन्होंने नसबन्दी स्वयं करायी हो और लोगों को प्रेरित किया हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन-सा ऐसा विधायक है जिसने परिवार नियोजन कैम्प के पास अपना कैम्प लगाया हो और जो उसकी कमियां और खामियां हुई हों उनकी तरफ माननीय मुख्य मन्त्री जी या स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया हो।

मैं कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इससे देश की तरक्की होगी और वह आगे बढ़ेगा। आप देखें कि 1947 के बाद 1976 तक आबादी दुगुनी हो गयी और हम लोग परिवार नियोजन का मखौल उड़ाते रहे। अगर कहीं पर गलत काम हो रहा है तो हमें चाहिए कि उसको देखें और उसकी रिपोर्ट शासन को दें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय चरण सिंह द्वारा दिए गए भाषण का विरोध करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

अब समय नहीं है।

श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा माननीय स्वास्थ्य मन्त्री और सत्तारुढ़ दल के अन्य माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि वे अपनी गल्तियों को छिपाने और विरोधी दलों पर आरोप लगाने की चेष्टा न करें। आपने नसबन्दी का कार्यक्रम तो वृहद रूप में कर दिया, लेकिन समुचित दवाओं का प्रबन्ध नहीं किया। मैंने अपने क्षेत्र में और अपने ही जन पद में लगे शिविरों को देखा, उसमें देखा कि जिस धागे से बन्धाई होती है वह तक वहां पर नहीं था। वहां के अधिकारियों ने मोल लेकर इन्जेक्शन दिए हैं। आप को जब यह कार्यक्रम चलाना है तो दवाइयों की ठीक से व्यवस्था करनी चाहिए। देखने में आया है कि समुचित व्यवस्था न होने के कारण बहुत से केसेज खराब हो गए हैं। टी0 बी0 के मरीजों और उन लोगों तक का आपरेशन कर दिया गया है जो हृदय रोग से पीड़ित हैं। इससे आपने आम जनता में, एक भ्रम फैलाया है। सत्ता पक्ष के लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।

दूसरी मेरी प्रार्थना है कि प्रदेश और देश में शिक्षा के माध्यम से इसके प्रचार की आवश्यकता है। इसके लिए आपको ब्रह्मचर्य की शिक्षा भी बच्चों को देनी होगी। इसके साथ ही साथ आज जो हमारे सिनेमा चल रहे हैं, उनमें भी बड़े गन्दे सीन दिखाए जाते हैं, जिनसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। आज 90-95 प्रतिशत लड़के और लड़कियां सिनेमा देखने जाती हैं, जहां पर गन्दी-गन्दी बातों का प्रचार होता है। अगर आपमें ईमानदारी होती तो इस प्रकार के सिनेमाज को आप इजाजत न देते। मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार के सिनेमाओं में जो पिक्चर्स दिखाई जायं, उन पर रोक लगा दी जाय।

यह भी देखने में आया है कि विवाहों के अवसरों पर बारातों में जो नाचने वाले जाते हैं, उनमें एक जोकर होता है जो बेहूदा बातें कहा करता है जिसका नतीजा यह होता है कि 5-5- साल की आयु के बच्चों तक पर उसका बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार के नाच गानों पर जो बारातों में जाते हैं, प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।

अन्त में मुझे एक बात यह कहनी है कि बाल-विवाह भी हमारी आबादी को बढ़ाने का जिम्मेदार होता है। 15 वर्ष की आयु में औरतें आ जाती हैं और 24-25 वर्ष की आयु में उनके 5-5- बच्चे हो जाते हैं। तो अगर देश और प्रदेश की संख्या को घटाना है तो शादी की आयु कम से कम 25 वर्ष क्यों नहीं आप कर देते हैं? जब प्रदेश में इन सब बातों का प्रचार और प्रसार होगा तभी कुछ सुधार हो सकता है। साथ ही इन शिविरों पर आपको दवा दारू की समुचित व्यवस्था करने की आवयश्कता है। किसी पर आरोप लगाना सरकार को शोभा नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री।

*श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला खीरी)—

श्रीमन्, मुझे भी 2 मिनट का समय दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आपको जितना समय दिया है, मुख्य मन्त्री जी को भी तो उसके उत्तर के लिए हमको समय देना पड़ेगा। 45 मिनट वह और 1 घंटा 10 मिनट मुख्य मन्त्री जी के लिए है। यह समय विभाजन हमने अपने दिमाग में किया।

(व्यवधान) (मुख्य मन्त्री के बैठ जाने पर)

ठीक है, अगर मुख्य मन्त्री जी अपने समय में से आपको देना चाहते हैं, तो ठीक है।

श्री राज ब्रजराज सिंह—

जहां तक नीयत और नीति का सवाल है, इसमें विवाद नहीं है।

(व्यवधान)

यह लागू किया जा रहा है, यह बहुत अच्छी बात है।

श्री त्रिवेनी—

आपने नसबन्दी करायी है?

श्री राज ब्रजराज सिंह—

हमारे वरिष्ठ नेता जेलों में बन्द हैं। आपने कमेटियां बनायी हैं, उनमें कांग्रेस के ही लोग हैं। एक भी विरोधी पक्ष का आदमी नहीं है और आप कहते हैं कि सहयोग दें।

(व्यवधान)

जहां तक नसबन्दी का सवाल है, जो प्राकृतिक मान्यतायें थीं, वह बदल गयीं। कुछ विरोधी पक्ष के लोग उधर चले गये, उनकी मान्यतायें, उनके दृष्टिकोण बदल गए। आशीर्वाद देते थे बुजुर्ग लोग की दूधों नहाओ, पूतों फलो। लेकिन आज आपने पूतों फलो को खत्म कर दिया। नसबन्दी आपको 10-20 साल पहले लानी चाहिए थी। देश के विभाजन के समय यहां की आबादी 35 करोड़ थी। (व्यवधान) सबसे पहले उसकी नसबन्दी होनी चाहिए। जो कानून बनाता है, वन हू इज ऐट दि हेल्म आफ अफेयर्स शुड गिव दि लीड....

श्री अध्यक्ष—

जोश में अब आप अंग्रेजी में चले गए। आप बैठें। आखिरी स्पीच विरोधी दल की थी। दयाराम भास्कर ने बहुत सुन्दर भाषण दिया और उसी पर खत्म करना चाहिए।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, जो महत्वपूर्ण चर्चा परिवार नियोजन जैसे महत्वपूर्ण जन आन्दोलन के सम्बन्ध में अभी हुई, उससे मैं समझता हूं कि कुछ निष्कर्षों में तो हम एकमत हैं। मैं समझता हूं कि नेता विरोधी दल, नेता साम्यवादी दल और अन्य सम्मानित सदस्यों ने जो भी विचार व्यक्त किए, सभी सर्वसम्मत थे कि परिवार नियोजन आन्दोलन उचित है। भारत की जनसंख्या नियन्त्रित होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नियन्त्रित होनी चाहिए। और परिवार नियोजन आन्दोलन को जनता के सहयोग के साथ पूरे जोरों से चलना चाहिए; यह सर्वसम्मत राय यहां आयी। दूसरी राय यह भी आयी कि आवश्यकता पड़े, कुछ साथियों ने तो आवश्यकता पड़े कहा, लेकिन नेता विरोधी दल ने इस बात को दोहराया कि कानून परिवार नियोजन के बारे में बनना चाहिए, कानून परिवार नियोजन लागू होना चाहिये और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हर उसको नोटिस मिलनी चाहिए, जो लक्ष्य दम्पत्ति की परिभाषा में आता हो कि क्यों न उसका फलां-फलां तारीख को आपरेशन किया जाय और उस तारीख को वह अपनी सफाई दे। अगर वह नहीं कराना चाहता है, अगर वह न कराए तो सख्त सजा का भी प्राविधान किया जाय, यह उनका कहना है। मैं भी श्रीमन्, यही कह रहा हूं। मैंने तो प्रारम्भ में कहा कि इसका विरोध हो रहा है कि इसको कम्पलसरी बनाया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि जो रूढ़िवादी तत्व हैं, वे देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। वे लोग कम्पलसरी स्टरलाइजेशन तो दूर रहा, इस वालन्टरी चीज के भी खिलाफ हैं, और उसकी भी मुखालिफत करते हैं। मैं इस मामले में इसके लिए विरोधी दलों के माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसके लिए कानून बनाने की मांग की है और मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी मांग पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा और इस सम्बन्ध में हम भारत सरकार से भी परामर्श करेंगे क्योंकि यह वहां की सर्वसम्मत राय है। विरोधी पक्ष भी यही चाहता है कि कानून बने। हम इसके लिए पूरी चेष्टा करेंगे और आशा करते हैं कि इस मामले में विरोध पक्ष भी हमारा सहयोग करेगा। माननीय नेता, विरोधी दल का भी इसमें हमें सहयोग मिलेगा वे कृपया एसा वातावरण बनायें, जो कानून बनने में सहायक हो। मगर जो परिवार नियोजन के सिद्धान्त के खिलाफ है, वे इसका विरोध करेंगे, तब क्या होगा? जैसा कि आज हो रहा है, कई जगह इस परिवार नियोजन के सम्बन्ध में यहां तक कहा गया कि यह गो-वध के समान है——नारा दिया गोवध बाल-बध एक समाना। आखिर लक्ष्य दम्पत्ति की ही नसबन्दी होगी, तो इसके लिए हमें यह सर्वे तो कराना ही पड़ेगा कि कहां पर कितने-कितने लक्ष्य दम्पत्ति हैं और जो लोग ऐसे होंगे, तो इस कैटेगरी में आयेंगे, उन्हीं को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस तभी दिया जा सकेगा जब उनका पूरा पता आदि मालूम हो। सुल्तानपुर के माननीय पांडेय जी ने और मुजफ्फर नगर के माननीय हुकुम सिंह जी ने, जो अपने-अपने जिलों की जानकारी रखते हैं, जो कुछ हुआ उसको बताया। (व्यवधान)

मैं यह कह रहा हूं कि जो वास्तविक तथ्य हैं, उनको हमारी तरफ से बताया गया। उन्होंने बताया कि वे वहां मौजूद थे। हमारे शिवकुमार जी यहां के वरिष्ठ सदस्य हैं और वे स्पष्ट वक्ता भी हैं। उन्होंने सारी बात, जो थी वह बतायी। कोई भी मौत अगर हो जाय तो वह बड़े ही दुख की बात होती है। कोई भी शासन यह नहीं चाहेगा, और कम से कम वह सरकार, जो जनतन्त्र में, प्रजातन्त्र में और समाजवाद में पूर्ण आस्था रखती हो, कि उसके यहां कोई मौत इस तरह से हो। कभी कहीं पर गोली चलानी पड़ जाए। गोली का इस्तेमाल कभी वह पसन्द नहीं करेगी। यह सदा ही इस सरकार की नीति रही है और हमारे दल का इतिहास इसका साक्षी है। हम तो यहां तक चाहते हैं कि सेल्फ डिफेन्स में भी अगर गोली न चलानी पड़े, तो अच्छा है। सेल्फ डिफेन्स में भी अगर कहीं गोली चलती है तो हमें पीड़ा होती है? मैं इसके अधिक ब्योरे में इस समय नहीं जाना चाहता क्योंकि यह इन्क्वायरी का विषय है जो चीज इन्क्वायरी में है, जो चीज जांच में चल रही है, उसके बारे में मैं यह कह दूं, ऐसा हुआ घटना का ब्योरा देने लगूं तो यह जांच को प्रभावित कर सकता है। मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश अगर कोई घटनाचक्र चल रहा है, अगर कोई सदन में अपनी राय दे, तो उस जांच करने वाले को कठिनाई हो सकती है।

इसलिए मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, उसका विवरण मेरे पास भी है। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जिस मेमोरेन्डम का जिक्र किया गया, पहली बात तो कि उस मेमोरेन्डम में कितनी दस्तखत हुई, मुझे यह बताया गया कि जो कांग्रेसी विधायकों का नाम लिया गया है तो ऐसे मेमोरेन्डम में शायद उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। कोई मेमोरेन्डम लेकर प्रधान मन्त्री जी से मिला नहीं। हर एक की अपनी राय हो सकती है। अगर कांग्रेसी विधायक ने अपनी कोई राय दी है, तो यह कांग्रेसी विभाग के लिए गव का विषय हो सकता है। उसमें मेरी बातें कही गयी हैं, उन बातों की जांच हो रही है।

लेकिन यह कहा गया कि सैकड़ों मृत्युयें हो गयी हैं, यह सत्य से बिल्कुल परे है। यह जो सूची मुझे दी गयी है, माननीय विजयपाल सिंह, संसद सदस्य और कुछ लोग मेरे पास आए थे। यू0पी0 निवास में मैं बठा हुआ था उन्होंने यह मांग की कि जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर का वहां से स्थानान्तरण कर दीजिए, जनमत इससे प्रभावित होगा और उन्होंने यह भी मांग की कि वहां पर अच्छा जिलाधिकारी भेजा जाय। तो मन श्री योगेन्द्र नारायण, जो एक योग्य अधिकारी थे, उनको वहां पर भजा।

श्रीमन्, ब्रिजेन्द्र यादव एक नवजवान जिला अधिकारी हैं। उन लोगों ने कहा कि यह जिलाधिकारी बहुत काम करने वाला, कमठ ह। आज तक उसकी शिकायत नहीं थी। मैंने उसका सही स्थानान्तरण कर दिया। जो सूची दी गयी, वह 78 व्यक्तियों की दस्तखत की सूची थी। घायल, मरे और जो अभी लापता हैं, उसकी मैंने जांच करायी। जो मेरी सूचना है जांच रिपोर्ट थी, प्रत्यक्ष है। केवल मुजफ्फरनगर म 16 व्यक्तियों की मृत्यु हुई ह। जो अब तक लापता हैं, उनकी संख्या 8 है। उसमें 15 व्यक्तियों के नाम दो बार लिख दिए गए ह। 15 व्यक्ति जीवित हैं, सुरक्षित ह। तो 16 व्यक्तियों की मृत्यु, 8 व्यक्ति लापता, यह मुजफ्फरनगर की कहानी है। जांच में जो तथ्य आयेंगे सामने, वह सबके सामने आयेंगे। जो कहा गया कि लापता हैं, वह तथ्य से बिल्कुल परे है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

क्या यह ओपेन इन्क्वायरी होगी, पब्लिक के लोग उसमें शामिल हो सकेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इन्क्वायरी हो रही ह ? पब्लिक के लोगों की कार्यवाही की जाएगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग —

आप इनके साथ सदन के मेम्बर भी कर दीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जहां तक मैंने पहले कहा कि एक व्यक्ति की भी मृत्यु हो,यह बुरा है। लेकिन जब सैकड़ों की बात कही जाय, जलियांवाला बाग से इसका मुकाबिला किया जाय, तो कोई इसकी तुलना नहीं। इसी प्रकार रणवीर नगर का हमारे पांडेय जी ने कहा कि 9 की सूचना ह। माननीय नेता विरोधी दल ने भी सुल्तानपुर के बारे में स्वीकार किया कि उन्होंने यह नहीं कहा कि 25 मौत वहां हुई। सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर के बारे में जो दूसरे तथ्य हैं वे सब हमारे सामने हैं। उसकी इनक्वायरी हो रही है जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।

दूसरी बात यह कि मेमोरेन्डम में जो दो बातें कही गयी हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ममोरेन्डम के एक पैराग्राफ में लिखा है कि जनता का हमें सहयोग मिला और मुजफ्फरनगर जिले में 30 हजार के लक्ष्य के सामने 24 हजार नसबन्दी हुई। जनता के सहयोग से। तो इसमें परस्पर विरोध है। एक तरफ उस मेमोरेन्डम में कहा गया कि जनता क सहयोग से 24 हजार नसबन्दी हुई और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि दबाव डाला गया। आखिर कौन सी बात सही है ? दबाव वाली बात सही है या जनता के सहयोग वाली बात सही है ? अगर मेमोरेन्डम में विरोधी दल के नता की बात मान लें कि सही है, तो इस पर दस्तखत किसके हैं, या नहीं है, इसकी कोई तसदीक नहीं हुई है। दूसरी बात यह ह कि एक मुहल्ला खालापार है, जहां के जन प्रतिनिधियों को लोग मलपुरा के खालापार ले गए और कहने लगे कि देख लीजिए खालापार मुहल्ला बिल्कुल सुरक्षित है, यहां न तो आग लगी है और न कोई तोड़-फोड़ हुई है। एक तरफ तो खालापार मुहल्ले में आग लगने की बात बतलायी जाती है। हजारों आदमियों के सामने, दूसरी तरफ कहा जाता है कि देख लीजिए यहां न आग लगी है और न कुछ नष्ट-भ्रष्ट हुआ ह। खालापार मुहल्ला बिल्कुल सुरक्षित है। इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि अफवाहें ह किस तरह से फलायी

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जाती हैं। एक तरफ कहा जाता है कि 6 आदमी जिनको नसबन्दी के लिए पकड़ा गया था, उनको सुबह वापस कर दिया गया और फिर बाद में प्रचार किया जाता है कि उनकी नसबन्दी जबरदस्ती करायी गयी। तो आखिर वे कौन से तत्व हैं जो लोगों को संघर्ष करने के लिए कह रहे हैं। ऐसे तत्वों से सबको सावधान रहना चाहिए।

कुछ चीजें महत्व की कही गयीं। जहां लाखों केसेज हों, वहां चन्द केसेज में गलतियां जरूर हुई होंगी। यह मैं नहीं कहता कि सूबे में इस तरह की कोई गलती न हुई होगी। हां, उम्र के ऊपर कुछ विवाद हो सकता है। हो सकता है कि कोई 22 साल का लड़का हो या कोई अविवाहित हो, या जिसके कोई बच्चा न हुआ हो और उसकी नसबन्दी करा दी गयी हो। मैं इसकी गारन्टी नहीं करता कि साढ़े 5 लाख केसेज में इस तरह की गलती कहीं न हुई होगी। लकिन जब ऐसे मामले मेरे सामने आए तो स्वास्थ्य मन्त्री जी ने तत्काल उसकी जांच करने का आदेश दे दिया और बहुत से लोगों को उन्होंने निलम्बित भी किया है, उनको पदच्युत किया है और आज भी करते जा रहे हैं। हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सुझाव आया और उसे मैं स्वीकार किया कि अगर कोई अविवाहित है और उसकी नसबन्दी हो गयी तो उसी नस को रिकेनेलाइज कर दिया जाय। उसकी नस को जोड़ कर ठीक कर दिया जाय। इसके लिए आदेश हो चुका है। अगर किसी की बगैर शादी के या, बगैर लड़का हुए, या किसी शादी-शुदा की भी किसी गलतफहमी की वजह से नसबन्दी हो गयी हो या जोश में हो गयी हो, तो दोबारा उसकी नस को जोड़ दिया जाय। मेडिकल कालेज के जो अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, उनके जरिए रिकेनेलाइज कराने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन इसमें माननीय सदस्यों के सहयोग की जरूरत है। स्वास्थ्य मन्त्री जी ने नसों के जोड़ने के लिए एक्सपर्ट्स ऐंडवाइज करने की कार्यवाही कर दी है।

दूसरे, एक बात बिल्कुल ठीक कही माननीय सदस्य सुल्तानपुर ने। हमारे कुछ और माननीय सदस्यों ने भी कहा था कि बहुत बड़े कैम्प न लगाये जायं। क्योंकि उसमें देखभाल ठीक से नहीं हो सकती है। इसलिए आदेश दिए गए हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक दिन में 50 आपरेशन, जिला अस्पताल म 100 आपरेशन और बड़े अस्पताल जो हैं उनमें 200 से अधिक आपरेशन एक दिन में न कराए जाएं। जितने का प्रबन्ध हो सकें, उतने बड़े कैम्प लगाए जायं ताकि आपरेशन ठीक से हो सकें। मान्यवर, इसके अलावा प्रत्येक केस में अब डायबिटीज और ब्लड शुगर वगैरह की एनालिसिस की जाती है।

यह भी आदेश कर दिए गए हैं कि अगर कोई आदमी किसी को लेकर नसबन्दी करवाने जाता है और यह साबित हो जाता है कि आपरेशन करने वाले के 2 बच्चे से कम हैं या शादीशुदा नहीं है तो डाक्टर की जिम्मेदारी होगी कि वह आपरेशन करने से मना कर देगा। यह आदेश डाक्टरों को दिए गए हैं कि वह पूछे हर एक से, जो नसबन्दी कराने जाता है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। चाहे उसके फार्म पर कुछ भी भरा हो। अगर यह साबित हो जाता है कि कोई गलत बयानी फार्म में है और उसके 2 से कम बच्चे हैं या शादीशुदा नहीं है, जो टारगेट कपुल के अन्दर नहीं आते हैं तो डाक्टर आपरेशन करने से मना कर देगा। ऐसे आदेश डाक्टरों को दिए गए हैं, ताकि कोई गलती न हो। इसी तरह के आपरेशन के बाद फालो-अप की बात आती है। तो इसके भी आदेश कर दिए गए हैं कि फेमिली प्लानिंग वर्क्स आपरेशन होने के बाद विजिट करें।

एक बात पुलिस के सम्बन्ध में कही गयी कि पुलिस का इस्तेमाल इस कार्य क्रम में बिल्कुल न किया जाय। तो पुलिस का इस्तेमाल केवल सुरक्षा के लिए ही किया जाता है। जैसा मैंने बताया था कि 57 जगहों पर कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए हैं बी0 डी0 ओ और अन्य कार्यकर्ताओं पर जो कि सर्वे करने गए थे, उन पर हमले हुए हैं। तो पुलिस का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए होता है। बस्ती जिले में एक बी0 डी0 ओ0 और 2 ग्राम सेवकों को मारा गया। वे लोग सर्वे करने गए थे तो वहां पर लोगों ने उनको घेर लिया और

उनको बल्लमों से मारा जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। कितने दुख की बात है कि वह कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे थे, सर्वे करने गए थे उन पर किस प्रकार से हमला हुआ, यह बड़ी हृदय विदारक घटना हुयी है। इसलिए कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस को दे रहे ह। जो काम करेंगे, उनकी सुरक्षा भी करनी है। इसलिए सुरक्षा के लिए पुलिस का इस्तेमाल होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग:—

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यहां पर पी0 ए0 सी0 सुरक्षा के लिए लगायी गयी थी लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय जलाया गया। क्या इसके लिए कोई आदेश दे दिए गए हैं कि अफसरान और पुलिस अधिकारी कोई ऐसा कार्य न करें जिससे प्रतिक्रियावादियों को बल मिले?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ऐसा किया गया है। हर एक सर्वे पार्टी के साथ पुलिस के कानेस्टेबिल सुरक्षा के लिए जायेंगे। इसके अलावा जिला परिषद् के सभापति की अध्यक्षता में जिला-स्तर पर और ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लाक स्तर पर, ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम स्तर पर जनसमितियां बनायी जा रही हैं। तो जितने कैम्प लगेंगे वहां अफसर तो पीछे होंगे ही। जन समितियों की ओर से कैम्प लगेंगे, इसकी व्यवस्था की जा रही है। तो मुझे विश्वास है कि यह सब जो निर्णय लिए गए हैं उनका प्रभाव परिवार नियोजन पर पड़ेगा और परिवार नियोजन आन्दोलन में किसी प्रकार से जो इसकी दिशा है और जो इस आन्दोलन की भावना है, उसमें किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होगी, मुझे इसका भरोसा है।

माननीय नेता विरोधी दल ने एक उल्लेख किया, माननीय गयूर अली एम0 पी0, उनके भाई के बारे में 5 हजार रुपए पहले मांगे गए और फिर 10 हजार मांगे गए। गयूर अली, एम0 पी0 मेरे पास भी आए। मैंने फौरन उसी दम कहा कि यह गलत है, यह बन्द होना चाहिए। अब इस पर डी0 एम0 ने क्या कहा यह इन्क्वायरी का प्रश्न है। इससे स्पष्ट होता है कि मैं एक सेवक हूं फिर चाहे कोई सदस्य हो या मन्त्री हो उससे यदि कोई शिकायत आती है तो मैं उस पर कार्यवाही करता हूं। नेता विरोधी दल इसके उदाहरण हैं। उन्होंने एक भाई का केस बताया मैंने उसको देखा। डी0 एम0 ने कहा है कि उस रुपये का पूरा हिसाब रखा हुआ है, यह मेरे पास रिपोर्ट आयी है।

अब मैं अधिक समय नहीं लूगा चूंकि प्रातः मैं बुनियादी बातों का उल्लेख कर चुका हूं। मैं इस सदन का, माननीय सदस्यों का और विरोधी दल का सहयोग चाहूंगा इस आन्दोलन को चलाने के लिए। आज आवश्यकता है सहयोग की। तो उसको पोलिटिकल इश्यू न बनाया जाय और पोलिटिकल इश्यू बनाना सबसे बड़ा पाप होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि इसको कुछ लोग बनाना चाहते हैं। लेकिन जनता उनसे सावधान है। मुझे विश्वास है कि परिवार नियोजन आन्दोलन जोरों से चलेगा। उत्तर प्रदेश में आप सबके सहयोग से 5 लाख 60 हजार का लक्ष्य पूरा हुआ है। हमें लक्ष्य का मैनडेड नहीं है लेकिन कुछ न कुछ लक्ष्य तो रखना ही पड़ेगा। बर्थ रेट घटाना है तो उसके लिए कुछ न कुछ लक्ष्य तो बनाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के सहयोग की आशा करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जोर जबरदस्ती का कोई सवाल नहीं है। यहां जन आन्दोलन के खिलाफ इन्हीं माननीय सदस्यों ने प्रतिक्रियावादी तत्वों से संघर्ष किया है और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रतिक्रियावादी, सामन्तवाद तथा कठोरवाद के विरुद्ध हमारा संघर्ष चलता रहेगा और इन्दिरा जी के महान नेतृत्व में देश चौगुनी प्रगति कर रहा है, चाहे वह खेती में हो या देश की प्रगति के लिए और डिसीजन लेने के बारे में हो। इसलिए मुझे विश्वास है कि इन्दिरा जी के महान नेतृत्व में हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ता रहेगा।

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1976, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, को सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी "ज" आगे पृष्ट 975–987पर)

(श्री भीखा लाल जी के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

आइटम नं0 11 मन्त्री जी इसको आज पुरः स्थापित कर सकते हैं क्योंकि भीखा लाल जी का कहना है कि यह बहुत बड़ा बिल है इसलिए इसको दूसरे दिन ले लें। आज पुरःस्थापित करदें।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976

वित्त राज्य मन्त्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अजीजुर्रहमान—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मन्डल सदस्यों की उपलब्धियों का (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) संशोधन विधेयक, 1976

वित्त राज्य मन्त्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—2

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 की धारा 7 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् —

"(1-क) इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि इस अधिनियम के अधीन देय कर दिए बिना इकाई चलाई जा रही है तो भी उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (3) द्वारा शक्कर आयुक्त को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है।"

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1961 की धारा 7 का संशोधन

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जाएगा।

संक्षिप्त नाम

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अजीजुर्रहमान—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

*श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, संसदीय मन्त्री जी ने जो विधेयक पेश किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं।

हमारे देश की संसद ने इस बात की पहल की और सारे देश की विधान सभायें अपने सदस्यों के लिए पेन्शन की व्यवस्था कर रही हैं। वह मुनासिब ही है कि हमारे संसद सदस्यों या विधान सभा के सदस्यों के लिए पेन्शन की व्यवस्था की जाय जिन्होंने जिन्दगी का बहुमूल्य समय जनता की सेवा में लगा दिया है और विधान सभा में आए हैं या आयेंगे या किसी कारण वे विधान सभा के सदस्य नहीं हो पाते।

एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो किन्हीं कारणों से विधान सभा के सदस्य नहीं हो पाए हैं, लेकिन इनकी कुरबानी और देश की सेवायें हम लोगों से बहुत ज्यादा हैं और इसलिए उनकी सेवाओं का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह विधान सभा सदस्यों को पेशन देने की व्यवस्था आप कर रहे हैं, उसी प्रकार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को भी पेन्शन देने की व्यवस्था की जाय। उनको आप चालीस से सौ रुपए तक पेन्शन देते हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उस ओर भी ध्यान दें और उनकी पेन्शन में भी इजाफा करें। उनकी कुरबानी देश के लिए बहुत है।

श्री अम्मार रिजवी—

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें पोलिटिकल पेन्शन शामिल न किया जाय, यह प्राविधान करवा लिया गया है। यह दूसरी बात है कि यह निश्चय करना मुश्किल है ऐसे लोग कौन हैं जिनकी कुरबानियां बहुत ज्यादा हैं। हां, जो व्यक्ति लड़े हैं या इलेक्शन हार गए हैं, उनको प्राविजन में लेना मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, खंड 3, खंड 4, खंड 5 तथा खंड 6

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1952 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 के (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) शीर्षक में शब्द "वेतन और भत्तों" के स्थान पर शब्द "वेतन, भत्तों और पेन्शन" रख दिए जायेंगे।

धारा 1 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 1 में, उपधारा (1) में शब्द 'उपलब्धियों' के पश्चात् शब्द "और पेन्शन" बढ़ा दिए जायेंगे।

धारा 2 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 2 में, उपधारा (3) निकाल दी जायगी।

धारा 2-ग का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 2-ग में, शब्द "तीन सौ पचास रुपए प्रतिमास" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपए प्रतिमास" रख दिए जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 3-में, उपधारा (1) में शब्द "प्रतिमास तीन सौ रुपया" के स्थान पर शब्द "प्रतिमास पांच सौ रुपए" रख दिए जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, खंड 4, खंड 5 और खंड 6 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 7 व खण्ड 8

नयी धारा 3-क का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

"3-क—(1) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदयों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के दिनांक से प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने :—

(क) उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य के रूप में, या

(ख) उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में, या

(ग) आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य के रूप में और आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में,

पांच वर्ष की अविछिन्न या विछिन्न अवधि पर्यन्त कार्य किया है, तीन सौ रुपए प्रति मास पेन्शन दी जाएगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी व्यक्ति ने उपर्युक्त रूप में पांच वर्ष से अधिक की अवधि में कार्य किया है, वहां उसे पांच के उपरान्त के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए पचास रुपए प्रतिमास की अतिरिक्त पेन्शन दी जायगी, किन्तु किसी भी मामले में ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार देय पेन्शन पांच सौ रूपए प्रतिमाह से अधिक न होगी :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेन्शन अधिनियम, 1954 के अधीन किसी पेन्शन पाने का हकदार है तो —

(1) यदि उक्त अधिनियम के अधीन अनुमन्य पेन्शन पांच सौ रुपए प्रतिमास या उससे अधिक हो तो वह इस धारा के अधीन कोई पेन्शन पाने का हकदार न होगा ;

(2) यदि उक्त अधिनियम के अधीन अनुमन्य पेन्शन पांच सौ रुपए प्रतिमास से कम हो तो वह इस धारा के अधीन उतनी ही धनराशि की पेन्शन पाने का हकदार होगा जिससे उक्त अधिनियम में अनुमन्य पेन्शन की राशि पांच सौ रुपए से कम पड़ती हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद् या उत्तर प्रदेश विधान सभा में क्रमश: यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव काउन्सिल या यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव एसेम्बली भी सम्मिलित होगी, जिसने 15 अगस्त, 1947 और संविधान के प्रारम्भ के बीच और तत्पश्चात् राज्य के लिए अस्थायी विधान मण्डल के सदन के रूप में कार्य किया।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन पेन्शन के लिए हकदार कोई व्यक्ति—

(क) राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त हो जाता है ; या

(ख) संसद के किसी सदन का या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् या उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य हो जाता है ; या

(ग) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में किसी निगम, या किसी स्थानीय प्राधिकारी, के अधीन वेतन पर सेवायोजित किया जाता है, या ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकारी से किसी पारिश्रमिक का अन्यथा हकदार हो जाता है ;

वहां ऐसा व्यक्ति उस अवधि में जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन रहता है, या ऐसा सदस्य है, या इस प्रकार सेवायोजित है, या ऐसे पारिश्रमिक का हकदार बना रहता है, उपधारा (1) के अधीन किसी पेन्शन का हकदार न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे पद पर आसीन रहने या ऐसा सदस्य होने या इस प्रकार सेवायोजित होने के लिए ऐसे व्यक्ति को देय वेतन या पारिश्रमिक या जहां ऐसे व्यक्ति को देय खन्ड (ग) में निर्दिष्ट पारिश्रमिक दोनों में से किसी स्थिति में उसको उपधारा (1) के अधीन देय पेन्शन से कम है, वहां ऐसा व्यक्ति उस उपधारा के अधीन पेन्शन के रूप में उतनी ही धनराशि पाने का हकदार होगा जितनी धनराशि पेन्शन की उस धनराशि से कम पड़ती है, जिसके लिए वह उस उपधारा के अधीन अन्यथा हकदार है ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन पेन्शन के लिए हकदार कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में किसी निगम, या किसी विधि के अधीन या अन्य प्रकार से किसी स्थानीय प्राधिकारी, से किसी पेन्शन का भी हकदार है (जो संसद सदस्य, वेतन, भत्ता और पेन्शन अधिनियम, 1954 के अधीन पेन्शन न हो व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की हैसियत से दी गई पेन्शन न हो ।) तो

(क) जहां पेन्शन की धनराशि, जिसके लिए वह किसी विधि के अधीन या अन्य प्रकार से हकदार है, उस धनराशि के बराबर या उससे अधिक हो जिसके लिए वह उपधारा (1) के अधीन हकदार है, वहां ऐसा व्यक्ति उस उपधारा के अधीन किसी पेन्शन का हकदार न होगा ; और

(ख) जहां पेंशन की वह धनराशि जिसके लिए वह ऐसी विधि के अधीन या अन्य प्रकार से हकदार है, उस धनराशि से कम है, जिसके लिए वह उपधारा (1) के अधीन हकदार है, वहां ऐसा व्यक्ति उस उपधारा के अधीन पेन्शन की उतनी ही धनराशि का हकदार होगा जितनी धनराशि पेन्शन की उस धनराशि से कम पड़ती है जिसके लिए वह उस उपधारा के अधीन अन्यथा हकदार है ।

(4) उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ, वर्ष की संख्या की संगणना करने में उस अवधि की भी गणना की जायगी जिसमें किसी व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अपनी सदस्यता के कारण मन्त्री, अध्यक्ष, सभापति, उप मन्त्री, उपाध्यक्ष, उप सभापति या सभा सचिव के रूप में कार्य किया है ।"

धारा 5 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खन्ड बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात् —

"(च) प्रपत्र जिसमें इस अधिनियम के अधीन पेन्शन की मांग करने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण पत्र यदि कोई हो, प्रस्तुत किया जायगा,

(छ) इस अधिनियम के अधीन पेन्शन का भुगतान करने की रीति।"

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 7 में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा 3-क(ग) के बाद शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द 'एक कालावधि' चाहे वह कालावधि पांच साल से कम ही क्यों न रही हो, रख दिए जायं।

मान्यवर, माना 2 वर्ष के बाद विधान सभा खत्म हो गयी, तो जो माननीय सदस्य 5 वर्ष के लिए चुनकर आए, तो उनका तो कोई दोष नहीं है। यह तो परिस्थिति थी, जिसकी वजह से विधान सभा 2 वर्ष में ही खत्म हो गयी .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह अवधि लोक सभा में भी 5 वर्ष ही है, लेकिन अगर आपकी बात सरकार मानना चाहे, तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अम्मार रिजवी—

जो प्रक्रिया लोक सभा में अपनायी गयी है, उसी के अनुसार 5 वर्ष रखना ही उचित है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा 3-क (ग) के बाद शब्द 'पांच वर्ष' के स्थान पर शब्द "एक कालावधि, चाहे वह कालावधि पांच साल से कम ही क्यों न रही हो" रख दिए जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि मेरा संशोधन मुझे वापस करने की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय काशीनाथ मिश्र को अपना संशोधन वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

(सदन की अनुमति से श्री काशीनाथ मिश्र का संशोधन वापस हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

दूसरा संशोधन अनियमित है, अतः मैं उसको रूल आउट करता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड 7 तथा खंड 8, इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

फ्रीडम फाइटर्स को जो पेन्शन मिलेगी, यह बिल उनकी पेन्शन में आड़ नहीं आएगा?

श्री अम्मार रिजवी—

यह व्यवस्था कर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों को उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 पारित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1976

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1976 जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

यह विधेयक अभी 10 मिनट पहले सदन के पटल पर रखा गया है। तीन धाराओं में संशोधन हैं और 35 धाराओं का विधेयक है। इसलिए इसे आज न लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात स्वीकार है। इसको अब अगले दिन लेंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 में कोई सूचना नहीं है।

माध्यमिक शिक्षक संघ की 11 सूत्रीय मांगों के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय को अगले दिन के लिए टाल दिया गया है।

सदन का अधिवेशन 30 नवम्बर, 1976 व 1 दिसम्बर, 1976 को करने हेतु सुझाव

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब सदन 30 नवम्बर, 1976 व 1 दिसम्बर, 1976 को बैठे और दोनों दिन संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक पर ही विचार हो और दूसरा कोई कार्य न हो।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और 30 तारीख को 11 बजे फिर मिलगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 44 मिनट पर 30 नवम्बर, 1976 के 11 बज तक के लिए स्थगित हो गया।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
10 नवम्बर, 1976।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आगे पृष्ठ 852 पर।)

1 जनवरी, 1971 को 44430.83 घनफुट कोयला उपलब्ध था जिसमें से निम्न प्रकार कोयला विभिन्न लोगों को दिया गया —

जनवरी, 1971, 10966 घनफुट, सर्वश्री आर0 सी0 गुप्ता एन्ड कम्पनी,

फरवरी, 1971, 9494 घनफुट, सर्वश्री आर0 सी0 गुप्ता एन्ड कम्पनी,

फरवरी, 1971, 10000 घनफुट, श्री अमीरचन्द्र सिंह, ठेकेदार,

मार्च, 1971, 1169 घनफुट, सर्वश्री आर0 सी0 गुप्ता एन्ड कम्पनी,

अप्रैल, 1971, 2240 घनफुट, सर्वश्री आर0 सी0 गुप्ता एन्ड कम्पनी,

मई, 1971, 1280 घनफुट, श्री अमीरचन्द सिंह, ठेकेदार,

सितम्बर, 1971, 4686 घनफुट, श्री के0 के0 तिवारी, अधिदर्शक के नाम प्रकीर्ण खाते में डाला गया।

जनवरी, 1972, 1010 घनफुट, श्री अमीरचन्द सिंह, ठेकेदार।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 853 पर।)

1—प्रबन्ध समिति द्वारा सन् 1975-76 में छात्रों से अनाधिकृत शुल्क के रूप में 15,802 रुपए प्राप्त करना।

2—विद्यालय में मान्यता प्राप्त किए बिना अवैधानिक रूप से कक्षायें संचालित कर छात्रों से अनाधिकृत शुल्क वसूलना और उसका गबन करना।

3—वेतन बिल रजिस्टर में दिखाए गए भुगतान तथा कैश बुक की प्रविष्टियों में भिन्नता।

4—फर्जी एवं गलत भुगतान दिखाना तथा धन का गबन करना।

5—अनुरक्षण निधि की कैश बुक में फर्जी ऋण की प्राप्ति दिखाकर शासन से राजकीय अनुदान प्राप्त होने पर उसका गबन किया जाना।

6—छात्र कोष से अवैध रूप से धन लेकर इसका मनमानी ढंग से व्यय करना।

7—विद्यालय के भवन निर्माण में अनियमिततायें तथा फर्जी भुगतान।

8—जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही अप्रशिक्षित अध्यापकों को मनमान ढंग के नियुक्त करना।

9—अनाधिकृत रूप से लिपिकों एवं पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति करना आदि।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 854 पर।)

1—दिनांक 22 अगस्त, 1975 को जिला विद्यालय निरीक्षक ने अचानक छापा मारा ।

2—संस्था में एक लाख रूपए के घोटाले से सम्बन्धित अभिलेख कब्जे में लिए गए घोटाला सही पाया गया।

3—अभिलेखों का डिटेल आडिट भी कराया गया, आडिट रिपोर्ट अभी नही मिली है।

4—संस्था के प्रबन्धक तथा दो लिपिकों के विरुद्ध भारतीय दन्ड संहिता की धारा 430, 409, 408, 465, 471 तथा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 7 (सी) एवं (डी) के अन्तर्गत डलमऊ थाने में दिनांक 4 जुलाई, 1976 को एफ0 आई0आर0 लिखाई गई।

5—माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी (2) के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति के भंग किए जाने की कार्यवाही चल रही है, जिसके लिए निरीक्षक ने संस्तुति की थी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 877 पर)

संस्था का नाम—श्री गांधी विद्यालय इन्टर कालेज सिधौली (सीतापुर), जिला—सीतापुर

प्रपत्र–(क)

क्रमांक	संस्था का नाम	बड़े कक्षों की सं0	छोटे कक्षों की सं0 400 वर्ग से कम के क्षेत्रफल वाले	योग	स्तम्भ 5 में दिखाए–गए कमरों का प्रकार: लिंटर छत वाले कमरों की संख्या	टिन के छत वाले कमरों की संख्या	छप्पर/खपरैल की छत वाले कमरों की संख्या	भवन किराए पर है अथवा निजी	भवन का वर्तमान अनुमानित मूल्य	वार्षिक व्यय यदि कोई हो	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	विद्यालय का मुख्य भवन ..	26	16	42	35	5	2	निजी	7,00,000	कुछ नहीं	..
2	रिक्रेरियशन एन्ड आटोरियम हाल ..	1	3	4	3	1	..	,,	1,00,000	,,	..
3	छात्रावास ..	..	7	7	7	..	..	,,	40,000	,,	..
4	आवासीय ..		..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	दुकानें ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6	अन्य पशुओं का शेड ट्यूबवेल तथा सम्पर्क कक्ष, पुनर्व्यवस्था कक्ष, आदि ।	..	1	1	..	1	..	..	5,000	..	ट्यूबवेल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, सिधौली, सीतापुर संस्थ के समस्त सम्पतियों का विवरण

प्रपत्र "घ"

क्रमांक	—	प्लाट नं0	क्षेत्रफल एकड़ में	भूमि का अनुमानित मूल्य	भूमि किस प्रकार की है: कृषि योग्य	भूमि किस प्रकार की है: कृषि के लिए अनुपयुक्त
1	2	3	4	5	6	7
						विवरण उपलब्ध
1	संदान की भूमि ग्राम समियाना संदान सरांय	खाता नं0 22 6 किता खाता नं0 52 10 किता	6 बीघा 6 विस्वा 25 बीघा 10 किता	1,900.00 6,550.00	..	नहीं है।
2	संदान की भूमि ग्राम गनेशपुर ..	खाता नं0 53 2 किता	10 बीघा 7 विस्वा	1,000.00	..	,,
3	संदान की भूमि ग्राम जयरामपुर ..	खाता नं0 89 15 किता	36 बीघा 2 विस्वा	5,000.00	..	,,
4	संदान की भूमि ग्राम सरैयाशंकर बख्श	खाता नं0 68 3 बीघा 8 विस्वा 1 किता।	3 बीघा 18 विस्वा	2,000.00	..	,,
5	संदान की भूमि ग्राम पहाड़ापुर ..	खाता नं0 68 7 किता	11 बीघा 7 विस्वा	6,600.00	..	,,
6	संदान की भूमि ग्राम नीलगांव ..	खाता नं0 164 3 किता	4 बीघा 3 विस्वा	4,000,00	..	,,
7	संदान की भूमि ग्राम गनेरा ..	खाता नं0 4 2 किता	1 बीघा 7 विस्वा	900.00	..	,,
8	संदान की भूमि ग्राम गांसेपेरा ..	खाता नं0 101	4 बीघा 14 विस्वा	1,000.00	..	,,
9	संदान की भूमि ग्राम रायपुर कलां	खाता नं0 207 7 बीघा 10 विस्वा।	7 बीघा 10 विस्वा	3,000.00	..	,,
10	कृषि वर्ग की भूमि ..	..	..	..	..	,,
11	पुनर्व्यवस्थित योजना की भूमि ..	..	10 एकड़	5,000.00	कृषि योग्य	,,
12	अन्य भूमि विद्यालय भवन से संलग्न	..	..	..	..	,,
13	बागबानी ..	..	..	..	..	,,
14	खेल का मैदान ..	..	एक एकड़ ..	2,000,00	..	,,
15	अन्य ..	..	..	..	..	,,

भूमि किस प्रयोग में आ रही है				विद्यालय के नाम दाखिल खारिज हो गई है कि नहीं	भूमि पर वृक्षों का विवरण		विशेष विवरण
कृषि	कटाई	किराए पर	बिना किराए पर		संख्या	लागत	
8	9	10	11.	12	13	14	15
कब्जा नहीं है, दानदाताओं के परिवार के आपसी झगड़ों के कारण।	..	..	..	हां	..	..	विद्यालय के पास कृषि के योग्य तथा अनुपयुक्त भूमि का कोई विवरण नहीं है। इसका प्रार्थना-पत्र तहसीलदार महोदय के यहां दिया गया है। तहसीलदार महोदय से पूर्ण विवरण प्राप्त होने पर सम्बन्धित विवरण भेजा जाएगा। क्षेत्र फल की भी पूर्ण जानकारी वस्ताविक तथा सही अंकित की जाएगी।
तदैव	..	..	..	हां	..	..	तदैव
तदैव	..	..	..	हां	..	..	तदैव
तदैव	..	..	..	हां	..	..	तदैव
..	..	1,300 प्रतिवर्ष किराए पर	..	हां	..	..	तदैव
..			..	हां	..	..	तदैव
..	..	..	..	हां	..	..	तदैव
..	..	..	..	हां	..	..	तदैव
कब्जा नहीं है दानदाताओं के परिवार वालों के झगड़ों के कारण		..	..	हां	..	..	तदैव
..	..	..	..	हां	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

.. .. यह भूमि डिग्री कालेज को मान्यता हेतु संदान में दी गयी ।

.. ..

.. ..

.. .. यह भूमि डिग्री कालेज को मान्यता के लिए दी गई है ।

.. ..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 877 पर)

क्रमांक	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	पता	वि0 क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री रामस्वरूप त्रिपाठी	कन्या प्रा0 पा0, जोखवा बाजार	दुरगापुर जोखवा, बाजार, बहराइच	सिरसिया
2	श्रीमती सावित्री देवी	कन्या प्रा0 पा0, लक्ष्मनपुर	ग्राम व पोस्ट लक्ष्मनपुर बाजार, बहराइच	,,
3	श्रीमती शकुन्तला देवी	कन्या प्रा0 पा0, टिटहरिया	ग्राम व पोस्ट टिटहरिया, बहराइच	,,
4	श्रीमती केतकी देवी	कन्या प्रा0 पा0, परसा देवरिया	ग्राम परसा देवरिया, पो0 विशुनापुर, बहराइच	,,
5	श्रीमती सुभद्रा रानी	कन्या प्रा0 पा0, एक थरवा	ग्राम व पो0 एकथरवा, बहराइच	,,
6	श्रीमती सन्नो देवी	तदैव	तदैव	,,
7	श्रीमती मुन्नी देवी	कन्या प्रा0 पा0, चिलहरिया	भिनगा, बहराइच	,,
8	श्री कन्हैया लाल	कन्या प्रा0 पा0, बेरिहयवा	ग्राम बल्दी डोहा, पो0 दयारामपुर, बहराइच	,,
9	श्री कृष्ण बिहारी मिश्र	कन्या प्रा0 पा0, धरमदापुर	भिनगा, भिनगा, बहराइच	,,
10	श्री कृपा राम गिरि	कन्या प्रा0 पा0, गब्बापुर	ग्राम बेरियाओनी, पो0 तिरतिया, बहराइच	,,
11	श्री राजित राम पाठक	कन्या प्रा0 पा0, भचकाहो	ग्राम व पो0 लालबोड़ा, बहराइच	,,
12	श्री विशेश्वर लाल	कन्या प्रा0 पा0, भिनगा	शिवजोत, बसनेरी खास, भिनगा, बहराइच	हरिहरपुर रानी
13	कु0 शिव कुमारी	तदैव	भिनगा खास	,,
14	कु0 सरोज देवी	तदैव	भिनगा-भिनगा	,,
15	कु0 बालवती	तदैव	मंगहा मंगहा, बहराइच	,,
16	कु0 कृष्णा कुमारी	तदैव	महराज सिंह इ0 का0 के पीछे, बहराइच	,,
17	कु0 सरबा देवी	तदैव	भिनगा, भिनगा	,,
18	कु0 हजारा बेगम	तदैव	तदैव	,,
19	श्री राम अचल	तदैव	गोठवा, बहराइच	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

20	श्रीमती मुन्नी देवी	..	कन्या क्रमोत्तर मंगहा	..	मंगहा, मगहा, बहराइच	..	हरिहरपुर रानी
21	श्रीमती सरोजनी देवी	..	कन्या जू0 हा0 स्कूल, भिनगा	..	गोठवां, बहराइच	..	,,
22	श्रीमती सरोजनी देवी	..	कन्या क्रमोत्तर, मंगहां	..	रसूलपुर, रसूलपुर	..	,,
23	श्रीमती तारा देवी	..	कन्या क्रमोत्तर मंगहा	..	मंगहां, मंगहा	..	,,
24	श्रीमती ज्ञानवती देवी	..	तदैव	..	तदैव	..	,,
25	श्रीमती फैवाजी बेगम	..	तदैव	..	काजीपुरा, बहराइच	..	,,
26	श्री भूषन लाल	..	कन्या प्रा0 पा0, उदईपुर	..	महासादापुर कलां, पो0 गोठवा	..	,,
27	श्री राम लक्ष्मन		कन्या प्रा0 पा0, पटना खरगौरा	..	पंडितपुरवा, हरिहरपुर, रानी, बहराइच	..	,,
28	श्रीमती सम्मुख देवी	..	तदैव	..	तदैव		,,
29	श्री नानक शरण	..	कन्या प्रा0 पा0, हरिहरपुर रानी	..	तदैव	..	,,
30	श्रीमती राजवती देवी	..	तदैव	..	द्वारा प्रमुख लाल बहादुर ओझा, हरिहरपुर, रानी		,,
31	श्रीमती कान्ती देवी	..	कन्या प्रा0 पा0, चकवा	..	ग्राम व पो0 पूरे गोकुल सिंह, बहराइच	..	,,
32	श्रीमती मालती देवी	..	तदैव	..	तदैव	..	,,
33	निर्मला देवी	..	कन्या प्रा0 पा0, चहेहलवा	..	ग्राम व पो0 खरगौरा	..	,,
34	श्रीमती ठाकुर देई	..	कन्या प्रा0 पा0 मछरहवा	..	ग्राम व पो0, तुरहरी, सोनवा	..	,,
35	श्रीमती सावित्री देवी	..	कन्या प्रा0 पा0 गोठवा	..	उदईपुर पो0 गोठवा	..	,,
36	दया बख्श	..	कन्या प्रा0 पा0, परसाखास	..	ग्राम रामपुर, मछरिहवा	..	,,
37	नेम राज		कन्या प्रा0 पा0, अमवा	..	सुजानडीहा, अमवा, बहराइच	..	,,
38	श्रीमती सबीहा बेगम	..	कन्या प्रा0 पा0 पतलिया	..	चांदपारा, चांदपारा	..	,,
39	श्रीमती सरोजनी देवी	..	कन्या प्रा0 पा0 पुरे अवारी	..	उमायल, हरिहरपुर रानी	..	,,
40	श्रीमती ज्ञानवती देवी	..	तदैव		रामपुर हरिहरपुर रानी	..	,,
41	श्री विद्याधर		कन्या प्रा0 पा0, रेवलिया	..	ग्राम मिट्टी, हरिहरपुर रानी	..	,,
42	श्रीमती मिथलेश कुमारी	..	कन्या प्रा0 पा0 शिव बालक पुरवा	..	शिव बालक पुरवा, गोठवा	..	,,
43	श्रीमती निर्मला देवी	..	तदैव		तदैव		,,

प्रेस विधान सभा

1	2	3	4	5
44	श्री मंगला प्रसाद	कन्या प्रा0 पा0 बगरडिया	अमवा, अमवा, बहराइच	हरिहरपुर रानी
45	श्रीमती सरस्वती देवी	तदैव	भिनगा, भिनगा	,,
46	श्रीमती कमला देवी	तदैव	गोठवा, गोठवा	,,
47	श्री कृपा राम त्रिपाठी	कन्या प्रा0 पा0, जोगढ़	शिवदयालपुरवा, गोठवा	,,
48	श्री राधे श्याम पाठक	तदैव	तदैव	,,
49	कु0 सुशीला कुमारी	कन्या प्रा0 पा0 शिवगढ़ कलां	कानूगो पुरा, बहराइच	,,
50	श्री कृपा राम मिश्र	कन्या प्रा0 पा0, नया गांव	नछचरिया, सेमरी	,,
51	श्री नन्द प्रसाद	कन्या प्रा0 पा0, अकबरपुर	गोठवा, गोठवा	,,
52	श्रीमती शान्ती देवी	कन्या प्रा0 पा0 हरीपुर	पटना, खरगौरा	,,
53	श्री शिव शरन लाल	कन्या प्रा0 पा0, हरीपुर	मछसादापुर, अमवा	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर आगे पृष्ठ 878 पर।)

	खरीदे गए बोरों की संख्या	प्रति सैकड़ा बोरों की दर (सभी कर समेत)
1	1,20,000	रु0 425.60
2	80,000	रु0 406.85

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 897 पर)

विधान सभा में दिनांक 10 नवम्बर, 1976, को परिवार नियोजन कार्य-क्रम के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मन्त्री का वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया।

आदरणीय सदन को यह बताने की जरूरत नहीं है कि देश का आर्थिक, सामाजिक तथा बौद्धिक विकास जन संख्या एवं उत्पादन के संतुलन पर निर्भर है। स्वतन्त्रता के पूर्व भारतवर्ष की आबादी लगभग 35 करोड़ थी। 1951 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी 36.10 करोड़ थी जो अब बढ़ कर 60 करोड़ से अधिक हो गई है। इस प्रकार स्वतन्त्रता मिलने के बाद से देश की जनसंख्या सोवियत संघ के बराबर अर्थात् 25 करोड़ बढ़ी है और आज भी हम प्रतिवर्ष जन संख्या के मामले में एक आस्ट्रेलिया पैदा कर रहे हैं। इस समय भारत की जन्म दर 34.5 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 14.4 प्रति हजार है तथा वृद्धि दर 20.1 प्रति हजार जनसंख्या है। यदि जनसंख्या वृद्धि की इस दर पर नियन्त्रण न किया गया तो इस बात की पूरी सम्भावना है कि इस शताब्दी के अन्त तक भारत वर्ष की जन संख्या एक अरब तक पहुंच जाएगी। देश की आबादी जिस गति से बढ़ रही है उस गति से उत्पादन बढ़ाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इसका नतीजा यह है कि पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों के बावजूद भी देश का आर्थिक स्तर पर्याप्त रूप से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। अतएव भारत सरकार ने इस बात को महसूस किया कि जब तक जनसंख्या की बाढ़ पर नियन्त्रण नहीं किया जायगा, जन-साधारण का जीवन स्तर उन्नत कर पाना सम्भव नहीं हो सकेगा। चूंकि जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक मात्र कारगर उपाय परिवार-नियोजन कार्यक्रम है, अतएव भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को आर्थिक विकास के हित में राष्ट्रीय कार्यक्रम का स्तर दिया है। हमारी लोकप्रिय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति विशेष चिन्ता व्यक्त करते हुए परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पूरे प्रयत्न करने पर जोर दिया। उन्होंने इस समस्या पर विचार करने हेतु देश के समस्त मुख्य मन्त्रियों और स्वास्थ्य मन्त्रियों की बैठक दिल्ली में बुलाई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आर्थिक कार्य क्रम द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का जनता तभी सही मायने में उपयोग कर सकेगी जब कि जनसंख्या की वृद्धि पर प्रभावी नियन्त्रण किया जा सके। फलस्वरूप राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डा0 कर्ण सिंह ने इस नीति की दिनांक 16 अप्रैल, 1976 को घोषणा की। अब यह घोषणा परिवार नियोजन कार्य-क्रम का आधार शिला है।

उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश है। यहां सारे देश के 9.2 प्रतिशत भू-भाग पर देश की कुल जनसंख्या का 16.1 प्रतिशत भाग निवास करता है। वर्ष 1951 में इस प्रदेश की आबादी 6 करोड़ 32 लाख थी और उस समय जन्मदर 38.6 तथा मृत्यु दर 27.2 थी। इस प्रकार प्रदेश का वृद्धि दर 1.14 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। वर्ष 1971 में आबादी बढ़कर 8 करोड़ 83 लाख हो गई और अब करीब 10 करोड़ आबादी है। इस प्रकार पिछले 25 वर्षों में इस प्रदेश की आबादी में लगभग 3 करोड़ 68 लाख की वृद्धि हुई है। इस समय प्रदेश की जन्म दर 41.8 तथा मृत्यु दर 19.5 है। इस प्रकार जनसख्या 2.23 प्रतिशत प्रतिवर्ष की गति से बढ़ रही है। इस प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता पर राष्ट्रीय जन्मदर में कमी बहुत कुछ निर्भर है। क्योंकि यदि देश के अन्य राज्य इस दिशा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं और उत्तर प्रदेश की जन्म दर में पर्याप्त कमी नहीं होती है तो राष्ट्रीय जन्मदर में कोई प्रभावी कमी नहीं आएगी। अतएव भारत सरकार ने समय-समय पर इस बात पर जोर दिया है कि पूरे देश में परिवार-नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को विशेष भूमिका निभानी है।

यदि इस समस्या को आर्थिक पहलू से भी देखा जाय तो यह तथ्य सामने आता है कि कृषि, उद्योग, चिकित्सा एवं शिक्षा आदि के क्षेत्रों में आशातीत उपलब्धियों के बावजूद भी प्रदेश की जनता का आर्थिक स्तर पर्याप्त रूप से ऊपर नहीं उठ पा रहा है।

वर्ष 1960-61 से 1974-75 की 14 वर्षों की अवधि में राज्य में प्रति व्यक्ति आय लगभग दो प्रतिशत बढ़ी जब कि राज्य की आय 31 प्रतिशत बढ़ी। वर्ष 1960-61 में प्रति व्यक्ति आय 260 रुपए थी। यदि 1960-61 के मूल्यों को आधार माना जाय तो वर्ष 1974-75 में प्रति व्यक्ति आय बढ़ कर 266 रुपए हो गयी। वर्ष 1960-61 में राज्य की आय 1960-61 के मूल्य स्तर पर 1904 करोड़ रुपए थी और इसी मूल्य स्तर पर यह आय वर्ष 1974-75 में 2501 करोड़ रुपए हो गयी।

निरन्तर बढ़ते रोजगार के अवसरों के बावजूद भी सेवायोजन कार्यालयों के रजिस्ट्रेशन में बेरोजगारों की संख्या जो 1960 में 2.92 लाख थी बढ़कर 1974 में 7.72 लाख हो गयी।

वर्ष 1951 और 1974 के बीच प्राइमरी स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या में चौगुनी वृद्धि होने के बावजूद अभी भी 18.64 लाख बच्चे प्राइमरी शिक्षा की सुविधा से वंचित हैं।

वर्ष 1960–61 के 1972–73 तक 12 वर्षों की अवधि में खाद्योत्पादन 25 प्रतिशत बढ़ा है जबकि खाद्यान की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धि 196 से 198 किलोग्राम तक अर्थात् 2 किलोग्राम ही बढ़ पाई।

राष्ट्रीय जन संख्या नीति के अनुसार देश की वर्तमान जन्म दर को पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक घटा कर 30 प्रति हजार तक लाना है। दुर्भाग्यवश इस समय उत्तर प्रदेश की जन्म दर 41.8 प्रति हजार है। राष्ट्रीय जन्म दर की लक्ष्य पूर्ति हेतु जहां शेष देश को अपनी जन्म दर में 5 अंकों की गिरावट लानी है, हमें उसी अवधि में 12 अंकों की कमी करनी है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में यह भी कहा गया है कि राज्यों की योजनाओं के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में से 8 प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से परिवार नियोजन की उपलब्धियों के आधार पर ही निश्चित की जायगी। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर लाने तथा जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण करने एवं प्रदेश के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने 1976-77 हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित 4 लाख नसबन्दी आपरेशन के विपरीत 15 लाख नसबंदी का लक्ष्य निर्धारित किया।

यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1956 में नसबन्दी कार्य-क्रम के आरम्भ से मार्च 1976 के अन्त तक प्रदेश में कुल 14.16 लाख नसबन्दी आपरेशन किये गये। इसके अनुसार प्रदेश में नसबन्दी का स्वीकृत स्तर 14.8 प्रति हजार जनसंख्या बना है। अखिल भारतीय स्तर पर यह स्वीकृति स्तर 31.2 प्रति हजार जनसंख्या है। अनुमान है कि पूर्व वर्षों में किये गये कार्य के फलस्वरूप प्रदेश में 23.58 लाख बच्चों के जन्म रोके जा सके हैं।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं उत्तर प्रदेश की जन्म दर को राष्ट्रीय स्तर पर घटाने हेतु इस योजनावधि में 12 अंकों की कमी करनी है। अतएव 15 लाख नसबन्दियों का लक्ष्य रक्खा गया है। हमें विश्वास है कि उचित प्रेरणा तथा व्यापक जन समर्थन के द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव होगी। इस सम्बन्ध में शासन ने जो कदम उठाये हैं उनका विवरण भी माननीय सदस्यों को बताना जरूरी है।

1—सभी सरकारी विभागों को कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया और उनके लिये लक्ष्य निर्धारित किये गये। पुलिस विभाग को जनता में प्रेरणा का कार्य नहीं दिया गया है।

2—मन्डल स्तर पर आयुक्तों, जिला स्तर पर जिलाधिकारियों तथा परगना स्तर पर परगना अधिकारियों को कार्यक्रम का दायित्व सौपा गया।

3—मन्त्रि-परिषद् की प्रत्येक बैठक में कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जाती रही है।

4—मन्त्रि-परिषद् की एक उप समिति का भी गठन किया गया है जो कार्यक्रम की प्रगति की जांच के साथ विस्तारपूर्वक भावी नीति निर्धारित करती है।

5—गैर-सरकारी समितियों का गठन विभिन्न स्तरों पर किया गया—

(क) राज्य स्तर—स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य परिवार नियोजन परिषद्, जिसके सदस्य प्रेस प्रतिनिधि, विधायक, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ जिला परिषदों के अध्यक्ष तथा ब्लाक प्रमुख हैं।

(ख) जिला-स्तर—जिला परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में,

(ग) ब्लाक स्तर— ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में,

(घ) पंचायत स्तर—ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में।

6—नगर महापालिका, नगरपालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया तथा शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक मोहल्ले में जन प्रतिनिधियों की समितियों का गठन किया जाना है।

7—राज्य में समस्त क्षेत्र समितियों की दिनांक 25 अप्रैल, 1976 की बैठक का आयोजन किया गया।

8—समस्त गांव सभाओं (72,000 से अधिक) की बैठके सम्पूर्ण प्रदेश में 1 सितम्बर, 1976 को हुई।

9—व्यापक स्तर पर परिवार नियोजन प्रचार कार्य के आयोजन हेतु सूचना सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। प्रचार कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत तीन लाख रुपए की धनराशि के अतिरिक्त पन्द्रह लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि श्रव्य दृश्य उपकरणों की मरम्मत तथा प्रचार कार्य हेतु प्रदेश में सूचना एवं जन-सम्पर्क को आबंटित की गई।

10—अनेक प्रोत्साहनों एवं हतोत्साहनों की घोषणा की गई तथा उन्हें वैधानिक रूप से प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित आदेश पारित किए गए—

(क) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (परिवार नियोजन से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध) नियमावली, 1976।

(ख) उत्तर प्रदेश आवश्यक पदार्थ और वस्तु (अनियोजित परिवारों को देने या सम्भरण पर निर्बन्धन) आदेश, 1976।

(ग) उत्तर प्रदेश अग्नायुध और गोला-बारूद (लायसेन्स देने पर निर्बन्धन) आदेश, 1976।

11—राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि कोई भी कृषक जो पात्र दम्पत्ति की श्रेणी में हैं, अपना अथवा अपनी पत्नी का नसबन्दी आपरेशन करवाने पर तीन फसलों तक भू-राजस्व में 50 प्रतिशत की छूट पाने का अधिकारी होगा।

12—राज्य कर्मचारी जिनकी आयु 40 वर्ष से कम हो तथा दो सन्तानों के बाद आपरेशन करवाने पर एक अग्रिम वार्षिक वेतन-वृद्धि के अधिकारी होंगे।

13—मुख्य मन्त्री ने निश्चय किया है कि जब भी वह किसी जनपद में भ्रमण हेतु जायंगे तो वह परिवार नियोजन केन्द्र अथवा शिविर का निरीक्षण करेंगे।

14—अन्य मन्त्री भी जिलों में अपने कार्यक्रम में विशेषकर 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए आबंटित जिलों में परिवार नियोजन कार्य को भी देख रहे हैं व स्थानीय जन-नेताओं का सहयोग प्राप्त कर के कार्यक्रम के लिए उपयुक्त वातावरण बना रहे हैं।

15—पंचायती संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के आशय से निम्नलिखित नकद पुरस्कारों की घोषणा की गई :

(क) राज्य की सर्व श्रेष्ठ जिला परिषद्—एक लाख रुपए,
(ख) प्रत्येक मन्डल का सर्व श्रेष्ठ विकास खंड—25 हजार रुपए,
(ग) प्रत्येक जिले की सर्व श्रेष्ठ ग्राम सभा—10 हजार रुपए।

16—औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सहयोग :—

(1) स्टेट अपेक्स बाडी की, जिसके सदस्य श्रमिकों तथा सेवायोजकों के प्रतिनिधि हैं, बठक का आयोजन किया गया, जिसमें सेवायोजकों ने अपने कर्मचारियों के लिए अनेक प्रोत्साहनों तथा हतोत्साहनों की घोषणा की।

(2) बड़े कारखानों के संचालकों को परामर्श दिया गया कि अपने कर्मचारियों के लिए नसबन्दी शिविरों का आयोजन करें।

17—इसके अलावा सेवा सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु कुछ अतिरिक्त प्राविधान किए गए, जैसे—

(1) राज्य के प्रत्येक जनपद तथा 9 मेडिकल कालेजों के लिए एक-एक सचल सेवा दल की व्यवस्था की गई, जिसमें 4 चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारी हैं।

(2) पुरुष नसबन्दी आपरेशन के लिए 1,200 सेवा केन्द्रों की व्यवस्था की गई है।

(3) सेवा केन्द्रों में नसबन्दी की सुविधायें बढ़ाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निस्तारण पर धनराशि रक्खी गई।

(4) नसबन्दी अपनाने वाले दम्पत्तियों को हर प्रकार के संक्रमण से सुरक्षित रखने की दृष्टि से राज्य सरकार ने पुरुषों को एक स्वच्छ जांघिया तथा महिलाओं को पेटीकोट उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था अपने साधनों से की है।

18—प्रेरणा शुल्क पुरुष एवं महिला नसबन्दी हेतु बढ़ा कर 10 रुपया कर दिया गया। यह हर श्रेणी के केस को प्रेरित करने पर देय होगा।

19—नसबन्दी आपरेशनों के सम्बन्ध में विशेष सावधानी बरतने हेतु प्रभावी कार्यवाही की गई :—

(1) मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा समस्त चिकित्साधिकारियों को नसबन्दी आपरेशन हेतु मार्ग-दर्शन किया गया तथा निदेश दिए गए कि आपरेशन पूर्ण रूप से असंक्रामक स्थितियों में किया जाय।

(2) शल्य कक्ष, उपकरणों आदि के स्टरलाइजेशन पर भी बल दिया गया।

(3) मेडिकल कालेजों के कुशल शल्यकों को ग्रामीण क्षेत्रों में नसबन्दी आपरेशन के लिए भेजा गया।

(4) लोगों को परिवार नियोजन सेवा के साथ पूर्ण चिकित्सकीय देख-रेख की सुविधा प्रदान की गई।

(5) नसबन्दी करवाने वाले दम्पत्तियों के बच्चों को सभी केन्द्रों से विटामिन की गोलियां और टानिक उपलब्ध करवाने के निदेश दिए गए।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि इन समस्त प्रयासों का ही यह परिणाम है कि इस वर्ष राज्य में परिवार नियोजन कार्य-क्रम में अभूतपूर्व उपलब्धियां हुई हैं। अभी तक 8 नवम्बर, 1976 तक नसबन्दी में 5,68,694 उपलब्धियां हो चुकी हैं जो राष्ट्रीय लक्ष्य का 142.17 प्रतिशत हैं और राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य का 37.91 प्रतिशत है। राज्य म कार्य-क्रम के आरम्भ से अब तक कुल नसबन्दी का 40.16 प्रतिशत इस वर्ष किया गया है। पूर्व वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा इस वर्ष बहुत अधिक उपलब्धियां हुई है।

सरकार इस आदरणीय सदन के सदस्यों तथा प्रदेश की जनता की आभारी है जो इस कार्य-क्रम में पूरा सहयोग दे रही है। इस सहयोग का यह फल है कि हमने इस वर्ष 6 माह की अवधि में ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य प्राप्त कर लिए है। यह उपलिब्धयां इस बात की द्योतक है कि जन साधारण में अब कार्य-क्रम के प्रति और अधिक चेतना विकसित हुई है और यह कार्यक्रम की उपयोगिता को समझकर स्वयं अपनी और समाज की बहबूदी के लिये आगे बढ़कर उसे अंगीकार कर रही है। यह स्वयं में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

अन्त में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि शासन ने कार्य-क्रम की सफलता के लिए सदैव प्रेरणा का माध्यम अपनाया है। उसके यह स्पष्ट आदेश हैं कि नसबन्दी के लिए किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती न की जाय और प्रोत्साहनों तथा हतोत्साहनों का सहारा लेते हुए लोगों को कार्यक्रम के प्रति प्रेरित किया जाय। हमने यह भी निदेश दिए हैं कि अपाहिजों, विधुरों, अविवाहितों, असाध्य रोगियों की नसबन्दी किसी भी दशा में न की जाय। शासन के यह भी आदेश हैं कि केवल 'पात्र व्यक्तियों' की ही नसबन्दी की जाए तथा जिन दम्पत्तियों के एक बच्चा हो, उसकी नसबन्दी उनके चाहने पर भी न की जाए। कार्य-क्रम के सम्बन्ध में शासन की नीति एवं दृष्टिकोण आदरणीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। विश्वास है कि कार्यक्रम के प्रति माननीय सदस्यों की जो भ्रान्तियां थी, उनका अवश्य ही निराकरण इससे हो जायगा। माननीय सदस्यों से अपील है कि प्रदेश के आर्थिक निर्माण हेतु जनसंख्या नियन्त्रण के लिए किए जा रहे प्रयत्नों में अपना पूर्ण सहयोग दें। सरकार को पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदस्यों के सहयोग से निश्चित रूप से इस कल्याणकारी कार्य-क्रम को आगे बढ़ाने हेतु सम्बल मिलेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिए पीछे पृष्ठ संख्या 952 पर)

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1976

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 और इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—1

प्रारम्भिक

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1976 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

अध्याय—2

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा पुन: अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है धारा 4 में, उपधारा (1-ख) में, खंड (ख) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुन: अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, 1973 की धारा 4 का संशोधन

"परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राधिकारों के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकती है।"

3—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (3) में, शब्द और अंक 'दन्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 480 तथा 482' के स्थान पर शब्द और अंक 'दन्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346' रख दिए जायेंगे। धारा 8 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 12 में— धारा 12 का संशोधन

(क) उपधारा (2) में,—

(1) खंड (क) में, प्रारम्भ में शब्द 'कुलपति की पदावधि की समाप्ति के कारण उसके पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व' बढ़ा दिये जायगे ;

(2) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

'परन्तु जहां कार्य परिषद् खंड (क) के अनुसार किसी व्यक्ति का निर्वाचन करन में असफल रहती है, वहां कुलाधिपति खंड (ग)

के अधीन अपने द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त एक व्यक्ति को कार्य परिषद् के प्रतिनिधि के बदले में नाम-निर्दिष्ट करेंगे ;'

(ख) उपधारा (5) में, शब्द 'कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में असफल या असहमत है के पश्चात् शब्द' या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किए गए नए नाम वालों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं' बढ़ा दिए जायेंगे और सदैव से बढ़ाए गए समझे जायेंगे।

धारा 13 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (1) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षा-फल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का विद्या सत्र समुचित तारीख से प्रारम्भ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।"

धारा 17 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 17 में,—

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

'परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई नियम पूर्वगामी तारीख से, जो 31 अक्तूबर, 1975 से पूर्व न हो, बनाया जा सकता है;'

(ख) उपधारा (3) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

"परन्तु सेवा में इस प्रकार के आमेलन से ऐसे आमेलन की तारीख के पूर्व किए गए किसी काय के सम्बन्ध में सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने या जारी रखने के लिए कोई रोक नहीं होगी।"

धारा 20 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (1) में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(घ) आगरा, गोरखपुर, मेरठ, कुमायूं और गढ़वाल विश्वविद्यालयों की स्थिति में,—

(i) विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति या उपर्युक्त खंड (ग) में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष से भिन्न एक आचार्य, एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक जिसका विहित रीति से चयन किया जायगा ;

(ii) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य और दो अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जायगा,

और धारा 37 की उपधारा (1) में उल्लिखित या उसके अधीन अधिसूचित किसी अन्य विश्वविद्यालय की स्थिति में, सम्बद्ध महाविद्यालयों के चार प्राचार्य और चार अन्य अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जायगा।"

धारा 21 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (1) में,—

(क) खंड (viii) में, शब्द 'परीक्षाओं के आयोजन तथा परीक्षा-फल के प्रकाशन के सम्बन्ध में निदेश देना और' निकाल दिए जायेंगे ;

(ख) खंड (ix) में, प्रारम्भ में शब्द 'धारा 37 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए' बढ़ा दिए जायेंगे ;

(ग) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् —

"(3-क) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से सृजित कर सकती है कि ऐसा अध्यापक, जो तत्समय भारत या विदेश में शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महत्व के किसी उत्तरदायी पद पर हो, ऐसे अध्यापक के रूप में परिनियमों के अनुसार अपना लीएन (धारणाधिकार) और ज्येष्ठता बनाए रख सकें और साथ ही अपने समनुदेशन की अवधि में पूर्ववत् अपने वेतन मान में वेतन वृद्धियां अर्जित कर सके और भविष्य निधि में अंशदान कर सके और सेवा निवृत्ति के लाभ, यदि कोई हों, प्राप्त कर सके :

परन्तु ऐसे समनुदेशन की अवधि के लिए अध्यापक को विश्वविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा ।"

धारा 25 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (3) में, अंक '60' के स्थान पर अंक '65' रख दिया जायगा।

धारा 27 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 27 में, उपधारा (4) में, उसके तृतीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि यदि संकाय में कोई आचार्य नहीं है तो संकायाध्यक्ष का पद उस संकाय के उपाचार्यों द्वारा, और यदि कोई उपाचार्य नहीं है तो अन्य अध्यापकों द्वारा चक्रवत् ज्येष्ठता-क्रम में धारण किया जायगा।"

धारा 29 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या, यथास्थिति, किसी उप-समिति या किसी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी है।"

धारा 31 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 31 में—

(i) उपधारा (2) में, वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात् —

"परन्तु यह और कि सेवा समाप्ति का कोई ऐसा आदेश, सम्बद्ध अध्यापक को नोटिस देने के पश्चात्, न कि इसके सिवाय दिया जायगा, जिसमें उसे उन आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जायगा, जिन पर उसकी सेवाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव है :

परन्तु यह भी कि यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाय तो

परिवीक्षा-अवधि बढ़ जायगी जब तक कि प्रथम परन्तुक के खंड (क) के अधीन कार्य परिषद् का अन्तिम आदेश या जब तक कि धारा 35 के अधीन कुलपति के अनुमोदन की संसूचना सम्बद्ध अध्यापक को न दी जाय।";

(ii) उपधारा (3) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात् —

"(ख) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् कोई अध्यापक (चयन समिति को निर्देश के पश्चात्) अस्थायी पद पर, जिसके छः मास से अधिक चलने की संभावना हो, और जिस पद को बाद में स्थायी पद में परिवर्तित कर दिया जाय, या स्थायी पद पर किसी रिक्ति में नियुक्त किया जाता है, जो पदधारी को दस मास से अधिक अवधि के लिए छुट्टी देने के कारण हुई हो और ऐसा पद बाद में स्थायी रूप से रिक्त हो जाता है या उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी का कोई पद नया सृजित किया जाता है या रिक्त होता है, वहां यथास्थिति, कार्य परिषद् या प्रबन्धतन्त्र जब तक कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सेवा समाप्त करने का विनिश्चय नहीं करता है ऐसे अध्यापक को उस पद पर अधिष्ठायी हैसियत से, चयन समिति को निर्देश के बिना नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु यह खण्ड तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि अध्यापक उस पद के लिए, ऐसी अधिष्ठायी नियुक्ति के समय, नियत अर्हतायें धारण न करता हो, और चयन समिति को निर्देश के पश्चात्, उसने अपनी नियुक्ति के बाद लगातार तीन वर्ष तक काम न किया हो।"

(iii) उपधारा (4) में—

(1) खंड (क) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि जहां कुलाधिपति का यह समाधान हो जाय कि मामले की विशेष परिस्थितियों में, आचार्य या उपाचार्य के पद के लिए पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, वहां वह ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करने का निदेश दे सकते हैं, जैसी वे उचित समझें।";

(2) खंड (ग) में—

(क) उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप खंड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ii) उन संकायों के, जिनसे सम्बद्ध विषय महाविद्यालय में पढ़ाए जाते हों, संकायाध्यक्षों अथवा आचार्यों में से कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक संकायाध्यक्ष या आचार्य ;"

(ख) द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट महाविद्यालयों की स्थिति में, संकायाध्यक्ष या आचार्य भी, जो उपखंड (ii)

के अधीन चयन समिति के सदस्य होंगे, उन पांच संकायाध्यक्षों या आचार्यों के पैनल में से जिनके लिए प्रबन्धतन्त्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो, प्रबन्धतन्त्र द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जायेंगे और यदि ऐसे संकायाध्यक्ष या आचार्य अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों, तो सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों का नाम पैनल में सम्मिलित किया जा सकता है।"

(3) उपधारा (8) में, खण्ड (क) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि यदि कार्य परिषद् चयन समिति के अधिवेशन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय न करे, तब भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायगा, और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।"

(4) उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"(11) (क) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (जो राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न हो) का प्रबन्धतन्त्र चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए किसी अध्यापक को नियुक्त नहीं करेगा जब तक कि कुलपति का पूर्वानुमोदन न ले लिया जाय।

(ख) प्रबन्धतन्त्र, चयन समिति के अधिवेशन के पश्चात् यथाशीघ्र अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए कुलपति को प्रस्तुत करेगा।

(ग) कुलपति, यदि उनका समाधान हो जाय कि चयन समिति द्वारा सिफारिश किया गया अभ्यर्थी विहित न्यूनतम अर्हता या अनुभव नहीं रखता है, या अध्यापक के लिए अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, प्रबन्धतन्त्र को अपनी अस्वीकृति की सूचना देंगे :

परन्तु यह कि यदि कुलपति खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अपनी अस्वीकृति की सूचना नहीं देते हैं, या प्रबन्धतन्त्र को उसके सम्बन्ध में, सूचना नहीं भेजते हैं तो यह समझा जायगा कि उन्होंने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(12) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद्, कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से, या प्रबन्धतन्त्र कुलपति के पूर्वानुमोदन से अध्यापक के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर, किसी सरकारी सेवक को नियुक्त कर सकता है जो पद के लिए विहित अर्हतायें रखता हो।

(13) किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ का प्राचार्य उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर उक्त कालेज के आचार्यों में से नियुक्त किया जायगा, और उपधारा (10) के उपबन्ध ऐसे चयन के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।"

धारा 37 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 37 में, उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(9) उपधारा (2) और (8) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा है तो कुलाधिपति प्रबन्धतन्त्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापस ले सकेंगे या उसमें कमी कर सकेंगे।"

धारा 46 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 46 में, शब्द "ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश देने की शर्त के रूप में" के स्थान पर शब्द "ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश देने या प्रवेश के पश्चात् पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में" रख दिए जायेंगे।

नई धारा 46-क का बढ़ाया जाना

15—मूल अधिनियम की धारा 46 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् —

"46-क—जहां किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा जिसमें महाविद्यालय को अंशदान और दान राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय भी सम्मिलित है, अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहां इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायगा जिसके लिए वह महाविद्यालय को दिया गया और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय की दशा में कोई नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जायगा जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा।"

धारा 49 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 49—में,—

(i) खण्ड (घ) और (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिए जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे, अर्थात् —

"(घ) सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्राचार्यों और अन्य अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित हैं) उनके द्वारा विद्या सम्बन्धी अपनी वार्षिक रिपोर्ट का अनुरक्षण, उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण, नियम और उनकी उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवा-निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित हैं) और उनकी उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित है);";

(ii) खण्ड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् —

"(ण) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक नहीं हैं) की संख्या,

न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव, उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें, जिसमें सेवा निवृत्ति की आयु और अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं, और उनके सेवा अभिलेख की रचना और अनुरक्षण ;"।

धारा 50 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 50 में,—

(i) उपधारा (1-क) में, शब्द "ऐसे परिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977 तक" रख दिए जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, शब्द "प्रथम परिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात्" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977 के पश्चात्" रख दिए जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 51 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 51 में, उपधारा (2) में, खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"(झ) अभिभावक—शिक्षक एसोसियेशन की रचना; "।

नयी धारा 60—गग का बढ़ाया जाना

19—मूल अधिनियम की धारा 60-ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद

"60-गग—कुलपति, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी संख्या के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से सृजित कर सकता है कि ऐसा अध्यापक जो तत्समय भारत या विदेश में शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महत्व के किसी उत्तरदायी पद पर हो, ऐसे अध्यापक के रूप में परिनियमों के अनुसार अपना लीएन (धारणाधिकार) और ज्येष्ठता बनाए रख सके और साथ ही अपने समनुदेशन की अवधि में पूर्ववत् अपने वेतनमान में वेतन वृद्धियां अर्जित कर सके और भविष्य निधि में अंशदान कर सके और सेवानिवृत्ति के लाभ, यदि कोई हों, प्राप्त कर सके :

परन्तु ऐसे समनुदेशन की अवधि के लिए ऐसे अध्यापक को महाविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा।"

नई धारा 68-क का बढ़ाया जाना

20—मूल अधिनियम की धारा 68 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

प्रबन्ध तन्त्र के विरुद्ध अपना आदेश प्रवृत्त करने की कुलपति की शक्ति

"68-क—(1) जहां सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्ध तन्त्र के किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने, या पंक्तिच्युत करने या किसी अन्य रीति से उसे दन्ड देने का कुलपति ने अनुमोदन नहीं किया है या जहां इस अधिनियम के या धारा 74 द्वारा निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कुलपति ने ऐसे अध्यापक के निलम्बन के आदेश को स्थगित, प्रतिसंहृत या उपान्तरित कर दिया है, और प्रबन्धतन्त्र ने ऐसे अध्यापक के वेतन का जो कुलपति के आदेश के परिणामस्वरूप उसे देय हो गया है, भुगतान करने में व्यतिक्रम किया है वहां कुलपति यह आदेश

दे सकता है कि प्रबन्धतन्त्र वेतन की उस राशि का भुगतान कर जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो तथा निलम्बन काल में देय वेतन का 1/2 की दर से निलम्बन भत्ता यदि भुगतान न किया गया हो तो उस राशि का भुगतान करने के लिए भी प्रबन्धाधिकरण को आदेश दे सकता है।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे मामले में, कुलपति सम्बद्ध अध्यापक को वेतन की बकाया के सम्बन्ध में ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जैसा वह उचित समझे पुनर्नियुक्ति का भी आदेश दे सकता है।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कुलपति का प्रत्येक आदेश क्षेत्रीय अधिकारितायुक्त निम्नतम न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा मानो वह उस न्यायालय की डिक्री हो।

(4) किसी विषय के सम्बन्ध में जिसके लिए उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कुलपति द्वारा अनुतोष दिया जा सकता है किसी प्रबन्धतन्त्र या अध्यापक के विरुद्ध कोई वाद ग्राह्य नहीं होगा।"

धारा 72 का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 72 में, उपधारा (2) में, उसके परन्तुक में अंक "1976" के स्थान पर अंक "1977" रख दिए जायेंगे।

धारा 72-क का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 72-क में, खण्ड (ग) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों की पदाविधि एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकती है।"

धारा 73 का संशोधन

23—मूल अधिनियम की धारा 73 में, उपधारा (1) में, उसके परन्तुक में, शब्द "इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात्" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977 के पश्चात्" रख दिए जायेंगे।

धारा 74 का संशोधन

24—मूल अधिनियम की धारा 74 में, उपधारा (3) में —

(1) खण्ड (ख) निकाल दिया जायगा ;

(2) खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जायेंगे, और सदैव से बढ़ाए गए समझे जायेंगे, अर्थात्:—

"(झ) गोरखपुर विश्वविद्यालय क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसे आगरा विश्वविद्यालय ने काशी नरेश गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी केन्द्र से 1974 की बी0 ए0 भाग-1 या एम0ए0 भाग-1 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी थी और जिसे उक्त परीक्षाफल पर सफल घोषित किया गया है, उसे आगरा विश्वविद्यालय विद्या वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान काशी नरेश गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी केन्द्र से उक्त विश्वविद्यालय की यथास्थिति बी0 ए0 भाग-2 या एम0ए0, भाग-2 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा देगा, और ऐसे परीक्षा फल पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी और ऐसी परीक्षा विधिमान्य समझी जायगी ;

(ञ) उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ की तारीख को कला और शिल्पकला महाविद्यालय

लखनऊ में सेवारत प्रत्येक अध्यापक या अन्य वैतनिक कर्मचारी को, राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए जो समय-समय पर दिए जाएं, लखनऊ विश्वविद्यालय का अध्यापक या अन्य कर्मचारी समझा जायगा;

(ट) इलाहाबाद विश्विविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय के क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति को कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा (जिसे आगे इस खंड में उक्त विश्वविद्यालय कहा गया है) धारा 7 के खंड (5) में निर्दिष्ट परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी जा सकेगी, और ऐसे परीक्षाफल पर उक्त विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी, यद्यपि ऐसा व्यक्ति उक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्र में नहीं रहता था।"

संक्रमण-कालीन उपबन्ध

25—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 68-क की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रकार का प्रत्येक वाद, और समस्त अपील और पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के आवेदन-पत्र जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो, उपशमित हो जायेंगे।

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1972 की धारा 4 का संशोधन

26—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में,—

(क) उपधारा (2) में—

(i) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात् :—

"(गग) उन सभी बेसिक स्कूलों का प्रबन्ध लेना जो नियत दिनांक के पूर्व किसी स्थानीय निकाय के थे;";

(ii) अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खन्ड बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व विहित संशिक्षण क्रम और पुस्तकें और मान्यता प्राप्त संस्थायें इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा विहित या मान्यता प्राप्त समझी जायेंगी।";

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जायगी, अर्थात् —

"(3) उपधारा (2) के खन्ड (गग) या खन्ड (घ) के अधीन बेसिक स्कूलों का, जो नियत दिनांक के पूर्व स्थानीय निकाय के थे, प्रबन्ध पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए ऐसे स्कूलों के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों की शक्ति और कृत्य परिषद् को अन्तरित हो जायेंगे।"

धारा 9 का संशोधन

27—मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (3) में उसके प्रतिबन्धात्मक खन्ड में, शब्द "किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूल के" के स्थान पर शब्द "बेसिक स्कूल के, जो नियत दिनांक के पूर्व स्थानीय निकाय के थे" रख दिए जायेंगे।

धारा 12 का संशोधन

28—मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(i) उपधारा (1) में शब्द और कोष्ठक "(चाहे वह किसी स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति अथवा निकाय का हो)" निकाल दिए जायेंगे।

(ii) उपधारा (2) से (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"(2) निदेशक किसी बेसिक स्कूल के प्रबन्धाधिकरण को निरीक्षण करने का या अन्य प्रकार से पाए गए किसी दोष या कमी को दूर करने का निदेश दे सकता है।

(3) यदि बेसिक स्कूल का प्रबन्धाधिकरण उपधारा (2) के अधीन दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निदेशक प्रबन्धाधिकरण द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ऐसे स्कूल की मान्यता वापस लेने के लिए मामला परिषद् को निर्दिष्ट कर सकता है।

(4) किसी बेसिक स्कूल के सम्बन्ध में उपधारा (3) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर परिषद् उस स्कूल की मान्यता वापस ले सकती है।"

धारा 17 का संशोधन

29—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में, शब्द "इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश 31 दिसम्बर, 1977 के पश्चात्" रख दिए जायेंगे।

धारा 18 का संशोधन

30—मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (3) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात् :—

"(ख) बेसिक स्कूलों के सम्बन्ध में धारा 73 लागू न होगी ;"।

धारा 18-क का बढ़ाया जाना

31—मूल अधिनियम की धारा 18 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाएगी, अर्थात् —

कतिपय भवनों के संबंध में परिषद् का किरायेदार होना

"18-क (1) जहां किसी भवन या उसके भाग पर किसी स्थानीय निकाय का किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए नियत दिनांक पर किराएदार के रूप में अध्यासन हो, वहां ऐसे भवन या उसके भाग के सम्बन्ध में किराएदारी, उक्त दिनांक से परिषद् के पक्ष में अन्तरित हो जाएगी।

(2) जहां किसी स्थानीय निकाय के किसी भवन या उसके भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजनों के लिए नियत दिनांक पर स्थानीय निकाय का अध्यासन था, वहां परिषद्, उक्त दिनांक से ऐसे भवन या भाग के सम्बन्ध में, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, स्थानीय निकाय की ओर से लाइसेन्सधारी हुआ समझा जायगा।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा, पट्टा या अन्य संलेख, या किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे।"

अध्याय 4

इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं0 2, 1921 की धारा 7-ग का संशोधन

32—इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 7-ग में शब्द "ऐसी संस्था में प्रवेश देने की शर्त के रूप में" के स्थान पर शब्द "ऐसी संस्था में प्रवेश देने या प्रवेश के उपरान्त पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में" रख दिए जायेंगे।

नयी धारा 7-ङ का बढ़ाया जाना

33—मूल अधिनियम की धारा 7-घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् —

"7-ङ—जहां किसी संस्था द्वारा, जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था भी सम्मिलित है, अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहां इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायगा जिसके लिए वह संस्था को दिया गया है और राज्य सरकार द्वार अनन्य रूप से पोषित संस्था की दशा में, नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जाएगा और जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य वा विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा।"

दान का उचित उपयोग

धारा 15 का संशोधन

34—मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (2) में, खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् —

"(ड) अभिभावक-अध्यापक एसोसिएशन की रचना।"

धारा 16-ज का संशोधन

35—मूल अधिनियम की धारा 16-ज में, उपधारा (2) के अन्त में, शब्द "और इस प्रकार लागू किए गए उपबन्ध, यदि कोई हो, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे, बढ़ा दिए जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के कार्यान्वयन में कतिपय कठिनाइयों का अनुभव हुआ है। इन कठिनाइयों का निराकरण करने की दृष्टि से उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन करना समीचीन समझा गया। संशोधन विधेयक की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं —

(1) सम्बद्ध विश्वविद्यालयों में जहां आचार्य, उपाचार्य या प्राध्यापक नहीं है, वहां धारा 20 के उपबन्धों के अनुसार कार्य परिषद् का गठन करना व्यवहार्य नहीं है। अतएव, धारा 20(1)(घ) में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

(2) यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि यदि परवीक्षाधीन अध्यापक की सेवा को समाप्त करना है तो उसे उन आधारों के सम्बन्ध में जिन पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाना चाहिए।

(3) अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य की नियुक्ति के लिए प्रबन्धतन्त्र चयन समिति के विशेषज्ञ कुलपति द्वारा अनुमोदित पांच विशेषज्ञों के पैनेल में से नाम-निर्दिष्ट करता है। यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि विश्वविद्यालय का एक आचार्य भी, जो ऐसे महाविद्यालय में आचार्य पद के लिए चयन समिति का एक सदस्य होगा, प्रबन्धतन्त्र द्वारा उन पांच आचार्यों के पैनेल में से नाम-निर्दिष्ट किया जायगा जिनके सम्बन्ध में प्रबन्धतंत्र द्वारा सुझाव दिया जाय और कुलपति द्वारा अनुमोदन किया जाय।

(4) यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्राचार्य कालेज के आचार्यों में से चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किए जाएंगे।

(5) यह भी प्रस्ताव है कि यदि कुलपति किसी उपाधि महाविद्यालय के अध्यापक को पदच्युत करने या हटाने या उसकी सेवाओं की समाप्त करने के महाविद्यालय के विनिश्चय का अनुमोदन न करें तो उस स्थिति में कुलपति को प्रबन्धतन्त्र द्वारा अध्यापक को पुनर्नियुक्त करने का निदेश देने और उसके वेतन की राशि का भुगतान करने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, ऐसा आदेश किसी सिविल न्यायालय की डिक्री की तरह निष्पादनीय होगा।

(6) यह व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है कि जब किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप में पोषित महाविद्यालय भी है, अंशदान या दान चाहे नकद या वस्तु रूप में लिया या प्राप्त किया जाय, तब इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायगा जिसके लिए वह उसे दिया गया था।

(7) उपर्युक्त अधिनियम में कुछ अन्य आवश्यक और छोटे-मोटे संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

2—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 में संशोधन करने के लिए भी इस अवसर का लाभ उठाया जा रहा है जिससे कि यह व्यवस्था की जा सके कि यदि किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए किसी भवन या उसके भाग पर किसी स्थानीय निकाय का अध्यासन था तो ऐसे भवन या उसके भाग के सम्बन्ध में किराएदारी बेसिक शिक्षा परिषद् के पक्ष में अन्तरित हो जाएगी। उपर्युक्त अधिनियम में कुछ अन्य छोटे-मोटे संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

उद्देश्य और कारण

3—इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के कुछ उपबन्धों के कार्यान्वयन में जिन कतिपय कठिनाइयों का अनुभव हुआ उनका निराकरण करने की दृष्टि से इस अवसर पर उन उपबन्धों का भी संशोधन किया जा रहा है।

4—तदनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1976 पुरःस्थापित किया जाता है।

अम्मार रिजवी,
शिक्षा मन्त्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०—एल० 234 वि० सभा—(520)—1977—8401